MAED 606

Third Semester

समावेशी शिक्षा

Inclusive Education

शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय , हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड			
प्रोफेसर जे0के0 जोशी निदेशक शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी ,उत्तराखण्ड	**प्रोफेसर एन0 एन0 पाण्डेय(सदस्य)** शिक्षा संकाय एम० जे० पी० रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तरप्रदेश	**प्रोफेसर गिरिजेश कुमार (सदस्य)** शिक्षा संकाय एम० जे० पी० रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तरप्रदेश	**प्रोफेसर रोमेश वर्मा(सदस्य)** शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी ,उत्तराखण्ड
डॉ0 दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 रजनी रंजन सिंह सहायक प्रोफेसर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 प्रवीण कुमार तिवारी सहायक प्राध्यापक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	सुश्री ममता कुमारी सहायक प्रोफेसर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
डॉ0 भावना पलड़िया सहायक प्राध्यापक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मनीषा पंत परमर्शदाता उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय , हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्री सिद्धार्थ पोखरियाल संविदा शिक्षक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	
पाठ्यक्रम संयोजक एवं सम्पादक		**उप संपादक**	
डॉ0 दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड		**डॉ कल्पना पाटनी लखेड़ा** सहायक प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	

इकाई लेखन	इकाई संख्या	इकाई लेखन	इकाई संख्या
श्री वरुण कुमार दूबे सहायक प्रोफेसर, बैकुण्ठ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिवान, बिहार	1, 2, 3 & 4	श्री चेतनारायण पटेल सहायक प्रोफेसर, श्रवण बाधिता विभाग, विशिष्ट शिक्षा संकाय, उत्तरप्रदेश विकलांग उद्धार डॉ० शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तरप्रदेश	13
श्री रश्मि रंजन सहायक प्रोफेसर, बैकुण्ठ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सिवान, बिहार	5, 6 & 7		
डॉ० बृजेश राय अकादमिक परामर्शदाता, NCDS, इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	8, 9, 11 & 12		
डॉ० योगेन्द्र पाण्डेय सहायक प्रोफेसर, शिक्षा संकाय (कमच्छा), काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	10		

ISBN-13 -978-93-84632-49-6

समस्त लेखों/पाठों से सम्बंधित किसी भी विवाद के लिए सम्बंधित लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का जूरिसडिक्शन हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

कापीराइट: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन वर्ष: 2014 पुनः प्रकाशन- 2022

संस्करण: सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति

प्रकाशक: एम0पी0डी0डी0 , उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी-263139, (नैनीताल)

समावेशी शिक्षा (Inclusive Education)

MAED-606 (Third Semester)

इकाई सं०	इकाई का नाम	पृष्ठ सं०
1	विशिष्ट बालक का अर्थ , धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन	1 -14
2	क्षति, अक्षमता एवं नि:शक्तता की संकल्पना	15-27
3	विशिष्ट बालकों के प्रकार	28-49
4	विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ	50-73
5	विशेष शिक्षा के संप्रत्यय एवं कार्य क्षेत्र	74-88
6	विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांत	89-101
7	विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार, संसाधन/ परिभ्रामी शिक्षक, संसाधन कक्ष एवं उपकरण	102-120
08	एकीकृत शिक्षा का अर्थ, एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति, एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र, एकीकृत शिक्षा का महत्व	121-131
09	विशेष तथा समावेशित शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून	132-144
10	नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन क्रार्यक्रम (1992) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा	145-167
11	मुख्यधारा, मुख्यधारा के संघटक, मुख्यधारा का प्रभाव, एकीकरण में मुद्दे	168-177
12	शिक्षा में समावेशन की अवधारणा, शिक्षा में समावेशन के संघटक समावेशित शिक्षा के लाभ, समावेशित शिक्षा में मुद्दे	178-193
13	श्रवण बाधिता का अर्थ, वर्गीकरण तथा विशेषताएँ	194-206

इकाई 1: विशिष्ट बालक का अर्थ, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन(Meaning of Special child, Positive &Negative Deviation)

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 विशिष्ट बालक का अर्थ
1.4 बालक की विशेषताएं
1.5 धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन
1.5.1 धनात्मक विचलन
1.5.2 ऋणात्मक विचलन
1.6 सारांश
1.7 शब्दावली
1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
1.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री
1.11 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना(Introduction)

विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालकों के संप्रत्यय से सम्बंधित यह प्रथम इकाई है।

विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संप्रत्यय को समझने के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है? उनकी प्रकृति क्या है? उनकी विशेषताएं क्या हैं? ये सामान्य समूह से भिन्न कैसे है? सामान्य समूह या वर्ग से विचलन की दिशा क्या है? यह विचलन धनात्मक है अथवा ऋणात्मक? धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन से तात्पर्य क्या है? प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट बालक का अर्थ तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन से तात्पर्य पर विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्यायानोपरांत आप विशिष्ट बालक के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन की व्याख्या कर सकेंगे।

1.2 उद्देश्य(Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययनोपरांत आप

- विशिष्ट बालक के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विशिष्ट बालक की प्रकृति एवं विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।

- विशिष्ट बालक का सामान्य समूह के बालकों से विचलन का अर्थ समझा सकेंगे।
- विशिष्ट बालक का सामान्य समूह के बालकों से विचलन की दिशा ज्ञात कर सकेंगे ।
- विशिष्ट बालक का सामान्य समूह के बालकों से विचलन का क्या तात्पर्य है? को स्पष्ट कर सकेंगे।
- विशिष्ट बालक का सामान्य समूह के बालकों से विचलन की दिशा को निर्धारित कर सकेंगे।

1.3 विशिष्ट बालक का अर्थ (Meaning of special child)

प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है फिर भी जब आप "विशिष्ट बालक" शब्द से मुखातिब होते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा बालक जो बालकों के सामान्य समूह से अलग कुछ विशिष्टता रखता हो उसके बारे में बात की जा रही है । "विशिष्ट बालक" की ये विशेषताएं सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएं हो सकती हैं, जिसमें बालक भिन्न हो सकता है । इन भिन्नताओं के आधार पर विशिष्ट बालकों को कई समूहों एवं उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे- बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक, शारीरिक क्षमता के आधार पर चलन-क्रिया अक्षमता, दृष्टिबाधा, श्रवण-ह्रास, वाणी दोष वाले बालक, सामाजिक दृष्टि से कुसमयोजित अथवा समस्यात्मक बालक आदि। चूँकि इन सभी उपवर्गों से सम्बंधित बालकों की प्रकृति भिन्न होती है इसलिए इनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है।

वास्तव में विशिष्ट बालक शब्द एक वृहद पद है जिसके अंतर्गत विभिन्न असामान्यताओं से युक्त बालकों के अनेक समूह समाहित रहते हैं। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालक की परिभाषा अपने-अपने तरीके से दी है। कुछ परिभाषाएं निम्नवत इसप्रकार हैं-

क्रुक शैंक के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है"।

डन के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के लिए बनाया गया विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है तथा इसीलिए अपनी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों चाहते हैं" ।

क्रो एवं क्रो के अनुसार, "विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है" ।

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो अपने आयु वर्ग के समूह के बालकों के किसी भी चर के मापन के सापेक्ष औसत मानों से काफी दूर होते हैं। ये मान केन्द्रीय मानों से अधिक या कम दोनों हो सकते हैं। अर्थात यदि हम बालकों के समायोजन को मापते हैं और किसी बालक के समायोजन की माप केन्द्रीय

मान से अत्यधिक कम है तो बालक विशिष्ट श्रेणी में रखा जायेगा तथा यदि केन्द्रीय मान से अत्यधिक अधिक है तब भी बालक विशिष्ट श्रेणी में ही रखा जायेगा तथा इन दोनों प्रकार के बालकों को विशिष्ट बालक कहा जायेगा।

1.4 विशिष्ट बालकों की विशेषताए(Characteristics of Special child)

विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों- शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नजर डाली जाय तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊँचाइयों पर पहुंचे होते हैं अथवा जिनमे इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति-सामर्थ्य का बहुत अधिक आभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। निष्कर्षतः विशिष्ट बालकों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं-

- विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।
- सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है। उदारहण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है।
- सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बड़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख-रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट बालक की दो परिभाषायें लिखिये?
2. विशिष्ट बालक के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं?
3. विशिष्ट बालकों की तीन विशेषताएं लिखिए?

1.5 धनात्मक व ऋणात्मक विचलन(Positive &Negative Deviation)

विचलन का तात्पर्य बिखराव से है, फैलाव से है। विचलन यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक केन्द्रीय मान से कितना दूर तथा कितना समीप है। जब हम किसी विशेष गुण को धारण करने वाले समूह के गुण का मापन करते है तो प्राप्त आंकड़ों का आलेखीय निरूपण घंटी के आकार का आता है जिसे हम सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम किसी कक्षा के छात्रों कि बुद्धि-लब्धि और प्रतिशत संभावना के बीच आलेख खींचें तो हमें निम्नवत आकृति प्राप्त होगी और इसे ही सामान्य प्रायिकता वक्र कहा जाता है। सामान्य प्रायिकता वक्र के शीर्ष बिंदु से X-अक्ष पर डाला गया लम्ब पूरे वक्र को दो सममित भागों में विभाजित करता है। लम्ब का पाद केन्द्रीय मान को प्रदर्शित करता है।

केंद्रीय मान के बांये के प्राप्तांक केन्द्रीय मान से कम हैं तथा इनका विचलन ऋणात्मक है। इसी प्रकार केन्द्रीय मान के दांये के प्राप्तांक केन्द्रीय मान से अधिक हैं तथा इनका विचलन धनात्मक है।

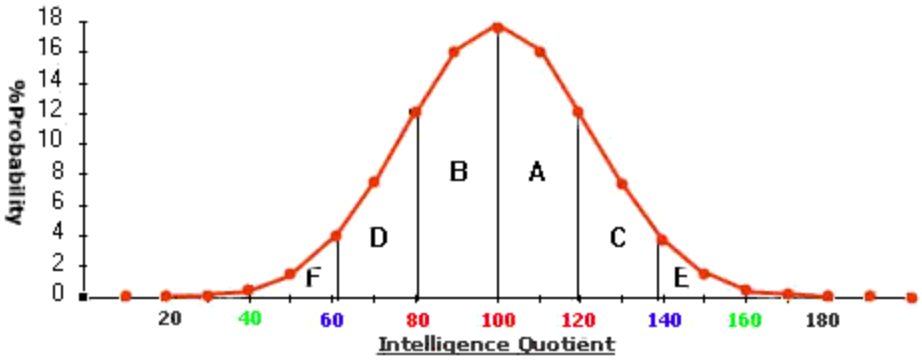

इसी प्रकार यदि किसी खेल के मैदान का आप निरीक्षण करेंगे तो आपको यहाँ भी यह अद्वितीयता देखने को मिल जायेगी। कुछ बालक बहुत तेजी से तथा बेहतर समन्वय के साथ दौड़ते मिलेंगे। कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों से घिरे हुए मिल जायेंगे तथा कुछ कहीं एकांत में अकेले बैठे मिल जायेंगे। बालकों में यह अद्वितीयता कक्षा की अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट यहाँ खेल के मैदान में मिल जायेगी। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र ऐसे बालकों से सम्बन्धित है जो कि कक्षा में अधिगम और सफलता पूर्वक कार्य करने में इतने विचलित होते है कि वह मायने रखता है। उनके शिक्षण अधिगम को सामान्य बनाने हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या किसी विशेष प्रकार के कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल सात महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये सातों आयाम इस प्रकार हैं- दृष्टि, श्रवण, गति, सम्प्रेषण, प्रत्यक्षण-गामक, सामाजिक-सांवेगिक तथा बुद्धि। एक विशिष्ट बालक इनमें से एक या अधिक आयामों में धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी दिशा में विचलित हो सकता है।

दृष्टि(vision)- कक्षा में अनुदेशन अथवा वातावरण में स्वतंत्र गमन हेतु दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। हम सभी लोगों की दृष्टि भिन्न –भिन्न होती है। हममें से कुछ लोग उनसे भी अधिक दूर तथा स्पष्ट देख सकते हैं जो कि सामान्य से धनात्मक दिशा में ही विचलित होते हैं। हममें से ज्यादातर लोग दृष्टि-आयाम के मध्य बिंदु के आस-पास ही मिलेंगे। जो लोग चश्में का प्रयोग करते हैं, जिन्हें दृष्टि की समस्याएं हैं या पूर्ण दृष्टि हीनता से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं वो भी आपस में अलग-अलग दृष्टि क्षमता रखते हैं।

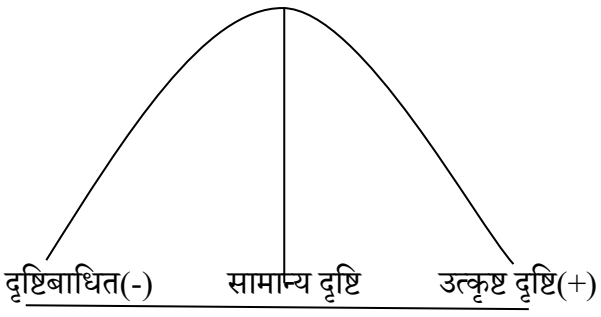

श्रवण(hearing)- अधिगम के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम श्रवण है। हममें से कुछ लोग जो सामान्य से धनात्मक दिशा में विचलित होते है बहुत ही उत्कृष्ट श्रवण शक्ति रखते हैं तथा वे 25० फुट की दूरी की क्षीण आवाज को भी पहचान जाते हैं। हममें से ज्यादातर लोग श्रवण-आयाम के मध्य या उसके आस-पास में स्थित होते हैं। हममें से कुछ लोग जो ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं उनमें भी विविधता होती है तथा उन्हें अलग-अलग श्रवण सहायक सामग्री के द्वारा ध्वनि विस्तारण की जरूरत होती है। इनमें से कुछ लोग इस समस्या-प्रसार में सबसे नीचे होते हैं तथा पूर्ण श्रवण बाधित या बहरे होते हैं।

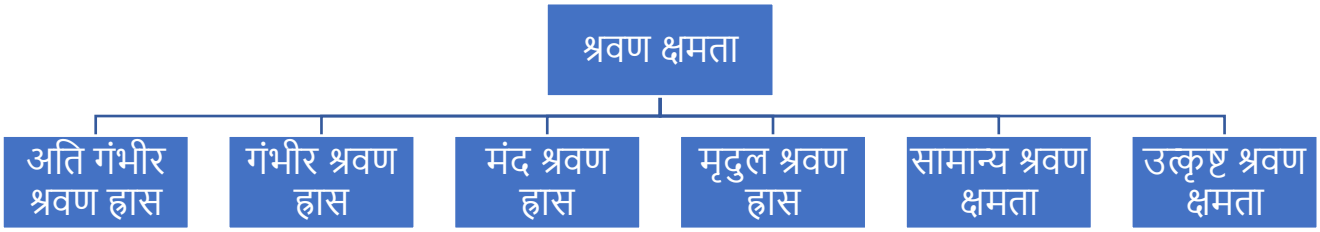

गति(motion)- बालक की गति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अतः बालक के विकास का एक प्रमुख घटक है। बालक किसी बीमारी अथवा किसी दुर्घटनावश अपनी गति सम्बन्धी अंगों की शक्ति को खो देता है या कम कर देता है तो वह गति के सन्दर्भ में पिछड़ जाता है। जैसे बालक पोलियो आदि के कारण आपने पैरों की शक्ति खो देता है तो उसकी गति सामान्य से कम हो जाति है और गति के कम हो जाने से बालक का वातावरण से संपर्क कम हो जाता है। अतः व्यवहार परिवर्तन के आयाम कम हो जाते हैं। कुछ बालको में उनकी गति करने की शक्ति अधिक होती है फलस्वरूप बालक का वातवरण से संपर्क अधिक होता है। बालक का अधिगम अधिक होता है।

सम्प्रेषण(communication)- बालक के विकास या अधिगम की दृष्टि से सम्प्रेषण अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक है. सम्पूर्ण अधिगम की आधारशिला सम्प्रेषण पर रखी होती है. सम्प्रेषण से तात्पर्य बालक के अपने विचारों को दूसरों तक शत-प्रतिशत प्रेषित करने तथा दूसरों के प्रेषित विचारों के शत-प्रतिशत ग्रहण करने से है. संप्रेषण, भाषा पर अच्छी पकड़, विचारों की तात्कालिक प्रक्रिया एवं अनुक्रिया को सम्मिलित करता है. कुछ बालक सम्प्रेषण कौशल में बहुत ही निपुण होते है तथा कुछ बहुत ही कमजोर. ऐसा बिलकुल नहीं होता की बालक की बौद्धिक क्षमता कम या ज्यादा होती है. बालक विचारों को समझते हुए भी अनुक्रिया करने में असहज महसूस करते हैं. कभी- कभी कुछ बालक लिखित अनुक्रिया के बजाय मौखिक अनुक्रिया में सहजता महसूस करते हैं तो कुछ बालक मौखिक के बजाय लिखित अनुक्रिया करने में सहजता महसूस करते हैं. कुछ बालक ऐसे भी मिल सकते हैं जो विचारों को समझते हुए भी उनकी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से करने में असक्षम महसूस करते हैं।

प्रत्यक्षण गामक- प्रत्यक्षण गामक शक्ति भी बालकों के अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है. इसका सीधा संबंध बालक की समय-दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण से है. जिन लोगो का समय-दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण उत्तम होता है उनकी गति उत्तम होती है. उनके सीखने की गति उत्तम होती है. दूसरी तरफ क्षीण समय-दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण वाले

बालकों की गति निम्न होती है. अधिगम दर कम होता है. इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखने वाला यह कारक भी अधिगम व समायोजन के सन्दर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है. वे बालक जिनकी प्रत्यक्षण गामक शक्ति सामान्य से अधिक है धनात्मक दिशा में विचलित हैं जबकि सामान्य से कम प्रत्यक्षण गामक वाले बालक ऋणात्मक दिशा में विचलित है.

सामाजिक-सांवेगिक आयाम(Socio emotional aspect)- बालक का सामाजिक-सांवेगिक विकास विद्यालय में सफल अधिगम या अनुकूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। विद्यालय की किसी कक्षा का अवलोकन किया जाय तो कुछ बालक ऐसे मिलेंगें जिनका सामाजिक सांवेगिक विकास अच्छा होता है। ऐसे बालक अन्य छात्रों के साथ जल्द ही घुलमिल जाते हैं तथा अन्य छात्रों के दुखों-सुखों में शामिल होते हैं। तथा कुछ बालक ऐसे मिलेंगें जिनका अन्य बालकों से सामाजिक संबंध बहुत ही कमजोर होते हैं तथा वे अन्य बालकों के संवेगों से प्रभावित भी नहीं होते या कभी-कभी आपराधिक प्रवृति के भी होते हैं। ऐसे बालक सामाजिक सांवेगिक दृष्टि से ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं।

बुद्धि(Intelligence)- बुद्धि व्यक्तित्व का बहुत ही अहम् हिस्सा है। जो बालक के बौद्धिक विकास के लिए अति आवश्यक है। कुछ बालको की बुद्धिलब्धि सामान्य बालको से बहुत अधिक होती है जिससे इन्हें कुशाग्र बुद्धि या प्रतिभावान की श्रेणी में रखा जाता है तथा कुछ बालकों की बुद्धिलब्धि अत्यंत कम होती है जिससे उनका अधिगम बुरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु भी विशिष्ट तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है।
किसी बालक के सफल अनुकूलन हेतु उपर्युक्त सभी सातों आयामों में सामान्य होना अति आवश्यक है। हमने अभी एक खेल के मैदान के अवलोकन से यह देखा कि बालक व्यक्तिव के इन आयामों में किसी भी दिशा में विचलित हो सकते है। ये दोनों दिशाओं के विचलन बालक के सामान्य अधिगम व अनुकूलन को प्रभावित करते हैं।
प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्तित्व के इन सभी आयामों की धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक दूर जाने वाले सभी बालकों को विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जा सकती है? अथवा ऐसा करने में कोई और शर्त लगाई जानी चाहिए। ध्यान से सोचा जाय तो एक ऐसी शर्त उपर्युक्त परिभाषाओं में लगाई गयी है वह यह है कि किसी बालक के व्यक्तित्व के आयामों की धनात्मक या ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक तय की गयी दूरी तभी विशिष्ट बालकों की विशेषताओं में शामिल होकर उस बालक को विशिष्ट बालक का दर्जा दिला सकती है जब कि वह इतनी अधिक या असामान्य हो जाये कि जिसकी वजह से-

- बालक की सामान्य वृद्धि या विकास में रूकावट आने लगे।
- बालक की विशिष्ट योग्यता और क्षमता को उचित पोषण न मिलने की बात सामने आ जाय।
- बालक के अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समस्याएं उठ खड़ीं हों।
- उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के सन्दर्भ में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा-दीक्षा या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो जाय।

उपर्युक्त वर्णित शर्तें अब हमें यह निर्णय लेने में उचित सहायता प्रदान कर सकती हैं कि व्यक्तित्व आयामों में औसत से बहुत अधिक या बहुत कम क्षमता दिखाने वाले किन बालकों को विशिष्ट बालकों का दर्जा दिया जाय और किनको नहीं। इस आधार पर जिन बालकों की शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य, शारीरिक वृद्धि एवं विकास , शारीरिक स्वास्थ्य,

डील-डौल और बनावट के आधार पर औसत से बहुत अधिक पाया जाता है, विशिष्ट बालकों का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता कि इनके लिए समायोजन सम्बन्धी कोई समस्या नहीं होती और न इनके कल्याण हेतु किसी विशेष लालन-पालन तथा शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। हाँ जिनमें कुछ योग्यता और शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको प्रतिभा क्षेत्र मानकर उनके विशेष विकास की आवश्यकता हो तो उन बालकों को उनके विशेष क्षेत्र में प्रतिभावान (जैसे खिलाडी, पहलवान, निशानेबाज़ आदि) बालक घोषित कर उचित देखभाल और प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है।

1.5.1 धनात्मक विचलन (Positive deviation)

धनात्मक विचलन से तात्पर्य यह है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केन्द्रीय/औसत मान से इतना अधिक धनात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन में या सामाजिक-सांवेगिक विकास में कोई विशेष बाधा न आये तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से उत्तम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता। इनका अधिगम-दर अधिक होने के कारण बालक सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। इनके शिक्षण-अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन सम्बन्धी समस्यायें पायी जाती हैं। ऐसे बालकों की अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में उपलब्धि अधिक होने के कारण कभी-कभी आत्मसम्मान की अधिकता पाई जाती है। ऐसे बालकों की श्रेणी में मुख्यतः निम्नवत प्रकार के बालक आते हैं।

- ❖ प्रतिभावान बालक(gifted child)
- ❖ सृजनशील बालक(creative child)

इनकी चर्चा अगली इकाई में विस्तृत ढंग से की जायेगी।

1.5.2 ऋणात्मक विचलन (Negative deviation)

ऋणात्मक विचलन से यह तात्पर्य है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केन्द्रीय/औसत मान से इतना अधिक ऋणात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन या सामाजिक-सांवेगिक विकास बाधित हो जाय तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से कम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता। इनके शिक्षण-अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन सम्बन्धी समस्यायें पायी जाती हैं। ऐसे बालको के शिक्षण अधिगम हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है जबकि आजकल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रतिमान प्रचलन में आ रहा है। जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा व्यवस्था में बालक की क्षति को सहायक यंत्रों एवं प्रविधियों की सहायता से समाप्त कर दी जाती है या कम कर दी जाती है जिससे बालक सामान्य कक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने लगता है। ऐसे बालकों की श्रेणी में मुख्यतः निम्न प्रकार के बालक आते हैं-

- ➢ दृष्टिबाधित बालक
- ➢ श्रवण ह्रास वाले बालक
- ➢ मानसिक मंद बालक

- अपराधी बालक
- समस्यात्मक बालक
- पिछड़े बालक
- मंद अधिगमित बालक
- स्वलीन बालक
- चलन क्रिया बाधित बालक

इनकी चर्चा अगली इकाइयों में की जाएगी।

अभ्यास प्रश्न

4. धनात्मक विचलन से आप क्या समझते हैं?
5. ऋणात्मक विचलन का क्या तात्पर्य क्या है?श्रवण के सन्दर्भ में ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है?
6. विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल कितने महत्वपूर्ण आयाम हैं?

1.6 सारांश(Summary)

विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है और या फिर उन्हें निम्न कोटि में रखा जाता है। इसप्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चो से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते है कि उन्हें जीवन में पग-पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों को अपनी शक्तिओं का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आपको समायोजित करने के लिए विशेष देख-भाल और शिक्षा –दीक्षा की आवश्यकता होती है।

विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों- शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नजर डाली जाय तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊँचाइयों पर पहुंचे होते हैं अथवा जिनमे इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति-सामर्थ्य का बहुत अधिक आभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। निष्कर्षतः विशिष्ट बालकों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं-

- विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।
- सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है।
  उदाहरण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है।
- सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बड़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख-रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

विचलन का तात्पर्य बिखराव से है, फैलाव से है। विचलन यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक केन्द्रीय मान से कितना दूर तथा कितना समीप है।

जब हम किसी विशेष गुण को धारण करने वाले समूह के गुण का मापन करते है तो प्राप्त आंकड़ों का आलेखीय निरूपण घंटी के आकार का आता है जिसे हम सामान्य प्रायिकता वक्र(Normal Probability curve) कहते हैं।

यदि किसी खेल के मैदान का आप निरीक्षण करेंगे तो आपको यहाँ भी यह अद्वितीयता देखने को मिल जायेगी। कुछ बालक बहुत तेजी से तथा बेहतर समन्वय के साथ दौड़ते मिलेंगे। कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों से घिरे हुए मिल जायेंगे तथा कुछ कहीं एकांत में अकेले बैठे मिल जायेंगे। बालकों में यह अद्वितीयता कक्षा की अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट यहाँ खेल के मैदान में मिल जायेगी।

विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र ऐसे बालकों से सम्बन्धित है जो कि कक्षा में अधिगम और सफलता पूर्वक कार्य करने में इतने विचलित होते है कि वह मायने रखता है। उनके शिक्षण अधिगम को सामान्य बनाने हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या किसी विशेष प्रकार के कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल सात महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये सातों आयाम इस प्रकार हैं-

- दृष्टि (vision)
- श्रवण (hearing)
- गति (motion)
- सम्प्रेषण (communication)
- प्रत्यक्षण-गामक (perceptual motor)
- सामाजिक-सांवेगिक (socio emotional)
- बुद्धि (Intelligence)

एक विशिष्ट बालक इनमें से एक या अधिक आयामों में धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी दिशा में विचलित हो सकता है।

प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्तित्व के इन सभी आयामों की धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक दूर जाने वाले सभी बालकों को विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जा सकती है? अथवा ऐसा करने में कोई और शर्त लगाई जानी चाहिए। ध्यान से सोचा जाय तो एक ऐसी शर्त उपर्युक्त परिभाषाओं में लगाई गयी है वह यह है कि किसी बालक के व्यक्तित्व के आयामों की धनात्मक या ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक तय की गयी दूरी तभी विशिष्ट बालकों की विशेषताओं में शामिल होकर उस बालक को विशिष्ट बालक का दर्जा दिला सकती है जब कि वह इतनी अधिक या असामान्य हो जाये कि जिसकी वजह से

- बालक की सामान्य वृद्धि या विकास में रूकावट आने लगे।
- बालक की विशिष्ट योग्यता और क्षमता को उचित पोषण न मिलने की बात सामने आ जाय।
- बालक के अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समस्याएं उठ खड़ीं हों।
- उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के सन्दर्भ में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा-दीक्षा या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो जाए।

1.7 शब्दावली

1. विशिष्ट बालक- जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं।
2. सामान्य प्रायिकता वक्र- सामान्य वितरण से प्राप्त वक्र जोकि घंटी के आकर का होता है, सामान्य प्रायिकता वक्र कहलाता है।
3. धनात्मक विचलन- सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्यमान के दाहिनी ओर का विचलन धनात्मक विचलन कहलाता है।
4. ऋणात्मक विचलन- सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्यमान के बायीं ओर का विचलन ऋणात्मक विचलन कहलाता है।
5. दृष्टि- मनुष्य के शरीर का देखने वाला संकाय
6. श्रवण- मनुष्य के शरीर का सुनने वाला संकाय
7. गति- एक स्थान से दुसरे स्थान तक जाना
8. सम्प्रेषण- सूचनाओं का आदान-प्रदान
9. प्रत्यक्षण-गामक
10. सामाजिक-सांवेगिक
11. बुद्धि- वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. विशिष्ट बालको की परिभाषाएं निम्नवत है-
   क्रुक शैंक के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है"।

   डन के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के लिए बनाया गया विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है तथा इसीलिए अपनी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों चाहते हैं" ।

   क्रो एवं क्रो के अनुसार, "विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है" ।

   2.विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है और या फिर उन्हें निम्न कोटि में रखा जाता है।
   इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चो से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते है कि उन्हें जीवन में पग-पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों को अपनी शक्तिओं का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आपको समायोजित करने के लिए विशेष देख-भाल और शिक्षा –दीक्षा की आवश्यकता होती है।

   3.विशिष्ट बालकों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं-

- ✓ विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।
- ✓ सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है। उदारहण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है।

- ✓ सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बड़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख-रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

4.धनात्मक विचलन से तात्पर्य यह है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केन्द्रीय/औसत मान से इतना अधिक धनात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन में या सामाजिक-सांवेगिक विकास में कोई विशेष बाधा न आये तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से उत्तम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता। इनका अधिगम-दर अधिक होने के कारण बालक सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। इनके शिक्षण-अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है।ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन सम्बन्धी समस्यायें पायी जाती हैं। ऐसे बालकों की अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में उपलब्धि अधिक होने के कारण कभी-कभी आत्मसम्मान की अधिकता पाई जाती है। ऐसे बालकों की श्रेणी में मुख्यतः निम्नवत प्रकार के बालक आते हैं।

- प्रतिभावान बालक
- सृजनशील बालक

5 .ऋणात्मक विचलन से यह तात्पर्य है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केन्द्रीय/औसत मान से इतना अधिक ऋणात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन या सामाजिक-सांवेगिक विकास बाधित हो जाय तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से कम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता। इनके शिक्षण-अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन सम्बन्धी समस्यायें पायी जाती हैं। ऐसे बालको के शिक्षण अधिगम हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है जबकि आजकल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रतिमान प्रचलन में आ रहा है। जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा व्यवस्था में बालक की क्षति को सहायक यंत्रों एवं प्रविधियों की सहायता से समाप्त कर दी जाती है या कम कर दी जाती है जिससे बालक सामान्य कक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने लगता है। ऐसे बालकों की श्रेणी में मुख्यतः निम्नवत प्रकार के बालक आते है-

- दृष्टिबाधित बालक
- श्रवण ह्रास वाले बालक
- मानसिक मंद बालक
- अपराधी बालक
- समस्यात्मक बालक

- पिछड़े बालक
- मंद अधिगमित बालक
- स्वलीन बालक
- चलन क्रिया बाधित बालक

अधिगम के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम श्रवण है। हममें से कुछ लोग जो सामान्य से धनात्मक दिशा में विचलित होते है बहुत ही उत्कृष्ट श्रवण शक्ति रखते हैं तथा वे 250 फुट की दूरी की क्षीण आवाज को भी पहचान जाते हैं।

हममें से ज्यादातर लोग श्रवण-आयाम के मध्य या उसके आस-पास में स्थित होते हैं। हममें से कुछ लोग जो ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं उनमें भी विविधता होती है तथा उन्हें अलग-अलग श्रवण सहायक सामग्री के द्वारा ध्वनि विस्तारण की जरूरत होती है। इनमें से कुछ लोग इस समस्या-प्रसार में सबसे नीचे होते हैं तथा पूर्ण श्रवण बाधित या बहरे होते हैं।

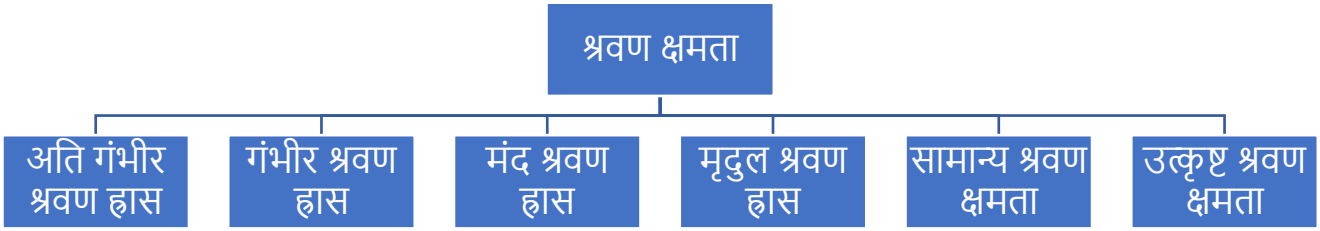

2. विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल सात महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये सातों आयाम इस प्रकार हैं- दृष्टि, श्रवण, गति, सम्प्रेषण, प्रत्यक्षण-गामक, सामाजिक-सांवेगिक तथा बुद्धि।

1.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children.* Atlantic Publishers, New Delhi.

मंगल. एस० के०(2008). *शिक्षा मनोविज्ञान.* पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

Werts. M. G. et al.(2007). *Fundamentals of Special Education.* PHI Learning Private Limited, New Delhi.

1.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री

संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा.* जानकी प्रकाशन, पटना.

भार्गव एम.(2००9). *विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास.* एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा.

Das. M. (2007). *Education of Exceptional Children.* Atlantic Publishers, New Delhi.

Werts. M. G. et al.(2007). *Fundamentals of Special Education.* PHI Learning Private Limited, New Delhi.

1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1.विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट बालको के प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें।

What do you understand by exceptional children? Elucidate the nature and characteristics of exceptional children?

2.विशिष्ट बालकों के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन से आप क्या समझते है? विवेचना कीजिये।

What do you understand by positive and negative deviations of exceptional children? Discuss it.

इकाई 2 क्षति, अक्षमता एवं नि:शक्तता की संकल्पना (Concept of Impairment,Disability &Handicap)

1.13 प्रस्तावना
1.14 उद्देश्य
1.15 विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण
    1.15.1 वर्गीकरण की आवश्यकता
    1.15.2 वर्गीकरण के आधार
1.16 आईसीआईडीएच (ICIDH)
    1.16.1 आईसीआईडीएच् की संकल्पना
    1.16.2 क्षति (Impairment)
    1.16.3 अक्षमता (Disability)
    1.16.4 नि:शक्तता (Handicap)
    1.16.5 आईसीआईडीएच की सीमाएं
1.17 आई.सी.एफ. (ICF)
    1.17.1 आई.सी.एफ. का मॉडल
    1.17.2 आई.सी.एफ. का अनुप्रयोग
    1.17.3 आई.सी.एफ. के सिद्धांत
1.18 सारांश(Summary)
1.19 शब्दावली
1.20 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.21 संदर्भ ग्रन्थ सूची
1.22 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
1.23 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

विशेष आवश्यकता वाले विकलांग जनों का नामकरण या लेबलिंग या वर्गीकरण का उद्देश्य केवल उन्हें आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष सेवा प्रदान करने का नहीं रहा है। इसके अन्य सामाजिक कारण भी रहे हैं। हालांकि विशेष शिक्षा में लेबेलिंग या वर्गीकरण का प्रभाव नकारात्मक माना जाता रहा है। विशेष शिक्षा में इसे नीचा दिखाने, लांछन लगाने तथा भेदभाव को पैदा करने वाले साधन के रूप भी देखा गया। किन्तु वर्गीकरण कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। यह कानूनी अधिकार प्राप्त करने में, सरकारी सेवाओं के सटीक प्रबंधन में, उपयुक्त चिकित्सीय उपचार निर्धारित करने में, प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के निर्धारण में, शोध कार्यों में तथा सक्षम मानव संसाधन के विकास में सहायक होता है।

इस इकाई में आप विकलांगता से सम्बन्धी विभिन्न मानक वर्गीकरण के बारे में समझ बना सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्थापित क्षति, अक्षमता तथा नि:शक्तता के संप्रत्यय को समझते हुए इसकी आवश्यकता तथा इसके उपयोग को भी जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1980 में विकलांगता के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की दिशा में एक वर्गीकरण आई.सी.आई.डी.एच. (ICIDH) को स्थापित किया, जिसका आधार मेडिकल मॉडल था| बीसवीं सदी के अंतिम दो दसकों में इस बात को माना गया की विकलांग जनों के साथ सामाजिक न्याय के सिर्फ विकलांग जनों को ही नहीं बल्कि समाज को भी उनके आवश्यकता अनुरूप बदलना होगा |वर्गीकरण का आधार कहीं न कहीं तत्कालीन समाज के मानसिकता से परिलक्षित होता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकारने में देरी नहीं की कि अक्षमता या इसकी गंभीरता समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ तय करती हैं. फलस्वरूप संगठन ने 2000 में मेडिकल मॉडल को नकारते हुए सामाजिक मॉडल पर आधारित वर्गीकरण को व्यापक रूप में प्रसारित और क्रियान्वित किया जिसे आई.सी.एफ. के नाम से जानते हैं। इस इकाई में हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित आई.सी.एफ. (जिसे आई.सी.आई.डी.एच.-2 के नाम से भी जानते है) के बारे में भी चर्चा करेंगे।

2.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन उपरान्त आप-

- जान सकेगें कि आई.सी.आई.डी.एच. तथा आई.सी.एफ. क्या है।
- बता सकेगें कि किस प्रकार क्षति (Impairment), अक्षमता (Disability) तथा नि:शक्तता (Handicap) विकलांगता शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं।
- समझ सकेंगे कि किस प्रकार सामाजिक स्थितियाँ किसी शारीरिक क्षति के गंभीरता को प्रभावित करती है।

2.3 विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण (classification in Disability)

सामाजिक परिवेश ही क्षमता और अक्षमता को परिभाषित कर इनके मध्य की खाई को पैदा करता है। हमारा इतिहास गवाह है कि अक्षम व् निशक्त जनों के लिए हमारे समाज की सोच संकीर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित रही है। क्षमता को हम सिर्फ शारीरिक क्षमता से जोड़ कर देखते आयें हैं। इसी कारणवश निशक्त जनों के लिए पूर्व में हमारे संबोधन नकारात्मक रहे है। वर्ष 1981 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया। यह घोषणा मात्र ही अपने आप में समाज के बदलते नजरिये को प्रदर्शित करता है। इस वर्ष से अनेक कार्यक्रमों की

शुरुआत हुई और नए कार्यक्रमों की ओर हम निरंतर उन्मुख होते चले गए जो सामाजिक न्याय को समर्थित करता हो। जिस समाज में विकलांगता का संबंध पूर्व में घृणा और दया से था अब वह अधिकारपूर्ण सामाजिक न्याय एवं भागीदारी से सम्बंधित हो गया। निश्चय ही इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, समूह एवं विभिन्न राष्ट्रीय प्रयासों ने अहम् भूमिका निभाई है।

2.3.1 वर्गीकरण की आवश्यकता(Need of classification)

विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण और विवादित विषय है। चुकी विकलांगता के क्षेत्र में शुरुआत के लेबेलिंग या वर्गीकरण या नामांकित करने का उद्देश्य उन्हें समाज के अन्य लोगों से कमतर दिखाने से सम्बंधित था। हम कह सकते हैं कि विकलांगता में वर्गीकरण का प्रभाव नकारात्मक माना जाता रहा है। इसे निचा दिखाने और भेदभाव को पैदा करने वाले साधन के रूप भी देखा जाता रहा है। किन्तु विकलांगता में वर्गीकरण आवश्यक है। यह वह साधन है जो आवश्यकता विशेष की पहचान में मदद करता है। इसका संबंध केवल अतिरिक्त जानकारी संग्रह कर मौजूदा सूचना प्रणाली पर बोझ बढ़ना से नहीं वरन समस्याओं के समाधान के लिए अधिक उपयुक्त नीतियों के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। वर्गीकरण सरकारी नीतियों, योजनाओं तथा सेवाओं के सटीक क्रियान्वयन में भी मददगार होता है। लाभार्थी के आवश्यकताओं को समझे बिना सटीक नीतियाँ या योजना नहीं बन सकती है। विकलांगता एक समावेशी संतप्तय है जो अनेक प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों या बच्चों को अपने में समाहित करता है। यह तो स्पष्ट है की दृष्टिबाधित एवं गामक विकलांग जन के लिए एक ही प्रकार की पुनर्वास की व्यवस्था सटीक नहीं हो सकती। हमें पहले इनके आवश्यकताओं का अध्ययन करना होगा। अतः उपयुक्त चिकित्सीय सेवा के निर्धारण तथा प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के निर्धारण हेतु वर्गीकरण जरुरी है। पुनः वर्गीकरण हमें सक्षम मानव संसाधन के विकास एवं सम्बंधित क्षेत्र में शोध कार्य में भी मदद करता है।

2.3. 2 वर्गीकरण के आधार(Basis of classification)

हजारों वर्ष पूर्व समुदायों में अक्षम बच्चे का होना अपमानजनक समझा जाता था| तथा विकलांगता को अवांछित समझा जाता था। सामाजिक स्तर पर इन प्रभावित व्यक्तियों को एक योगदान देने वाले नागरिक के रूप में नहीं समझा जाता था। इतिहास में विकलांगता को सजा का प्रतीक समझा गया। यह भी मान्यता रही कि विकलांगता पाप का प्रतिफल है. अवमानना और अस्वीकृति अलगाव और गाली से निरन्तर स्थानान्तरण सैकड़ों वर्षों में हुआ और सहानुभूति, भिक्षादान और परोपकारिता ने इसका स्थान लिया। असमर्थ व्यक्तियों के लिये सकारात्मक प्रवृति के विकास के क्रम में समाज ने विकलांग जनों की स्वतन्त्रता की आवश्यकता की जरूरत समझी। नवीनतम विकास के क्रम में अवमानना तथा सहानुभूति दोनों को पूर्वाग्रह से ग्रसित माना जाता है। असमर्थ व्यक्ति भी समाज में आर्थिक रूप से स्वतन्त्र और समाज में` सृदृढ़ वैयक्तिक पहचान बना सकें इसके लिए अब अधिकार आधारित सामाजिक न्याय के संकल्पना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकलांग जनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित की गई कन्वेंशन यूएनसीआरपीडी(2006) के अनुसार भी विकलांगता का संबंध उन व्यवहारगत और पर्यावरण बाधाओं से है जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान-आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है।

विकास के क्रम में विकलांगता के प्रति विभिन्न बदलते मान्यताओं में ही विकलांगता के वर्गीकरण का आधार समाहित होता है। हम यह भी कह सकते हैं की सामाजिक मान्यताएं ही वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धांतों को जन्म देती

है। विकलांगता के वर्गीकरण हेतु इसके विभिन्न वैचारिक मॉडल भी हैं, जो विकलांगता के सम्पूर्ण समझ का आधार बनती है. आएं हम इसके दो महत्वपूर्ण वैचारिक मॉडल की चर्चा करते हैं, जो है-

- चिकित्सा मॉडल (Medical model)
- सामाजिक मॉडल(Social model)

चिकित्सा मॉडल विकलांगता को एक चिकित्सीय/मेडिकल घटना के रूप में विश्लेषित करता है। कुछ शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक अपंगता वाले व्यक्ति को विकलांग के रूप में लिया जाता है। यह विकलांगता को एक विशेषता के रूप में देखता है, जो रोग या, आघात से उत्पन्न हुए है। अर्थात इस मॉडल के अनुसार, विकलांगता व्यक्ति में निहित है। इसमें इलाज, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से पर्यावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। फलस्वरूप इस मॉडल में विकलांगता के क्षेत्र में पेशेवर स्वस्थ्यकर्मी द्वारा इलाज या चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है।

इसके विपरीत सामाजिक मॉडल के अनुसार विकलांगता सामाजिक आधारों पर निर्धारित होती हैं। वेन्डेल (1996) ने अपनी पुस्तक 'दी रिजेक्टेड बॉडी' में विकलांगता को एक सामाजिक घटना बताया है। वह मानतीं है कि किसी भी रोग या हानि को सामाजिक स्थितियाँ प्रभावित करती हैं और यह प्रभाव आसानी से देखा या समझा जाने वाला होता है। इन्ही मान्यताओं पर आधारित दूसरा मॉडल है जिसे सामाजिक मॉडल कहते हैं। सामाजिक मॉडल में विकलांगता को एक समाज द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जाता है। चुकि गैर-अनुग्रही भौतिक परिवेश सामाजिक वातावरण को सुनिश्चित करता है इसलिए सामाजिक मॉडल में, विकलांगता राजनीतिक प्रतिक्रिया की मांग करता है। पुनः कानूनी या योजना के अंतर्गत सुविधाओं को मुहैया करने के लिए भी सरकार वर्गीकरण के स्वरुप को निर्धारित करती है. भारत सरकार के सर्वेक्षण 2011 के अनुसार भी विकलांगता का वर्गीकरण किया गया है।

2.4 आई.सी.आई.डी.एच. (ICIDH)

अनेक वर्षों से चल रहे प्रयासों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1980 में क्षति, अक्षमता तथा नि:शक्तता का अंतराष्ट्रीय वर्गीकरण- आई.सी.आई.डी.एच. (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps - ICIDH) नामक मैन्युअल प्रकाशित किया। इसका उपयोग नियमित स्वास्थ्य के आंकड़ों से लेकर स्वास्थ्य सेवा योजना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक प्रशासन और सामाजिक नीति में अनुप्रयोगों तक विस्तारित है। इस मैन्युअल में बीमारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न तीन भिन्न और स्वतंत्र वर्गीकरण को शामिल किया गया। आई.सी.आई.डी.एच. में वर्गीकरण का आधार निम्न रेखीय प्रगमन को माना गया और इसीलिए आई.सी.आई.डी.एच. को मेडिकल मॉडल पर आधारित वर्गीकरण भी माना जाता है।

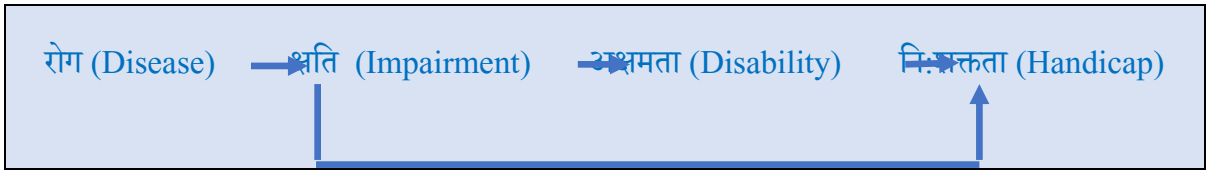

रोग एक आतंरिक स्थिति (विषमता/हानि) को सूचित करता है, क्षति आतंरिक स्थिति के बाह्य-प्रदर्शित होने से सम्बंधित है, अक्षमता हानि के वस्तुनिष्ठिकरण से सम्बंधित है जबकि नि:शक्तता हानि के समाज मूलक संबंधों को इंगित करता है। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना की इस रेखीय संरचना को विकलांगता के वर्गीकरण का सटीक आधार नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप कई सुधार प्रस्तावित किए गए और नवीन संस्करण (आई.सी.एफ.) में संशोधित मॉडल को अपनाया गया, जिसकी चर्चा हम इसी इकाई के अगले खंड में करेंगे। आइए पहले हम आई.सी.आई.डी.एच. के तीन संकल्पनाओं को बारी–बारी से समझने का प्रयत्न करते हैं।

2.4.1 क्षति (Impairment)

"स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में, क्षति शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या संरचनात्मक कार्य अथवा संरचना से सम्बंधित विषमता या हानि है"

"In the context of health experience, impairment is any loss or abnormality of psychological, physiological, or anatomical structure or function"s(WHO-ICIDH, 1980)

इस परिभाषा के दो पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला कि 'क्षति' विकार या दोष (Disorder) से ज्यादा व्यापक शब्द है जो हानि को भी अपने में शामिल करता है। जैसे एक हाथ का न होना क्षति है किन्तु विकार या दोष नहीं है। दूसरा क्षति क्रियात्मक सीमाओं या विषमताओं को भी समावेशित करता है। जबकि आई.सी.आई.डी.एच. के ड्राफ्ट में क्रियात्मक सीमाओं या विषमताओं को अक्षमता का हिस्सा माना गया था। सैधांतिक रूप से 'क्षति' अंग स्तर पर गड़बड़ी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका संबंध किसी भी कारण से उत्पन्न हुए शरीर संरचना और उपस्थिति या, अंग या प्रणाली समारोह की असामान्यताओं से है।

प्राथमिक रूप से क्षति की परिभाषा मानक पर आधारित शारीरिक और मानसिक कार्यत्मकता के निर्धारकों पर आधारित है। क्षति, व्यक्ति में जैव-चिकित्सीय मानक स्थिति से विचलन को इंगित है। यह असामान्यता की स्थिति है, जो एक ऊतक, अंग, अंग-तंत्र या शरीर के अन्य संरचना में विसंगति, दोष, या हानि, या कार्यात्मक (मानसिक क्रियाओं की प्रणाली सहित) दोष को दर्शाता है। इसमें सीमाएं या हानि अस्थायी या स्थायी हो सकते हैं। स्थिति किस प्रकार उत्पन्न तथा विकसित हुई है, इनके कारणों पर 'क्षति' निर्भर नहीं करता है। यधपि रोग से 'क्षति' की स्थिति आती है फिर भी क्षति की स्थिति के लिए रोग का होना भी आवश्यक नहीं है। पुनः क्षति मानक से विचलन को बताती है किन्तु, प्रत्येक विचलन 'क्षति' हो यह आवश्यक नहीं है।

2.4.2 अक्षमता (Disability)

"स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में, व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी (जो क्षति से उत्पन्न हुई है) अक्षमता है"

"In the context of health experience, a disability is any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being"(WHO-ICIDH, 1980)

व्यक्ति द्वारा गतिविधि और कार्यात्मक प्रदर्शन के संदर्भ में 'अक्षमता' क्षति के परिणाम को दर्शाता है। अक्षमता इस प्रकार व्यक्ति के स्तर पर गड़बड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ओर जहाँ क्षति (Impairment) शरीर के कुछ हिस्सों के अलग अलग कार्यों के साथ संबंध है और यह एक आदर्शवादी धारणा जो पूर्णता में क्षमता को दर्शाती है। दूसरे ओर, अक्षमता (Disability) का संबंध व्यक्ति के या उसके पूरे रूप में शरीर के कार्य, कौशल, और व्यवहार से परिलक्षित होने वाले एकीकृत और मिश्रित गतिविधियों से है। अक्षमता चुकि क्षति तथा नि:शक्तता के बीच लिंक प्रदान करता है इसलिए इसकी अवधारणा कुछ हद तक अस्पष्ट प्रतीत होती है। इसकी अवधारणा प्रथानुसार अपेक्षित व्यवहार या गतिविधि की कमी या अधिकता से वर्णित होती है जो अस्थायी या स्थायी, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय, और प्रगतिशील या प्रतिगामी हो सकते है। इसकी प्रमुख विशेषता वस्तुनिष्ठता से संबंधित है। वस्तुनिष्ठता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की कार्यात्मक सीमाएं उसके रोजमर्रा की जिंदगी में एक वास्तविकता के रूप में प्रकट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति को अपनी पहचान में परिवर्तन के बारे में पता हो जाता है अक्षमता रूप ले लेता है। एकीकृत शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भ में क्रियात्मकता को हमारे प्रथागत सोच नकारते आये है। हम सामान्यतः सामाजिक और शारीरिक पहलुओं पर क्रियात्मकता व् क्षमता को अलग-अलग नहीं देख पाते हैं। आई।सी।आई।डी।एच के अनुसार किसी एक को कहना है कि उसमें अक्षमता है (has a disability) तुलनात्मक रूप से तटस्थता शब्द है। जबकि किसी को कहना कि वह अक्षम है (is disabled), अधिक स्पष्ट और हानिकर हो जाते हैं।

2.4.3 नि:शक्तता (Handicap)

"स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में, एक व्यक्ति के लिए नि:शक्तता, क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है जो उस व्यक्ति विशेष एक सामान्य भूमिका (उम्र, लिंग, और सामाजिक व् सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप) की पूर्ति होने में बाधा लाता है या रोकता है"

"In the context of health experience, a handicap is a disadvantage for a given individual, resulting from an impairment or a disability, that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal (depending on age, sex, and social and cultural factors) for that individual".s(WHO-ICIDH, 1980)

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं ही नि:शक्तता (Handicap) को एक विवादित अवधारणा माना है। इस अवधारणा के तीन महत्वपूर्ण विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं:

- इसके अंतर्गत व्यक्ति के स्वयं के या किसी समूह/साथियों के प्राथमिकता एवं मूल्यों में विस्थापन देखा जाता है (संरचनात्मक एवं कार्यात्मक मानदंडों से अलग हो जाते हैं),
- इस अवधारणा के लिए समय, स्थान, स्थिति और भूमिका सभी महत्वपूर्ण है. यानी एक व्यक्ति एक परिवेश में निशक्त हो सकता है तो दूसरे परिवेश में निशक्त नहीं भी हो सकता है;
- इस अवधारणा में आकलन प्रभावित व्यक्ति के सीमाओं का ही होता है।

क्षति और अक्षमता के एक परिणाम के रूप में नि:शक्तता का संबंध व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले सीमाओं तथा बाधाओं से है। व्यक्ति का उसके परिवेश के साथ अनुक्रिया और अनुकूलन नि:शक्तता को प्रतिबिंबित करता है। व्यक्ति

की स्थिति या प्रदर्शन और समूह विशेष की अपेक्षाओं (जिसका वह एक सदस्य है) के बीच एक मतभेद या अंतर ही नि:शक्तता को विशेषित करता है। अपने पास के वातावरण या यूनिवर्स के मानकों के अनुरूप करने में असमर्थ होने की स्थिति सीमाओं एवं बाधाओं की वृद्धि करती है। इस प्रकार नि:शक्तता एक सामाजिक घटना है। क्षति, या अक्षमता की स्थिति सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों द्वारा नि:शक्तता में बदल जाती है। इसलिए नि:शक्तता में प्रभावित व्यक्ति के स्वयं का प्रयोजन कोई खास मायने नहीं रखता है।

ओरिएंटेशन, शारीरिक स्वतंत्रता, गतिशीलता, व्यवसाय, सामाजिक एकीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता सामाजिक अनुभव के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में माने गए हैं। इन आयामों पर अपने समाज के मानदंडों के अनुसार व्यक्ति की क्षमता बाधित हो सकती है। इन सभी आयामों में परिस्थितियों के लिए बदलाव संभव है। निशक्त होने की स्थिति अन्य लोगों के सापेक्ष है। इसलिए समाज की मौजूदा संस्थागत व्यवस्था जो सामाजिक मूल्यों की महत्ता को बनाती है, का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार गैर-निशक्त लोगों की अभिवृति तथा प्रतिक्रिया एक केंद्रीय भूमिका के रूप में उभर कर आती है।

अभ्यास प्रश्न

1. टेबल 'अ' तथा टेबल 'ब' में मिलान करें:

टेबल 'अ'	टेबल 'ब'
रोग(Disease)	वस्तुनिष्ठिकरण (Objectification)
क्षति(Impairment)	समाजमूलक(Socialized)
अक्षमता(Disability)	आंतरिक स्थिति (Intrinsic Situation)
नि:शक्तता(Handicap)	बाह्य-प्रदर्शन (Exteriorized)

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष _____ में आई.सी.आई.डी.एच. को प्रथम बार प्रकाशित किया था।
3. _____ अंग स्तर के हानि को इंगित करता है।
4. आई.सी.आई.डी.एच. के अनुसार _____ सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों द्वारा भी निर्धारित होता है।

2.5 आई.सी.एफ. (ICF)

क्रियात्मकता, विकलांगता तथा स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (International Classification of Functioning, Disability and Health) जो सामान्यतः आई.सी.एफ.(ICF) के नाम से जाना जाता है और यह स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों हेतु मानक भाषा और रूपरेखा का विवरण प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य और

स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान-क्षेत्र (डोमेन) का एक वर्गीकरण है। वह ज्ञान-क्षेत्र जो शरीर क्रियाओं और संरचना में परिवर्तन को समझने में, एक मानक वातावरण में एक व्यक्ति का शरीर किसी स्वास्थ्य स्थिति के साथ क्या कर सकता हैं को जानने में, साथ ही साथ अपने सामान्य वातावरण में वास्तव में किए जाने वाले कार्यों को वर्णन करने में हमें मदद करता है। इस वर्गीकरण के पुरे नाम के पहले अक्षर को देखें तो इसका नाम आई.सी.एफ.डी.एच. होता है। किन्तु इसे आई.सी.एफ. कहते हैं। इसकी वजह यह है की यह वर्गीकरण विकलांगता पर केन्द्रित न होकर, स्वास्थ्य और क्रियात्मकता पर केन्द्रित है। अतः कामकाज के रूप में इसका नाम आई.सी.एफ. है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है को इंगित करता है कि विकलांगता पर बल देने के बजाय अब स्वास्थ्य स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है।

2.5.1 आई.सी.एफ. के मॉडल

जैसा की हमें जाना है कि विकलांगता के दो प्रमुख वैचारिक मॉडल हैं- चिकित्सा मॉडल तथा सामाजिक मॉडल। चिकित्सा मॉडल विकलांगता को व्यक्ति की एक विशेषता के रूप में देखता है, जो रोग या, आघात से उत्पन्न हुए है तथा जिसमे पेशेवर स्वस्थ्यकर्मी द्वारा इलाज या चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है। विकलांगता के इस मॉडल में व्यक्ति के समस्या को दूर करने के लिए चिकित्सा, अन्य उपचार या हस्तक्षेप की बात होती है। दूसरी ओर, सामाजिक मॉडल में विकलांगता को एक समाज द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जाता है न कि व्यक्ति के शारीरिक और चिकित्सीय स्थिति पर। सामाजिक मॉडल में, विकलांगता राजनीतिक प्रतिक्रिया की मांग करता है क्योंकि गैर-अनुग्रही भौतिक परिवेश सामाजिक वातावरण को सुनिश्चित करता है। दोनों मॉडल में कोई मॉडल पर्याप्त नहीं है किन्तु दोनों आंशिक रूप से सही हैं। विकलांगता एक जटिल घटना है जो व्यक्ति के स्तर की समस्या या बाधा के साथ-साथ सामाजिक घटना भी है। दोनों मॉडल के संश्लेषण से सृजित नए मॉडल को आई.सी.एफ. द्वारा एक बेहतर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। चिकित्सा और सामाजिक मॉडल के एकीकरण से निर्मित इस मॉडल को बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते है। निम्न आरेख आई.सी.एफ. के लिए आधार है तथा यह विकलांगता के बायोसाइकोसोशल मॉडल का एक प्रतिनिधित्व है:

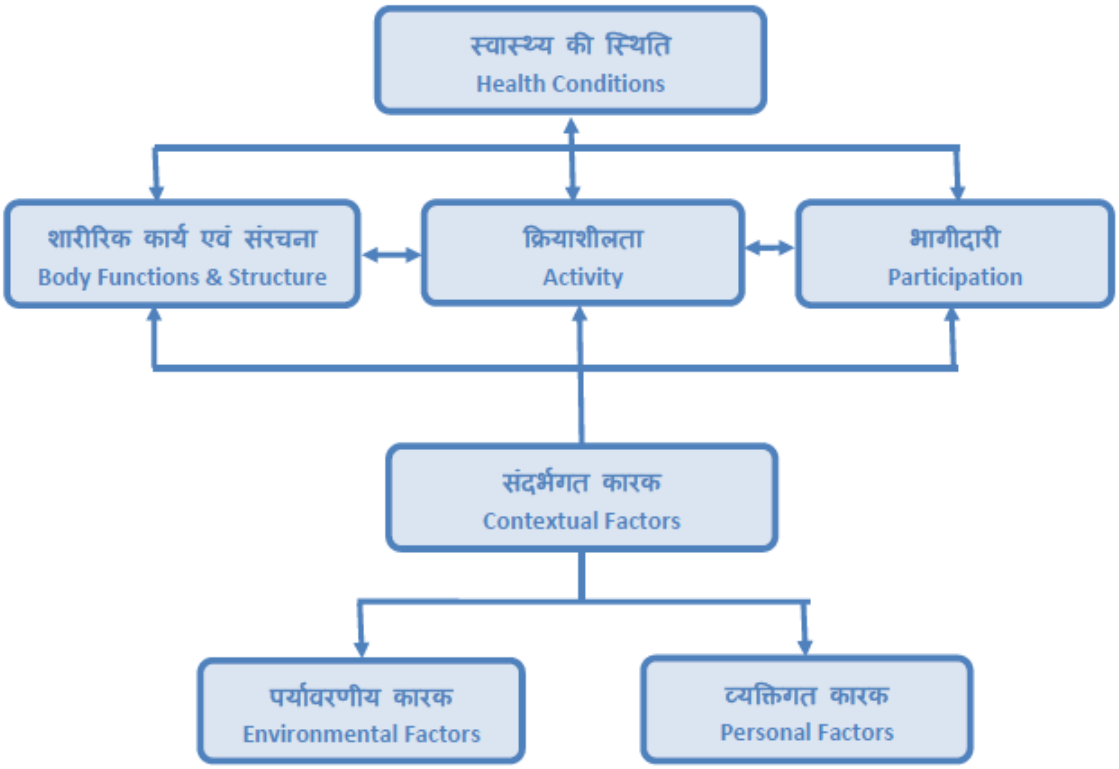

2.5.2 आई.सी.एफ का अनुप्रयोग

आई.सी.एफ. नीति निर्धारण, आर्थिक आकलन, शोध कार्य, वातावरण निर्माण, सटीक हस्तक्षेप आदि कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसके अनप्रयोग को निम्न चार्ट द्वारा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं:

व्यक्तिगत स्तर पर	संस्थान स्तर पर	समाज स्तर पर
● व्यक्ति के क्रियात्मकता के आकलन में. ● व्यक्ति के उपचार की योजना में. ● हस्तक्षेप तथा उपचार के आकलन में. ● मेडिकल प्रोफेशनल के मध्य सटीक सम्प्रेषण स्थापित करने में. ● लाभार्थी के स्व-मूल्यांकन में.	● शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए ● संसाधन के योजना तथा विकास में. ● सेवा के गुणवत्ता सुधारने में. ● प्रबंधन तथा परिणाम के मूल्यांकन में ● स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रभावी मॉडल के विकास में.	● सामाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारण में. ● सामाजिक नीतियों के विकास तथा पुनरीक्षण में. ● आवश्यकता आकलन में- जिससे नीतियाँ निर्धारित हों. ● यूनिवर्सल डिजाइन या सुगम वातावरण के आकलन में.

2.5.3 आई.सी.एफ. के सिद्धांत(Principles of ICF)

स्वास्थ्य तथा विकलांगता के वर्गीकरण के रूप में आई.सी.एफ. के बुनियादी सामान्य सिद्धांत निम्न हैं, जोकि बायोसाइकोसोशल (Biopsychosocial) मॉडल पर आधारित हैं। ये सिद्धांत आई.सी.एफ. के मॉडल के आवश्यक घटक हैं और ये संशोधन की प्रक्रिया निर्देशित करती हैं।

सार्वभौमता (Universality)- स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, क्रियात्मकता और विकलांगता का वर्गीकरण सभी लोगों पर लागू होना जाना चाहिए। इसलिए, आई.सी.एफ. सभी लोगों के बारे में है। यह हर किसी के क्रियात्मकता का सवाल है। अतः इसे विकलांग व्यक्तियों को एक अलग समूह के रूप में लेबलिंग करने वाला एक उपकरण नहीं बनाने देना चाहिए।

समानता (Parity)- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, क्रियात्मकता और विकलांगता के वर्गीकरण को केवल संरचना आधारित स्वास्थ्य स्थितियों में अंतर (जैसे- मानसिक और शारीरिक) नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विकलांगता में रोग हेतु विज्ञान (aetiology) आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए।

निष्पक्षता (Neutrality)- जहाँ तक संभव हो क्रियात्मकता और विकलांगता के वर्गीकरण में निष्पक्ष भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी प्रत्येक ज्ञान-क्षेत्र के पहलूओं को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर अभिव्यक्त करना चाहिए।

पर्यावरणीय कारक (Environmental Factors)- विकलांगता के सामाजिक मॉडल को पूरा करने के क्रम में, आई.सी.एफ. में संदर्भगत कारकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमे पर्यावरणीय कारक भी शामिल हैं। इनमें भौतिक कारक (जैसे जलवायु और इलाका) से लेकर सामाजिक अभिवृति, संस्थान तथा नीतियाँ शामिल हैं।

हमने इस बात को समझा है कि यह स्वास्थ्य और विकलांगता के लिए परिभाषा, माप और नीति निर्धारण के लिए वैचारिक आधार है। यह हमें एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करता है। यह उपकरण एक प्रतिमान-बदलाव भी है जो हमें विशुद्ध मेडिकल मॉडल वाले दृष्टिकोण से एकीकृत जैविक-मनोवैज्ञानिक-सामाजिक (biopsychosocial) मॉडल की ओर ले जाता है। यह अपने सभी आयामों (अंग या व्यक्ति स्तर पर क्षति, व्यक्ति स्तर गतिविधि में बाधा और सामाजिक स्तर पर भागीदारी की बाधा) के साथ विकलांगता में अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कई देशों ने आई.सी.एफ. के मॉडल को विकलांगता के क्षेत्र में कानून और सामाजिक नीति बनाने का आधार बना कर पेश गया है।

आई.सी.एफ. विश्व स्तर पर, क्रियात्मकता और विकलांगता के सभी आयामों से संबंधित डेटा के मानकीकरण का आवश्यक आधार भी बन सकता है। अर्थशास्त्र की भी दृष्टि से भी यह विकलांगता एवं स्वास्थ्य संबधी देखभाल के लागत को समझने तथा हस्तक्षेप कार्यक्रम के मूल्यांकन में मदद कर सकता है। यह अपने स्वास्थ्य की देखभाल और पुनर्वास की जरूरतों की पहचान के लिए ही नहीं, वरन शारीरिक और सामाजिक वातावरण के प्रभाव की पहचान करने और मापने में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अंत में सिर्फ इतना कहा जा जाना चाहिए की विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास से विकसित यह वर्गीकरण स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों के लिए क्रियात्मकता और विकलांगता का एक व्यापक और सार्वभौमिक वर्गीकरण है।

अभ्यास प्रश्न

5. आई.सी.एफ. किस मॉडल पर आधारित है:
   i. सामाजिक
   ii. मेडिकल
   iii. कार्मिक
   iv. बायोसाइकोसोशल
6. दिए गए विकल्पों में से कौन सा आई.सी.एफ. का एक बुनियादी सिद्धांत है:
   i. लचीलापन
   ii. दूरदर्शिता
   iii. सर्वभौमिकता
   iv. पारदर्शिता
7. आई.सी.एफ. का अनुप्रयोग निम्न दिए विकल्पों में किस में संभव नहीं या सबसे कम है:
   i. विकलांगो हेतु योजना निर्माण में
   ii. सटीक उपचार के चुनाव में
   iii. आवश्यकता के आकलन में
   iv. विद्यालय हेतु यूनिफार्म सिलवाने में

2. 6 सारांश

विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण और विवादित विषय है। एक तरफ विकलांगता में वर्गीकरण का प्रभाव नकारात्मक माना जाता रहा है। जबकि दूसरी ओर उपयुक्त नीतियों के विकास, योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्धारण तथा प्रभावी शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1980 में क्षति, अक्षमता तथा नि:शक्तता का अंतराष्ट्रीय वर्गीकरण (आई.सी.आई.डी.एच.) को अस्तित्व में लाया। इस वर्गीकरण में बीमारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न तीन भिन्न और स्वतंत्र संकल्पनाओं को शामिल किया गया। इस वर्गीकरण का आधार एकरेखीय प्रगमन (रोग से क्षति, क्षति से अक्षमता तथा अक्षमता से नि:शक्तता) को माना गया। रोग एक आतंरिक स्थिति (विसमता/हानि) को सूचित करता है, क्षति आतंरिक स्थिति के बाह्य-प्रदर्शित होने से सम्बंधित है, अक्षमता हानि के वस्तुनिष्ठीकरण से सम्बंधित है जबकि नि:शक्तता हानि के समाज मूलक संबंधों को इंगित करता है।

स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में, क्षति मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, या, संरचनात्मक कार्य या संरचना से सम्बंधित विषमता या हानि है। जबकि, व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी (जो क्षति से उत्पन्न हुई है) अक्षमता है। पुनः एक व्यक्ति के लिए नि:शक्तता, क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है जो उस व्यक्ति विशेष एक सामान्य भूमिका (उम्र, लिंग, और सामाजिक व् सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप) की पूर्ति होने में बाधा लाता है या रोकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2000 में आई.सी.आई.डी.एच. का नया संस्करण प्रस्तुत किया जो आई.सी.एफ.(ICF) के नाम से जाना जाता है। यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान-क्षेत्र का एक वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के पुरे नाम (International Classification of Functioning, Disability and Health) के पहले अक्षर को देखें तो इसका नाम आई।सी।एफ।डी।एच। होता है। किन्तु इसे विकलांगता पर केन्द्रित न होकर, स्वास्थ्य और क्रियात्मकता पर केन्द्रित बनाने की सोच से इसे आई।सी।एफ। कहते हैं। यह मेडिकल तथा सामाजिक मॉडल के संश्लेषण से सृजित नए मॉडल (बायोसाइकोसोशल मॉडल) पर आधारित है। सार्वभौमिकता, समानता, निष्पक्षता तथा पर्यावरणीय कारक आई.सी.एफ. के बुनियादी सिद्धांत हैं। यह हमें एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करता है। कई देशों ने आई.सी.एफ. के मॉडल को विकलांगता के क्षेत्र में कानून और सामाजिक नीति बनाने का आधार बना कर पेश गया है। यह वर्गीकरण स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों के लिए क्रियात्मकता और विकलांगता का एक व्यापक और सार्वभौमिकता वर्गीकरण है।

2.7 शब्दावली

1. आई.सी.आई.डी.एच.- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1980 में आई.सी.आई.डी.एच. (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps - ICIDH) नामक विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण स्थापित किया। यह मूलतः क्षति, अक्षमता तथा नि:शक्तता का अंतराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण करने को उद्द्येषित था।
2. क्षति- क्षति(Impairment) मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, या, संरचनात्मक कार्य या संरचना से सम्बंधित विषमता या हानि है।
3. अक्षमता- व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी (जो क्षति से उत्पन्न हुई है) अक्षमता(Disability) है।
4. नि:शक्तता- एक व्यक्ति के लिए नि:शक्तता(Handicap), क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है जो उस व्यक्ति विशेष की सामान्य भूमिका (उम्र, लिंग, और सामाजिक व् सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप) की पूर्ति होने में बाधा लाता है या रोकता है।
5. आई.सी.एफ.(ICFIICF) – आई.सी.एफ.(International Classification of Functioning, Disability and Health) मूलतः आई.सी.आई.डी.एच. का व्यापक एवं विकसित रूप है। यह बायो-साइको-सोशल(biopsycosocial) मॉडल पर आधारित वर्गीकरण है।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1- ग
   2- घ
   3- क
   4- ख
2. 1980
3. क्षति (Impairment)

4. नि:शक्तता (Handicap)
5. बायोसाइकोसोशल
6. सर्वभौमिकता
7. विद्यालय हेतु यूनिफार्म सिलवाने में

2.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

Government of India (2012). Manual on Disability Statistic. Ministry of Statistics and Programme Implementation. Central Statistics Office, Sansad Marg, New Delhi

Wendell, S. (1996). The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on Disability, New York: Routledge.

World Health Organization (1980). International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva: WHO.

World Health Organization (2000). International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: WHO.

2.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. World Health Organization (1980). International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva: WHO.
2. World Health Organization (2002). Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO.
3. World Health Organization (2012). Measuring Health and Disability: Manual to use WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). Geneva: WHO.

2.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण की आवश्यकता, महत्ता तथा सीमाओं पर प्रकाश डालें?
   Highlight the needs, importance and limitations of classification in the field of disability?
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आई.सी.आई.डी.एच. (ICIDH-1980) के अनुसार क्षति (Impairment), अक्षमता तथा नि:शक्तता के प्रत्यय को समझाएं?
   Explain the concept of Impairment, disability &handicap according ICIDH-1980?
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित आई.सी.एफ. विकलांगता के क्षेत्र में एक वर्गीकरण के साथ साथ एक मॉडल भी प्रस्तुत करता है, व्याख्या करें?
   Define that ICF developed by world health organization presents classification along with a model in the field of disability?
4. आई.सी.एफ. के विभिन्न सिधान्तों पर संक्षिप्त टिप्पणी दें?
   Give brief description of various principles of ICF?

इकाई 3 विशिष्ट बालकों के प्रकार (Types of special children)

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 विशिष्ट बालकों के प्रकार
3.4 प्रतिभाशाली बालक
3.4.1 प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं
3.5 मानसिक मंद बालक
3.5.1 मानसिक मंद बालक की विशेषताएं
3.6 दृष्टि अक्षम बालक
3.6.1 दृष्टि अक्षम बालक की विशेषताएं
3.7 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
3.7.1 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की विशेषताएं
3.8 भाषा-दोष से ग्रसित बालक
3.8.1 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताएं
3.9 सारांश
3.10 शब्दावली
3.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.12 संदर्भग्रंथ सूची
3.13 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री
3.14 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना(Introduction)

विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संप्रत्यय को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं? उनकी प्रकृति क्या है? उनकी विशेषताएं क्या हैं? प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट बालक के प्रकार पर विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्यायानोंपरांत आप विशिष्ट बालक के प्रकारों को गिना सकेंगें तथा उनके प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य(Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययनोपरांत आप

1. विशिष्ट बालकों के प्रकारों को गिना सकेंगें।
2. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों की प्रकृति को स्पष्ट कर सकेंगें।
4. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
5. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
6. विशिष्ट बालकों के विभिन्न वर्गीकरण के आधारों को स्पष्ट कर सकेंगे।

3.3 विशिष्ट बालकों के प्रकार

विशिष्ट बालकों से हमारा तात्पर्य उन बालकों से है जो बालक किसी गुण विशेष के सन्दर्भ में सामान्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं जिससे इन बालकों का अधिगम एवं अनुकूलन प्रभावित होता है। कुछ बालक मानसिक योग्यताओं तथा शक्तियों को लेकर बुद्धि एवं विवेक के बहुत ही ऊँचे स्तर पर विराजमान होकर प्रतिभाशाली एवं होनहार के रूप में दिखाई देते हैं जबकि कुछ बालकों में इस प्रकार की मानसिक योग्यताओं की जरूरत से ज्यादा कमी पाई जाती है और वे अपने सामान्य साथियों से काफी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं और अपने इस पिछड़ेपन के कारण मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक या धीमी गति से पढ़ने वाले बालक के रूप में उन्हें अपनी विशेष न्यूनताओं और क्षमताओं के आधार पर कई इस तरह के विशेषण दिए जाते हैं। यही बात व्यक्ति के अन्य आयामों- संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक आदि को लेकर भी है। यहाँ भी कुछ बालकों को आप इन आयामों के सन्दर्भ में धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशाओं में बहुत अधिक दूरी तय करते हुए पा सकते हैं।

मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों या असाधारण बालकों के कई प्रकार बताये हैं । हेवार्ड तथा औरलेंसकी (Heward and Orlansky, 1980) के अनुसार विशिष्ट बालकों के निम्नवत प्रकार होते हैं-

- प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक
- मानसिक मंद बालक
- अधिगम असमर्थ बालक
- व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक
- संचार रोगों जैसे- भाषा दोष से ग्रसित बालक
- श्रव्य-दोष से ग्रसित बालक
- दृष्टि-दोष से ग्रसित बालक
- शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक
- गंभीर एवं बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक

रिली एवं लेविस (Reilly and Lewis, 1983) ने विशिष्ट बालकों को निम्नांकित छः भागों में बांटा है-

- प्रतिभाशाली बालक
- मानसिक मंद बालक
- अधिगम असमर्थ बालक
- मानसिक रोग से ग्रसित बालक
- शारीरिक रूप से विकलांग बालक
- बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक

इस तरह आप देखते हैं कि विशिष्ट बालक की श्रेणी में प्रतिभासंपन्न एवं प्रतिभाहीन दोनों तरह के बालक आते हैं। इन विभिन्न श्रेणियों में पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है-

- ➢ प्रतिभाशाली बालक
- ➢ मानसिक मंद बालक
- ➢ दृष्टि अक्षम बालक
- ➢ श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
- ➢ भाष-दोष से ग्रसित बालक

अभ्यास प्रश्न

1. हेवार्ड तथा औरलेंसकी (Heward and Orlansky, 1980) के अनुसार विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं?
2. किन पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है? स्पष्ट कीजिए ?

3.4 प्रतिभाशाली बालक (Gifted Children)

आप सामान्यतः वैसे बालकों को प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक कह सकते हैं जिनकी बुद्धि-लब्धि(Intelligence quotient) 120 या इससे ऊपर होती है। इस बात से स्पष्ट हो जाता हैं कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान मात्र उसकी बुद्धि के आधार पर की जाती है। जबकि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के विचार से मात्र बुद्धिलब्धि को आधार मानकर प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित किया जाना त्रुटिपूर्ण है।

मेकर (Maker, 1977) एवं टोरेंस (Torrance, 1977) ने यह स्पष्ट किया है कि आजकल मात्र बुद्धि प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को परिभाषित नहीं किया जाता। इन्होंने ऐसे बालकों को निम्नांकित सात तरह के प्राप्तांकों के श्रेष्ठता के संयोग के आधार पर पहचान की जाती है-

- ❖ बुद्धि प्राप्तांक (Intelligence Scores)
- ❖ सर्जनात्मकता प्राप्तांक (Creativity Scores)
- ❖ उपलब्धि प्राप्तांक (Achievement Scores)

- ❖ शिक्षक द्वारा मनोनयन (Teacher Nomination)
- ❖ माता-पिता द्वारा मनोनयन (Parent Nomination)
- ❖ स्वयं द्वारा मनोनयन (Self-Nomination)
- ❖ साथियों द्वारा मनोनयन (Peer Nomination)

इस प्रकार हमने देखा कि मेकर एवं टोरेंस ने प्रतिभाशाली बालक को ऐसे बालक के रूप में परिभाषित किया जो उन सारे क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की क्षमता रखते हों जो समाज की नज़रों में महत्वपूर्ण होता है। इसी सन्दर्भ में टोरेंस ने प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की व्यापक परिभाषा दी-

"वैसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव के व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है।"

टोरेंस के मत के समर्थन में रिली एवं लेविस (Reilly & Lewis, 1983) कहते हैं कि "एक प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक वह है जो बुद्धि सहित अन्य सामाजिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की पर्याप्त क्षमता रखता है।"

3.4.1 प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं

गालाघर (Gallagher, 1976) ने प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया है-

- अधिकतर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की घरेलू जिन्दगी तथा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि(Socio-economic background) सामान्य या औसत बालकों से श्रेष्ठ होती है।
- शारीरिक गठन एवं स्वास्थ्य में प्रतिभाशील बालक एवं प्रवीण बालक सामान्य या औसत बालक से अधिक उन्नत होते हैं।
- प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक सामान्य या औसत बालक की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं तथा औसत बालकों की तुलना में सांवेगिक रूप से स्थिर भी होते हैं।
- प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक प्रायः लोकप्रिय एवं सामाजिक रूप से ग्राह्य होते हैं।
- ऐसे बालकों का उपलब्धि प्राप्तांक भी अधिक होता है।

सीजो (Seagoe, 1984) ने भी प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन किया और विशिष्ट बालकों की निम्नांकित विशेषताओं को महत्वपूर्ण बताया-

- ऐसे बालक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करते हैं।
- ऐसे बालक किसी कार्य को तीव्र गति से करते हैं।
- ऐसे बालक किसी कार्य को अन्तःकरण से करते हैं।
- ऐसे बालक को विषय का गहन ज्ञान रहता है।
- ऐसे बालक दूसरों के भाव एवं अधिकार के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- ऐसे बालक सीखने या अन्वेषण के लिए तत्पर रहते हैं।

- किसी भी विचार विमर्श में ऐसे बालक मौलिक एवं उत्तेजनापूर्ण योगदान करते हैं।
- ऐसे बालक आसानी से विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों का प्रत्यक्षण कर लेते हैं।
- ऐसे बालको के सीखने की गति तीव्र होती है।
- ऐसे बालक अपनी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी की खुशियो को बढ़ने में भरपूर योगदान करते हैं।
- दिए गए कार्यों को ऐसे बालक काफी लगन से पूरा करते हैं।
- ऐसे बालकों को किसी विषय को सीखने में कम अभ्यास की जरूरत होती है।
- ऐसे बालक प्रायः किसी विचार गोष्ठी में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं।
- पुनरावृत्ति से ऐसे बालक जल्दी ऊब जाते हैं।
- ऐसे बालकों में नियम, सिद्धांत आदि के खिलाफ आवाज बुलंद करने की प्रवृत्ति अधिक होती है।

अभ्यास प्रश्न

3. प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते है?
4. प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं लिखें?

3.5 मानसिक मंद बालक(Mentally retarded child)

मानसिक मंद बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जो मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। आपके समक्ष यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह मानसिक मंदता क्या है? सामान्यतया मानसिक मंदता से यही अर्थ निकाला जाता है कि बालक की बुद्धि-लब्धि सामान्य या औसत बालकों से कम है। परन्तु मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदता की कसौटी सिर्फ बुद्धि को ही नहीं बल्कि बुद्धि के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार(Adaptive behaviour) को भी माना जाता है। अर्थात ऐसे बालक जिनकी बुद्धि-लब्धि कम होने के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी होती है, मानसिक मंद बालक कहलाते हैं।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी (AAMD, 1973) के अनुसार " मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समयोजनशील व्यवहार में कमी के साथ-साथ पाई जाती है, से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है।"

इस सर्वमान्य परिभाषा से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं-

- मानसिक मंदता में बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप से नीचे होता है।
- मानसिक मंदता में बालकों में अभियोजनशीलता एवं समयोजनशीलता के क्षमता अपर्याप्त होती है।
- मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि अर्थात जन्म से 18 वर्ष की आयु तक स्पष्ट हो जाती है।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी(AAMD) के अनुसार मानसिक मंद बालकों को उनकी गंभीरता के आधार पर निम्नवत चार भागों में बांटा जाता है-

- साधारण मानसिक मंदता(Mild Mental Retardation)-इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 52-67 के बीच होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है। वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर 8-11 वर्ष के सामान्य बच्चों के बराबर होता है। ऐसे बालक अपनी दैनिक दिनचर्या को संपन्न करने में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं।
- अल्पबल मानसिक मंदता(Moderate Mental Retardation)-इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 36-51 के बीच होती है। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय असंतुलित होता है। ऐसे बालकों को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर कुछ हद तक आत्मनिर्भर बनाया दिया जाता है।
- गंभीर मानसिक मंदता(Severe Mental Retardation)-बुद्धि-लब्धि 20-35 के बीच वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय क्षमता, भाषा विकास बहुत ही कम होता है तथा ये सामान्यतया अपने दैनिक क्रिया-कलाप हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बहुत प्रशिक्षण देने के बाद मानसिक मंद वयस्क व्यक्ति कुछ साधारण कार्य कर लेते हैं।
- गहन मानसिक मंदता(Profound Mental Retardation)-इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि-लब्धि 20 से कम होती है। ये बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा इन्हें जीवन पर्यंत देख-रेख की जरूरत पड़ती है। ये बालक प्रायः अल्प-आयु होते हैं।

3.5.1 मानसिक मंद बालक की विशेषताएं

मानसिक मंद बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

- शारीरिक लक्षण- ऐसे बालकों का शारीरिक कद सामान्य बालकों की तुलना में कमजोर, नाटा आदि होता है। इनके चेहरे, नाक, कान, आँख, सिर के बाल, अँगुलियों आदि में कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं।
- बौद्धिक क्षमता- मानसिक मंद बालकों की बौद्धिक क्षमता संन्य बालकों से कम होती है। इनकी बुद्धिलब्धि प्रायः 70 से कम होती है।
- सामाजिक समायोजन क्षमता में कमी- ऐसे बालक के समाजीकरण में भी समस्याएं होती हैं। ये बालक अपने परिवार, सहपाठी तथा समाज में अपने आपको अच्छे तरीके से समायोजित नहीं कर पाते।
- संवेगात्मक स्थिति- ऐसे बालकों में संवेगिक विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बालक सामान्य संवेगों को भी संगत परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं कर पाते।
- भाषा विकास- ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि कम होने तथा समायोजन की क्षमता कम होने के कारण भाषा विकास भी नहीं हो पाता है।
- इन बालकों को उचित-अनुचित के बीच भेद करने में भी कठिनाई होती है।

- ऐसे बालक दूसरों के अनुदेशों का पालन करने वाले होते हैं।
- इन बालकों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास में कमी रहती है।
- ऐसे बालक अपने पूर्व अनुभवों का अनुप्रयोग नवीन परिस्थितियों में नहीं कर पाते।
- ऐसे बालकों की अभिरुचियाँ सीमित रहती हैं।
- इन बालकों की लघु-अवधि स्मृति एवं दीर्घ-अवधि स्मृति सीमित होती है।

अभ्यास प्रश्न

5. मानसिक मंदता से आप क्या समझते है?
6. मानसिक मंद बालकों की दस विशेषताए लिखिए?
7. AAMD के अनुसार मानसिक मंदता के कितने प्रकार होते हैं? स्पष्ट कीजिए ?

3.6 दृष्टि-अक्षम बालक(Visually Impaired Child)

दृष्टि-बाधिता व्यक्ति विशेष की ऐसी अक्षमता है जो उस व्यक्ति की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है। दृष्टि अक्षमता की दो परिभाषाएं प्रचलन में हैं-

- विधिक (Legal)
- शैक्षिक (Educational)

विधिक परिभाषा (Legal Definition):

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (PWD Act, 1995) के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दृष्टि अक्षम बालक की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हों-

- दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
- सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता (Visual Acuity) जो 6/60 या 20 /200 (स्नेलेन) से अधिक न हो; या
- दृष्टि क्षेत्र(Field of Vision) की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर हो।

Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the condition:

- ✓ Total absence of sight; or
- ✓ Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses; or
- ✓ Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse.(PWD Act, 1995)]

यहाँ दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 200 फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 20 फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े।

आंशिक दृष्टि दोष(Partially Sighted)- विधिक परिभाषा के अनुसार आंशिक दृष्टि दोष ग्रस्त व्यक्ति वह है जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 20 /70 और 20 /200 के बीच हो।

वहीँ निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "अल्प दृष्टि व्यक्ति(Low Vision Person)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग में संभाव्य रूप से समर्थ है।

शैक्षिक परिभाषा(Educational Definition):

शैक्षिक परिभाषा पठन-अनुदेशन पर आधारित है। शैक्षिक परिभाषा के अनुसार "उन व्यक्तियों को दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाता है जिनकी दृष्टि इतना अधिक अक्षमताग्रस्त हो कि ब्रेल लिपि के वगैर वे पढ़ना सीख नहीं सकते।

3.6.1 दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताएं

दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

- बार-बार आँखों का मलना,
- आँखों से पानी आना,
- आँखों में जलन रहना,
- आँखे लाल रहना,
- धुंधला दिखाई देना,
- आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होना,
- आँखें आवश्यकता से बहुत अधिक बड़ी या छोटी होना,
- आँखों से कीचड निकलना,
- श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री को पड़ने में कठिनाई महसूस करना,
- श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने के दौरान दूसरे छात्रों की पुस्तिका देखना या पूछना,
- एक ही वस्तु के दो-दो रूप दिखाई पड़ना,
- एक आँख मूंद कर चलना/ देखना,
- चलते समय अन्य वस्तुओं से टकराना या लुढ़ते चलना,
- पुस्तक या अन्य वस्तुओं को आँख के नजदीक लाकर देखना,
- जल्दी-जल्दी पलकें झपकाना,
- आँख की पुतलियों को घुमाने में कठिनाई होना,

- ऐंची दृष्टि से देखना,
- पढ़ने के क्रम में अक्सर आँखें इधर-उधर घुमाना,
- वर्ग में पठन-पाठन के समय सिरदर्द की शिकायत करना,
- दूर रखी वस्तुओं को देखते समय सिर को आगे-पीछे घुमाना,
- पढ़ते-लिखते वक्त त्योरियां चढ़ना,
- आँख एवं हाथों के बीच उचित ताल-मेल कमजोर होना,

अभ्यास प्रश्न

8. दृष्टि तीक्ष्णता(Visual Acuity) 20 /200 (स्नेलेन) से आप क्या समझते हैं?
9. दृष्टि प्रसार (Visual field) से आप क्या समझते हैं?
10. PWD Act के अनुसार दृष्टि अक्षमता को परिभाषित कीजिये?
11. दृष्टि अक्षम बालकों की दस विशेषताएँ लिखिए?
12. PWD Act, 1995 के अनुसार अल्प दृष्टि बालक की परिभाषा लिखिए?

3.7 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक(Children with hearing impairedness)

व्यक्ति विशेष की वैसी अक्षमता जो उस व्यक्ति में सुनने की बाधा उत्पन्न करती है, श्रवण अक्षमता कहलाती है। जोकि बालक को समाज से अलग कर देती है। जिससे बालक का भाषा विकास बाधित हो जाता है। श्रवण अक्षमता को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है-

'कांग्रेस ऑफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ़ अमेरिकन स्कूल फॉर द डेफ' ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि- "एक बधिर व्यक्ति वह है जिनकी श्रवण बाधित 70 डेसिबल हो और श्रवण यंत्र की सहायता से या उसके बगैर वह ध्वनियों को समझ नहीं पाता हो।"

वहीँ यूनेस्को की विशेषज्ञ कमेटी (1985) ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि "बधिर बच्चे वैसे बच्चे होते हैं जिनमें अत्यधिक श्रवण अक्षमता ह्रास के चलते स्वाभाविक वाणी और भाषा का विकास अत्यंत या पूर्णतः नहीं हुआ हो।"

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि।"

श्रवण अक्षमता जन्मजात (by birth)भी होती है तथा जन्म के बाद (after birth)जिन्दगी के किसी काल में भी हो सकती है , दोनों समूहों के बीच वाणी और भाषा सम्प्रेषण में अंतर होता है। यह ह्रास निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-

- **कंडक्टिव श्रवण ह्रास(Conductive Hearing Loss)-** बाह्य कर्ण या मध्य कर्ण में किसी प्रकार का विकार होने से ध्वनि को अन्तः कर्ण तक संचालित होने में अवरोध उत्पन्न होता है। यह दोष बाहरी अथवा मध्य कर्ण तक ही सिमित रहता है। अन्तः कर्ण बिलकुल सामान्य स्थिति में रहता है।
- **सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास(Sensory-neural Hearing Loss)** – यदि श्रवण क्षमता का ह्रास अन्तः कर्ण या नर्भ पथ में जो अन्तः कर्ण से नर्भ पथ तथा मस्तिस्क तंत्र तक के रास्ते में किसी बिमारी के कारण उत्पन्न हो, उसे सेंसरी न्यूरल श्रवण अक्षमता कहते हैं। इसमें बाह्य तथा मध्य कर्ण सामान्य अवस्था में रहते हैं। इसमें ध्वनि का सञ्चालन अन्तः कर्ण तक होता है किन्तु ध्वनि का सही ढंग से विश्लेषण तथा प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है।
- **मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)-** एक ही व्यक्ति में कंडक्टिव तथा सेंसरी न्यूरल दोनों प्रकार के श्रवण ह्रास होते हैं, जिसे मिश्रित श्रवण ह्रास कहते हैं। इसमें बाह्य, मध्य तथा अन्तः तीनों कर्ण विकृत होते हैं।
- **केन्द्रीय श्रवण ह्रास (Central Hearing Loss)-** सेरिब्रल कार्टेक्स से सटे ब्रेन स्टेम के बीच के श्रवण पथ संक्रमित हो जाने से केन्द्रीय श्रवण ह्रास होता है। इसमें चिकित्सकीय हस्तक्षेप एवं श्रवण यंत्रों से लाभ नहीं मिलता।
- **कार्यात्मक श्रवण ह्रास(Functional Hearing Loss)-** इस प्रकार के श्रवण ह्रास में कान के सभी भाग ठीक ढंग से काम करते हैं, परन्तु व्यक्ति सुनकर भी न सुनने का अभिनय करता है।किसी भी आवाज के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं करता।

3.7.1 श्रवण अक्षम बालक की विशेषताएं(characteristics of hearing disabled children)

ऐसे बालकों में निम्नांकित विशेषताएं पाई जाती हैं-

- बार-बार कान खुजलाना,
- कान का बहना,
- कान दर्द की शिकायत करना,
- बराबर सर्दी-खांसी की शिकायत करना,
- शारीरिक संतुलन का अभाव ,
- हमेशा 'क्या-क्या' कहना,
- वाणी विकृति का होना,
- सीमित शब्द-भंडार,
- ध्यान देने में कठिनाई,
- अच्छी तरह सुनने के लिए वक्ता की तरफ सिर घुमाना,
- जोर से बोलना,
- स्पष्ट न बोल पाना,
- बोलने में बार-बार अस्वाभाविक अवरोध,
- बोलते समय कुछ ध्वनियों को छोड़ देना,

- बार- बार हकलाना,
- वर्ग में स्थिर होकर बैठना,
- आलस्य आ जाना,
- भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होना,
- पीछे से बुलाने पर अनुक्रिया का न होना,
- बार-बार दूसरों के मुख की ओर ध्यान देना,

अभ्यास प्रश्न

13. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की परिभाषा लिखिए?
14. श्रवण ह्रास के कितने प्रकार होते हैं?
15. मिश्रित श्रवण ह्रास से आप क्या समझते हैं?
16. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की दस विशेषताएँ लिखिए?

3.8 भाषा-दोष से ग्रसित बालक(children with language disability)

भाषा की महत्ता से आप भली-भांति परिचित हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचता है तथा दूसरे के विचार को समझकर उसके प्रति उपयुक्त अनुक्रिया करता है। बालकों में भाषा सम्बन्धी दोष कई तरह के भाषा दोष पाये जाते हैं।

वान राइपर (Van Riper, 1972) ने यह बताया है कि यदि किसी बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों में निम्नवत तीन लक्षण हों तो उस बालक को भाषा दोष ग्रसित बालक माना जायेगा-

a. दूसरे लोंगों का ध्यान बालक द्वारा बोले गये शब्द या वाक्य की ओर अनावश्यक रूप से चला जाए,
b. यदि दोष या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, तथा
c. बालक को सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने में भाषा कारण बने,

ऐसे बालक, जिनमें भाषा सम्बन्धी दोष होता है, उनमे स्कूल में समायोजन सम्बन्धी कठिनाइयाँ अधिक होतीं हैं। वान राइपर (Van Riper, 1972) द्वारा किये गए अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।

कर्क एवं गालाघर (Kirk & Gallagher, 1979) के अनुसार भाषा-दोष से ग्रसित बालकों को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है-

- ❖ गूंगे बालक (Dumb Children) – आप गूंगे बालक की श्रेणी में ऐसे बालकों को रख सकते हैं जो चाहकर भी अपनी इच्छा को अर्थपूर्ण भाषा के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे बालक प्रायः कुछ संकेतों के माध्यम से ही अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति कर पाते हैं।
- ❖ उच्चारण सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with articulation disorders) – उच्चारण सम्बन्धी दोष स्कूल के बालकों में अधिक देखा जाता है। इस तरह के दोष से ग्रसित बालक प्रायः शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं। जैसे- 'चोटी' को 'तोती' कहना, 'दरवाजा' को 'वाजा' कहना आदि। उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रायः यह दोष स्वतः भी समाप्त हो जाता है।
- ❖ आवाज सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with voice disorders)- जब बालक के द्वारा बोले गए शब्द की आवाज के गुण, उच्चता या तारत्व में असामन्यता होती है तो इसे भाषा-दोष वाले बालक के रूप में पहचान की जाती है। कर्कश आवाज में बोलने वाले या नाक से बोलने वाले बालकों को इस श्रेणी में रखा जाता है।
- ❖ **प्रवाहिता सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with fluency disorders)**- इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिनकी वाणी की सामान्य प्रवाहिता बाधित हो जाती है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में हकलाने वाले बालक हैं।
- ❖ **व्याख्यान सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with language disorders)**- इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिन्हें खास-खास शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है और यदि कोशिश करते हैं, तो उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल पाता यानी वे पूर्णतः अवाक रह जाते हैं।

3.8.1 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताएं

भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

- ➢ संवाद सम्प्रेषण में कठिनाई महसूस होना,
- ➢ आवाज में मधुरता का आभाव होना,
- ➢ शब्दों को तोड़-मरोड़ कर बोलना,
- ➢ बोलते वक्त अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ना, घटाना अथवा बदल देना,
- ➢ बोलते-बोलते चुप हो जाना,
- ➢ बोली में लय और क्रम का अभाव होना,
- ➢ उच्चारण विकारग्रस्त होना,
- ➢ वाक्-प्रवाह विकार ग्रस्त होना,
- ➢ आवाज विकारग्रस्त होना,
- ➢ हकलाहट का शिकार होना,
- ➢ श्रवण दोष पीड़ित होना,
- ➢ नाक से बोलना,

- आवाज कर्कश होना,
- फुसफुसाहट के साथ बोलना,
- बोलचाल में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझाने में असमर्थ होना,

अभ्यास प्रश्न

17. भाषा-दोष से ग्रसित बालक की परिभाषा लिखिए?
18. भाषा-दोष से ग्रसित बालकों का वर्गीकरण कीजिये?
19. भाषा-दोष से ग्रसित बालकों की दस विशेषताएँ लिखिए?

3.9 सारांश(summary)

विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो अपने आयु वर्ग के समूह के बालकों के किसी भी चर के मापन के सापेक्ष औसत मानों से काफी दूर होते हैं। ये मान केन्द्रीय मानों से अधिक या कम दोनों हो सकते हैं। अर्थात यदि हम बालकों के समायोजन को मापते हैं और किसी बालक के समायोजन की माप केन्द्रीय मान से अत्यधिक कम है तो बालक विशिष्ट श्रेणी में रखा जायेगा तथा यदि केन्द्रीय मान से अत्यधिक अधिक है तब भी बालक विशिष्ट श्रेणी में ही रखा जायेगा तथा इन दोनों प्रकार के बालकों को विशिष्ट बालक कहा जायेगा।

विशिष्ट बालक की श्रेणी में प्रतिभासंपन्न एवं प्रतिभाहीन दोनों तरह के बालक आते हैं। इन विभिन्न श्रेणियों में पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है-

- ❖ प्रतिभाशाली बालक
- ❖ मानसिक मंद बालक
- ❖ दृष्टि अक्षम बालक
- ❖ श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
- ❖ भाष-दोष से ग्रसित बालक

सामान्यतः वैसे बालकों को प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक कहा सकता हैं जिनकी बुद्धि-लब्धि(Intelligence quotient) 120 या इससे ऊपर होती है। इस बात से स्पष्ट हो जाता हैं कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान मात्र उसकी बुद्धि के आधार पर की जाती है। जबकि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के विचार से मात्र बुद्धिलब्धि को आधार मानकर प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित किया जाना त्रुटिपूर्ण है। मेकर (Maker, 1977) एवं टोरेंस (Torrance, 1977) ने यह स्पष्ट किया है कि आजकल मात्र बुद्धि प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को परिभाषित नहीं किया जाता। इनके अनुसार निम्नांकित सात तरह के प्राप्तांकों के श्रेष्ठता के संयोग के आधार पर ऐसे बालकों की पहचान की जाती है-

- ✓ बुद्धि प्राप्तांक (Intelligence Scores)
- ✓ सर्जनात्मकता प्राप्तांक (Creativity Scores)
- ✓ उपलब्धि प्राप्तांक (Achievement Scores)

- ✓ शिक्षक द्वारा मनोनयन (Teacher Nomination)
- ✓ माता-पिता द्वारा मनोनयन (Parent Nomination)
- ✓ स्वयं द्वारा मनोनयन (Self -Nomination)
- ✓ साथियों द्वारा मनोनयन (Peer Nomination)

मानसिक मंद बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जो मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। आपके समक्ष यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह मानसिक मंदता क्या है? सामान्यतया मानसिक मंदता से यही अर्थ निकाला जाता है कि बालक की बुद्धि-लब्धि सामान्य या औसत बालकों से कम है। परन्तु मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदता की कसौटी सिर्फ बुद्धि को ही नहीं बल्कि बुद्धि के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार(Adaptive behaviour) को भी माना जाता है। अर्थात ऐसे बालक जिनकी बुद्धि-लब्धि कम होने के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी होती है, मानसिक मंद बालक कहलाते हैं।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी (AAMD, 1973) के अनुसार," मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समायोजन व्यवहार में कमी के साथ-साथ पाई जाती है, से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है"।

इस सर्वमान्य परिभाषा से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं-

- ❖ मानसिक मंदता में बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप से नीचे होता है।
- ❖ मानसिक मंदता में बालकों में अभियोजनशीलता एवं समयोजनशीलता के क्षमता अपर्याप्त होती है।
- ❖ मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि अर्थात जन्म से 18 वर्ष की आयु तक स्पष्ट हो जाती है।

दृष्टि-बाधिता व्यक्ति विशेष की ऐसी अक्षमता है जो उस व्यक्ति की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है। दृष्टि अक्षमता की दो परिभाषाएं प्रचलन में हैं-

a) विधिक (Legal)
b) शैक्षिक (Educational)

a) विधिक परिभाषा (Legal Definition):
निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (PWD Act, 1995) के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दृष्टि अक्षम बालक की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हों-

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता (Visual Acuity) जो 6/6० या 2०/2००(स्नेलेन) से अधिक न हो; या
iii. दृष्टि क्षेत्र(Visual field) की सीमा जो 2० डिग्री कोण वाली या उससे बदतर हो।

यहाँ दृष्टि तीक्ष्णता 20 /200 का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 200 फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 20 फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े।

आंशिक दृष्टि दोष(Partially Sighted)- विधिक परिभाषा के अनुसार आंशिक दृष्टि दोष ग्रस्त व्यक्ति वह है जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 20 /70 और 20 /200 के बीच हो। वहीँ निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "अल्प दृष्टि व्यक्ति(Low Vision Person)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग में संभाव्य रूप से समर्थ है।

शैक्षिक परिभाषा(Educational Definition):

शैक्षिक परिभाषा पठन-अनुदेशन पर आधारित है। शैक्षिक परिभाषा के अनुसार "उन व्यक्तियों को दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाता है जिनकी दृष्टि इतना अधिक अक्षमताग्रस्त हो कि ब्रेल लिपि के वगैर वे पढ़ना सीख नहीं सकते।

व्यक्ति विशेष की वैसी अक्षमता जो उस व्यक्ति में सुनने की बाधा उत्पन्न करती है, श्रवण अक्षमता कहलाती है। जोकि बालक को समाज से अलग कर देती है। जिससे बालक का भाषा विकास बाधित हो जाता है। श्रवण अक्षमता को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है-

'कांग्रेस ऑफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ़ अमेरिकन स्कूल फॉर द डेफ' ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि- "एक बधिर व्यक्ति वह है जिनकी श्रवण बाधित 70 डेसिबल हो और श्रवण यंत्र की सहायता से या उसके बगैर वह ध्वनियों को समझ नहीं पाता हो।"

वहीँ यूनेस्को की विशेषज्ञ कमेटी (1985) ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि "बधिर बच्चे वैसे बच्चे होते हैं जिनमें अत्यधिक श्रवण अक्षमता ह्रास के चलते स्वाभाविक वाणी और भाषा का विकास अत्यंत या पूर्णतः नहीं हुआ हो।"

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि।"

भाषा की महत्ता से आप भली-भांति परिचित हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचता है तथा दूसरे के विचार को समझकर उसके प्रति उपयुक्त अनुक्रिया करता है। बालकों में भाषा सम्बन्धी दोष कई तरह के पाए जाते हैं।

वान राइपर (Van Riper, 1972) ने यह बताया है कि यदि किसी बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों में निम्नवत तीन विशेषताएं हों तो उस बालक को भाषा दोष ग्रसित बालक माना जायेगा-

❖ दूसरे लोंगों का ध्यान बालक द्वारा बोले गये शब्द या वाक्य की ओर अनावश्यक रूप से चला जाए।

❖ यदि दोष या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, तथा

❖ बालक को सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने में भाषा कारण बने।

ऐसे बालक, जिनमें भाषा सम्बन्धी दोष होता है, उनमे स्कूल में समायोजन सम्बन्धी कठिनाइयाँ अधिक होतीं हैं। वान राइपर (Van Riper, 1972) द्वारा किये गए अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।

3.10 शब्दावली

1. UNESCO(यूनेस्को)- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
2. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
3. PWD Act, 1995- Person with Disability (Equal opportunity, protection of rights and full participation) Act, 1995, निःशक्त व्यक्ति (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
4. समायोजनशील व्यवहार(Adaptive behaviour)- ऐसा व्यवहार जोकि दूसरे व्यवहार या परिस्थिति में समायोजन हेतु प्रयुक्त होता है, समयोजनशील व्यवहार कहलाता है।
5. बुद्धिलब्धि- बुद्धि मापन के मानक परीक्षणों पर प्राप्त प्राप्तांक।
6. स्नेलेन- दृष्टि तीक्ष्णता मापने की इकाई।
7. दृष्टि तीक्ष्णता- दृष्टि की स्पष्टता या पैनापन।
8. दृष्टि क्षेत्र- वह आकाशीय क्षेत्र जिसका प्रत्यक्षण रेटिना पर होता है।
9. डेसिबल- ध्वनी मापने की इकाई।

3.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. हेवार्ड तथा औरलेंसकी (Heward and Orlansky, 1980) के अनुसार विशिष्ट बालकों के निम्नवत प्रकार होते हैं-
   i. प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक
   ii. मानसिक मंद बालक
   iii. अधिगम असमर्थ बालक
   iv. व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक
   v. संचार रोगों जैसे- भाषा दोष से ग्रसित बालक
   vi. श्रव्य-दोष से ग्रसित बालक
   vii. दृष्टि-दोष से ग्रसित बालक
   viii. शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक
   ix. गंभीर एवं बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक
2. विभिन्न श्रेणियों में पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है-

i. प्रतिभाशाली बालक
ii. मानसिक मंद बालक
iii. दृष्टि अक्षम बालक
iv. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
v. भाष-दोष से ग्रसित बालक

3. मेकर एवं टोर्रेंस ने प्रतिभाशाली बालक को ऐसे बालक के रूप में परिभाषित किया जो उन सारे क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की क्षमता रखते हों जो समाज की नज़रों में महत्वपूर्ण होता है। इसी सन्दर्भ में टोर्रेंस ने प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की व्यापक परिभाषा दी-

"वैसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव के व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है।"

4. सीजो (Seagoe, 1984) ने भी प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन किया और विशिष्ट बालकों की निम्नांकित विशेषताओं को महत्वपूर्ण बताया-
   a. ऐसे बालक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करते हैं।
   b. ऐसे बालक किसी कार्य को तीव्र गति से करते हैं।
   c. ऐसे बालक किसी कार्य को अन्तःकरण से करते हैं।
   d. ऐसे बालक को विषय का गहन ज्ञान रहता है।
   e. ऐसे बालक दूसरों के भाव एवं अधिकार के प्रति संवेदनशील होते हैं।
   f. ऐसे बालक सिखने या अन्वेषण के लिए तत्पर रहते हैं।
   g. किसी भी विचार विमर्श में ऐसे बालक मौलिक एवं उत्तेजनापूर्ण योगदान करते हैं।
   h. ऐसे बालक आसानी से विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों का प्रत्यक्षण कर लेते हैं।
   i. ऐसे बालको के सीखने की गति तीव्र होती है।
   j. ऐसे बालक अपनी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी की खुशिओं को बढ़ने में भरपूर योगदान करते हैं।
5. अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी (AAMD, 1973) के अनुसार " मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समयोजनशील व्यवहार में कमी के साथ-साथ पाई जाती है, से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है।"
   इस सर्वमान्य परिभाषा से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं-
   i. मानसिक मंदता में बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप से नीचे होता है।
   ii. मानसिक मंदता में बालकों में अभियोजनशीलता एवं समयोजनशीलता के क्षमता अपर्याप्त होती है।
   iii. मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि अर्थात जन्म से 18 वर्ष की आयु तक स्पष्ट हो जाती है।
6. मानसिक मंद बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

i. शारीरिक लक्षण- ऐसे बालकों का शारीरिक कद सामान्य बालकों की तुलना में कमजोर, नाटा आदि होता है। इनके चेहरे, नाक, कान, आँख, सिर के बाल, अँगुलियों आदि में कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं।
ii. बौद्धिक क्षमता- मानसिक मंद बालकों की बौद्धिक क्षमता संन्य बालकों से कम होती है। इनकी बुद्धिलब्धि प्रायः 7० से कम होती है।
iii. सामाजिक समायोजन क्षमता में कमी- ऐसे बालक के समाजीकरण में भी समस्याएं होती हैं। ये बालक अपने परिवार, सहपाठी तथा समाज में अपने आपको अच्छे तरीके से समायोजित नहीं कर पाते।
iv. संवेगात्मक स्थिति- ऐसे बालकों में संवेगिक विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बालक सामान्य संवेगों को भी संगत परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं कर पाते।
v. भाषा विकास- ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि कम होने तथा समायोजन की क्षमता कम होने के कारण भाषा विकास भी नहीं हो पाता है।
vi. इन बालकों को उचित-अनुचित के बीच भेद करने में भी कठिनाई होती है।
vii. ऐसे बालक दूसरों के अनुदेशों का पालन करने वाले होते हैं।
viii. इन बालकों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास में कमी रहती है।
ix. ऐसे बालक अपने पूर्व अनुभवों का अनुप्रयोग नवीन परिस्थितियों में नहीं कर पाते।
x. ऐसे बालकों की अभिरुचियाँ सिमित रहती हैं।

7. अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी(AAMD) के अनुसार मानसिक मंद बालकों को उनकी गंभीरता के आधार पर निम्नवत चार भागों में बांटा जाता है-

i. साधारण मानसिक मंदता(Mild Mental Retardation)
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 52-67 के बीच होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है। वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर 8-11 वर्ष के सामान्य बच्चों के बराबर होता है। ऐसे बालक अपनी दैनिक दिनचर्या को संपन्न करने में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं।

ii. अल्पबल मानसिक मंदता(Moderate Mental Retardation)
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 36-51 के बीच होती है। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय असंतुलित होता है। ऐसे बालकों को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर कुछ हद तक आत्मनिर्भर बना दिया जाता है।

iii. गंभीर मानसिक मंदता(Severe Mental Retardation)
बुद्धि-लब्धि 20-35 के बीच वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय क्षमता, भाषा विकास बहुत ही कम होता है तथा ये सामान्यतया अपने दैनिक क्रिया-कलाप हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बहुत प्रशिक्षण देने के बाद मानसिक मंद वयस्क व्यक्ति कुछ साधारण कार्य कर लेते हैं।

iv. गहन मानसिक मंदता(Profound Mental Retardation)
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि-लब्धि 20 से कम होती है। ये बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा इन्हें जेवण पर्यंत देख-रेख की जर्रोरत पड़ती है। ये बालक प्रायः अल्प-आयु होते हैं।

8. दृष्टि तीक्ष्णता 2०/2०० का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 2०० फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 2० फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े।
9. वह आकाशीय क्षेत्र जिसका प्रत्यक्षण रेटिना पर होता है।
10. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (PWD Act, 1995) के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दृष्टि अक्षम बालक की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हों-
    i. दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
    ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता (Visual Acuity) जो 6/60 या 20 /200 (स्नेलेन) से अधिक न हो; या
    iii. दृष्टि क्षेत्र(Field of Vision) की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर हो।
11. दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-
    i. बार-बार आँखों का मलना,
    ii. आँखों से पानी आना,
    iii. आँखों में जलन रहना,
    iv. आँखे लाल रहना,
    v. धुंधला दिखाई देना,
    vi. आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होना,
    vii. आँखें आवश्यकता से बहुत अधिक बड़ी या छोटी होना,
    viii. आँखों से कीचड निकलना,
    ix. श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री को पड़ने में कठिनाई महसूस करना,
    x. श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने के दौरान दूसरे छात्रों की पुस्तिका देखना या पूछना।

12. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "अल्प दृष्टि व्यक्ति(Low Vision Person)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग में संभाव्य रूप से समर्थ है।

13. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में 60 डेसिबल या अधिक की हानि।"

14. श्रवण ह्रास मनुष्य के जन्म के समय से जीवन के किसी काल में हो सकता है। यह ह्रास निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-
    i. कंडक्टिव श्रवण ह्रास(Conductive Hearing Loss)
    ii. सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास(Sensory-neural Hearing Loss)

iii. मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)
iv. केन्द्रीय श्रवण ह्रास (Central Hearing Loss)
v. कार्यात्मक श्रवण ह्रास(Functional Hearing Loss)

15. मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)- एक ही व्यक्ति में कंडक्टिव तथा सेंसरी न्यूरल दोनों प्रकार के श्रवण ह्रास होते हैं, जिसे मिश्रित श्रवण ह्रास कहते हैं। इसमें बाह्य, मध्य तथा अन्तः तीनों कर्ण विकृत होते हैं।
16. ऐसे बालकों में निम्नांकित विशेषताएं पाई जाती हैं-
    i. बार-बार कान खुजलाना,
    ii. कान का बहना,
    iii. कान दर्द की शिकायत करना,
    iv. बराबर सर्दी-खांसी की शिकायत करना,
    v. शारीरिक संतुलन का अभाव,
    vi. हमेशा 'क्या-क्या' कहना,
    vii. वाणी विकृति का होना,
    viii. सिमित शब्द-भंडार,
    ix. ध्यान देने में कठिनाई,
    x. अच्छी तरह सुनने के लिए वक्ता की तरफ सिर घुमाना,

17. वान राइपर (Van Riper, 1972) ने यह बताया है कि यदि किसी बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों में निम्नवत तीन विशेषताएं हों तो उस बालक को भाषा दोष ग्रसित बालक माना जायेगा-
    a. दूसरे लोंगों का ध्यान बालक द्वारा बोले गये शब्द या वाक्य की ओर अनावश्यक रूप से चला जाए।
    b. यदि दोष या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, तथा
    c. बालक को सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने में भाषा कारण बने।

    ऐसे बालक, जिनमें भाषा सम्बन्धी दोष होता है, उनमे स्कूल में समायोजन सम्बन्धी कठिनाइयाँ अधिक होतीं हैं। वान राइपर (Van Riper, 1972) द्वारा किये गए अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।

18. कर्क एवं गालाघर (Kirk & Gallagher, 1979) के अनुसार भाषा-दोष से ग्रसित बालकों को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है-
    i. गूंगे बालक (Dumb Children)
    ii. उच्चारण सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with articulation disorders)
    iii. आवाज सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with voice disorders)
    iv. प्रवाहिता सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with fluency disorders)

v. व्याख्यान सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with language disorders)

भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

i. संवाद सम्प्रेषण में कठिनाई महसूस होना।
ii. आवाज में मधुरता का आभाव होना।
iii. शब्दों को तोड़-मरोड़ कर बोलना।
iv. बोलते वक्त अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ना, घटाना अथवा बदल देना।
v. बोलते-बोलते चुप हो जाना।
vi. बोली में लय और क्रम का अभाव होना।
vii. उच्चारण विकारग्रस्त होना।
viii. वाक्-प्रवाह विकार ग्रस्त होना।
ix. आवाज विकारग्रस्त होना।
x. हकलाहट का शिकार होना।

3.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

मंगल. एस० के०(2००8). *शिक्षा मनोविज्ञान.* पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा.* जानकी प्रकाशन, पटना.

Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children.* Atlantic Publishers, New Delhi.

3.13 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. मंगल. एस० के०(2००8). *शिक्षा मनोविज्ञान.* पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
2. संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा.* जानकी प्रकाशन, पटना.
3. Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children.* Atlantic Publishers, New Delhi.
4. Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education.* PHI Learning Private Limited, New Delhi.

3.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये?
   Elaborate various types of Exceptional Children?
2. प्रतिभाशाली बालकों से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिये?
   What do you understand by Gifted Children? Enumerate their characteristics?
3. मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये?
   What do you understand by Mental Retardation? Enunciate their various types?
4. दृष्टि अक्षमता का क्या अर्थ है? इसके विधिक एवं शैक्षिक परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिये?
   What is the meaning of Visual Impairment? Discuss the definitions of legal and educational definition of visual impairment?

5. श्रवण ह्रास से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये?
   What do you understand by Hearing Impairment? Elaborate their various types?
6. भाषा-दोष से ग्रसित बालक का क्या अर्थ है? इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिये?
   What do you understand by Children with speech defects? Mention their characteristics?

इकाई 4 विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ(Needs and Problems of special children)

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ

4.3.1 प्रतिभाशाली बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.3.2 मानसिक मंद बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.3.3 दृष्टि अक्षम बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.3.4 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.3.5 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.4 सारांश
4.5 शब्दावली
4.6 संदर्भग्रंथ सूची
4.7 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री
4.8 निबंधात्मक प्रश्न

4.1प्रस्तावना(Introduction)

विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालकों के संप्रत्यय से सम्बंधित यह चतुर्थ इकाई है।

तृतीय इकाई में आप विशिष्ट बालकों के प्रकारों से अवगत हुए। विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों की सामान्य विशेषताओं से परिचित हुए। जोकि विशिष्ट बालकों को समझने में महत्वपूर्ण इकाई रही। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संप्रत्यय को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों की समस्याएँ क्या हैं? उनकी आवश्यकताएं क्या है? प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्यायानोंपरांत आप विभिन्न विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का वर्णन कर सकेंगे।

4 .2 उद्देश्य(Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

1. विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
2. प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
3. मानसिक मंद बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
4. दृष्टि अक्षमता वाले बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
5. श्रवण ह्रास वाले बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
6. भाषा-दोष वाले बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।

4 .3 विशिष्ट बालकों की समस्याएँ एवम् आवश्यकताएँ(Problems and Needs of special children)

विशिष्ट बालकों के सामान्य बालकों से विचलन की वजह से कई प्रकार की समस्याए आ जाती हैं जिससे इन बालकों का समायोजन एवम् शिक्षा प्रभावित होती है। विशिष्ट बालकों का सामान्य बालकों से विचलन कई समस्याओं को जन्म देता है जैसे:

- अवधान क्षमता,
- स्मृति,
- भाषा विकास,
- समायोजन क्षमता,
- व्यवहार कुशलता,
- अपने वातवरण में उन्मुक्त विचरणशीलता आदि।

इन बालकों की समस्याएँ इनकी विचलन की दिशा व मात्रा पर निर्भर करती है। एक ही प्रकार की विशिष्टता में बालकों की समस्याओं में विविधता पाई जाती है। कई बालक दृष्टि बाधित होते हुए भी सामान्य आवगमन में कठिनाई महसूस नहीं करते। वहीँ कुछ बालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बालकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण एवम् व्यवहार भी दोयम दर्जे का रहा है। आज भी जागरूकता की कमी एवम् अनभिज्ञता के कारण लोग विशिष्ट बालकों को समझने में अक्षम हैं। ये समस्याएं निःसंदेह बालकों की विशिष्ट क्षमता या अक्षमता के कारण ही जन्म लेती हैं और इन समस्याओं के कारण ही ऐसे बालको की आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। यही कारण है की आधुनिक शब्दावली व दर्शन के अनुसार इन बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालक कहा जा रहा है। विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवम् आवश्यकताओं को समझने के लिए हमें उनके विचलन की दिशा व मात्रा के अनुसार ही चर्चा करनी होगी।

4.3.1 प्रतिभाशाली बालक(Gifted Children) की समस्याएँ एवम् आवश्यकतायें

प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में बहुत ही प्रचलित एवं रूढ़िवादी मिथक रहा है कि ये बालक शारीरिक रूप से कमजोर, संकुचित रूचि वाले, सामाजिक रूप से अयोग्य, सांवेगिक रूप से अस्थाई होते हैं। परन्तु टर्मन तथा अन्य के अध्ययनों से यह मिथक चकनाचूर हो गया। वास्तव में प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक हर क्षेत्र में-

- ✓ बुद्धि में,
- ✓ शारीरिक क्षमता में,
- ✓ शारीरिक बनावट में,
- ✓ सामाजिक कुशलता में,
- ✓ उपलब्धि में,
- ✓ सांवेगिक स्थायित्व में

उत्कृष्ट होते हैं। नयी रुढ़िवादी मिथक कि प्रतिभाशाली बालक एक "महामानव(Superman)" होता है, काफी खतरनाक है। यह नयी रूढ़िवादिता संभवतः दो सांख्यिकीय तथ्यों- मध्यमान के चारो तरफ प्राप्तांकों का प्रसरण तथा विशेषताओं के मध्य अंतर्सहसम्बंध, की गलतफहमी की वजह से उत्पन्न होती है। यद्यपि कि समूह के अन्य सदस्यों से प्रतिभाशाली बालक कई विशेषताओं में उत्कृष्ट होते हैं। वास्तव में कुछ ऐसे भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर, नाटे, कुरूप, असामाजिक होते हैं। परन्तु निसंदेह यहाँ हम एक समूह के सामान्यीकरण से प्राप्त समस्याओं की चर्चा करेंगें-

शारीरिक समस्याएँ(Physical Problems): प्रतिभाशाली बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ऐसे बालक खेलकूद आदि क्रियाकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। इन्हें साधारण खेलों एवं खेल के साधारण नियम उबाऊ लगते हैं। अन्य बालकों की तुलना में खेल के मैदान में ये अधिक आक्रामक भी होते हैं। अपने आयु वर्ग के बालकों की तुलना में इनका शारीरिक विकास अधिक होने के कारण खेल के मैदान में इनकी उपलब्धि अधिक होती है तथा इनके विपक्ष में अन्य बालक खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं।

शैक्षिक समस्याएँ(Educational Problems): प्रतिभाशाली बालक अपने आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। उनकी सीखने की गति अधिक होती है। अत्यधिक पाठ्यक्रम को बालक विद्यालय में पहुँचने से पहले ही स्वयं या अपने माता-पिता की सहायता से पूरा कर लेते हैं। सामान्य कक्षाओं में बालक उबने लगते हैं। कभी-कभी बालक को विद्यालय से रूचि ख़त्म भी हो जाती है। जबकि ज्यादातर प्रतिभाशाली बालक विद्यालय में रूचि लेते हैं तथा उन्हें पढना-लिखना अच्छा लगता है। ऐसे बालकों में रचनात्मकता, अभिप्रेरणा तथा अधिक बुद्धिमत्ता पायी जाती है। ऐसे बालक पाठ्य-सहगामी क्रियाओं में अधिक रूचि लेते हैं तथा चढ़-बढ़ कर हिस्सा लेते हैं।सामान्य कक्षाओं से बालक कम लाभन्वित होते हैं। ऐसे बालक कक्षा में शिक्षकों को भी परेशान कर देते हैं। ऐसे बालकों को ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम बहुत धीमी गति से पुरा किया जा रहा है।

सामाजिक एवं सांवेगिक समस्याएँ(Social and Emotional Problems): प्रतिभाशाली बालक हमेशा खुश रहते हैं तथा अपने समूह के नेता होते हैं। ज्यादातर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक सांवेगिक रूप से स्थाई होते हैं तथा किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता के होने की संभावनाओं से दूर होते हैं। सामान्यतया इन बालकों की रुचियाँ व्यापक होती हैं तथा ये इन्हें सकारात्मक रूप में लेते हैं।

कुछ कला प्रेमी प्रतिभाशाली बालकों में मानसिक अस्वस्थता आ जाती है। क्योंकि ये बालक समाज से अलग-थलग रहते हैं तथा वास्तविकता से दूर कल्पना की दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे बालकों में सांवेगिक अस्थायित्व पाया जाता हैं। इन्हें अपने आयु-वर्ग के बालकों में समायोजन की समस्या आ जाती है तथा इन बालकों का अपने वरिष्ठ एवं अध्यापकों से व्यवहार भी बिलकुल असामान्य सा होता है। ऐसे बालकों से समाज के लोग असंतुष्ट रहते हैं।

नैतिक समस्याएं(Moral Problems): इन बालकों में सामाजिक न्याय एवं सही-गलत की अच्छी समझ होती है। ये बालक नैतिक व्यवहार एवं नातिक मूल्यों को धारण करने में भी सामान्य बालकों से उत्कृष्ट होते हैं। कुछ प्रतिभाशाली बालक समाज द्वारा स्थापित मूल्यों एवं अनुमन्य व्यवहार की परवाह नहीं करते। इससे इनके सामाजिक रिश्ते को भी बिगड़ने का खतरा होता है। ये बालक प्रायः अपने को उत्कृष्ट प्रस्तुत करने में अपने ही सहपाठियों की भावनाओं आदि को आसानी से चोट भी पहुंचा देते हैं।

आवश्यकताएं(Needs): प्रतिभाशाली बालकों के शारीरिक विकास के अनुसार इन बालको को नए एवं अधिक चुनौतीपूर्ण खेलों में शामिल करने की आवश्यकता होती है। कुछ सामान्य नियमित खेलों में भी नियमों में परिवर्तन करके उन्हें आकर्षक बनाने की जरूरत होती है।

इन बालकों की शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जरूरत होती है। पाठ्यक्रम को अधिक समृद्ध करने की आवश्यकता होती है। नए शिक्षण व्यूह आदि की सहायता से कक्षाओं को

अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाना होता है। इन बालकों के शैक्षिक रुचियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं पाठ्यचर्या का समृद्धिकरण की आवश्यकता होती है। विस एवं गालाघर (Weiss & Gallaghar, 1982) ने पाठ्यचर्या के समृद्धिकरण हेतु सात प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव दिया है-

- कक्षा का समृद्धिकरण
- सलाहकार शिक्षक कार्यक्रम
- संसाधन कक्ष
- सामुदायिक परामर्शदाता कार्यक्रम
- स्वाध्याय कार्यक्रम
- विशिष्ट कक्षा
- विशेष विद्यालय

उपर्युक्त वर्णित सभी व्यवस्थाये कोई भी समुदाय नहीं कर सकता किन्तु अपनी क्षमता एवं उपलब्ध संसाधनों की सहायता से ज्यादातर व्यवस्थाये करने की जरूरत है।प्रतिभाशाली बालकों की क्षमताओं का सही एवं न्यायसंगत उपयोगकर बालक का सर्वांगीण विकास के लिए बालक को एक शैक्षिक सत्र में एक से अधिक कक्षा प्रोन्नति का प्रावधान किया जाना चाहिए।

प्रतिभाशाली बालकों के समाज में सही समायोजन हेतु उचित परामर्श एवं निर्देशन की जरूरत होती है। साथ ही इन बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को भी परामर्श एवं निर्देशन दिया जाना चाहिए।नैतिक समस्याओं को दूर करने हेतु बालकों को समाज की जरूरतों से परिचय करना चाहिए तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना चाहिए। जिससे बालक में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भान हो सके। समाज में कुछ नैतिक समस्याओं को हल करने वाली समितियों का सदस्य बनाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बालकों की शारीरिक समस्याओं से आप क्या समझते है?
2. प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक समस्याओं का उल्लेख करें?
3. प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिक एवं सांवेगिक समस्याओं का वर्णन करें?
4. प्रतिभाशाली बालकों के नैतिक समस्याओं की चर्चा कीजिए?
5. प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं का संक्षिप्त वर्णन करें?

4 .3.2 मानसिक मंद बालक की समस्याएँ एवम् आवश्यकताएँ

मानसिक मंद बालको की तुलना सामान्य बालकों से की जाती है। इसी आधार पर मानसिक मंद बालको की समस्याओं की चर्चा हम यहाँ करेंगें। हम तृतीय इकाई में मानसिक मंदता को निर्धारित करने वाले कारक बुद्धिलब्धि के साथ-साथ संयोजनशील व्यवहार के बारे में अध्ययन किये। प्रत्येक बालक अपनी क्षमता या अक्षमता की मात्रा के

आधार पर अद्वितीय है। अब हम उन्हीं कारको की वजह से तथा उनके सापेक्ष विचलनों की मात्रा की वजह से मानसिक मंद बालकों में परिलक्षित संज्ञानात्मक एवम् व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा करेंगें।

संज्ञानात्मक समस्याएँ(Cognitive Problems)-

मानसिक मंद बालकों की सबसे बड़ी व स्पष्ट समस्या "सीखने की क्षमता" में कमी है। कई ऐसी संज्ञानात्मक समस्याएँ हैं जिसमे बालक की मानसिक मंदता प्रदर्शित होती है। शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक मंद बालकों को निम्नवत चार संज्ञानात्मक क्षेत्रों में समस्याएँ होतीं हैं-

- अवधान(Attention)
- स्मृति(Memory)
- भाषा(Language)
- शिक्षा(Academics)

अवधान क्षमता(Attentional abilities):

अवधान और अधिगम या सीखना में धनात्मक सहसंबंध होता है। अधिगम के द्वारा ही बालक किसी कार्य को करने में सक्षम हो पाता है। ऐसे बालकों में अवधान की कमी होने के कारण बालक का अधिगम प्रभावित हो जाता है जिससे बालक की क्रियात्मकता में कमी आ जाती है। ऐसे बालक जटिल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। जबकि अधिक बुद्धि लब्धि वाले लोग ऐसी प्रक्रियाओं का ऐसा अधिगम कर लेते हैं कि वे स्वतः ही होने लगतीं हैं। ऐसे बालकों में अवधान-विस्तार(Attention span) में भी कमी पाई जाती है। अधिगम की गति कम होने के कारण बालकों को तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती जिससे बालक अधिक समय तक किसी कार्य में अवधान नहीं बना पाता।

स्मृति(Memory):

एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता- स्मृति के सन्दर्भ में भी मानसिक मंद बालक सामान्य बालकों की तुलना में पीछे होते हैं। सामान्य शब्दों की सूची या चित्रों आदि को उनके सामने प्रदर्शित करने के बाद जब पूछा जाता है तो वे प्रत्यास्मारित करने में सामान्य बालकों की तुलना में पिछे रह जाते हैं। स्मृति दो मानसिक प्रक्रियाओं के स्तर पर निर्भर करती है- उथली मानसिक प्रक्रियाएं एवम् गहन मानसिक प्रक्रियाए। जैसे- मात्र इतना प्रत्यास्मारित करना कि प्रस्तुत सूची में अमूक शब्द हिंदी भाषा का है या अंग्रेजी, में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया उथली स्तर की है जबकि यह पूछना कि अमूक शब्द का प्रयोग कहाँ उचित होगा, गहन मानसिक प्रक्रिया स्तर का प्रश्न है। मानसिक मंद बालक गहन मानसिक प्रक्रिया स्तर में भी कमजोर होते हैं।

सामान्यतया हम याद करने के लिए दो प्रकार की अधिगम नीतियाँ(Learning strategies) अपनाते हैं-

- मध्यस्थता
- संगठन

मानसिक मंद बालकों को इन अधिगम नीतियों को अपनाने में भी कठिनाई होती है। मध्यस्थता अधिगम नीति का एक उदाहरण पूर्वाभ्यास है- जैसे किसी सूची को याद करने के लिए हम दुहराते हैं या पूर्वाभ्यास करते हैं। मानसिक मंद बालक पूर्वाभ्यास करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तथा

दूसरी अधिगम नीति- संगठन का उदाहरण 'समूहन' है जैसे- अंकों की सूची ४,८,१,५,३,२,१,६,९ को याद करने के लिए हम इनका समूहन ४८१, ५३२, १६९ के रूप में कर देते हैं जिससे ये आसानी से याद हो जाती हैं।

मानसिक मंद बालक इस प्रकार की अधिगम नीतियों का प्रयोग तत्काल नहीं कर पाते। ये बालक इन अधिगम नीतियों का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि मानसिक मंद बालकों में 'क्रियांवय नियंत्रण प्रक्रिया(Executive control process)' में कमी पाई जाती है(ब्राउन, १९७४)।

क्रियांवय नियंत्रण प्रक्रिया का प्रयोग समस्या समाधान में किया जाता है। ऐसे बालकों की समस्या समाधान करने की क्षमता भी सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। लेकिन ऐसे बालकों को ये अधिगम नीतियाँ एवं क्रियांवय नियंत्रण प्रक्रियायें सिखायी जा सकती हैं (Gliden, १९८५)।

भाषा विकास(Language development):

अधिकतर मानसिक मंद बालकों का भाषा विकास भी प्रभावित होता है। ऐसे बालकों में उच्चारण संबधी समस्या जैसे वाणी दोष आदि पाया जाता है। ये दोष अथवा समस्याएँ मानसिक मंदता की मात्रा पर निर्भर करती हैं। साधारण मानसिक मंद बालकों में भाषा विकास सामन्यतया सामान्य बालकों जैसा हो जाता है जबकि यह विकास मंद गति से होता है।

शैक्षिक उपलब्धि(Academic achievement):

शैक्षिक उपलब्धि एवम् बुद्धि में धनात्मक सह-संबंध है। अर्थात मानसिक मंद बालकों की शैक्षिक उपलब्धि बुद्धि-लब्धि कम होने कारण सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। मानसिक मंद बालक अपेक्षा से हमेशा कम उपलब्धि स्तर को प्राप्त होते हैं (मैक मिलन, १९८२)।

व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ(Personality problems):

मानसिक मंद बालकों में सामाजिक व सांवेगिक समस्याएँ विविधता में पायीं जाती हैं। विशेषतः ये बालक मित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं तथा आत्म-संप्रत्यय का अभाव होता है। इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं कि इन्हें मित्रों की आवश्यकता नहीं होती या इन्हें प्रेम, बंधुत्व, आदि से कोई सरोकार नहीं होता बल्कि ये बालक समाज या परिवार से कट जाने के कारण आने वाली समस्याओं के चलते मित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इन्हें ये समस्याएँ निम्नवत दो कारणों से आती हैं-

- ये बालक स्वयं अवधान की कमी के चलते किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते।
- इनके सहपाठी सामान्य खेल-कूद, सामूहिक क्रियाकल्पों में स्वीकार नहीं करते।

इन दोनों ही के कारण बालक की सामाजिक अंतःक्रिया बाधित होती है। इन सामाजिक- सांवेगिक समस्याओं के अतिरिक्त इन बालकों में कुछ मात्रा में अभिप्रेरणात्मक समस्याएँ भी होती हैं। ये बालक अपने कौशलों एवं क्षमताओं पर ही विश्वास नहीं कर पाते और इन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। मानसिक मंद बालक अभिप्रेरणा की कमी के कारण किसी कठिन समस्या के आगे आसानी से नतमशतक हो जाते हैं।

आवश्यकताएं:

मानसिक मंद बालक की संज्ञानात्मक समस्याओं का कारण बुद्धि-लब्धि स्थाई समस्या है जिससे जनित आवश्यकताओं- अवधान क्षमता का विकास, स्मृति का विकास, भाषा विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि में विकास करना मानसिक मंद बालकों की मुख्य संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं।

अवधान क्षमता का विकास:

मानसिक मंद बालकों की अवधान क्षमता कम होती है जिससे वे जटिल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इनके अनुदेशन हेतु जटिल प्रक्रियाओं को सरल प्रक्रियाओं में तोड़ लेना चाहिए। अमूर्त चिन्तनों को मूर्त रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। चूँकि इन बालकों का अवधान प्रसार भी कम होता है इसलिए पाठ्यसामग्री या अनुदेशों को छोटे-छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही साथ मानसिक मंद बालकों की अवधान क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी रूचि के अनुरूप सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खेल-खेल में, आकर्षक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बालक की अवधान क्षमता का विकास हो सके।

स्मृति विकास:

स्मृति के विकास हेतु इन बालको को अधिगम नीतियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समन्वय नियंत्रण प्रक्रियाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है। साथ ही साथ इन बालकों को अपनी सामान्य बातों को याद रखने हेतु दैनंदिकी लेखन आदि का प्रशिक्षण देना चाहिए।

भाषा विकास(Language development)

भाषा विकास के लिए ऐसे बालकों को अधिक से अधिक अन्तः क्रिया का अवसर प्रदान करना चाहिए। नियमित शब्दों का उच्चारण अभ्यास करना चाहिए तथा उनके सहपाठियों के साथ खेलने-कूदने एवं बात-चीत करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। इन बालकों के अंतर्मन में भी विचार उत्पन्न होते हैं तथा वे अभिव्यक्त भी करना चाहते है। परन्तु भाषा विकास कम होने की वजह से उन्हें परेशानी होती है।

शैक्षिक उपलब्धि(Educational development)

मानसिक मंद बालकों की शैक्षिक उपलब्धि बढाने के लिए बालकों का मूल्याङ्कन उनके सीखने के स्तर एवं मानसिक स्तर के अनुसार करना चाहिए। ऐसे बालकों की मूल्याङ्कन प्रक्रिया मौखिक एवं छोटे-छोटे क्रियाकलापों पर आधारित होनी चाहिए। बालकों के स्वामित्व स्तर के मूल्याङ्कन की बजाय उनके सीखने की मात्रा का मूल्याङ्कन किया जाना चाहिए।

व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताएं(Personality related needs)

मानसिक मंद बालकों में आत्म संप्रत्यय की कमी पाई जाती है। बालक ऐसे में सहयोग की अपेक्षा करता है। खेल कूद के लिए विश्वसनीय मित्र की आवश्यकता होती है। जिससे खुलकर वह अपनी बातों को साझा कर सके। अन्य बालकों से मित्रवत व्यवहार की अपेक्षा करता है। ऐसे बालकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। अन्य जटिल कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरण प्रदान करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

6. मानसिक मंद बालकों की संज्ञानात्मक समस्याओं से आप क्या समझते है?
7. मानसिक मंद बालकों की व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं का वर्णन कीजिए।
8. मानसिक मंद बालकों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें।

4 .3.3 दृष्टि-अक्षम बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ

दृष्टि बाधिता के कारण बालक को कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक समस्याएँ आ जाती हैं। जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगें।

भाषा विकास(Language Development):

ज्यादातर विद्वानों का मत है कि दृष्टि बाधा भाषा विकास में सार्थक प्रभाव नहीं डालती। भाषा विकास दृष्टि के बजाय श्रवण पर ज्यादा निर्भर करती है। दृष्टि बाधिता की वजह से ऐसे बालक श्रवण क्षमता में सामान्य बालकों की अपेक्षा सुनने के लिए अधिक प्रेरित रहते हैं क्योकि बालक के लिए श्रवण ही सम्प्रेषण का मुख्य माध्यम होता है। इस प्रकार दृष्टि अक्षम बालक भाषा विकास की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न नहीं होते। जबकि दृष्टि अक्षम बालक के भाषा अधिगम के तरीके में थोडा अंतर होता है। जैसे दृष्टि अक्षम बालक ज्यादा स्वकेंद्रित वार्ता करते है जबकि सामान्य बालक क्रियाकलाप सम्बन्धी वार्ता अधिक करते हैं।

संप्रत्ययात्मक क्षमता(Conceptual ability):

दृष्टि अक्षम बालक सामान्य बालकों की तुलना में संप्रत्ययात्मक विकास में कुछ पीछे होते हैं(स्टेफेन & ग्रूब, १९८२)। दृष्टि अक्षम बालक एवं सामान्य बालक की संप्रत्ययात्मक क्षमता में अंतर उनके स्पर्शीय अनुभव एवं दृश्य अनुभव के अंतर की वजह से होता है।

दृश्य अनुभव(दृश्येंद्री) से सामान्य बालक विभिन्न सम्प्रत्ययों को ग्रहण करता है जबकि दृष्टि अक्षम बालक स्पर्शीय अनुभव से विभिन्न सम्प्रत्ययों को ग्रहण करता है । ये स्पर्शीय प्रत्यक्षण दो प्रकार के होते हैं- विश्लेषणात्मक स्पर्श एवं संश्लेषणात्मक स्पर्श(लोवेन फील्ड, १९७१)

संश्लेषणात्मक स्पर्श से तात्पर्य एक बड़ी वस्तु को एक या दोनों हाथों से उसके अनेक हिस्सों को स्पर्श कर प्रत्यक्षण से है। विश्लेषणात्मक स्पर्श से तात्पर्य एक वस्तु के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग मानसिक चित्रों के निर्माण हेतु स्पर्श करने से है। सामान्य बालक वस्तुओं का समग्र एवं अंशतः प्रत्यक्षण साथ ही साथ करता है जबकि दृष्टि अक्षम बालक एक के बाद एक का प्रत्यक्षण करता है। दृष्टि अक्षम बालक एक बार में समेकित संप्रत्यय बनाने में दृष्टि का प्रयोग नहीं कर पाते।

दृश्य और स्पर्श में एक और अंतर देखने को मिलता है स्पर्श में अधिक चैतन्य रहने की जरूरत होती है जबकि दृश्य में यदि आँख खुली हो तो सूचनाएं अनायास ही मिलती रहती हैं। स्पर्श पर निर्भरता एवं विश्वसनीयता बालक की दृष्टि अक्षमता की मात्रा एवं दृष्टि अक्षमता की आयु पर निर्भर करती है।

चलिष्णुता(Mobility):

चलिष्णुता अपने वातावरण से समायोजन करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। दृष्टि अक्षमता से सबसे ज्यादा बालकों की चलिष्णुता प्रभावित होती है। फलस्वरूप बालक की वातावरण से अंतःक्रिया प्रभावित हो जाती है। दृष्टि अक्षम बालक एक स्थान से दुसरे स्थान तक जाने में अपनी स्मृति एवं अन्य इन्द्रियों पर निर्भर रहता है। ऐसे बालकों को भीड़ वाले स्थान एवं दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में विचरण करने में कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसे बालक अपनी कुशलताओं पर विश्वास नहीं कर पाते तथा चलिष्णुता हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जबकि जन्मांध बालक चलिष्णुता के सन्दर्भ में अधिक स्वतंत्र एवं आत्म निर्भर होते हैं।

अन्य इन्द्रियों की तीक्ष्णता(Acuteness of other senses):

यह एक प्रकार का अन्धविश्वास है कि दृष्टि के बदले ऐसे बालको में अन्य इन्द्रियों में अधिक तीक्ष्णता आ जाती है या छठी इंद्री विकसित हो जाती है। जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। बालक अपनी अक्षमता की वजह से सुचनाये प्राप्त करने में कमी को पुरा करने के लिए अन्य इन्द्रीओं का प्रयोग अधिक तत्परता एवं अवधान के साथ करता है।

शैक्षिक उपलब्धि(Academic achievement):

सामान्य बालकों एवं दृष्टि अक्षम बालकों के शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर जानने के लिए बहुत कम अध्ययन हुए हैं। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि इनके मध्य प्रत्यक्ष तुलना करना उचित नहीं हैं क्योंकि दोनों समूहों का परीक्षण अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। एक समान परिस्थिति में अध्ययन भी तर्क सांगत नहीं है। इन तमाम विषमताओं एवं कठिनाइयों के बावजूद कुछ अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि दृष्टि अक्षम बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत कम होती है(Supper , 1974)।

सामाजिक समायोजन(Social adjustment):

दृष्टि अक्षम बालक का समायोजन सामान्य बालकों से कम होता है या सामान्य? बहुत ही विवादित है। कोई भी अध्ययन यह प्रदर्शित नहीं करता की दृष्टि अक्षम बालक कुसमायोजित होते हैं। अर्थात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दृष्टि अक्षम बालकों में व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ समाज के दृष्टिकोण एवं व्यवहार की वजह से आती हैं न कि दृष्टि बाधिता में निहित होती हैं।

दृष्टि अक्षम बालकों में कुछ सामाजिक कौशलों की कमी आ जाती है जैसे- मुख के हाव-भाव, वाणी एवं शारीरिक गति आदि क्योंकि ये कौशल बालक अपने से बड़ो को देखकर अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अर्थात सामान्य बालक ये कौशल दृष्टि की सहायता से सीखते हैं। वहीँ दृष्टि अक्षम बालक इन कौशलों को सीखने में पीछे रह जाते हैं। जबकि एक कुशल प्रशिक्षक इन सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें सीखा सकता है।

एकरूप व्यवहार(Stereotypic behaviour):

कुछ दृष्टि अक्षम बालकों के अच्छे समायोजन में सबसे बड़ी बाधा उनका एकरूप व्यवहार*(Stereotypic behaviour)* है। ये एकरूप व्यवहार दृष्टि अक्षम बालकों के आवृति युक्त गति/व्यवहार जैसे-हिलना, आँखें मलना, झूमना आदि हैं। पूर्व में ऐसे व्यवहार को ब्लाइंडिज्म(blindism) नाम से जाना जाता था तथा यह माना जाता था कि बालक या व्यक्ति में यह व्यवहार उसकी अन्धता के कारण आते हैं जबकि ऐसे व्यवहार अन्य मानसिक मंद एवं अशांत(Disturbed) बालकों में भी पाया जाता है। अतः अब इस व्यवहार को एकरूप व्यवहार कहना ही तर्कसंगत माना गया है क्योंकि यह व्यवहार की पुनरावृत्ति पर केन्द्रित है जोकि मुख्य विषय है।

एकरूप व्यवहार के निम्नवत तीन सिद्धांत हैं-

- **इन्द्रिय वंचन(Sensory deprivation):** ऐसे बालक जिनकी दृष्टि कुछ मात्रा में प्रयोग करने योग्य बची होती है वे बालक अपनी बची हुयी दृष्टि क्षमता का प्रयोग करने हेतु आँख मलने की क्रिया की पुनरावृति करते हैं। अपने आँख के तंत्रीय संवेदना को प्रेरित करने हेतु वे आँख पर दबाव डालते हैं। जबकि यह क्रिया पूर्ण दृष्टि बाधित बालकों में नहीं पाई जाती है।
- **सामाजिक वंचन(Social deprivation):** पर्याप्त इन्द्रिय सक्रियता के बावजूद सामजिक वंचन एकरूप व्यवहार को जन्म देता है। समाज से विलग बालक अतिरिक्त सक्रियता हेतु एकरूप व्यवहार करता है।
- **तनाव मुक्ति(Releasing stress):** दृष्टि अक्षम बालक तनाव से मुक्ति पाने हेतु भी इस प्रकार का एकरूप व्यवहार करते हैं। कभी-कभी सामान्य बालकों में भी एकरूप व्यवहार या असामन्य व्यवहार तनाव की परिस्थितियों में परिलक्षित होता है।

दृष्टि अक्षम बालकों की आवश्यकताएं(Needs of visually disabled children):

दृष्टि अक्षम बालकों में अपने वातावरण सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का मुख्य स्रोत दृष्टि की कमी के कारण बालकों का अनुभव सिमट जाता है। ऐसे में सामान्य वातावरण में बालक की कठिनाइयाँ अधिक हो जाती हैं। बालक की कठिनाइयों के कारण सामान्य बालकों की तुलना में बालक की आवश्यकताए भिन्न हो जाती हैं। बालक की मुख्यतः चार आवश्यकताएं निम्नवत इसप्रकार हैं-

- ब्रेल
- शेष दृष्टि का प्रयोग
- श्रवण कौशल
- अनुस्थिति एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण

प्रथम तीन आवश्यकताए प्रत्यक्ष रूप से बालक के शिक्षा से सम्बंधित हैं जबकि अंतिम आवश्यकता दैनिक जीवन से जुड़ी है।

ब्रेल(Braille):

उन्नीसवीं शताब्दी में फ्रांस लुई ब्रेल ने दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के बुनियादी लेखन व्यवस्था का प्रतिपादन किया। लुई ब्रेल ने एक फ्रांसीसी अधिकारी चार्ल्स बार्बिअर द्वारा रात्रि के समय सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु विकसित १२-बिंदु पद्धति का संशोधन कर ६- बिंदु पद्धति का प्रतिपादन किया जोकि दृष्टि अक्षमों की शिक्षा व्यवस्था तथा संप्रत्यय को चमत्कारिक रूप से बदल दिया।

ब्रेल लिपि 2x3 के आयताकार कोष्ठ (सारणिक रूप) में उभरी हुई आकृति होती है जिसमे विभिन्न क्रमचयों एवं संचयों के अनुसार विश्व की अधिकतम भाषाओं को उनकी ध्वनि के आधार पर कूट किया गया है। ब्रेल को मुख्यतः दो ग्रेड में विकसित किया गया है। ग्रेड-I सीखने में आसान व शुरुआत करने के लिए उपयुक्त है। जबकि ग्रेड-II पढने व लिखने में कम समय एवं कम जगह लेने के कारण अधिक लोकप्रिय है।

दृष्टि अक्षम बालकों को ब्रेल का प्रशिक्षण सामान्य बालकों को मुद्रित लिपि सीखाने की अपेक्षाकृत अधिक कठिन एवं श्रमसाध्य है। ब्रेल पढ़ने में स्मृति पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ब्रेल मुद्रित सामग्री से बहुत अधिक स्थान घेरती है जिसका पठन दृष्टि अक्षम बालक दोनों हांथों की सहायता से करते हैं। एक समय में पूरे वाक्य का प्रत्यक्षण करने में भी कठिनाई होती है। अर्थात मुद्रित लिपि को पढ़ने में अधिक समय भी लगता है। सभी मुद्रित सामग्री का ब्रेल में प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता। ब्रेल में मुद्रित पुस्तकें भी भारी-भरकम होती है जिससे इनका रख-रखाव भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सभी सीमाओं के बाद भी अभी विकासशील राष्ट्रों में ब्रेल एक अहम माध्यम है जिससे दृष्टि अक्षम बालक अपने शैक्षिक आवश्यकतों की पूर्ति कर रहे हैं जबकि अब प्रौद्योगिकी के विकास से कई उपकरण व यन्त्र विकसित हो चुके हैं तथा दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं जो दृष्टि अक्षम बालकों के शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन स्तर को समृद्ध कर रहे हैं। दृष्टि अक्षम बालकों की शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार ब्रेल या अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

शेष दृष्टि का प्रयोग(Use of Residual Vision):

ज्यादातर दृष्टि अक्षम बालकों में उपयोग करने योग्य दृष्टि शेष होती है। ब्रेल लेखन व पठन की दुरुहता को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टि अक्षम बालक को अपनी शेष दृष्टि का प्रयोग कर मुद्रित सामग्री पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हैनिनेन (१९७५) का विश्वास है कि अधिकतर दृष्टि अक्षम बालकों को मुद्रित सामग्री पढ़ना चाहिए क्योंकि मुद्रित सामग्री को पढ़ने की गति अधिक होती है, मुद्रित सामग्री में चित्र और आरेख को प्रदर्शित करने की अधिक अभियोग्यता तथा अधिक सामग्रियों का समावेश होता है।

कई वर्षों से दृष्टि अक्षम बालकों को शेष दृष्टि का प्रयोगकर मुद्रित सामग्री को पढ़ने एवं अन्य कार्य करने से रोका जाता रहा है। इस मुद्दे पर बहुत सारी भ्रांतियां रहीं हैं। इनमें से मुख्य भंतियाँ अग्रलिखित हैं-

- ✓ पुस्तकों को आँखों के नजदीक रखकर पढ़ने से आखों को क्षति पहुंचती है
- ✓ अधिक क्षमता के लेंस आखों को क्षति पहुंचाते हैं, तथा
- ✓ शेष दृष्टि का अधिक प्रयोग आँखों को क्षति पहुंचाता है।

एक समय ऐसा भी था जब अल्प-दृष्टि अक्षम बालकों की कक्षाओं को 'दृष्टि संरंक्षण' कक्षाएं कहा जाता था जिसमें उनकी आँखों को क्षति से बचाने हेतु बची हुयी या शेष दृष्टि का प्रयोग नहीं होने दिया जाता था। अब यह चिन्हित किया जा चुका है कि कुछ स्थितियों में ही यह सत्य है। वास्तव में यह पाया गया है कि शेष दृष्टि क्षमता के प्रयोग से बालकों को और अधिक सहायता मिलती है दृष्टि अक्षम बालकों को शेष दृष्टि क्षमता के प्रयोग कर मुद्रित सामगी से अधिक लाभ लेने में मदद करने हेतु अग्रलिखित दो विधियाँ हैं-

- बड़े अक्षरों में मुद्रण: सामान्यतः मुद्रित पुस्तकें 10 पॉइंट मापनी में मुद्रित होती हैं किन्तु दृष्टि अक्षम बालकों हेतु 18 पॉइंट या 30 पॉइंट मापनी में मुद्रण की आवश्यकता होती है। बड़े अक्षरों के चलते पुस्तकें अधिक मोटी हो जाती हैं जिससे इनका रख-रखाव अधिक महंगा एवं श्रमसाध्य हो जाता है। इसके बावजूद कुछ प्रकाशक अब बड़े अक्षरों में मुद्रित पुस्तकें मुद्रित करने लगे हैं।
- आवर्धक लेंसों(magnifying lenses) का प्रयोग: सामान्य पुस्तकों को भी आवर्धक लेंसों की सहायता से दृष्टि अक्षम बालक पढ़ सकता है। इसके लिए हाथ से प्रयोग में आने वाले आवर्धक लेंसों के आलावा निकट परिपथ दूरदर्शन(CCTV) का प्रयोग प्रचलन में है।

श्रवण कौशल(Listening Skill):

दृष्टि अक्षम बालकों के लिए श्रवण कौशल की महत्ता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। अपने वातावरण से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए दृष्टि पर अधिक विश्वास करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बालक का एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दृष्टि अक्षम बालकों में श्रवण कौशल स्वतः ही विकसित हो जाता है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दृष्टि अक्षम बालकों में ऐसी कोई दैवीय चमत्कार से दृष्टि की क्षतिपूर्ति हेतु अवधान क्षमता का विकास नहीं होता है। अधिकतर बालकों को श्रवण कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब पाठ्यक्रम में श्रवण कौशल के प्रशिक्षण हेतु सामग्रियों एवं कार्यक्रमों की विभिन्नता है।

अब श्रवण कौशल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योकि ध्वनि प्रौद्योगिकी के विकास से आज रिकार्डेड सामग्री आदि का उपयोग अधिक प्रचलन में है। इसकी इतनी अधिक महत्ता के साथ कुछ सीमायें भी हैं : बालक केवल रिकार्डेड सामग्री पर अधिक विश्वास करता है तथा अपनी शेष दृष्टि का प्रयोग भी नहीं कर पाता है।

अभिमुखीकरण एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण (Orientation and Mobility Training):

बालक की विकलांगता की तीव्रता उसकी चलिष्णुता पर निर्भर करती है। चलिष्णुता ही सामाजिक अंतःक्रिया के लिए अधिक जिम्मेदार घटक है। बालक की चलिष्णुता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण प्राप्त बालक अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करने में सक्षम हो जाता है तथा फलस्वरूप उसकी अनुभव की विभिन्नता एवं प्रसार भी बढ़ जाता है जिससे बालक का अधिगम समृद्ध होता है। सामान्यतया चलिष्णुता का प्रशिक्षण देने की चार प्रमुख विधियाँ हैं:

- मानव निर्देशक (Human Guides)
- निर्देशक श्वान (Guide Dogs)
- लम्बी छड़ी (The Long Cane)
- इलेक्ट्रोनिक यंत्र (Electronic Devices)

प्रौद्योगिकीय एवं विशिष्ट सहायक सामाग्रियाँ(Technological and Special Aids):

पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र विकास के चलते दृष्टि अक्षम बालकों के प्रयोग में आने वाली नवीन इलेक्ट्रॉनिक यन्त्र प्रचलन में आ गए हैं। इन नवीन यंत्रों के प्रयोग के कौशल हेतु भी दृष्टि अक्षम बालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में किस यन्त्र का प्रयोग कैसे किया जाय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बालक सामान्य परिस्थितियों में अधिक सक्षम हो सकेंगें। इन यंत्रों में आप्टाकान(Optacon), कुर्जवेल पठन मशीन(Kurzwell reading machine), वर्साब्रेल(Versa Braille), क्रेन्मेर गिनतारा (Cranmer Abacus) महत्वपूर्ण हैं।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं(Administrative Arrangements):
ऐसे बालकों के उचित समायोजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिक प्रयास की जरूरत है। उपयुक्त शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण सहायक यन्त्र, जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाने हेतु यन्त्र, सामाजिक चेतना जागरण आदि आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रशासं के पूरे सहयोग एवं दृढ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। हालाँकि बहुत से प्रयास जारी हैं। जैसे समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, सहायक यंत्रों की खरीद हेतु आर्थिक सहायता, आरक्षण आदि प्रयास सराहनीय हैं। इसके बावजूद अभी एक लम्बी दूरी तय की जानी बाकी है।

अभ्यास प्रश्न

9. दृष्टि अक्षम बालकों की समस्याओं का उल्लेख करें?
10. दृष्टि अक्षम बालकों की आवश्यकताओं का संक्षेप में वर्णन करें?

4 .3.4 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ

श्रवण ह्रास व्यक्ति के व्यवहार के कुछ पक्षों पर बहुत बुरा असर डालता है। यदि किसी व्यक्ति को यह कहा जाय कि उसे श्रवण ह्रास और दृष्टि अक्षमता में किसी एक को चुनना है तो वह निःसंदेह श्रवण ह्रास को ही चुनेगा क्योंकि चलने फिरने में दृष्टि पर अधिक विश्वास किया जा सकता है तथा प्रकृति का सौन्दर्य भी दृश्य ही है। हेलेन किलर ने कहा है कि दृष्टिबाधिता व्यक्ति को वस्तुओं से अलग करती है जबकि श्रवण ह्रास व्यक्ति को व्यक्ति से अलग कर देता है। इस भाषा-आधारित समाज में श्रवण ह्रास से ग्रसित व्यक्ति को अधिक हानि पहुंचती है। बालक या व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं से जूझता है।

भाषा एवं वाणी विकास(Language and Speech Development):बालक में भाषा एवं वाणी का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने से अधिक अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आकर अंतःक्रिया स्थापित करता है तथा अनुकरण के द्वारा ही उसमें भाषा एवं वाणी का विकास होता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक को ध्वनि का कोई संप्रत्यय ही नहीं होता है जिससे बालक अपने समाज से अन्तः क्रिया करने में अक्षम हो जाता है। फलस्वरूप भाषा एवं वाणी का विकास बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है।

बौद्धिक क्षमता(Intellectual Ability):वर्षों से श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की बौद्धिक क्षमता एक विवादित मुद्दा रही है। कुछ विद्वानों का मत था कि श्रवण ह्रास से बालक या व्यक्ति की भाषा प्रभावित होती है तथा भाषा को बौद्धिक

क्षमता का एक घटक माना जाता है, अर्थात श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की बौद्धिक क्षमता कम होती है। जबकि यह कदापि नहीं कहा जा सकता हैकि श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक में किसी भाषा का विकास नहीं होता अपितु बालक सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। कुछ हद तक बालक और श्रोता-समाज के मध्य सम्प्रेषण कम होने से कुछ सम्प्रत्यात्मक जटिलताएं या सम्प्रत्ययीकरण की समस्याएँ बालक में रह जाती हैं। सम्प्रत्ययीकरण की समस्या के अलावा बालक में बुद्धिलब्धि भी कम पाई जाती है। जबकि कुछ विशेषज्ञों की राय हैकि यदि बुद्धि परीक्षण अभाषिक हो तथा इसका प्रशासन भी सांकेतिक भाषा की सहायता से किया जाय तो इन बालकों की बुद्धिलब्धि भी सामान्य पायी जाएगी।

शैक्षिक उपलब्धि (Academic Achievement):श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कम होती है क्योंकि इन बालकों की पठन क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होती है जोकि बालक की उपलब्धि का एक मुख्य घटक है। कुछ विद्वानों का मत हैकि इन बालकों में यह अक्षमता जन्मजात नहीं होती हैं बल्कि श्रवण ह्रास की वजह से उत्पन्न होती है। बालक की उम्र जैसे-जैसे बढती जाती है वैसे-वैसे बालक की शैक्षिक उपलब्द्धि कम होते जाती है।

सामाजिक समायोजन(Social Adjustment):सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास बालक और समाज के मध्य सम्प्रेषण पर निर्भर करता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक समाज से कट सा जाता है तथा बालक एक प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। इन बालकों में सामान अक्षमता वाले बालकों के साथ दोस्ती अच्छी होती है।

आवश्यकताएं(Needs of Hearing impaired)

श्रवण ह्रास वाले बालकों की सबसे बड़ी समस्या सम्प्रेषण स्थापित करने में अक्षमता है। सम्बंधित शिक्षकों के लिए सम्प्रेषण स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होती है। सम्प्रेषण की समस्या को दूर करने हेतु इन बालकों को कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेषतः दो प्रकार के प्रशिक्षण श्रवण ह्रास व्यक्तियों की समस्याओं को हल कर पाते हैं- मौखिक प्राविधि तथा शारीरिक प्रविधि। इन दोनों प्रविधियों को लेकर विशेषज्ञों में विवाद रहा है। किन्तु अब सम्पूर्ण सम्प्रेषण उपागम को ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है। यहाँ हम सर्वप्रथम मौखिक प्राविधि पर चर्चा करेंगें-

- ✓ मौखिक प्राविधि(Oral Technique)
- ✓ श्रवण प्रशिक्षण(Auditory Training) तथा
- ✓ वाणीपठन(Speech Reading
- ✓ श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Training)

  श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की शेष श्रवण क्षमता को अधिकतम प्रयोग कर अर्थपूर्ण सुचनाये प्राप्त करने की विधि सिखाने का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण से बहुत ही कम बालक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जबकि प्रौद्योगिकी विकास के कारण अब इससे अधिक लाभ लिया जा रहा है।

श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Training) के निम्लिखित तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-

- ध्वनि जागरूकता का विकास

- वातावरणीय ध्वनियों के मध्य मोटा-मोटी अंतर करने की क्षमता का विकास
- भाषिक-ध्वनियों के मध्य विभेद करने की क्षमता का विकास

वाणी पठन (Speech Reading) के लिए कभी-कभी ओष्ठ पठन (Lip Reading) समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किन्तु उचित नहीं है क्योंकि वाणी पठन (Speech Reading) काफी व्यापक पद है जो पूरे वातावरण को सम्मिलित करते हैं जिससे अधिकाधिक सुचनाये प्राप्त की जा सकती है जबकि ओष्ठ पठन (Lip Reading) मात्र ओष्ठ तक सिमित करता है। वाणी पठन (Speech Reading) श्रवण ह्रास व्यक्तियों को दृश्य सूचनाओं के आधार पर सम्प्रेषण स्थापित करने का प्रशिक्षण है।

वाणी पाठक (Speech Reader) मुख्यतः तीन प्रकार की दृश्य सूचनाओं से लाभ उठा सकते हैं जोकि अग्रलिखित हैं-

- वातावरणीय उद्दीपक
- सूचना से सम्बंधित उद्दीपक जोकि वाणी का हिस्सा नहीं हो
- वाणी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उद्दीपक

सम्पूर्ण सम्प्रेषण (Total Communication)

१९७० से मौखिक प्राविधि अनुदेशन से सम्पूर्ण सम्प्रेषण अनुदेशन निम्नलिखित कारको की वजह से प्रयोग में लाया जाने लगा है जोकि काफी तर्कसंगत है।

- कुछ अध्ययनों में श्रोता माता-पिता के श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, लेखन, पठन, तथा सामाजिक परिपक्वता श्रवण बाधित माता-पिता के श्रवण बाधित बालकों से उत्तम पाई गई।
- मात्र-मौखिक विधि की प्रभाविता के प्रति असंतोष

सांकेतिक प्रणाली(Sign System)

यह प्रणाली शारीरिक प्रविधि का एक प्रकार है जिसका प्रयोग सम्पूर्ण सम्प्रेषण उपागम में किया जाता है। इसके अंतर्गत ऊँगली-वर्तनी तथा शाब्दिक कूटों के माध्यम से सम्प्रेषण स्थापित किया जाता है। उँगली-वर्तनी विभिन्न भाषाओँ में विकसित कर ली गयी है तथा श्रवण ह्रास ग्रसित बालकों में सम्प्रेषण स्थापित करने का मुख्य साधन है।

प्रशासनिक व्यवस्था(Administrative Arrangements)

श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों को उनकी अक्षमता की तीव्रता के अनुसार नियमित विद्यालयों से लेकर विशेष विद्यालायों की आवश्यकता होती है। ज्यादातर बालकों का सही आंकलन नहीं हो पाता जिससे बालकों को उपयुक्त

शैक्षिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं हो पाता। कुछ विशेषज्ञों का दृष्टिकोण एवं समझ भी ऐसे बालकों को उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध करने में असफल रहा है। कुछ लोंगो का यह विचार है कि बधिर-संस्कृति में ही बालक ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है तथा मुख्य-धारा इनके लिए संभव नहीं है।

प्रौद्योगिकीय तरक्की (Technological Advances)

प्रौद्योगिकी तरक्की से श्रवण ह्रास के क्षेत्र में भी अद्भुत परिवर्तन हुआ तथा श्रवण ह्रास बालकों का जीवन उत्कृष्ट हुआ है। मुख्यतः निम्नलिखित चार क्षेत्रों में यह तरक्की अवलोकित होती है-

- कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन,
- दूरदर्शन,
- दूरभाष, तथा
- श्रवण-यंत्र

कंप्यूटर आधारित अनुदेशन(Computer Assisted Instruction)-

कंप्यूटर की सहायता से शब्द तथा वाणी से युक्त सूचनाओं को अधिक से अधिक दृश्य सुचनाओं में परिवर्तित करके बालको के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेर विकसित हुए है जो वाणी को दृश्य रूप या सांकेतिक रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों को इस प्रकार के तकनीकी के प्रशिक्षण की जरूरत है।

दूरदर्शन(Television)- दूरदर्शन शिक्षा तथा सूचना प्राप्त करने का का एक सशक्त माध्यम है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक को भी इस माध्यम से पूर्ण लाभ मिले इसके लिए अब दूरदर्शन पर समाचार आदि को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित किया जा रहा है। अन्य कार्यक्रमों में भी लिखित पट्टियां ध्वनि की कमीं को पूरा करती हैं। श्रवण ह्रास बालकों को भी ऐसे कार्यक्रमों से लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है।

दूरभाष(Telephone)- दूर-टंकण-यन्त्र(Teletypewriter i.e. TTY) का विकास श्रवण ह्रास बालकों/व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जोकि एक दूरभाष यन्त्र से जुड़ता है तथा एक श्रवण ह्रास व्यक्ति को दुसरे श्रवण ह्रास व्यक्ति से, जो की TTY रखा हो टंकण के माध्यम से सम्प्रेषण स्थापित करने में सहयोग प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है की यह सामान्य व्यक्ति से सम्प्रेषण में उपयोगी नहीं है। आजकल स्मार्ट फ़ोन आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है।

श्रवण यन्त्र(Hearing Aids)- कई प्रकार के श्रवण यन्त्र श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध है। बालकों को उनकी जरूरतों के अनुसार श्रवण यन्त्र उपलब्ध करने की जरूरत होती है ताकि वे शेष श्रवण क्षमता का प्रयोग कर सकें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के श्रवण यन्त्र आवश्यकता के अनुसार उपयोग किये जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न

11. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की भाषा एवं वाणी सम्बन्धी समस्याओं का उल्लेख करें?
12. श्रवण ह्रास के कारण बौद्धिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
13. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सम्बन्धी समस्याओं का वर्णन कीजिए?
14. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों में सामाजिक समायोजन से सम्बंधित क्या-क्या समस्याएं आती हैं? लिखें?
15. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों के प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बंधित आवश्यकताओं का उल्लेख करें?

4 .3.4 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ

भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याएं दोष की तीव्रता एवं उसके प्रकार पर निर्भर करता है। कई बार कई समस्याओं का संयोग भी मिलता है जिन्हें निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

उच्चारण-दोष(Articulation Disorder): इस दोष में बालक कुछ विशेष शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई महसूस करता है। कुछ अक्षरों को छोड़कर शब्दों को पढता है। कई बार कुछ शब्दों को जोड़कर शब्दों को पढता है तथा कई अक्षरों को बदलकर शब्दों को पढता है। इसकारण बालक सम्प्रेषण में कमजोर साबित होता है तथा अन्य लोग इसे समझ नहीं पाते।

प्रवाह(Fluency): प्रवाह से तात्पर्य वाणी के प्रवाह से है। बालक में यह प्रवाह की समस्या 'हकलाना' कहलाती है। बालक कुछ शब्दों को बोलने में अधिक समय लेता है या एक शब्द के कुछ अक्षरों को कई बार दुहराता है या कुछ शब्दों को बोलने में झिझकता है। चेहरे, गर्दन, कन्धों या मुट्ठियों में तनाव भी देखने को मिलता है।

आवाज(Voice): वाणी-दोष से ग्रसित बालक की आवाज में तारत्व, अनुनाद, गुणवत्ता एवं उच्चता की समस्याएं पाई जातीं हैं। आवाज में कर्कशता, मोटी आवाज, या आवाज में रूखापन होना आदि से बालक समस्याग्रस्त रहता है।

भाषा(Language):भाषा-दोष के रूप में बालक को दो अलग-अलग या संयुक्त रूप से निम्नवत समस्याए हो सकती है-

- ✓ बालक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में या
- ✓ दूसरों के विचारों के अर्थापन करने में

बालक शब्द को देख या सुन सकता है लेकिन उसे समझाने में अक्षम होता है। या दूसरों से सम्प्रेषण स्थापित करने में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या आ जाती है। बालक की ये समस्याएं स्वलीनता, या अधिगम अक्षमता की समस्याओं के सामान हैं जिससे इनकी पहचान हेतु एक कुषाण भाषा-रोग शास्त्री की जरूरत होती है।

आवश्यकताएं(Needs): सम्प्रेषण कौशल किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का ह्रदय होता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक को विशेष शिक्षा सेवाओं तथा सम्बंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे बालको की आवश्यकता एवं अक्षमता की तीव्रता के आधार पर कई प्रकार की शैक्षिक सेवाओं की जरूरत पढ़ती है। विशेष शिक्षा सेवा एवं

सम्बंधित सेवा का नियोजन एवं क्रियान्वयन वैयक्तिक शिक्षा योजना (Individualized Education Programme) एवं बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।
ज्यादातर बालकों को भाषा एवं वाणी-रोगशास्त्र सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये सेवाएं निम्नलिखित को शामिल करती हैं-

- भाषा-दोष से ग्रसित बालको की पहचान करना,
- विशिष्ट भाषा-दोषों का निदान,
- चिकित्सकीय या अन्य व्यावसायिक सलाह,
- भाषा एवम् वाणी सेवाओं का प्रावधान,
- भाषा-दोष से ग्रसित बालकों, उनके माता-पिता, सम्बंधित शिक्षकों का परामर्श एवं निर्देशन,

सहायक प्रौद्योगिकी(Assistive Technology): जिन भाषा-दोष वाले बालकों में भौतिक परिस्थितियां सम्प्रेषण को कठिन बना देतीं हैं, उनमें सहायक प्रौद्योगिकी बहुत अधिक उपयोगी है। वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम के अनुसार बालक इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण या अन्य यंत्रों के प्रयोग से लाभ प्राप्त करता है। सहायक प्रौद्योगिकी बालक के अपने अधिगम का प्रदर्शन करने, कक्षा- कार्य को संपन्न करने, तथा अपने विचारों को साझा करने में सहयोग प्रदान करती है।

अभ्यास प्रश्न

16. भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याओं को सूचीबद्ध करें?
17. भाषा-दोष से ग्रसित बालकों की आवश्यकताओं का उल्लेख करें?

4 .4 सारांश

विशिष्ट बालकों के सामान्य बालकों से विचलन की वजह से कई प्रकार की समस्याए आ जाती हैं जिससे इन बालकों का समायोजन एवम् शिक्षा प्रभावित होती है। विशिष्ट बालकों का सामान्य बालकों से विचलन कई समस्याओं को जन्म देता है जैसे: अवधान क्षमता, स्मृति, भाषा विकास, समायोजन क्षमता, व्यवहार कुशलता, अपने वातवरण में उन्मुक्त विचरणशीलता आदि। इन बालकों की समस्याएँ इनकी विचलन की दिशा व मात्रा पर निर्भर करती है।

प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक हर क्षेत्र में- बुद्धि में, शारीरिक क्षमता में, शरीरिक बनावट में, सामाजिक कुशलता में, उपलब्धि में, सांवेगिक स्थायित्व में उत्कृष्ट होते हैं। समूह के अन्य सदस्यों से प्रतिभाशाली बालक कई विशेषताओं में उत्कृष्ट होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ऐसे बालक खेलकूद आदि क्रियाकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपने आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। उनकी सीखने की गति अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक हमेशा खुश रहते हैं तथा अपने समूह के नेता होते हैं। ज्यादातर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक सांवेगिक रूप से स्थाई होते हैं तथा किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता के होने की संभावनाओं से दूर होते हैं। इन बालकों में सामाजिक न्याय एवं सही-गलत की

अच्छी समझ होती है। ये बालक नैतिक व्यवहार एवं नातिक मूल्यों को धारण करने में भी सामान्य बालकों से उत्कृष्ट होते हैं।

प्रतिभाशाली बालकों के शारीरिक विकास के अनुसार इन बालको को नए एवं अधिक चुनौतीपूर्ण खेलों में शामिल करने की आवश्यकता होती है। कुछ सामान्य नियमित खेलों में भी नियमों में परिवर्तन करके उन्हें आकर्षक बनाने की जरूरत होती है।

इन बालकों की शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जरूरत होती है। पाठ्यक्रम को अधिक समृद्ध करने की आवश्यकता होती है। नए शिक्षण व्यूह आदि की सहायता से कक्षाओं को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाना होता है। इन बालकों के शैक्षिक रुचियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं पाठ्यचर्या का समृद्धिकरण की आवश्यकता होती है। विस एवं गालाघर (Weiss & Gallaghar, 1982) ने पाठ्यचर्या के समृद्धिकरण हेतु सात प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव दिया है-

- कक्षा का समृद्धिकरण
- सलाहकार शिक्षक कार्यक्रम
- संसाधन कक्ष
- सामुदायिक परामर्शदाता कार्यक्रम
- स्वाध्याय कार्यक्रम
- विशिष्ट कक्षा
- विशेष विद्यालय

मानसिक मंद बालको की तुलना सामान्य बालकों से की जाती है। मानसिक मंद बालकों में परिलक्षित संज्ञानात्मक एवम् व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ इस प्रकार हैं-

मानसिक मंद बालकों की सबसे बड़ी व स्पष्ट समस्या "सीखने की क्षमता" में कमी है। कई ऐसी संज्ञानात्मक समस्याएँ हैं जिसमे बालक की मानसिक मंदता प्रदर्शित होती है। शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक मंद बालकों को निम्नवत चार संज्ञानात्मक क्षेत्रों में समस्याएँ होतीं हैं-

- अवधान(Attention)
- स्मृति(Memory)
- भाषा(Language)
- शिक्षा(Academics)

मानसिक मंद बालकों में सामजिक व सांवेगिक समस्याएँ विविधता में पायीं जाती हैं। विशेषतः ये बालक मित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं तथा आत्म-संप्रत्यय का आभाव होता है। इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं कि इन्हें मित्रों की आवश्यकता नहीं होती या इन्हें प्रेम, बांधुत्व, आदि से कोई सरोकार नहीं होता बल्कि ये बालक समाज या परिवार से कट जाने के कारण आने वाली समस्याओं के चलते मित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। मानसिक मंद बालक की

संज्ञानात्मक समस्याओं का कारण बुद्धि-लब्धि स्थाई समस्या है जिससे जनित आवश्यकताओं- अवधान क्षमता का विकास, स्मृति का विकास, भाषा विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि में विकास करना मानसिक मंद बालकों की मुख्य संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं।

दृष्टि बाधिता के कारण बालक को कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक समस्याएँ आ जाती हैं। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि दृष्टि बाधा भाषा विकास में सार्थक प्रभाव नहीं डालती। भाषा विकास दृष्टि के बजाय श्रवण पर ज्यादा निर्भर करती है। दृष्टि बाधिता की वजह से ऐसे बालक श्रवण क्षमता में सामान्य बालकों की अपेक्षा सुनने के लिए अधिक प्रेरित रहते हैं क्योकि बालक के लिए श्रवण ही सम्प्रेषण का मुख्य माध्यम होता है। इस प्रकार दृष्टि अक्षम बालक भाषा विकास की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न नहीं होते।

दृष्टि अक्षम बालक सामान्य बालकों की तुलना में संप्रत्ययात्मक विकास में कुछ पीछे होते हैं(स्टेफेन & ग्रूब, १९८२)। दृष्टि अक्षम बालक एवं सामान्य बालक की संप्रत्ययात्मक क्षमता में अंतर उनके स्पर्शीय अनुभव एवं दृश्य अनुभव के अंतर की वजह से होता है। चलिष्णुता अपने वातावरण से समायोजन करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। दृष्टि अक्षमता से सबसे ज्यादा बालकों की चलिष्णुता प्रभावित होती है। फलस्वरूप बालक की वातावरण से अंतःक्रिया प्रभावित हो जाती है।

यह एक प्रकार का अन्धविश्वास है कि दृष्टि के बदले ऐसे बालको में अन्य इन्द्रियों में अधिक तीक्ष्णता आ जाती है या छठी इंद्री विकसित हो जाती है। जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। बालक अपनी अक्षमता की वजह से सुचनाये प्राप्त करने में कमी को पूरा करने के लिए अन्य इन्द्रीओं का प्रयोग अधिक तत्परता एवं अवधान के साथ करता है।

कुछ अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि दृष्टि अक्षम बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत कम होती है(Suppes, 1974)। दृष्टि अक्षम बालकों में व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ समाज के दृष्टिकोण एवं व्यवहार की वजह से आती हैं न कि दृष्टि बाधिता में निहित होती हैं। दृष्टि अक्षम बालकों में कुछ सामाजिक कौशलों की कमी आ जाती है जैसे- मुख के हाव-भाव, वाणी एवं शारीरिक गति आदि क्योंकि ये कौशल बालक अपने से बड़ो को देखकर अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अर्थात सामान्य बालक ये कौशल दृष्टि की सहायता से सीखते हैं। वहीँ दृष्टि अक्षम बालक इन कौशलों को सीखने में पीछे रह जाते हैं। जबकि एक कुशल प्रशिक्षक इन सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें सीखा सकता है। कुछ दृष्टि अक्षम बालकों के अच्छे समायोजन में सबसे बड़ी बाधा उनका एकरूप व्यवहार(Stereotypic behaviour) है। ये एकरूप व्यवहार दृष्टि अक्षम बालकों के आवृति युक्त गति/व्यवहार जैसे- हिलना, आँखें मलना, झूमना आदि हैं।

दृष्टि अक्षम बालकों में अपने वातावरण सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का मुख्य स्रोत दृष्टि की कमी के कारण बालकों का अनुभव सिमट जाता है। ऐसे में सामान्य वातावरण में बालक की कठिनाइयाँ अधिक हो जाती हैं। बालक की कठिनाइयों के कारण सामान्य बालकों की तुलना में बालक की आवश्यकताए भिन्न हो जाती हैं। बालक की मुख्यतः चार आवश्यकताएं निम्नवत इस प्रकार हैं-

- ब्रेल
- शेष दृष्टि का प्रयोग

- श्रवण कौशल
- अनुस्थिति एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण

ऐसे बालकों के उचित समायोजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिक प्रयास की जरूरत है। उपयुक्त शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण सहायक यन्त्र, जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाने हेतु यन्त्र, सामाजिक चेतना जागरण आदि आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रशासन के पूरे सहयोग एवं दृढ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। हालाँकि बहुत से प्रयास जारी हैं। जैसे समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, सहायक यंत्रों की खरीद हेतु आर्थिक सहायता, आरक्षण आदि प्रयास सराहनीय हैं। इसके बावजूद अभी एक लम्बी दूरी तय की जानी बाकी है।

इस भाषा-आधारित समाज में श्रवण ह्रास से ग्रसित व्यक्ति को अधिक हानि पहुंचती है। बालक या व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं से जूझता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक को ध्वनि का कोई संप्रत्यय ही नहीं होता है जिससे बालक अपने समाज से अन्तः क्रिया करने में अक्षम हो जाता है। फलस्वरूप भाषा एवं वाणी का विकास बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है।

श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की बौद्धिक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि बालक और श्रोता-समाज के मध्य सम्प्रेषण कम होने से कुछ सम्प्रत्यात्मक जटिलताएं या सम्प्रत्ययीकरण की समस्याएँ बालक में रह जाती हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कम होती है क्योंकि इन बालकों की पठन क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होती है जोकि बालक की उपलब्धि का एक मुख्य घटक है। सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास बालक और समाज के मध्य सम्प्रेषण पर निर्भर करता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक समाज से कट सा जाता है तथा बालक एक प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। इन बालकों में सामान अक्षमता वाले बालकों के साथ दोस्ती अच्छी होती है।

श्रवण ह्रास वाले बालकों की सबसे बड़ी समस्या सम्प्रेषण स्थापित करने में अक्षमता है। सम्बंधित शिक्षकों के लिए सम्प्रेषण स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होती है। सम्प्रेषण की समस्या को दूर करने हेतु इन बालकों को कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेषतः दो प्रकार के प्रशिक्षण श्रवण ह्रास व्यक्तियों की समस्याओं को हल कर पाते हैं- मौखिक प्राविधि तथा शारीरिक प्रविधि। इन दोनों प्रविधियों को लेकर विशेषज्ञों में विवाद रहा है। किन्तु अब सम्पूर्ण सम्प्रेषण उपागम को ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है।

श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों को उनकी अक्षमता की तीव्रता के अनुसार नियमित विद्यालयों से लेकर विशेष विद्यालायों की आवश्यकता होती है। ज्यादातर बालकों का सही आंकलन नहीं हो पाता जिससे बालकों को उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं हो पाता। कुछ विशेषज्ञों का दृष्टिकोण एवं समझ भी ऐसे बालकों को उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध करने में असफल रहा है। कुछ लोंगो का यह विचार है कि बधिर-संस्कृति में ही बालक ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है तथा मुख्य-धारा इनके लिए संभव नहीं है।

प्रौद्योगिकी तरक्की से श्रवण ह्रास के क्षेत्र में भी अद्भुत परिवर्तन हुआ तथा श्रवण ह्रास बालकों का जीवन उत्कृष्ट हुआ है। मुख्यतः निम्नलिखित चार क्षेत्रों में यह तरक्की अवलोकित होती है-

- कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन,
- दूरदर्शन,
- दूरभाष, तथा
- श्रवण-यंत्र

भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याएं दोष की तीव्रता एवं उसके प्रकार पर निर्भर करता है। कई बार कई समस्याओं का संयोग भी मिलता है।

उच्चारण-दोष में बालक कुछ विशेष शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई महसूस करता है। कुछ अक्षरों को छोड़कर शब्दों को पढता है। कई बार कुछ शब्दों को जोड़कर शब्दों को पढता है तथा कई अक्षरों को बदलकर शब्दों को पढता है। इस कारण बालक सम्प्रेषण में कमजोर साबित होता है तथा अन्य लोग इसे समझ नहीं पाते। बालक में यह प्रवाह की समस्या 'हकलाना' कहलाती है। बालक कुछ शब्दों को बोलने में अधिक समय लेता है या एक शब्द के कुछ अक्षरों को कई बार दुहराता है या कुछ शब्दों को बोलने में झिझकता है। चेहरे, गर्दन, कन्धों या मुठ्ठियों में तनाव भी देखने को मिलता है।

वाणी-दोष से ग्रसित बालक की आवाज में तारत्व, अनुनाद, गुणवत्ता एवं उच्चता की समस्याएं पाई जातीं हैं। आवाज में कर्कशता, मोटी आवाज, या आवाज में रूखापन होना आदि से बालक समस्याग्रस्त रहता है।

भाषा-दोष के रूप में बालक को दो अलग-अलग या संयुक्त रूप से निम्नवत समस्याए हो सकती है-

- बालक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में या
- दूसरों के विचारों के अर्थापन करने में

बालक शब्द को देख या सुन सकता है लेकिन उसे समझाने में अक्षम होता है। या दूसरों से सम्प्रेषण स्थापित करने में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या आ जाती है। बालक की ये समस्याएं स्वलीनता, या अधिगम अक्षमता की समस्याओं के सामान हैं जिससे इनकी पहचान हेतु एक कुशल भाषा-रोग शास्त्री की जरूरत होती है।

सम्प्रेषण कौशल किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का ह्रदय होता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक को विशेष शिक्षा सेवाओं तथा सम्बंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे बालको की आवश्यकता एवं अक्षमता की तीव्रता के आधार पर कई प्रकार की शैक्षिक सेवाओं की जरूरत पढ़ती है। विशेष शिक्षा सेवा एवं सम्बंधित सेवा का नियोजन एवं क्रियान्वयन वैयक्तिक शिक्षा योजना (Individualized Education Programme) एवं बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

ज्यादातर बालकों को भाषा एवं वाणी-रोगशास्त्र सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये सेवाएं निम्नलिखित को शामिल करती हैं-

- भाषा-दोष से ग्रसित बालको की पहचान करना।
- विशिष्ट भाषा-दोषों का निदान।
- चिकित्सकीय या अन्य व्यावसायिक सलाह।
- भाषा एवम् वाणी सेवाओं का प्रावधान।
- भाषा-दोष से ग्रसित बालकों, उनके माता-पिता, सम्बंधित शिक्षकों का परामर्श एवं निर्देशन।

जिन भाषा-दोष वाले बालकों में भौतिक परिस्थितियां सम्प्रेषण को कठिन बना देतीं हैं, उनमें सहायक प्रौद्योगिकी बहुत अधिक उपयोगी है। वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम के अनुसार बालक इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण या अन्य यंत्रों के प्रयोग से लाभ प्राप्त करता है। सहायक प्रौद्योगिकी बालक के अपने अधिगम का प्रदर्शन करने, कक्षा- कार्य को संपन्न करने, तथा अपने विचारों को साझा करने में सहयोग प्रदान करती है।

4 .5 शब्दावली

1. संज्ञानात्मक- मानसिक प्रक्रियाओं- अवधान, स्मृति, तर्क आदि से सम्बंधित।
2. अवधान- एक उद्दीपन को चयन कर केन्द्रण करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया।
3. स्मृति- एक प्रक्रिया जिसमे सूचना का संकेतन, संचयन तथा प्रत्यास्मरण होता है।
4. व्यक्तित्व- व्यक्ति के अनुवांशिक एवं वातावरण के अंतक्रिया का समग्र उत्पाद।
5. सम्प्रत्यात्मक क्षमता- संप्रत्यय निर्माण की क्षमता।
6. चलिष्णुता- एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करना।
7. ब्रेल- दृष्टि अक्षम बालकों के पढने व लिखने की स्पर्शीय लिपि।
8. समायोजन- आवश्यकता तथा आवश्यकता की पूर्ति के मध्य संतुलन बनाने की प्रक्रिया।
9. उच्चारण- ध्वनि उत्पन करने में जिह्वा, होंठ, जबड़ों आदि की गति।

4 .6 संदर्भ ग्रंथ सूची

मंगल. एस० के०(२००८). *शिक्षा मनोविज्ञान.* पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

संजीव के.(२००८). *विशिष्ट शिक्षा.* जानकी प्रकाशन, पटना.

Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children.* Atlantic Publishers, New Delhi.

Hallahan, Daniel P.(1991). *Exceptional Children: Introduction to Special Education.* Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey.

4 .7 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. मंगल. एस० के०(२००८). *शिक्षा मनोविज्ञान.* पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
2. संजीव के.(२००८). *विशिष्ट शिक्षा.* जानकी प्रकाशन, पटना.
3. Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children.* Atlantic Publishers, New Delhi.

4. Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.

4.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का वर्णन कीजिये।
   Elaborate needs and problems of Gifted and Talented children.
2. मानसिक मंद बालकों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करें। इनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें।
   Enumerate various problems of mentally retarded children. Elaborate their needs.
3. दृष्टि अक्षम बालकों की समस्याओं पर प्रकाश डालें तथा उनकी आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।
   Elaborate problems of children with vision impairment and describe needs of them.
4. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की क्या-क्या समस्याएँ होती हैं? इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए।
   What are the problems of children with hearing impairment? Suggest measures to overcome it.
5. भाषा-दोष से ग्रसित बालकों की समस्याओं की विवेचना करें तथा इनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें।
   Discuss problems of children with speech defects. Elaborate their needs.

इकाई 5 विशेष शिक्षा के संप्रत्यय एवं कार्य क्षेत्र (Concept and Scope of Special Education)

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 विशेष शिक्षा: संप्रत्यय
5.4 परिभाषा
5.5 विशिष्ट शिक्षा का विकास
5.6 विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र
5.7 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता
5.8 विशिष्ट बालकों के प्रकार
5.9 विशिष्ट शिक्षा के लाभ
5.10 सारांश
5.11 शब्दावली
5.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
5.13 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना(Introduction)

विशिष्ट शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय, परिवार, समाज के अनुकूल समायोजित करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे अपनी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके।

प्रस्तुत इकाई में आप विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, इसके उद्देश्य, आवश्यकता, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय विकास, कार्यक्षेत्र एवं इससे होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगें।

5.2उद्देश्य(Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप -

1. विशिष्ट शिक्षा का अर्थ बता सकेंगे एवं परिभाषित कर सकेंगे।
2. विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्र को बता सकेंगे।
3. विशिष्ट शिक्षा के आवश्यकता को बता सकेंगे।
4. विशिष्ट शिक्षा से होने वाले लाभों को बता सकेंगे।
5. विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय विकास के बारे में बता सकेंगे ।

5.3 विशिष्ट शिक्षा

विशिष्ट शिक्षा (Special Education) शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अन्तर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक मानसिक और समाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती है यही कारण है कि इनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक (Children with special needs) भी कहा जाता है। ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते। अत: इनकी सहायता के लिए तथा इनको सक्षम बनाने के लिए, विद्यालय, परिवार, समाज और परिवार में समायोजन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में स्वयं समर्थ हो सकें। इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अत: कहा जा सकता है कि "विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है जिससे शैक्षणिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।" अत: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा की विशिष्ट शिक्षा कहते हैं।

5.4परिभाषाएँ (Definitions)

विशिष्ट शिक्षा, शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध विशिष्ट बालकों के शिक्षा एवं उनके समस्याओं से है। इस तरह कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट बालकों के शिक्षा से संबंध समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। इस मूल तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ शिक्षाशास्त्रियों द्वारा विशिष्ट शिक्षा की दी गई परिभाषाओं को इस प्रकार उद्धृत कर सकते हैं-

किर्क के अनुसार (1962):- " 'विशिष्ट शिक्षा' शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता।"

हल्लहन और कॉफमैन के अनुसार:- "विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किये गये साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है।"

विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार:- "विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया अनुदेशन है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसमें वर्ग कक्ष अनुदेशन गृह अनुदेशन एवं अस्पतालीय एवं संस्थानीय अनुदेशन भी शामिल है"

उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें विशेष शिक्षा (विशिष्ट शिक्षा) का अर्थ एवं स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं:-

1. विशेष शिक्षा विशिष्ट बालकों जैसे- दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अनुदेशन है।
2. विशेष शिक्षा में विशेष साधनों जैसे- ब्रेल, एवेकस, Sign Language, ट्रेलर फ्रेम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।
3. इसमें कुछ विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है।
4. यह अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए ही लाभप्रद होती है न कि सामान्य बालकों के लिए।

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा को परिभाषित कीजिये ?

5.5 विशिष्ट शिक्षा का विकास

अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य(International Perspectives)

i. पश्चमी देशों(western countries) में प्राग एतिहासिक(Pre historic period) काल में विकलांग बच्चों को जन्म के समय अथवा शैशववस्था में मार दिया जाता था। इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12 वी शताब्दी में सबसे पहले विशिष्ट बालकों के लिए कानून का निर्माण किया था।

ii. सोलहवीं शताब्दी के प्रारंम्भ में पश्चमी देशों में बधिरों के नियमित शिक्षक प्रशिक्षण के जरिये विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत हुई।

iii. 1555 ई० में स्पेन के महात्मा पेड्रो पाँस डी लियोन ने पहली बार श्रवण वधितों के लिए शिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए।

iv. पैब्लो बोनेट ने वर्ष 1620 ई० में बधिरों के शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होने हस्त मैनुअल अल्फबेट का विकास किया।

v. 1680 ई० में जार्ज डालगार्णो ने ' मूक और बधिर लोगों के अध्यापक' नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होने बधिरों की शिक्षा हेतु अनुदेशनात्मक विधियों के विकास पर प्रकाश डाला गया।

vi. थॉमस ब्रेड बूड ने 1767 ई० में श्रवण वाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में की।

vii. दृष्टि बधितों के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की शुरुआत वेलेंटाएन हौवे के द्वारा फ्रांस मे किया गया।

viii. फ्रांसीसी चिकित्सक जिन मार्क इटार्ड ने 1800 ई० में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्थित शिक्षा की शुरुआत की।

ix. 1975 ई० में अमेरिका में 'सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम' या लोक कानून पास हुआ। इस अधिनियम के तहत तीन से इक्कीस वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं युवाओं को नि: शुल्क समान एवं समुचित शिक्षा मुहैया करना अनिवार्य कर दिया।

x. 1990 ई० में इंडिभिजुअल्स विथ डिसएविलिटीज एडुकेशन एक्ट (IDEA) अमेरिका में बना।

भारतीय परिपेक्ष्य –संवैधानिक प्रावधान **(constitutional Provisions)**

i. अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूल, जाति और भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता।

ii. अनुच्छेद 45 में सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है।

iii. अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि राज्य कानूनन निर्धारित पद्धति से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि: शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

कोठारी आयोग

i. कोठारी आयोग के अनुसार एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों कि आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिए उसे तैयार करे। इसलिए यह आवश्यक है कि विकलांग बच्चों कि शिक्षा सामान्य प्रणाली का ही एक अविच्छिन अंग हो। अंतर केवल बच्चे को पढ़ने कि विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों में होगा।
ii. कोठारी आयोग कि अनुशंसा के आधार पर 1974 में कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षा योजना का शुभारंभ किया।
iii. 1975 ई० में कल्याण मंत्रालय नें "विकलांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना " कि शुरुआत ,
iv. वर्ष 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आई०ई० डी० सी० योजना में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के नि: शक्त युवाओं को शामिल करके " नि:शक्त बच्चों और युबाओं के लिए समवेशी शिक्षा " योजना का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy,1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि "शिक्षा सबके लिए तभी मायने रखती है जब विकलांग बच्चों को भी शिक्षा का अवसर दिया जाय।" इस नीति के तहत विकलांग बच्चों कि शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गए।

1. जहां तक भी व्यावहारिक है कर्मेन्द्रिय दोषों और मामूली नि:शक्तता ग्रस्त बच्चों कि शिक्षा दूसरे बच्चों के साथ होगी।
2. गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जहां तक संभव हो, जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों से युक्त विशेष विद्यालयों कि व्यवस्था कि जाय।
3. गंभीर बच्चों की विशेष कठिनाइयों का सामना करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्य क्रमों को नई दिशा दी जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान (Sarv Shiksha Abhiyan)

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 में किया गया था। सर्वशिक्षा अभियान आरंभिक शिक्षा के सर्वजनिकरण की केंद्र प्रायोजित एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सभी बस्तियों को स्कूली सुविधा,शतप्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्धि स्तर प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005 तक सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, 'बैक टू स्कूल' शिविर आदि उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा था।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 (Person with Disability Act, 1995)- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय – 5 में विकलांग बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के धारा (क) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विकलांग बालकों को 18 वर्ष कि आयु प्राप्त कर लेने

तक उचित वातावरण में नि: शुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। वे विकलांग बालकों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण के संवर्धन का प्रयास करेंगे। उसके लिए जिन्हें विशेष शिक्षा कि आवश्यकता है, सरकारी और प्राइवेट सैक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिनसे देश के किसी भाग में रह रहे विकलांग बालकों की ऐसी विद्यालयों में पहुँच हो।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (National Trust Act- 1999)- राष्ट्रीय न्यास का उद्देश्य विकलांग व्यतियों के परिवारों को सशक्त बनाना है ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को परिवार में रख सकें। न्यास विकलांग व्यक्तियों और उसके परिवारों को राहत एवं कई अन्य तरह के सेवाएँ प्रदान करती है। ये सेवाएँ संस्थानिक देख रेख एवं घरों के जरिये मुहैया कराई जाती है।

अभ्यास प्रश्न

2. विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हुये विकास का वर्णन अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में करें।
3. भारतीय परिपेक्ष्य में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हुये विकासों का वर्णन करें।

5.6विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र(Scope of Special Education)

विशिष्ट बालकों एवं उनके व्यक्तिव से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके विषय वस्तु के अंर्तगत विशिष्ट बालकों के पहचान उनकी शिक्षा, निर्देशन, निदान उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया जाता है-

- दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा
- दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा
- मानसिक मंद बालकों की शिक्षा
- अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा
- बहुविकलांग बालकों की शिक्षा

s

विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र(Scope of Special Education)

पहचान (Identification):- विशिष्ट बालकों की पहचान करना विशिष्ट शिक्षा की मुख्य विषयवस्तु है। इसके अन्तर्गत दृष्टिवाधित श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम, बुद्धिमान बालकों की पहचान इनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। यद्यपि इन बालकों को पहचान करने के लिए अलग-अलग तरह के यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दृष्टि बाधित बालकों को पहचान करने के लिए स्नैलेन चार्ट, श्रवण बाधितों के लिए ऑडियोमीटर, मानसिक मंद बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है।

- दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा:- दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक भी दो प्रकार के होते हैं- पूर्ण दृष्टिबाधित एवं अलप दृष्टि वाले बालक। विशिष्ट शिक्षा के अर्न्तगत इन बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएँ जैसे- ब्रेल, एवेकस, ट्रेलर फ्रेम, परिवर्धित मानचित्र के बारे में अध्ययन किया जाता है।
- श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा:- विशिष्ट शिक्षा, शिक्षाशास्त्र की एक शाखा के जिसके अर्न्तगत श्रवण बाधित बालकों की पहचान, उनके प्रकार, शिक्षा, शिक्षा की विधि श्रवण बाधिता के कारण उसके परिणाम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इनके शिक्षण विधि में ओष्ठ पठन फिंगर स्पेलिंग, संकेत भाषा, स्पीच रीडिंग आदि प्रमुख है। विशेष शिक्षा के अर्न्तगत इन सभी शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है।

- मानसिक मंद बालकों की शिक्षा:- मानसिक रूप से मंद बालक एक विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं। इसके अर्न्तगत वे बालक आते हैं जिनको बुद्धि स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों की मानसिक बाधिता के परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं। इन बालकों की पहचान, मानसिक मंदता के कारण, मानसिक मंद बालकों के प्रकार, उनकी शिक्षा एवं ऐसे बालकों की समस्याओं का अध्ययन विशिष्ट शिक्षा में किया जाता है।
- अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा:- अधिगम अक्षम वैसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि अन्य सामान्य बालकों के समान होती है। लेकिन ऐसे बालकों को पढ़ने-लिखने, गणितीय क्रियाओं में कठिनाई होती है। इनकी शिक्षण विधि भी सामान्य बालकों से अलग होता है। विशिष्ट शिक्षा के अर्न्तगत ऐसे बालकों की समस्या एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है।
- बहुविकलांग बालकों की शिक्षा:- विशिष्ट शिक्षा के द्वारा वैसे बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है जो बहुविकलांग होते हैं। बहुविकलांग वैसे बालक होते हैं, जो एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षण में कई परेशानियॉ होती है।

  व्यवहार का अध्ययन:- विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इन व्यवहारों के आधार पर इनके शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है।

  व्यक्तित्व विकास का अध्ययन:- इसके अर्न्तगत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तिव विकास की प्रक्रिया, निर्धारक एवं प्रभावक कारकों का अध्ययन किया जाता है।

  मापन एवं मूल्यांकन:- विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन तथा मूल्यांकन पर भी जोड़ डालते हैं। शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिरूचि, मनोवृत्ति, अभिक्षमता की माप किया जाय तथा उसकी उपलब्धियों का सही-सही मूल्यांकन किया जाय। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा इस तरह के मापन एवं मूल्यांकन के अध्ययन पर विशेष बल डाला जाता है, ताकि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद हो सके।

  निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य:- विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र में निर्देशन तथा शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की प्रधानता बताई गई है। विशिष्ट बालकों को निर्देशन तीन स्तर पर दिये जाते हैं- वैयक्तिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन। विशिष्ट शिक्षक इन तीनों प्रकार के निर्देशनों का उचित प्रबंध करके शिक्षार्थियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुकूलन समायोजन में मदद करता है। इतना ही नहीं विशिष्ट शिक्षा के द्वारा शिक्षक विशिष्ट बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं।

  सीखने की परिस्थिति:- मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की परिस्थिति बालकों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करता है। इसमें शिक्षक की मनोवृत्ति (Attitude), वर्ग या कक्षा की परिस्थिति, विद्यालय की सांवेगिक आवोहवा आदि को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इन सब कारकों से सीखने की परिस्थिति का निर्माण होता है। जब सीखने की परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें बालकों की मनोवृत्ति अनुकूल होती है, वर्ग में विशिष्ट बालकों को बैठने की आरामदेह जगह होती है, कमरा साफ सुथरा होता है, रोशनी की व्यवस्था अच्छी होती है, व विद्यालय में अधिक कोलाहल नहीं होता है तो शिक्षा अधिक लाभप्रद एवं अर्थपूर्ण होती है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र में इस तथ्य का भी पता लगाना है कि विद्यालय का वातावरण कैसा है।

उपचार:- विशिष्ट बालकों को समय-समय पर अनेक तरह के स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इन विशेषज्ञों में ऑडियोलॉजिस्ट, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, ह्रियरिंग एवं इयर मोल्ड टैक्नीशियन, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, रिहैविलिटेशन साइकोलाजिस्ट हैं। इन सभी विशेषज्ञों का कार्य विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आता है।

पुनर्वास:- विशिष्ट शिक्षा का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक, व्यावसायिक, मानसिक रूप से पुनर्वासित करना है। पुनर्वास से तात्पर्य विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक, सांवेगिक, बौद्धिक, मनोचिकित्सकीय अथवा समाजिक क्षेत्र में जिसमें भी सम्बद्ध विकलांगता के कारण, व्यक्ति विकलांगता के कारण पिछड़ा हो तो पुनर्वास प्रक्रिया के द्वारा वह व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अधिकतम स्तर को प्राप्त कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न

4. विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्रों का वर्णन करें ?

5.7 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता (Needs of Special Education)

i. विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। सामान्य बालक के ही तरह इन बालकों के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनकी आवश्यकता भी समान होती है। इन बालकों की विशेषता यह होती है कि सामान्य बालकों की तरह उन्हें देखने, बोलने, समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है, इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा के द्वारा उनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

ii. यद्यपि इन बालकों की ज्ञानेन्द्रियाँ सही रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ति की जाती है।

iii. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम आदि बालकों की पहचान की जाती है।

iv. विशिष्ट बालक सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन से लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से या तो अधिक होती है या कम होती है। सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन सामान्य बालकों के अनुसार होती है। इसलिए इन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है।

v. विशिष्ट बालकों के अभिभावकों, अध्यापकों और प्रबंधकों को बालकों की आवश्यकताओं को समझने में विशिष्ट शिक्षा से सहायता मिलती है। इस शिक्षा से विशिष्ट बालक समाज में अपना समायोजन करते हैं।

vi. जिन बालकों को देखने, सुनने, बोलने, समझने में समस्या होती है उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अत: ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विधि और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

vii. प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊँचा होता है इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपने गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिए उपयुक्त है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में यह समस्या आती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे व्यतीत करे, जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहता है ऐसी परिस्थिति में इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा आवश्यक है जिससे प्रतिभाशाली बालकों को उचित दिशा निर्देशन दिया जाय।

viii. विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के प्रति प्रेरित करने में समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों के अपेक्षा संवेदनशील होता है। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसलिए उनके शिक्षण में विशेष विधियों व प्रविधियों की आवश्यकता होती है।

ix. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित स्थानापन्न (Selective Placement) किया जाता है विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्याकंन एवं निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण तथा मूल्य निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे मानसिक मनोविज्ञानी चिकित्सक, श्रवण, नेत्र, अस्थि चिकित्सक तथा शिक्षाविद् विशिष्ट बालकों के चयनित स्थापन के लिए अति आवश्यक है।

x. विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है जैसे- अस्थि विकलांग बालकों का शारीरिक परीक्षण, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक एवं मानसिक मंद बालकों के लिए चिकित्सकीय परीक्षण समय-समय पर आवश्यक होती है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सेवायें अति आवश्यक है।

xi. अत: विशिष्ट बालकों को अपनी शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा मिलना अति आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

5. विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा क्यों आवश्यक है ? वर्णन करें ?

5.8 विशिष्ट बालकों के प्रकार

विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं , व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं कैब दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों के तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या गुण रखते हैं जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटी के बालकों में होता है और या फिर उन्हें निम्नकोटि में रखा जाता हैं। इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चो से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुये या आगे निकले हुए होते है कि उसके जीवन में पग –पग पर बाधाओं

तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों को अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आप को समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा दीक्षा कि आवश्यकता होती है।

टैलफोर्ड एवं सारे के अनुसार- " विशिष्ट बालक शब्दावली का प्रयोग उन बालकों के लिए करते हैं जो सामान्य बालकों के लिए करते है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, या सामाजिक विशेषताओं में इतने अधिक भिन्न होते है कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास हेतु विशेष सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं कि आवश्यकता पड़ती है।"

क्रो एवं क्रो के अनुसार – " विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से इतना अधिक असामान्य प्रतीत होता हो कि उस गुण विशेष के कारण अपने साथियों से विशिष्ट ध्यान की मांग करे अथवा उसे प्राप्त करे और साथ ही इसके व्यवहार की क्रियाएँ तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित होता है"

उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

1. **दृष्टि बाधित बालक:-** दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जिसको सही तरह से कोई वस्तु को देख पाने में कठिनाई होती है। ऐसे बालक दो प्रकार के होते हैं:-

i. पूर्ण दृष्टि बाधित (Blind)
ii. अल्प दृष्टि वाले बालक (Low Vision)

विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित होते हैं:-

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव, या
ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो, या
iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे कम हो।

कम दृष्टि वाले व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ होता है।

2. **श्रवण बाधित बालक**:- श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इन बालकों को बोलने और सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार- "श्रवण अक्षमता से तात्पर्य है संवाद-संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि।"
आंशिक श्रवण बाधिता के अर्न्तगत श्रवण क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इस तरह के श्रवण बाधिता से पीडित बालक/व्यक्ति लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि इस प्रकार का बहरापन अधिक आयु में हो तो भाषा के विकास पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
श्रवण बाधित बालक निम्नलिखित पाँच प्रकार के होते हैं:-
   i. कंडकिटव श्रवण ह्रास (Conductive Hearing Loss)
   ii. सेन्सरी न्यूरल श्रवण ह्रास (Sensory- neural Hearing Loss)
   iii. मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)
   iv. केन्द्रीय श्रवण ह्रास (Central Hearing Loss)
   v. कार्यात्मक श्रवण ह्रास (Functional Hearing Loss)

3. **मानसिक मंद बालक:-** मानसिक मंदता के अर्न्तगत वैसे बालक आते हैं जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पायी जाती है लिहाजा वे मन्द गति से सीखते हैं। विद्यालय के औसत बच्चों की तुलना में शैक्षिक संम्प्राप्ति में पिछड़ जाते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार- मानसिक मंदता से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की दशा अभिप्रेत है जो विशेष रूप से बुद्धि की अपसमान्यता अभिलक्षित होती है।

इस श्रेणी में वे बालक रखे जाते हैं जिनकी बुद्धि स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। मानसिक बाधित बालकों की विभिन्न श्रेणियॉ होती है। जैसे- शिक्षा ग्रहण करने योग्य मानसिक मंद (EMR), प्रशिक्षण पाने योग्य मानसिक मंद (TMR) तथा संरक्षण पाने योग्य मानसिक मंद।

4. **अधिगम अक्षम बालक:-** अधिगम अक्षम बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के समान होती है लेकिन इन बालकों को पढ़ने, लिखने एवं गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है। किर्क महोदय के अनुसार:- "अधिगम अक्षमता का तात्पर्य वाक्, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरूद्ध विकास है जो संभवत: मस्तिष्क कार्यविरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यावहारिक विक्षोभ का परिणाम है न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा संस्कृति या अनुदेशन कारक के कारण।"

   अधिगम अक्षम बालक इनकी विशेषताओं के आधार पर चार प्रकार के होते हैं:-

   i. डिस्लेक्सिया (Dyslexia)
   ii. डिस्ग्राफिया (Dysgraphia)
   iii. डिस्कैलकुलिया (Dyscalculia)
   iv. डिस्प्रैक्सिया (Dyspraxia)

5. **अस्थि विकलांग बालक**:- अस्थि विकलांग बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनकी अस्थियॉ (Bones), जोड़ और मांसपेशिया सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है, ऐसे बालकों को सामान्यत: शारीरिक विकलांग, चलन नि:शक्त बालक भी कहा जाता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार "अस्थि विकलांगता से तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों की कोई ऐसी नि:शक्ता से है, जिससे अंगों के गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो।

   इस प्रकार के विकलांगता में सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, में रूदण्डीय द्विशाखी, संधिशोध इत्यादि से प्रभावित बालक आते हैं।

6. **प्रतिभाशाली बालक**:- वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो अथवा ऐसा बालक अपने आयु के बालकों से साधारण या विशेष योग्यता में श्रेष्ठ हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या अन्य क्षेत्रों में अधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों के श्रेणी में आता है। कालसनिक के अनुसार- "वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें।"

7. **बहु विकलांग बालक:-** बहुविकलांगता से तात्पर्य बालक में एक से अधिक विकलांगता से है। उदाहरण स्वरूप जब बालक में मानसिक मंदता के साथ-साथ श्रवण बाधिता भी रहती है तो ऐसे बालक को बहुविकलांग बालक नाम से जाना जाता है। ऐसे बालक में एक से अधिक विकलांगता हो सकती है।

दृष्टिबाधिता + श्रवण बाधिता + मानसिक मंदता

श्रवण बाधिता + दृष्टि बाधिता

दृष्टि बाधिता + अस्थि विकलांगता इत्यादि।

अभ्यास प्रश्न

6. विशिष्ट बालक से आप क्या समझते है ?
7. विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते है ?

5.9 विशिष्ट शिक्षा के लाभ

i. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपनी गति के अनुसार सीखता है।
ii. विशिष्ट शिक्षा में एक कक्षा में कम विद्यार्थी रहते हैं जिससे शिक्षक सभी बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं।
iii. विशिष्ट शिक्षा में शिक्षक अध्यापन के लिए बालकों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करता, जिससे विशिष्ट बालकों को अधिक लाभ होता है।
iv. इसमें बालकों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
v. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपने गति से आगे बढ़ता है इसलिए उनका आत्म विश्वास काफी ऊँचा रहता है।
vi. विशिष्ट विद्यालय की भौतिक वातावरण इन बच्चों के आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है जिससे इनको कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
vii. विशिष्ट विद्यालय में इन बच्चों को शिक्षण के लिए सभी सामग्री उपलब्ध होता है जिससे शिक्षक भी सुगमता से शिक्षण कार्य करते हैं।
viii. विशिष्ट शिक्षा से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है। जब वे शिक्षक एवं अपने साथियों से संपर्क स्थापित करना शुरू करते हैं तो वे अपने आपको योग्य महसूस करना शुरू कर देते हैं।
ix. विशेष शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों में अवांछित व्यवहार कम होते हैं, तथा सामाजिक वांछनीय व्यवहार विकसित होते हैं।

5.10 सारांश(Summary)

विशिष्ट शिक्षा विशेष तौर पर डिजाइन किया गया शैक्षिक अनुदेशन है जिसमें विशिष्ट कक्षाएं अथवा विशिष्ट बालकों के शैक्षिक सामर्थ्य विकसित करने वाली सेवाएँ, मसलन विद्यालय कमें टी द्वारा बच्चों के शैक्षिक स्थापन, लोक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मंद एवं युवा विभाग एवं शैक्षिक बोर्ड द्वारा बनाया गया अधिनियम आदि

शामिल है। इसके अर्न्तगत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में, विशिष्ट शिक्षक के माध्यम से, विशिष्ट पाठ्यचर्चा के अनुरूप शिक्षा दी जाती है।

बालकों के सामाजिक, मानसिक, संवेगिक विशेषता एवं विशिष्ट आवश्यकता के के आधार पर अलग- अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जो इस प्रकार है –

- ❖ दृष्टि वाधित बालक- ये वैसे बालक होते है जिन्हे देखने या देख कर कोई कार्य करने में समस्या का सामना करना पड़ता है।
- ❖ श्रवण वाधित बालक- इस तरह के बालकों को सुनने की क्षमता कम होती है या पूर्णत: समाप्त होती है।
- ❖ मानसिक मंद बालक – मानसिक मंद बालकों की मानसिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है
- ❖ प्रतिभाशाली बालक – इन बालकों की मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है।
- ❖ अधिगम अक्षम बालक- इन बालकों की मानसिक क्षमता तो सामान्य बालकों की तरह ही होता है, लेकिन पढ़ने, लिखने में कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ❖ बहुविकलांग बालक – इस तरह के बालक एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं।
- ❖ अस्थि विकलांग बालक – इन बालकों को अधिगम सबंधी कोई अधिक कठिनाई नहीं होती लेकिन इन्हें चलने-फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

5.11 शब्दावली

1. ब्रेल:- एक तरह की लिपि जो दृष्टि बाधित बालक लिखने और पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं।
2. विशिष्ट शिक्षा:- विकलांग बालकों को दी जाने वाली शिक्षा।
3. ट्रेलर फ्रेम:- दृष्टि बाधित बालकों के लिए प्रयुक्त उपकरण।
4. ऑडियोमीटर:- श्रवण बाधित बालकों को जॉच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण।
5. स्नेलन चार्ट:- ऑखों की जॉच के लिए प्रयुक्त चार्ट।
6. विशेष विद्यालय:- जहॉ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययन करते हैं।
7. दृष्टि तीक्ष्णता:- सामान्य ऑख के द्वारा देखी गयी दूरी।
8. परिपेक्ष्य- दृष्टिकोण

5.12 संदर्भ ग्रन्थ(references)

पांडा, के0सी0 (1997), " एजुकेशन ऑफ एक्सेपसनल चिल्डेन" नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।

गोविन्द राव, एल0 (2007), पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एडुकेशन: हैदराबाद: नीलकमल पब्लिकेशन।

मुखोपाध्याय, एस0 एण्ड मनी, एम0एन0जी0 (2002) एडुकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद् स्पेशल नीड्स, नई दिल्ली: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

इग्नू (2009) फाउनडेशन कोर्स आन एडूकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद डिसएबिलिटीस। नई दिल्ली इग्नू।

डा0 कुमार संजीव (2008), विशिष्ट शिक्षा, अशोक राजपथ, पटना।
सिंह, अरूण कुमार, (2001) शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन, पब्लिशर्स एड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना।
मंगल, एस० के० (2012) शिक्षा मनोविज्ञान, पी० एच० आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली।

5.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में विशिष्ट शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालें।
   What you understand by special education? Highlght development of special education in International perspectives?
2. विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन करें?
   Discuss about scope of special education in detail?
3. विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पर संक्षेप में लेख लिखें?
   Write a brief note in special education for special child?
4. विशिष्ट बालक से आप क्या समझते है? विभिन्न तरह के विशिष्ट बालकों का वर्णन करें?
   Explain special c hild?state various types of special child?

इकाई 6 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांत (Objectives and Principles of Special Education)

6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य
6.4 विशिष्ट शिक्षा के सिद्धान्त
6.5 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता
6.6 सारांश
6.7 शब्दावली
6.8 सन्दर्भ ग्रंथ/पठनीय पुस्तकें
6.9 निबन्धात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

विशिष्ट शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी इकाई है जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस योग्य तैयार करना है जिससे वे अपने विद्यालय, परिवार और समाज में समायोजित करे, ताकि वे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल कर समाज के मुख्य धारा में सम्मालित हो सके।

प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, सिद्धान्त, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

6.2 उद्देश्य(Objectives)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों को बता सकेंगे।
2. विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों को विभिन्य परिस्थितियों में पुनर्संगठित कर सकेंगे।
3. विशिष्ट शिक्षा के आवश्यकताओं पर प्रकाश डाल सकेंगे।
4. विशिष्ट शिक्षा के सिद्धान्तों को बता सकेंगे ।

6.3 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य

विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उसे समाज का एक उत्तरदायी, स्वतंत्र एवं सक्रीय सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया स्वतः ही एक लक्ष्य का निर्धारण करती हैं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया के उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक हो जाता हैं अन्यथा तूफान में बिन पतवार की नाव की भांति अथाह समुद्र में मात्र लहरों के थपेड़े खाने जैसा ही होगा। वैसे तो विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य नियमित शिक्षा के उद्देश्यों- बालकों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर मानव संसाधन का विकास, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक पुनर्रचना,

नागरिक विकास, व्यावसायिक क्षमता का विकास आदि, से कदापि भिन्न नहीं हैं परन्तु विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के चलते थोड़े व्यापक जरूर हो जाते हैं(एम. दास, 2007)। विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को निम्नवत संकलित किया जा सकता है-

- विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आंकलन (Identification, diagnosis and assessment of special child) करना
- विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना (Guidance and counselling of special child)
- शीघ्र हस्तक्षेप (Early intervention) करना
- शैक्षिक हस्तक्षेप (Educational Intervention)
- अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक (Guardian and community awareness) करना
- पुनर्वास (Rehabilitation) करना

1. **विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आंकलन (Identification, diagnosis and assessment of special child) करना**

   विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आंकलन से तात्पर्य हैं कि यथाशीघ्र बालक की शिक्षण-अधिगम सम्बन्धी, शारीरिक व् मानसिक विशेष आवश्यकताओं की पहचान कर उसका निदान किया जाय तत्पश्चात क्षति का आंकलन किया जाय जिससे उसके सहायक उपकरणों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को भी तैयार किया जा सके। यही विशिष्ट शिक्षा का प्रथम उत्तरदायित्व हैं अतः उद्देश्य भी।

   विशिष्ट बालक की पहचान सर्वप्रथम उसके व्यवहार के प्रेक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात विभिन्न चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक उपकरणों के प्रशासन द्वारा किया जाय तथा उसके यथासंभव चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शों के द्वारा निदान किया जाय। फिर बालक की स्थाई क्षति का विभिन्न तकनीकों से आंकलन किया जाय। उसकी क्षति की गंभीरता का पता लगाया जाय तथा वर्गीकरण किया जाय। उसकी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का स्पष्ट विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

2. **विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना**

मानव जीवन में अनेक तरह की समस्याएँ होती रहती है खास कर विशिष्ट बालकों को अपने वातावरण में समायोजन करने में सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में, अपने व्यवसाय चुनाव में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मार्गदर्शन व्यक्ति को अपने प्रति तथा अपने वातावरण के प्रति समायोजन करने में मदद करता है यह उसे अपनी समस्याओं के समाधान तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में में सहायता प्रदान करता है। यदि हम विशिष्ट बालकों की समस्याओं का विश्लेषण करें तो हम इन्हें तीन वर्गों में बाँट सकते है।

- शिक्षा संबंधी समस्या
- व्यावसाय चुनाव सबंधी समस्या
- व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्या

i. **शिक्षा संबंधी समस्या** –शिक्षा प्राप्त करते समय विशिष्ट बालकों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे – विषयों का चुनाव, पुस्तकों का चुनाव, पाठ्यसामाग्री का चुनाव, जमा-पाठ्यक्रम से सबंधित समस्या। अपने लेख, उच्चारण, लेखन, अध्ययन सबंधित समस्या, भाषाई समस्या आदि को सुधारने के लिए उन्हे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तथा विशिष्ट ज्ञान तथा कौशल की प्राप्ति में में भी उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। अत: शिक्षा सबंधी आवश्यकता विकासात्मक भी है और समायोजनात्मक भी। अत: उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उचित रूप से समायोजित होने के लिए एवं प्रगति के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

ii. **व्यवसाय चुनाव सबंधी समस्या-** विशिष्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विशिष्ट बालकों को भविष्य में अपने पैरों पर खरा होने योग्य बनाना है। उनके द्वारा भविष्य में कई तरह के व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मार्गदर्शन व्यावसायिक सूचना प्रदान करके हमारी इस दिशा में बहुत सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक विकलांग बालक प्रत्येक हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। उसे अपनी योग्यता तथा शक्तियों के अनुसार काम चुनने के लिए उचित मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है। उन बालकों के लिए जीवन की सफलता तथा राष्ट्रीय विकास के लिए व्यावसायिक समायोजन अत्यंत आवश्यक है।

iii. **व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्या** – विशिष्ट बालकों को कई तरह के मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे- समायोजन से संबन्धित, भावात्मक समस्या, सामाजिक समायोजन । कुसमायोजन से कई तरह के गंभीर समस्याएँ पैदा होती है, इससे विकलांग बच्चों में कई तरह के मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते है। अत: इन बालकों को मानसिक उलझनों तनावों तथा चिंताओं से मुक्त रखने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है , जिससे विशिष्ट बालकों का उचित विकास एवं जीवन में सफलता प्राप्त हो सके।

शीघ्र हस्तक्षेप (Early intervention) करना

बालक की क्षमता एवं कौशलों में भिन्नता के कारण ही उसे "विशिष्ट" नाम दिया जाता है। विशिष्ट बालक की इस भिन्नता को कम करने या समाप्त करने हेतु उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना जिससे की हो रही क्षति को तुरंत रोका जा सके तथा हुई क्षति के कारण पडने वाले प्रभावों को कम किया जा सके, विशिष्ट शिक्षा का द्वितीय मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर शीघ्र शब्द का प्रयोग आपके समक्ष इसलिए किया गया हैं कि जितना शीघ्र आप बालक की आवश्यकताओं के अनुसार सहायक उपकरण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराएँगे उतना ही शीघ्र उसमें क्षमताओं और कौशलों का विकास शुरू हो सकेगा और विशिष्ट बालक व सामान्य बालक की क्षमताओं में सार्थक अंतर भी कम हो पायेगा।

शीघ्र हस्तक्षेप एक व्यापक पद हैं जो की बालक की समस्त आवश्यकताओं को सम्मिलित करता है। बालक यदि दृष्टिबाधित हैं तो उसकी दृष्टि हेतु सबसे उत्तम संभव संशोधन उपलब्ध कराना तथा स्थाई क्षति के कारण बालक में आई अक्षमता को दूर करने के लिये उसे उन्मुखीकरण एवं चलिष्णुता का प्रशिक्षण, ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण, टेलर फ्रेम व गिनतारा(Abacus) का प्रशिक्षण देना। उसके लिए बाधारहित परिवेश तैयार कराना, दृष्टिबाधा के कारण उत्पन्न हीनता का भाव तथा प्रेरणा में कमी आदि मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करना/ समाप्त करना तथा उसे शिक्षा के सामान्य अनुभवों को प्राप्त करने के सक्षम बनाना आदि समस्त क्रियाएं सम्मिलित हैं। अर्थात बालक में अक्षमता की स्थिति न पैदा होने देना।

3. शैक्षिक हस्तक्षेप

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकता होती है ऐसी आवश्यकताएँ उन बालकों की होती है जिन्हें अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की जाती है। उन बच्चों के लिए जहां तक व्यवहारिक हो नियमित विद्यालय में अतिरिक्त सुविधाएं एवं अतिरिक्त सेवाएँ उपलब्ध कराकर मुख्यधारा में सम्मलित किया जा सकता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप की प्रक्रिया जटिल एवं चुनौती पूर्ण मानी जाती है। इन बच्चों को कुछ विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा मुख्यधारा में सम्मलित किया जा सकता है । जो इस प्रकार है –

i. विशिष्ट विद्यालय (Special School)

विशेष आवश्यकता वाले कई बच्चे ऐसे होते है जिन्हें सामान्य सामान्य विद्यालय में पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। मुख्य धारा के विद्यालय के विशिष्ट कक्षाएं और अतिरिक्त कक्षाएं भी उन्हें भी उन्हें बहुत लाभ नहीं पहुंचा पाती है। ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण अधिगम के उन्हें विशिष्ट विद्यालय की आवश्यकता होती है । विशिष्ट विद्यालय ऐसे विद्यालय होते है जिनमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ये विद्यालय खासतौर पर विशिष्ट बालकों के लिए ही बना होता है । इसमें विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अलावा विकलांग बच्चों शिक्षण अधिगम सबंधी जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक संसाधन भी मौजूद होते हैं । ये विद्यालय विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों को वैयक्तिक शिक्षण (individualized Education) सुविधा उपलब्ध कराते हैं । विशिष्ट बालकों की आवश्यकता के लिए चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आदि भी उपलब्ध होते हैं ।

ii. समन्वित विद्यालय (Integrated School)

यह एक ऐसे सामान्य विद्यालय है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पूर्ति करते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे विद्यालयों को आमतौर पर समन्वित विद्यालय कहा जाता है । एक सामान्य विद्यालय को समन्वित विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए कई तरह के सहायक सेवाओं की उपलब्धता अनिवार्य है ।जो इस प्रकार है –

i. संसाधन कक्ष (Resource Room)
ii. संसाधन शिक्षक (Resource Teacher)

iii. अन्य विशेषज्ञ (Other Specialist)
iv. सामान्य शिक्षक (Regular Teacher)
v. परामर्शदाता (Counselors)
vi. समवय समूह (Peer Group)

i. **संसाधन कक्ष (Resource Room) –** संसाधन कक्ष वैसे विशिष्ट कक्ष को कहा जाता है जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे पूरी विद्यालय अवधि के दौरान आधा से अधिक समय गुजरता है । संसाधन शिक्षक संसाधन कक्ष के प्रभारी होते है । संसाधन कक्ष शिक्षण अधिगम संबंधी विशिष्ट अनुदेशन समग्रियों से युक्त होती है। इसके अलावा वहीं प्रत्यक्षीकृत प्रशिक्षण, भाषाई विकास, गत्यात्मक प्रशिक्षण, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास और कौशल विकास के लिए वैयक्तिक अनुदेशन सामग्रियाँ भी होती है ।
ii. **संसाधन शिक्षक (Resource Teacher**)- संसाधन शिक्षक को 'स्रोत शिक्षक' अथवा 'विशेष शिक्षक' के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष शिक्षा में विशिष्ट योग्यताधारी वैसे शिक्षक होते है जो किसी भी माहौल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं । ये दृष्टि, श्रवण, चलन, एवं मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में डिग्री (विशेष शिक्षा), डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी होने के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India) से पंजीकृत विशेष अध्यापक होते हैं। संसाधन अध्यापक की नियुक्ति एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक विद्यालय के लिए ही की जाती है । उसकी सेवाएँ विशिष्ट बालकों तथा सामान्य शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार स्कूली घंटों के दौरान हर समय उपलब्ध होती है । वह बालकों को संसाधन कक्ष में व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूहों में पढ़ता / सिखाता है ।
iii. **अन्य विशेषज्ञ (Other Specialist)-** समेकित शिक्षण पद्धति के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों के अलावा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका अहम होती है । इन विशेषज्ञों में वाक एवं भाषा विशेषज्ञ, कान विशेषज्ञ, दन्त विशेषज्ञ, तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ, पोषण विशेषज्ञ, व्यावसायिक चिकित्सक, नेत्र विशेषज्ञ, आँखों की जांच करने वाले व्यक्ति, अस्थि विशेषज्ञ, शारीरिक एवं भौतिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि प्रमुख है ।
iv. **सामान्य शिक्षक (Regular Teacher)-** समन्वित शिक्षा प्रणाली में सामान्य शिक्षकों की भूमिका अहम होती है क्योंकि शिक्षण अधिगम के दौरान एक शिक्षक दार्शनिक, मार्गदर्शक, और मित्र की भूमिका निभाता है । वह न केवल वर्ग कक्ष प्रबन्धक होता है बल्कि बच्चों के व्यवहार सुधारने में एक व्यवहार सुधारने में एक व्यवहार प्रवंधक की भी भूमिका भी निभाता है ।
v. **परामर्शदाता (Counsellor)-** प्रत्येक समन्वित विद्यालय में एक परामर्शदाता की जरूरत होती है । वे विशिष्ट बालकों के मनोवैज्ञानिक जाँच, रुचि, अभिरुचि, निदान एवं उपचारात्मक परामर्श , भविष्य के लिए योजना निर्माण आदि में बालकों को सहायता करते हैं।
vi. **समवय समूह (Peer Group)-** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए समवय समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समवय समूह के सदस्य उसके सहायकों के रूप में कार्य करता है।

इससे उनमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति एक सकारात्मक रवैया विकास में मदद मिलता है और उपयुक्त आचरणों को करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

4. अभिभावक को परामर्श देना (Parent Counseling)

विशिष्ट बालक की क्षति का उपचार एवं रोकथाम, उसकी देख-भाल और उसे दैनिक जीवन के कौशलों, स्व-सहायता कौशलों, पूर्व-शैक्षिक कौशलों तथा संचारण कौशलों आदि के प्रशिक्षण हेतु बालक के माता-पिता या अभिभावकों को परामर्श उपलब्ध कराना विशिष्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जिससे की विशिष्ट बालक के माता-पिता, बालक को आवश्यक कौशलों का प्रशिक्षण देकर उसे स्कूल पहुचने से पूर्व ही स्कूल परिवेश के लिए तैयार कर पाने में सक्षम हो जाएँ। परामर्श देने का एक उद्देश्य यह भी हैं कि बालक की अक्षमता की स्थिति को गंभीर होने पर रोक लगे तथा शिघ्राती हस्तक्षेप भी हो जाय।

5. अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक करना (Guardian and Community Awareness)

विशिष्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अभिभावकों व समुदाय के नागरिकों को विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं से परिचय कराना हैं तथा उन्हें जागरूक बनाना है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर एवं समुदाय ही होता हैं तथा प्रथम शिक्षक उसके माता-पिता व समुदाय के अन्य सदस्य होते हैं। बालक सर्वप्रथम इन्हीं लोगों के संपर्क में आता हैं अतः बालक की विशेष आवश्यकताओं की पहचान, क्षति का आंकलन, शीघ्र हस्तक्षेप उसके घर व समुदाय के लोगों के द्वारा ही सर्वप्रथम संभव है। अतएव अभिभावकों व समुदाय की लोगों को विशिष्ट शिक्षा तथा अन्य सम्बंधित सेवाओं से अवगत कराया जाय।

6. पुनर्वास करना (Rehabilitation)

बालक को क्षति(Impairment) के कारण उत्पन्न होने वाली अक्षमता उसे समुदाय से अलग-थलग कर देती हैं जिससे उसके मनस(Psyche) पर बहुत बुरा असर पडता हैं या यह कहिये कि वह उखड सा जाता है। जिसे उसी समुदाय में अक्षमता न होने पर रहने वाली स्थिति में पुनर्स्थापित करना ही बालक का पुनर्वास करना है, विशिष्ट शिक्षा का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य है। पुनर्वासित या पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य को निम्नलिखित छः परन्तु अंतराच्छादित(Overlapping) बिंदुओं में व्ख्यायित किया जा सकता है-

i. शैक्षिक पुनर्वास करना
ii. चिकित्सकीय पुनर्वास करना
iii. वैयक्तिक पुनर्वास करना
iv. सामाजिक पुनर्वास करना
v. व्यावसायिक पुनर्वास करना
vi. आर्थिक पुनर्वास करना

i. **शैक्षिक पुनर्वास करना-** विशिष्ट बालक की आवश्यकताएं सामान्य बालक की आवश्यकताओं से भिन्न होतीं हैं जिससे कि विशिष्ट बालक सामान्य शैक्षिक परिवेश में अपने-आपको अक्षम पाता है। परिणामस्वरूप उसकी उपलब्धि एवं प्रदर्शन पर बुरा असर पडता है। अतः बालक को विशिष्ट शिक्षा

उपलब्ध कराकर उसके शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत करके शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में सामान्य बालकों के समान्तर खड़ा कर उसका शैक्षिक पुनर्वास किया जाना चाहिए।

ii. **चिकित्सकीय पुनर्वास करना**-विशिष्ट बालक की शारीरिक क्षति को चिकित्सकीय प्रयासों/ विधियों से कम करना या समाप्त करना जिससे कि बालक अपने पुनर्वस्था को प्राप्त कर सके तथा सामान्य परिवेश में सामान्य बालकों की भांति जीवन जीने के योग्य बन जाय चिकित्सकीय पुनर्वास कहलाता है।

किसी दृष्टिबाधित बालक की कार्निया बदलने से उसकी आँख की रोशनी वापस आ जाय और वह सामान्य जीवन जीने के योग्य हो जाय। या फिर पिन्ना रहित बालक को प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा कृत्रिम पिन्ना लगाकर उसे सामान्य बालकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाय।

iii. **वैयक्तिक पुनर्वास-**विशिष्ट बालक में अक्षमता के कारण विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो जातीं हैं जैसे कि स्व-संप्रत्यय, स्व-सम्मान, विश्वास, हिम्मत आदि से सम्बंधित विसंगतियों का उत्पन्न होना। विशिष्ट बालक में उत्पन्न इन विसंगतियों को विभिन् मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा यथासंभव कम करना या समाप्त करना विशिष्ट शिक्षा के वैयक्तिक पुनर्वास का उद्देश्य है।

iv. **सामाजिक पुनर्वास**-बालक जिस समाज या समुदाय का सदस्य होता हैं उसके कुछ रीति-रीवाज होते हैं, उसकी एक संस्कृति होती हैं तथा हर समाज या समुदाय अपने प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा रखता हैं कि वह उसकी संस्कृति को धारण करे, संरक्षित करे व आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करे तथा उसी की रीति-रिवाजों के अनुसार व्यवहार करे। विशिष्ट बालक से भी ये अपेक्षाएं अपेक्षित हैं। इसलिए विशिष्ट शिक्षा का यह परम उद्देश्य हैं कि वह बालक को अपने समाज व समुदाय की जरूरतों एवं अपेकाक्षाओं के अनुरूप तैयार करे ताकि वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सक्षम हो जाय व एक स्वतंत्र, जिम्मेदार एवं उत्पादक नागरिक के रूप में बालक को उसके समुदाय के समक्ष पेश करे।

v. **व्यावसायिक पुनर्वास**-बालक को अपने समाज व समुदाय के व्यावसायिक उन्मुखता तथा बालक की क्षमताओं के अनुरूप व्यवसाय के चयन हेतु तैयार किया जाय तथा उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। जरूरत होने पर अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे कि व्यवसाय हेतु धन उपलब्ध करना, अधिक जन-शक्ति की व्यवस्था करना आदि।

vi. **आर्थिक पुनर्वास**-आज के भौतिकतावादी युग में व्यक्ति का जीवन अर्थ (economy) पर आधारित हो गया है। अतः बालक को बड़े-बड़े एवं कर्णप्रिय दार्शनिक विचारों के अलावा उसे इस कटु सच्चाई से परिचय कराना तथा उसे अर्थ अर्जन के लिए तैयार करना जिससे वह समाज में अपने-आप को एक सम्मानित सदस्य के रूप में स्थापित कर सके, विशिष्ट शिक्षा का एक उद्देश्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा निति (1986) भी यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित करती हैं कि विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य

- शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों का उसके सामान्य समुदाय में एक सामान सहभागी के रूप में समेंकित कराना,

- सामान्य वृद्धि के लिए तैयार कराना तथा
- साहस एवं विश्वास के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाना; होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. विशेष शिक्षा के उद्देश्यों को संकलित कीजिये।
2. शीघ्र हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं?
3. विशिष्ट शिक्षा के सामाजिक पुनर्वास का उद्देश्य क्या है?
4. विशिष्ट शिक्षा के आर्थिक पुनर्वास के उद्देश्य से आप क्या समझते है?
5. सामुदायिक जागरूकता से आप क्या समझते है?
6. शैक्षिक हस्तक्षेप से आप क्या समझते है?
7. समन्वित विद्यालय से आप क्या समझते है एवं इसका क्या उद्देश्य है ?
8. पुनर्वास का क्या अर्थ है?
9. विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन की क्यों आवश्यकता होती है ?

6.4 विशिष्ट शिक्षा के सिद्धान्त (Principles of Special Education)

विशिष्ट शिक्षा निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है:-

i. **कोई निरस्त नहीं (No one is Rejected)** :- शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को नि:शुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय के व्यवस्था में नहीं है।

ii. **व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा(Education on the basis of Individual differences)**:- प्रत्येक विशिष्ट बालक में कुछ न कुछ विभिन्नताएँ होती हैं। कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएँ विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए।

iii. **अविभेदी शिक्षा(non discriminating education):-** ऐसे बालकों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा को उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। इसके पश्चात् सभी छात्रों को उसके विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्यक्रम रखा जाना चाहिए।

iv. **वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम(idividualised education plan)-** जिन बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाना चाहिए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षों में इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए अभिक्रमित अनुदेशन को भी प्रयुक्त किया जाता है।

v. **विशिष्ट प्रक्रिया (Special Process):-** विशिष्ट शिक्षा एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष शिक्षक विकलांग बालकों को संसाधन कक्ष, विशिष्ट उपकरण युक्त कक्षा-कक्ष में शिक्षा प्रदान करते हैं।

vi. **नियंत्रित वातावरण:-** जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा कक्ष में साथ-साथ होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा विकलांग बालकों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण होना चाहिए।

vii. **माता-पिता का सहयोग:-** यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता-पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रूचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

viii. **समुदाय की भागीदारी**:- विशिष्ट शिक्षा में समुदाय के व्यक्तियों की भागादारी होने से यह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसमें समुदाय के व्यक्ति जितना अधिक भागीदारी लेंगें विशिष्ट बालक को समुदाय में समायोजन करने में उतनी ही आसानी होगी।

ix. **प्रेरणा का सिद्धान्त**:- सामान्यत: बालक जब कोई भी विषय वस्तु को सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है तो वे उस पाठ को वे जन्दी एवं आसानी से सीख लेता है। इस प्रकार एक शिक्षक को चाहिए की इन बालकों को समय-समय पर अभिप्रेरित करने रहें।

अभ्यास प्रश्न

10. विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांतों को संकलित करें ।
11. वैयक्तिक शिक्षा एवं अविभेदी शिक्षा से आप क्या समझते है ?

6.5 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता (Needs of Special Education)

- विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। सामान्य बालक के ही तरह इन बालकों के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनकी आवश्यकता भी समान होती है। इन बालकों की विशेषता यह होती है कि सामान्य बालकों की तरह उन्हें देखने, बोलने, समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है, इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा के द्वारा उनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।
- यद्यपि इन बालकों की ज्ञानेन्द्रियाँ सही रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ति की जाती है।
- विशिष्ट शिक्षा के द्वारा दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम आदि बालकों की पहचान की जाती है।
- विशिष्ट बालक सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन से लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से या तो अधिक होती है या कम होती है। सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन सामान्य बालकों के अनुसार होती है। इसलिए इन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है।
- विशिष्ट बालकों के अभिभावकों, अध्यापकों और प्रबंधकों को बालकों की आवश्यकताओं को समझने में विशिष्ट शिक्षा से सहायता मिलती है। इस शिक्षा से विशिष्ट बालक समाज में अपना समायोजन करते हैं।
- जिन बालकों को देखने, सुनने, बोलने, समझने में समस्या होती है उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अत: ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विधि और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

- प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊँचा होता है इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपने गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिए उपयुक्त है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में यह समस्या आती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे व्यतीत करे, जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहता है ऐसी परिस्थिति में इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा आवश्यक है जिससे प्रतिभाशाली बालकों को उचित दिशा निर्देशन दिया जाय।
- विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के प्रति प्रेरित करने में समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों के अपेक्षा संवेदनशील होता है। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसलिए उनके शिक्षध में विशेष विधियों व प्रविधियों की आवश्यकता होती है।
- विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित स्थानापन्न (Selective Placement) किया जाता है विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्याकंन एवं निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण तथा मूल्य निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे मानसिक मनोविज्ञानी चिकित्सक, श्रवण, नेत्र, अस्थि चिकित्सक तथा शिक्षाविद् विशिष्ट बालकों के चयनित स्थापन के लिए अति आवश्यक है।
- विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है जैसे- अस्थि विकलांग बालकों का शारीरिक परीक्षण, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक एवं मानसिक मंद बालकों के लिए चिकित्सकीय परीक्षण समय-समय पर आवश्यक होती है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सेवायें अति आवश्यक है।

अत: विशिष्ट बालकों को अपनी शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा मिलना अति आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

12. वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें ?

6.6 सारांश

विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य सामान्य शिक्षा से बिलकुल भिन्न नहीं हैं अपितु विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं एवं उनकी अक्षमताओं की प्रकृति के अनुसार थोड़े व्यापक हो जाते हैं तथा कुछ अतिरिक्त उद्देश्य सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों में जुड़ जाते हैं। ये उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं-

- विशिष्ट बालकों की अक्षमताओं की पहचान, निदान एवं आँकलन करना।
- विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं एवं अक्षमता का शीघ्र हस्तक्षेप करना।
- भौतिक एवं शैक्षिक अनुकूलन कि पहचान करना तथा विद्यालय एवं अन्य सम्बंधित स्थानों पर बाधामुक्त परिवेश उपलब्ध कराना।
- अभिभावक एवं समुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनमें इनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षण-अधिगम सामग्रियों का निर्माण करना।
- पुनर्वास विशेषज्ञों एवं स्कूल कर्मचारियों के बीच एक सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित कराना।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना।
- बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं से संबन्धित परामर्श देना ।
- बालकों को समाज की मुख्यधारा में लाने वाली गतिविधियों का नियोजन एवं कार्यान्वयन करना।
- बालक को समाज में पूर्ण सहभागिता हेतु तैयार करना एवं उसे समाज का एक उत्तरदायी एवं स्वावलंबी सदस्य बनाना।
- बालक का पुनर्वास करना आदि।

शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति को सही मायने में मनुष्य या मानव बनाया जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षा भी विशिष्ट बालकों को एक विशेष प्रकार की तकनीकियों, विधियों, विशेष शिक्षण-अधिगम सामग्रियों के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही है। अतः इसकी आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता को निम्नवत संकलित किया जा सकता है-

- शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का अधिकार हैं और विशिष्ट बालक भी सर्वप्रथम एक मानव हैं तब उसकी आवश्यकताएं भिन्न हैं।
- अक्षम बालक में उपस्थित क्षमताओं की सहायता से उसे दैनिक जीवन के कौशलों के प्रशिक्षण प्रदान कराने में भी विशिष्ट शिक्षा की ही भूमिका होती है।
- विशिष्ट बालक की आवश्यकताएं भिन्न होतीं हैं न कि वह अक्षम होता है। उसके अंदर बहुत सी क्षमताएं भी होतीं हैं। जिसके द्वारा उसे समाज का उत्तरदायी नागरिक बनाने में विशिष्ट शिक्षा का योगदान आवश्यक है।
- मानव का उन्नतिकरण शिक्षा द्वारा ही संभव है। सार्वभौमीकरण के दौर में राष्ट्र के विकास हेतु "मानव पूंजी(Human Capital)" का उन्नतिकरण उसके विकास का द्योतक है। अक्षम व्यक्ति भी एक मानव पूंजी है। अतः इसका उन्नतिकरण करने वाला राष्ट्र ही विकास कर सकता है।
- अक्षम व्यक्तियों को समाज तथा समुदाय में सक्रिय सहभागिता तथा न्याय के समक्ष समानता सुनिश्चित करना एवं समान अवसर उपलब्ध कराने में भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है।

- अक्षम व्यक्ति भी समुदाय का एक सदस्य हैं अतः उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति समुदाय के मानक के अनुरूप हो इसके लिए उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने में भी विशिष्ट शिक्षा की भूमिका अपरिहार्य है।
- अंततः विशिष्ट बालक का पुनर्वास विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है।

6.7 शब्दावली

1. शीघ्र हस्तक्षेप- बालक में किसी कारणवश हुई क्षति के कारण अक्षमता की स्थिति पैदा होने से यथाशीघ्र रोकना ही शीघ्र हस्तक्षेप है।
2. पुनर्वास- व्यक्ति या बालक यदि अक्षम न होता तो उसकी समुदाय में होने वाली उपयोगी स्थिति में शिक्षा या उपचार के द्वारा उसे पुनर्स्थापित करना ही पुनर्वास है।
3. विशिष्ट विद्यालय- एक विद्यालय जिसमें विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है।
4. समावेशी शिक्षा- एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ बिना कोई भेद भाव के शिक्षा दी जाती है।

6.8 संदर्भ ग्रंथ

दास एम० (२००७). *एजुकेशन आफ एक्सप्सनल चिल्ड्रेन.* अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

संजीव के० (२००८). *विशिष्ट शिक्षा.* जानकी प्रकाशन, पटना.

ए०आई०सी०बी० (२००४)- शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला, रोहिणी, दिल्ली।

पांडा, के0सी0 (1997), " एजुकेशन ऑफ एक्सेपसनल चिल्डेन" नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।

गोविन्द राव, एल0 (2007), पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एडुकेशन: हैदराबाद: नीलकमल पब्लिकेशन।

मुखोपाध्याय, एस0 एण्ड मनी, एम0एन0जी0 (2002) एडुकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद् स्पेशल नीड्स, नई दिल्ली: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

इग्नू (2009) फाउनडेशन कोर्स आन एडूकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद डिसएबिलिटीस। नई दिल्ली इग्नू।

हल्हान, डी० पी० एण्ड काफमैन, जे० एम० (१९९१). *अपवादित बच्चे: विशिष्ट शिक्षा का परिचय.* एलिन एण्ड बेकन, बोस्टन.

मंगल, एस०, के० (2012)- शिक्षा मनोविज्ञान, पी० एच० आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।

6.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशेष शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते है ? इनके विभिन्न उद्देश्यों पर प्रकाश डालें ?
   What you understand by special education? Highlight its aims &objectives?
2. विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन करें ?
   Describe principles of special education?
3. वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षा की क्या आवश्यकता है ? वर्णन करें ?
   Discuss about need of special education I present context?

इकाई 7: विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार, संसाधन/ परिभ्रामी शिक्षक, संसाधन कक्ष एवं उपकरण (Types of Special Education Services, The Resource/ Itinerant Teacher, Aids and Room)

6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार
6.3.1 पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
6.3.2 विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
6.3.3 परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
6.3.4 संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
6.3.5 सहयोगी समूह शिक्षण के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
6.3.6 अंश-कालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंश-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
6.3.7 पूर्ण-कालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन
6.3.8 पूर्ण-कालिक विशिष्ट विद्यालय में स्थापन
6.3.9 पूर्ण-कालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन
6.3.10 अस्पताल तथा गृह-बाध्य अनुदेश
6.4 संसाधन शिक्षक
6.5 परिभ्रामी शिक्षक
6.6 संसाधन कक्ष
6.7 उपकरण
6.8 सारांश
6.9 शब्दावली
6.10संदर्भ ग्रंथ सूची
7.11 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

इससे पहले के इकाई में आप विशिष्ट शिक्षा के अर्थ, उद्देश्यों, सिद्धांत, कार्यक्षेत्र तथा उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन कर चुके हैं। इस इकाई के अंतर्गत आप विशिष्ट शिक्षा सेवा के प्रकार, संसाधन शिक्षक, परिभ्रामी शिक्षक, संसाधन कक्ष एवं उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे।

प्रारम्भिक समय में विकलांग बालकों के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, वस्तुत: उन बालकों को शैशववस्था में ही मार दिया जाता था, लेकिन जैसे-जैसे विशिष्ट शिक्षा का विकास होता गया नए- नए शोध व अविष्कार हुए, नए

सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, समाज के दृष्टिकोण बदले तथा वैसे-वैसे विशिष्ट शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का विकास हुआ। आज विशिष्ट शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को एक संतात्यक(Continuum) के रूप में संगठित किया जा सकता है, जो कि अक्षम बालकों के समेंकित शिक्षा से लेकर पृथक्कीकरण तक या नियमित कक्षा में स्थापित करने से लेकर २४-घंटे संस्थागत देख-रेख तक विस्तारित है। इस इकाई में अक्षमता की मात्रा एवं विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रकृति के आधार पर विशिष्ट शिक्षा की कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं? तथा विशिष्ट शिक्षा की सीमाएँ क्या हैं? आदि प्रश्नों पर विमर्श प्रस्तुत है।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
- विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकारों को बता सकेंगे।
- विभिन्न विशिष्ट शिक्षा सेवाएं क्या हैं? पर प्रकाश डाल सकेंगे।
- विभिन्न विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
- संसाधन अध्यापक एवं उनके कार्य के बारे में बता सकेंगे ।
- संसाधन कक्ष एवं उपकरण के बारे में बता सकेंगे ।

7.3 विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार

विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु सर्वप्रथम प्रयास इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12वीं में मानसिक मंद बालकों के लिए कानून बना कर किया था। इसके बाद अलग देशों के द्वारा इनके शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए गए । इसी क्रम में बहुत से प्रतिदर्शों एवं विधियों आदि का विकास हुआ। विशिष्ट शिक्षा के जन्म से ही इस बात पर विचार एवं मंथन जारी रहा कि इसे कैसे उत्कृष्ट एवं बोधगम्य बनाया जाय? विशिष्ट बालकों को अल्पतम सिमित वातावरण (Least Restrictive Environment) में अत्यधिक प्रभावी (Most Effective), सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के क्रम में बहुत सारे सिद्धांत एवं उपागम अस्तित्व में आए। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु दी जाने वाली सेवाएं विशिष्ट शिक्षा सेवाएं कही जाती हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भूत में उपलब्ध सेवाओं को देखा जाय तो वे अधिक सिमित वातावरण में कम प्रभावी सेवाए थीं। परन्तु समय एवं विचार के साथ वर्तमान समय में उपलब्ध सेवाएं विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार कई स्तरों पर एक संतात्यक के रूप में उपलब्ध हैं जो कि एक-दूसरे से अपेक्षाकृत अल्पतम सिमित वातावरण में अधिक प्रभावशाली हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के क्रम में उनकी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध विशिष्ट शिक्षा सेवाएं एक सांतत्यक रूप में निम्नवत हैं।

- ❖ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन (Full-time placement in a regular classroom)

- ❖ विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with special education consultations)
- ❖ परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with provisions of itinerant special educator service)
- ❖ संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with provision of resource room/resource teacher)
- ❖ सहयोगी समूह शिक्षण सेवाओं के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन (Full-time placement in a regular classroom with provision of collaborative team teaching services)
- ❖ अंश-कालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंश-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Part-time placement in a regular classroom with part-time placement in a special class)
- ❖ पूर्ण-कालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a special class)
- ❖ पूर्ण-कालिक विशेष विद्यालय में स्थापन(Full-time placement in a special school)
- ❖ पूर्ण-कालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन(Full-time placement in a residential school)
- ❖ अस्पताल तथा गृह-बाध्य अनुदेशन(Hospital and home-bound instruction)

उपरोक्त प्रकार की सेवाएं विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्वास कर्मियों विशेषतः विशिष्ट अध्यापकों की अनुशंसा पर उपलब्ध संसाधनों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। पुनर्वास कर्मी सर्वप्रथम इन विशेष आवश्यकता के बालकों की पहचान करते हैं, अक्षमता का मूल्यांकन करते हैं फिर उनकी क्षमता एवं अक्षमता के अनुसार उपयुक्त सेवा के लिए अनुशंसा करते हैं। यह क्रिया एक विशिष्ट शिक्षक के लिए अति संवेदनशील एवं जिम्मेदारीपूर्ण है। शिक्षकों को इन सेवाओं का सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है तथा इन सेवाओं के चयन से क्या-क्या लाभ या क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं? पर विश्लेषण कर लेने के बाद ही किसी सेवा के लिए अनुशंसा करनी चाहिए। अतः इन सेवाओं का विस्तृत अध्ययन अत्यन आवश्यक है। जिसके क्रम में यह चित्रात्मक परिचर्चा आपको लाभान्वित करेगी।

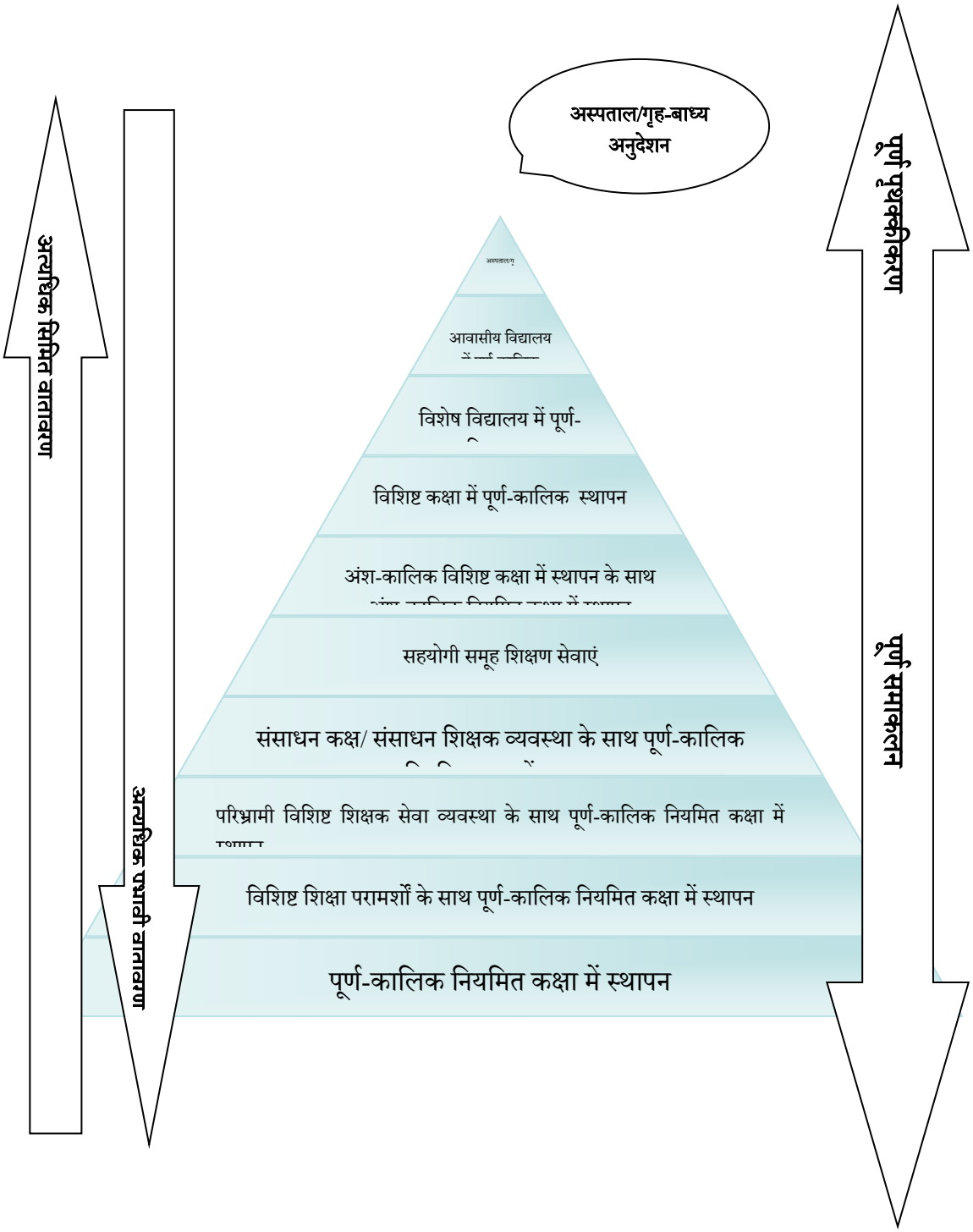

चित्र.1 विशिष्ट शिक्षा सेवाओं का सांतत्यक

7.3.1 पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

विकालान्गताग्रस्त बालक का पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन निम्नतम स्तर की विशिष्ट शिक्षा सेवा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन बालकों का स्थापन किया जाता है जिनके विकलांगता की गंभीरता कम होती है या फिर विकलांगता की प्रकृति नियमित कक्षा में शिक्षण-अधिगम को प्रभावित न करती हो। जैसे कि यदि बालक पोलियो से ग्रस्त है और सिर्फ चलने फिरने में असमर्थ है तो इस स्थिति में कक्षा वातावरण में नियमित शिक्षण-अधिगम प्रभावित नहीं होता है। ऐसे बालक का पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन किया जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार की उदार विकलांगता वाले बालक कम प्रशिक्षण के बाद ही स्वावलंबी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष सलाह की आवश्यकता नहीं हो सकती है। नियमित अध्यापकों को भी किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें केवल बालक की विकलांगता की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकता से अवगत करा देना ही पर्याप्त हो सकता है।

कक्षा वातावरण एवं विद्यालय वातावरण में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं जिससे बालक को अल्पतम सिमित या बाधा-रहित वातावरण उपलब्ध किया जा सके परन्तु इस स्थापन में वैसे तो बालक को ही विद्यालय की जरूरतों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। इस व्यवस्था में बालक को समाज की मुख्या धारा में समाकलित कर लिया जाता है।

विशिष्ट बालकों के स्थापन की इस व्यवस्था में नियमित अध्यापक को विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यसामग्री, यन्त्र व उपकरण तथा अनुदेशन विधि आदि प्रदान करा दी जाती है। इस स्तर पर सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्देशन हेतु किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती है। नियमित अध्यापक की विशेषज्ञता तथा कौशल विशिष्ट बालक की जरूरतों को पूर्ण करने में सक्षम हो सकती हैं।

सामान्यतया उदार मानसिक मंदता से ग्रसित बालक, अधिगम विकलांगता से ग्रसित बालक, अस्थि विकलांगता से ग्रसित बालक, वाणी विकलांगता से ग्रसित बालक, दृष्टिबाधित बालक जो ब्रेल सामग्री के साथ स्वाबलंबन पूर्वक काम कर लेते हों तथा ऊँचा सुनने वाले बालक इस प्रकार की नियमित कक्षा की व्यवस्था में पूर्ण-कालिक रूप से स्थापित किये जा सकते हैं।

इस प्रकार की स्थापन व्यवस्था कम खर्चीली है तथा बालक को अपने समुदाय में ही समाकलित करने का अवसर उपलब्ध कराती है। इस व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि नियमित अध्यापक भी विशिष्ट बालक की जरूरतों को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। किसी विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष निर्देशन की जरूरत नहीं पड़ती अतः विद्यालय को ऐसे बालकों को समायोजित करने में कोई परेशानी नहीं होती।

विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

यह स्थापन भी नियमित कक्षा में पूर्ण-कालिक स्थापन है। इसमें बालक नियमित कक्षा का पूर्ण-कालिक विद्यार्थी होता है। नियमित अध्यापक नियमित कक्षा में विशिष्ट पाठ्य-सामग्रियों, विधियों, उपकरणों एवं यंत्रों की सहायता से विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य करता है। परन्तु इस व्यवस्था में नियमित अध्यापकों को विशिष्ट शिक्षकों के परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। विशिष्ट शिक्षक नियमित शिक्षकों को विशिष्ट सामग्रियों के चयन एवं प्रयोग, यंत्रो एवं उपकरणों के प्रशिक्षण तथा विशिष्ट बालकों के आवश्यकतानुरूप शिक्षण विधियों के

प्रयोग सम्बन्धी निर्देशन एवं परामर्श देता है। यहाँ भी विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। वह केवल नियमित अध्यापकों को अनुदेशित करता है।

यह स्थापन भी विशिष्ट बालक को अपने समुदाय में यथासंभव समाकलित करने का प्रयास करता है। इस व्यवस्था में भी विद्यालय के आधारभूत ढांचें में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। परन्तु बालक को अल्पतम सिमित वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

यह स्थापन विशिष्ट बालक की आवश्यकता को थोडा अधिक महत्व देते हुए नियमित कक्षा में पूर्ण-कालिक स्थापन की व्यवस्था करता है। इस स्थापन में विशिष्ट बालक को नियमित कक्षा में ही परिभ्रामी शिक्षक के प्रत्यक्ष निर्देशन व अनुदेशन की व्यवस्था होती है। यह परिभ्रामी शिक्षक नियोजित समय-सारणी के अनुसार विशिष्ट बालकों को व्यक्तिगत या छोटे समूहों में सप्ताह के एक या दो दिन विद्यालय में अपनी प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों या सुदूर क्षेत्रों, जहाँ विशिष्ट बालकों की संख्या कम होती है में उपलब्ध कराई जाती है। ये परिभ्रामी शिक्षक विशिष्ट बालकों से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करते हैं तथा नियमित अध्यापकों को भी विशिष्ट शिक्षण सामग्रियों के चयन, निर्माण एवं प्रयोग तथा विशिष्ट शिक्षण विधियों के साथ उपयुक्त सहायक उपकरणों एवं यंत्रों के प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्देशन एवं परामर्श देते हैं।

इस व्यवस्था से उदार विकलांगों के साथ-साथ संयत विकलांग भी आसानी से लाभान्वित हो जाते हैं। यह स्थापन की व्यवस्था भी कम खर्चीली है क्योंकि एक विशिष्ट परिभ्रामी शिक्षक ८-१० विद्यालयों में अपनी सेवा देता है। जहाँ पर नियमित संसाधन शिक्षक उपलब्ध नहीं कराया जा सकता वहाँ के लिए यह सबसे उपयुक्त व्यवस्था है।

संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

एक कदम और आगे बढ़ते हुए संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन व्यवस्था में विशिष्ट बालक का नामांकन नियमित कक्षा में ही किया जाता है परन्तु उसकी विशिष्ट समस्याओं का निदान संसाधन कक्ष में संसाधन शिक्षक द्वारा किया जाता है। बालक अपने विद्यालय समय का कुछ भाग संसाधन कक्ष में व्यतीत करता है तथा बचे समय में वह नियमित कक्षा का सदस्य होता है। विशिष्ट बालक की समस्याओं की गंभीरता के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के द्वारा उसकी समस्याओं का निदान संसाधन कक्ष में किया जाता है। इस प्रकार के स्थापन व्यवस्था में विद्यालय के आधारभूत ढांचे में अंशतः परिवर्तन किया जा सकता है। इस स्थापन में भी उदार एवं संयत विकलांग लाभान्वित होते हैं। वैसे तो कुछ-कुछ विकलांगताओं की गंभीर स्थितियों को भी इस व्यवस्था से लाभ मिल सकता है। यह व्यवस्था भी बालकों को समाकलित करने का प्रयास करती है। इसमें बालक अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ भी अंतःक्रिया स्थापित करता है।

संसाधन शिक्षक संसाधन कक्ष में विशिष्ट बालकों की समस्याओं का निदान करता है। साथ ही वह नियमित शिक्षकों को भी सहायता प्रदान करता है। उन्हें विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन, निर्माण तथा प्रयोग का प्रशिक्षण देता है तथा विशिष्ट शिक्षण विधियों एवं तकनीकों से भी अवगत कराता है। विशिष्ट बालकों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सहायक उपकरणों एवं यंत्रो का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

इस प्रकार यह स्थापन व्यवस्था अपेक्षाकृत महँगी एवं अधिक जटिल है लेकिन गंभीर विकलांगताओं हेतु अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली है।

सहयोगी समूह शिक्षण सेवाओं के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

सहयोगी समूह शिक्षण विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उनके सामान्य सहपाठियों के साथ नियमित कक्षा में पूर्ण-कालिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत नियमित कक्ष में ही पूरे दिन विशिष्ट अध्यापक नियमित अध्यापकों के साथ विशिष्ट बालकों की समस्याओं को संशोधित एवं अनुकूलित अनुदेशन के द्वारा हल करता है। इस प्रकार की व्यवस्था में छात्रों की संख्या सामान्य कक्ष संख्या से कदापि अधिक नहीं रखी जाती। विशिष्ट बालकों की संख्या कुल बालकों की संख्या की 40%से अधिक नहीं रखी जा सकती। अर्थात कक्ष में सामान्य बालकों की संख्या 20-25 तथा विशिष्ट बालकों की संख्या अधिकतम 10 हो सकती है।

सहयोगी समूह शिक्षण में एक नियमित अध्यापक के साथ एक विशिष्ट अध्यापक सह-पाठ योजना बनाते है तथा उसके अनुसार ही कक्षा में अनुक्रिया एवं क्रिया-कलाप करते हैं। जिससे सभी बालकों के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। विशिष्ट अध्यापक एवं नियमित अध्यापक साथ में विभिन्न विधियों के प्रयोग से एक अधिगम-अनुकूलित वातावरण तैयार करते हैं तथा सामान्य पाठ्यक्रम को लागू करते हैं।

जबकि सहयोगी समूह शिक्षण पूरे दिन उपलब्ध कराया जाता है लेकिन बालकों की समस्याओं के अनुसार यह कम भी हो सकता है या विषयगत भी हो सकता है।यह व्यवस्था भी थोड़ी अपेक्षाकृत महंगी है लेकिन बालकों के पूर्ण समाकलन के अवसर उपलब्ध कराती है। नियमित अध्यापकों की एक व्यावहारिक समस्या भी आ जाती है कि उन्हें विशिष्ट अध्यापक के साथ मिलकर सह-पाठ-योजना का निर्माण करना पड़ता है तथा वे विषय के अध्यापन में भी कठिनाई महसूस करते हैं।

अंश-कालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंश-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

इस प्रकार की सेवा में विशिष्ट बालक विशिष्ट कक्षा का सदस्य होता है तथा अपने पाठ्यक्रम के शैक्षिक भाग के विषयगत समस्याओं को विद्यालय समय के प्रथम अर्ध-भाग में विशिष्ट कक्ष में ही विशिष्ट अध्यापक के विशेष अनुदेशन की सहायता से हल करता है तथा विद्यालय समय के द्वितीय अर्ध-भाग में वह नियमित कक्षा के क्रिया-कलापों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। जिसमें वह संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य सह-विद्य क्रिया-कलापों में भाग लेता है।

इस प्रकार की सेवा में संयत विकलांग ठीक ढंग से लाभान्वित हो सकते हैं। यह सेवा भी बालक को सामान्य से अलग होने का भान कराते हुए भी समाकलन के अवसर उपलब्ध कराती है।

पूर्ण-कालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन

इस सेवा के अंतर्गत विशिष्ट बालक को पूर्ण-रूप से नियमित विद्यालय की विशिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार की सेवा से सामान्यतया गंभीर विकलांगों- जैसे कि गंभीर मानसिक मंदता से ग्रसित बालक को लाभान्वित किया जा सकता है। यह विकलांगजनों को प्रदान की जाने वाली बहुत ही पुरानी एवं परंपरागत प्रकार की सेवा है। इस

प्रकार की सेवा सामान्य सहपाठियों से पृथक्कीकरण के कारण बड़ी आलोचना में भी रही है। इस प्रकार की व्यवस्था में एक ही प्रकार की विकलांगता वाले 10-15 बालकों को विशेष कक्षा में स्थापित किया जाता है, जहाँ बालक विशिष्ट अध्यापको की सहायता से अपने अधिगम को प्राप्त कर पाते हैं। ये बालक पूरे दिन विशिष्ट कक्षा में ही विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा लाभान्वित होते है। केवल मध्यन्हावकाश तथा सामूहिक विद्यालय क्रियाकलापों एवं समारोहों में ही ये विशिष्ट बालक अपने नियमित सामान्य सहपाठियों के साथ अन्तः क्रिया स्थापित कर पाते है। ग्रामीण या सुदूर इलाकों में जहाँ 10-15 एक ही विकलांगता के बालक नहीं मिल पाते वहाँ कई विकलांगताओं को भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन विशिष्ट अध्यापक की विशेषज्ञता भी विभिन्न विकलांगताओं में हो का भी ध्यान दिया जाता है। ताकि विशिष्ट बालकों की समस्याओं का निदान ठीक ढंग से किया जा सके।

इस प्रकार की सेवा पृथक्कीकरण को बढ़ावा देती है अतः वर्तमान में कम लोकप्रिय है। अपेक्षाकृत शैक्षिक निष्पादन के पदों में अधिक प्रभावशाली हो सकती है। परन्तु व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाती।

पूर्ण-कालिक विशेष विद्यालय में स्थापन

यह सेवा विशिष्ट बालकों की किसी एक विकलांगता के विद्यालय के शैक्षिक परिवेश में अधिगम वातावरण उपलब्ध कराती है जहाँ बालक पूरे दिन एक ही विकलांगता वाले बालकों के बीच अपने अधिगम अनुभवों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों को विशेष विद्यालय कहते हैं। यह व्यवस्था भी पृथक्कीकरण को बढ़ावा देती है परन्तु एक सकारात्मक पक्ष यह है कि विद्यालय के बाद बालक अपने माता-पिता एवं परिवार के साथ अंतःक्रिया स्थापित कर पाते हैं। ये विद्यालय विशिष्ट रूप से किसी एक विकलांगता की प्रकृति के अनुसार बनाये गए होते हैं तथा विशिष्ट यंत्रों एवं उपकरणों से सुसज्जित होते हैं जिससे बालकों की सम्पूर्ण समस्याओं का निदान किया जा सके। इस प्रकार की सेवा भी विशेषतः गंभीर विकलांगजनों हेतु ही प्रभावी हो सकती है। अपने देश के अलावे अन्य देशों में भी विशेष विद्यालय काफी प्रचलन में रहें है और आज भी मौजूद हैं।

पूर्ण-कालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन

इस प्रकार की सेवा आवासीय विद्यालयों द्वारा अति सीमित वातावरण में विशिष्ट बालकों को अधिगम अनुभवों के साथ जीवन कौशलों, स्व-सहायता कौशलों तथा सम्प्रेषण कौशलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। इस प्रकार की सेवा से अति गंभीर एवं गहन विकलांगजन लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार की सेवा सामान्यतया पूर्ण दृष्टिबाधित, पूर्ण श्रवणबाधित तथा अति गंभीर मानसिक मंद बालकों को प्रदान की जाती है। ये बालक पूर्णरूपेण समुदाय, परिवार, माता-पिता से पृथक रहते हैं परन्तु लंबी छुट्टियों में उन्हें घर जाने व अपने परिवार या समुदाय से अंतःक्रिया स्थापित करने का अवसर मिलता है। इन विद्यालयों में विशेष विकलांगता के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ अन्य विशेषज्ञ भी होते हैं जहाँ बालक की सम्पूर्ण समस्यायों का निदान एक ही छत के निचे उपलब्ध हो सके। जैसे कि चिकित्सक, मनोचिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, पुनर्वास कार्यकर्ता एवं निर्देशक आदि उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर बालक स्वाबलंबी तो हो जाता है लेकिन यह सेवा पृथक्कीकरण के कारण थोड़ी आलोचना की पात्र भी है। यह व्यवस्था काफी खर्चीली है तथा ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में जहाँ एक विकलांगता के बालकों की संख्या अत्यंत कम हो, उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

अस्पताल तथा गृह-बाध्य अनुदेशन

इस प्रकार की सेवा उन गहन विकलांगजनों को उपलब्ध कराई जाती है जो कि किसी मनोवैज्ञानिक या शारीरिक परिस्थितियों (स्थायी या अस्थायी) के कारणवश अस्पताल या घर से विद्यालय पंहुचने में असमर्थ हों। इस सेवा के अंतर्गत विशिष्ट अध्यापक बालक को अस्पताल या उसके घर पर ही जाकर अनुदेशन देता है तथा उसकी समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही बालक के माता-पिता एवं नियमित अध्यापकों से भी सम्बन्ध स्थापित करता है तथा उसके विकास की योजना बनाता है। इस प्रकार की सेवा से सामान्यतया अतिगंभीर मानसिकमंद या भावात्मक परेशान बालकों को अनुदेशन उपलब्ध कराया जाता है।

पूर्व में ये सेवाएं अधिक सिमित एवं अल्प प्रभावी थीं परन्तु वर्तमान में ये अल्पतम सिमित वातावरण में अत्यधिक प्रभावी हैं। वर्तमान में ये सेवाएं उदार एवं गंभीर विकलांगजनों को अल्पतम सिमित वातावरण में अत्यधिक प्रभावी अनुभव प्रदान कर रहीं हैं। वैसे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सेवायें कम प्रभावी मानी जा रहीं हैं तथा लोग अब समावेशी शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावी एवं मानवीय मान रहे हैं। यूँ तो ये दोनों अलग-अलग सिद्धांत हैं। यहाँ पर हम केवल विशिष्ट शिक्षा के समाकलन सिद्धांत से ही संबधित हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. विशेष शिक्षा सेवाएं क्या हैं?
2. नियमित कक्षाओं में पूर्ण-कालिक स्थापन से आप क्या समझते हैं?
3. नियमित कक्षा में पूर्ण-कालिक स्थापन वाली सेवाओं को गिनाइये?
4. विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में कौन सी सेवा अत्यधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है?और कैसे?
5. विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में कौन सी सेवा पूर्ण पृथक्कीकरण को बढ़ावा देती है?
6. अत्यधिक सिमित वातावरण से आप क्या समझते है?
7. अल्पतम सिमित एवं अत्यधिक प्रभावी वातावरण का क्या तात्पर्य है?
8. विशेष विद्यालयों में पूर्ण-कालिक स्थापन की अनुशंसा किन परिस्थितियों में की जानी चाहिए? स्पष्ट करें

7.4 संसाधन अध्यापक (resource teacher)

संसाधन शिक्षक को 'स्रोत शिक्षक' अथवा 'विशेष शिक्षक' के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष शिक्षा में विशिष्ट योग्यताधारी वैसे शिक्षक होते है जो किसी भी माहौल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये दृष्टि, श्रवण, चलन, एवं मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में डिग्री (विशेष शिक्षा), डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी होने के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation council of india) से पंजीकृत विशेष अध्यापक होते हैं। संसाधन अध्यापक की नियुक्ति एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक विद्यालय के लिए ही की जाती है। उसकी सेवाएँ विशिष्ट बालकों तथा सामान्य शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार स्कूली घंटों के दौरान हर समय उपलब्ध होती है। वह बालकों को संसाधन कक्ष में व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूहों में पढ़ता / सिखाता है।

एकीकृत शिक्षा योजना सबसे पुरानी योजना है, यदि आर्थिक स्थिति आड़े न आए तो विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से यह योजना सर्वाधिक उपयोगी एवं वांछनीय है।

गुण (Qualities) – पर्याप्त सफलता के लिए संसाधन अध्यापक में निम्न गुण होना चाहिए।

- **वाक पटुता** – छात्रों व अपने हित में उसे विद्यार्थियों के माता – पिता, सामान्य अध्यापक, विद्यालय प्रशासक तथा अन्य लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। अत: उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने बात को तार्किक व प्रभावी ढंग से ढंग से प्रस्तुत कर सके।
- **सहनशीलता**(tolerance) – अनजान माता- पिता, सामान्य शिक्षक व छात्रों कि ओर से विशिष्ट बालकों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन विशिष्ट बालक के कक्षा में बहुत कम होने तथा अन्य छात्रों कि संख्या बहुत अधिक होने के कारण कक्षा शिक्षक ऐसे बालकों की समस्याओं की ओर प्राय: कम ध्यान दे पाते हैं। इन चुनौतियों की सामना वह अतिरिक्त सहनशीलता के आधार पर ही कर सकता है।
- **जमा पाठ्यक्रम (plus Curriculum) की अच्छी जानकारी** – विशिष्ट विद्यालयों में अनेक प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। यदि एक शिक्षक किसी जमा पाठ्यक्रम क्षेत्र में कमजोर है तो दूसरा शिक्षक उसकी अथवा छात्रों की मदद कर सकता है परंतु एकीकृत शिक्षा योजना में केवल वही अकेला विशेषज्ञ होता है। इसलिए उसके कमजोरी का दुष्परिणाम निश्चित रूप से छात्रों को भुगतना पड़ेगा। उसे ब्रेल लिपि के विभिन्न नियमों की भलीभाँति जानकारी, ब्रेल गणित संहिता की जानकारी, ब्रेल लेखन एवं गणना उपकरणों के के प्रयोग की अच्छी जानकारी, भूगोल विषय के लिए उपयोगी स्पर्शीय उपकरणों मानचित्र को बनाने और उसका प्रयोग बनाने की दक्षता, आवश्यक जीवन उपयोगी कौशल (Daily living skill) सिखाने इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए।
- **विशिष्ट सामाग्री स्रोतों की जानकारी** – विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी उपकरण व शिक्षण सामाग्री हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। संसाधन अध्यापक को उन देशी – विदेशी संस्थाओं व स्रोतों की जानकारी होनी आवश्यक है जहाँ से उसे प्राप्त किया जा सके।
- **विशिष्ट बालकों के प्रति स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिवृतियाँ**- संसाधन अध्यापक निष्ठा पूर्वक अपने उत्तरदायित्वों को तभी निभा पाएगा जब उनके मन में विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृतियाँ हों।
- विशिष्ट बालकों तथा उनके माता पिता, अभिभावकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श देने की क्षमता।
- सामान्य बाल मनोविज्ञान तथा विशिष्ट बालकों के मनोविज्ञान को समझना।
- पाठ्यक्रम में विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन की क्षमता।
- सामान्य अध्यापक व छात्रों में विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृति उत्पन्न करने की क्षमता एवं उन्हें विशिष्ट बालकों को आवश्यक सहयोग देने के लिए प्रेरित करने की क्षमता।

- ❖ अपने विद्यार्थियों के लिए सामुदायिक संसाधन प्रयोग करने की जानकारी।
- ❖ विशिष्ट बालकों की हीन भावना दूर करने तथा उनमें आत्मसम्मान व आत्म छवि विकसित करने की योग्यता।
- ❖ स्थानीय रूप से प्राप्त तथा अनुपयोगी वस्तुओं से शिक्षण सामाग्री तैयार करने की कला।

कार्य एवं उत्तरदायित्व(work and responsibilities) – संसाधन अध्यापक के कार्य उत्तरदायित्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है।

- ❖ प्रत्यक्ष कार्य एवं उत्तरदायित्व
- ❖ अप्रत्यक्ष कार्य एवं उत्तरदायित्व

प्रत्यक्ष कार्य एवं उत्तरदायित्व- इस श्रेणी में वे कार्य सम्मिलित होते है जिसमें अध्यापक व छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में हो तथा अध्यापक व छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में हों तथा अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण अथवा परामर्श इत्यादि सेवाएँ प्रदान करें। ऐसे कार्यों की संख्या तथा उन्हें दिये जाने वाले समय की मात्रा प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक तथा बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कम होती जाती है। प्रमुख प्रत्यक्ष कार्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित है:-

- प्रवेश के समय बालकों का मनोवैज्ञानिक, दैनिक – कौशल विषयक संवेदी तथा बोधात्मक मूल्यांकन करना।
- छात्रों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रशिक्षण देना।
- विभिन्न कारणों से अपने किसी एक अथवा अधिक विषय में पिछड़े बालकों का शिक्षण।
- आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वाचन।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण।
- छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक, उच्च शिक्षा, पारिवारिक एवं यौन समस्याओं के सबंध में मार्ग दर्शन एवं परामर्श देना।
- उन्हें यथासंभव अधिकाधिक आत्म अभिव्यति के साधन उपलब्ध कराने हेतु, वाचन वाद विवाद, नाटक, कहानी सुनाने व कहानी लेखन, काव्य पाठ, विभिन्न प्रकार के आंतरिक व वाह्य खेलकूद, निबंध लेखन, संगीत और नृत्य, मिट्टी की अनुकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण देना तथा इससे संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- न्यून दृष्टि बालकों को अवशिष्ट दृष्टि के अधिकतम प्रयोग हेतु प्रशिक्षण देना।
- विशिष्ट बालकों के सहायक उपकरणों के सामान्य रख रखाव की जानकारी देना।

- छात्रों को देश विदेश के सफल एवं प्रसिद्ध विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना।

अप्रत्यक्ष कार्य एवं उत्तरदायित्व – इस श्रेणी के अंतर्गत उन समस्त कार्यों को रखा जाता है जिन्हें संसाधन अध्यापक छात्रों की अनुपस्थिति में उनकी शिक्षा प्रक्रिया को सफल एवं सुगम बनाने के लिए करता है। इनमें कुछ प्रमुख कार्य व उत्तरदायित्व निम्न हैं –

- ❖ बालकों की खोज तथा उसके माता-पिता को विशिष्ट बालकों की शिक्षा की संभावनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना।
- ❖ बालकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करना।
- ❖ बालकों को स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने में सहायता करना।
- ❖ माता-पिता/अभिभावकों को विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में समझना।
- ❖ अतिरिक्त समस्या बाले माता पिता को उपर्युक्त सलाह देना।
- ❖ बालकों की शिक्षा प्रक्रिया तथा दैनिक कौशलों के प्रशिक्षण के संबंध में विशिष्ट बालकों के माता-पिता को प्रशिक्षण देना।
- ❖ बालकों के माता पिता, अभिभावक, सहपाठी, सामान्य अध्यापक, अन्य स्कूल कर्मचारी तथा समुदाय में मौखिक, लिखित व इलेक्ट्रोनिक प्रसारण माध्यमों का यथासंभव उपयोग करते हुए विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृति उत्पन्न करना।
- ❖ सामान्य शिक्षकों को समय- समय पर समूहिक बैठकों तथा इश्तेहारों के माध्यम से विशिष्ट बालकों के प्रति अपनी कक्षाओं में उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराना तथा उनके निर्वहन के संबंध में परामर्श देना।
- ❖ परीक्षाओं में छात्रों के लिए आवश्यकतानुसार मौखिक तथा ब्रेल के माध्यम से मूल्यांकन करने की व्यवस्था करना।
- ❖ ब्रेल में लिखे गए उत्तरों को सामान्य अध्यापकों के लिए दृश्य लिपि में तैयार करना ताकि मूल्यांकन संभव हो सके।
- ❖ बड़ी कक्षाओं में छात्रों के लिए श्रुतिलेखक की व्यवस्था करना।
- ❖ आगामी सत्र के लिए शिक्षण सामाग्री व उपकरणों का पूर्वानुमान लगाना।
- ❖ समय, संसाधन तथा अधिकतम लाभ की दृष्टि से शैक्षिक भ्रमण के लिए स्थान का चुनाव करना तथा उनकी सफलता के लिए व्यापक पूर्व योजना बनाना।

ऊपर बताई गई सूची को अंतिम तथा अनिवार्य नहीं समझना चाहिए। अंतिम इसलिए नहीं क्योंकि अलग अलग स्थानों पर परिवेश भी अलग रहता है और उसके अनुसार संसाधन अध्यापक के कार्य व उत्तरदायित्वों में कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है।

7.5 परिभ्रामी अध्यापक

परिभ्रामी अध्यापक किसी एक स्कूल विशेष में सेवाएँ प्रदान करने की बजाय दो अथवा तीन विद्यालयों में पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन अथवा निश्चित दिनों में जाकर वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे विशिष्ट बालकों को व्यक्तिगत आधार पर या छोटे-छोटे समूहों में सेवाएँ प्रदान करता है। जमा पाठ्यक्रम क्रियाओं का शिक्षण, विशेष उपकरण, शिक्षण सामग्री एवं परामर्श देता है। वह आवश्यकतानुसार सामान्य अध्यापकों एवं बालकों के माता-पिता को भी सहयोग देता है ताकि विशिष्ट बालकों की शिक्षा सुचारु रूप से चल सके।

परिभ्रामी अध्यापक योजना संसाधन अध्यापक की तुलना में कम खर्चीली है क्योंकि इसके अंतर्गत यदि अध्यापक को एक स्कूल में आठ बालक उपलब्ध न हो तो 2 -3 स्कूलों में 8-10 बालक उसे प्राप्त हो जाते हैं जो सामान्यत: एक विशिष्ट अध्यापक के लिए वांछनीय संख्या समझी जाती है। इसके फलस्वरूप बालक अपने निकटतम विद्यालय में जाते हैं तथा उन्हें वही पर विशिष्ट अध्यापक की सेवाएँ भी प्राप्त हो जाती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त समझी जाती है । भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार इत्यादि राज्यों में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है । परिणाम भी संतोषजनक बताए जाते है ।

संसाधन कक्ष के स्थान पर परिभ्रामी अध्यापक न्यूनतम आवश्यक विशिष्ट शिक्षण सामग्री तथा उपकरण से भरा एक बस्ता का प्रयोग करता है जिसे आमतौर पर संसाधन किट कहा जाता है । वह एक-एक किट प्रत्येक बालक को उपलब्ध कराता है तथा एक किट स्वंय अपने पास रखता है ।

गुण (Qualities)

1. समय की पाबंदी – यह गुण सभी में वांछित है परंतु परिभ्रामी अध्यापक के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। विशिष्ट बालकों को दिन में एक या आधा घंटा अथवा वैकल्पिक दिनों में कुछ समय के लिए ही विशिष्ट अध्यापक की सेवाएं मिल पाती है यदि विशिष्ट अध्यापक समय पर नहीं पहुँच पाता तो उन्हें एक या दो दिन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी और इस बीच उनके समक्ष आयी समस्याओं की संख्या बढ़ती जाएगी । छोटे बालक अपनी कठिनाइयाँ भूल सकते हैं और इस प्रकार वे अपने सहपाठियों से पिछड़ने लगेंगे।
2. आत्म- अनुशासन – परिभ्रामी अध्यापक संसाधन अध्यापक की तुलना में अधिक स्वतंत्र होता है, इसलिए एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाते समय उसे समय की बर्बादी से स्वंय बचना होगा तथा प्रत्येक स्थान पर नियत समय पर पहुँचने के लिए उसे अधिक आत्म अनुशासन की आवश्यकता है ।
3. सहनशीलता – अनजान माता- पिता, सामान्य शिक्षक व छात्रों कि ओर से विशिष्ट बालकों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन विशिष्ट बालक के कक्षा में बहुत कम होने तथा अन्य छात्रों कि संख्या बहुत अधिक होने के कारण कक्षा शिक्षक ऐसे बालकों की समस्याओं की ओर प्राय: कम ध्यान दे पाते हैं । इन चुनौतियों की सामना वह अतिरिक्त सहनशीलता के आधार पर ही कर सकता है ।
4. जमा पाठ्यक्रम (plus Curriculum) की अच्छी जानकारी – विशिष्ट विद्यालयों में अनेक प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं । यदि एक शिक्षक किसी जमा पाठ्यक्रम क्षेत्र में कमजोर है तो दूसरा शिक्षक उसकी अथवा छात्रों की मदद कर सकता है परंतु एकीकृत शिक्षा योजना में केवल वही अकेला विशेषज्ञ होता है । इसलिए उसके कमजोरी का दुष्परिणाम निश्चित रूप से छात्रों को भुगतना पड़ेगा । उसे ब्रेल लिपि के विभिन्न नियमों

की भलीभाँति जानकारी, ब्रेल गणित संहिता की जानकारी, ब्रेल लेखन एवं गणना उपकरणों के के प्रयोग की अच्छी जानकारी, भूगोल विषय के लिए उपयोगी स्पर्शीय उपकरणों मानचित्र को बनाने और उसका प्रयोग बनाने की दक्षता, आवश्यक जीवन उपयोगी कौशल (Daily living skill) सिखाने इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए।

5. विशिष्ट सामाग्री स्रोतों की जानकारी – विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी उपकरण व शिक्षण सामाग्री हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। परिभ्रामी अध्यापक को उन देशी – विदेशी संस्थाओं व स्रोतों की जानकारी होनी आवश्यक है जहाँ से उसे प्राप्त किया जा सके।
6. विशिष्ट बालकों के प्रति स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिवृतियाँ- परिभ्रामी अध्यापक निष्ठा पूर्वक अपने उत्तरदायित्वों को तभी निभा पाएगा जब उनके मन में विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृतियाँ हों।
7. विशिष्ट बालकों तथा उनके माता पिता, अभिभावकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श देने की क्षमता।

परिभ्रामी अध्यापक के कार्य :-

- प्रवेश के समय बालकों का मनोवैज्ञानिक, दैनिक – कौशल विषयक संवेदी तथा बोधात्मक मूल्यांकन करना।
- छात्रों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रशिक्षण देना।
- विभिन्न कारणों से अपने किसी एक अथवा अधिक विषय में पिछड़े बालकों का शिक्षण।
- आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वाचन।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण।
- छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक, उच्च शिक्षा, पारिवारिक एवं यौन समस्याओं के सबंध में मार्ग दर्शन एवं परामर्श देना।
- उन्हें यथासंभव अधिकाधिक आत्म अभिव्यति के साधन उपलब्ध कराने हेतु, वाचन वाद विवाद, नाटक, कहानी सुनाने व कहानी लेखन, काव्य पाठ, विभिन्न प्रकार के आंतरिक व वाह्य खेलकूद, निबंध लेखन, संगीत और नृत्य, मिट्टी की अनुकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण देना तथा इससे संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- न्यून दृष्टि बालकों को अवशिष्ट दृष्टि के अधिकतम प्रयोग हेतु प्रशिक्षण देना।
- विशिष्ट बालकों के सहायक उपकरणों के सामान्य रख रखाव की जानकारी देना।
- छात्रों को देश विदेश के सफल एवं प्रसिद्ध विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना।
- बालकों की खोज तथा उसके माता - पिता को विशिष्ट बालकों की शिक्षा की संभावनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना।
- बालकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करना।
- बालकों को स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने में सहायता करना।
- माता-पिता/अभिभावकों को विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में समझना।

- अतिरिक्त समस्या बाले माता पिता को उपर्युक्त सलाह देना।
- बालकों की शिक्षा प्रक्रिया तथा दैनिक कौशलों के प्रशिक्षण के संबंध में विशिष्ट बालकों के माता-पिता को प्रशिक्षण देना।
- बालकों के माता पिता, अभिभावक, सहपाठी, सामान्य अध्यापक, अन्य स्कूल कर्मचारी तथा समुदाय में मौखिक, लिखित व इलेक्ट्रोनिक प्रसारण माध्यमों का यथासंभव उपयोग करते हुए विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृति उत्पन्न करना।
- सामान्य शिक्षकों को समय- समय पर समूहिक बैठकों तथा इश्तेहारों के माध्यम से विशिष्ट बालकों के प्रति अपनी कक्षाओं में उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराना तथा उनके निर्वहन के संबंध में परामर्श देना।

7.6 संसाधन कक्ष

विशिष्ट विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति की जिम्मेदारी विशेष अध्यापक की होती है इन विशेष आवश्यकताओं को जमा-पाठयक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है । निश्चित रूप से इन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष शिक्षण सामाग्री की भी आवश्यकता होती है । विशेष विद्यालय में तो इस सामग्री को कक्षा में भी रखा जा सकता है, वहीं एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत इस सामाग्री को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे संसाधन कक्ष कहा जाता है ।

संसाधन कक्ष- अर्थ व आवश्यकता

संसाधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- सं+साधन । सं का अर्थ है सहित और साधन का अर्थ है सामग्री, अर्थात वह कक्ष जो सामग्री सहित हो। अर्थात वह कक्ष जहां विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेष सामग्री हो, जिनके द्वारा विशिष्ट बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसे "संपूरक कक्ष" भी कहा जाता है, अर्थात वह कक्ष जो विशिष्ट बालकों के लिए पूरक के रूप में कार्य करे।

सामान्य विद्यालय में एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत संसाधन कक्ष प्रारूप में संसाधन कक्ष विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें विशिष्ट बालकों के शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए उचित सामग्री रखी जाती है। विकलांग बालकों में दृष्टि एवं श्रवण क्षमता कम होने के कारण उन्हें अन्य संवेदों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके प्रशिक्षण के लिए उचित सामाग्री संसाधन कक्ष में रखी जाती है। इस कक्ष में विशिष्ट बालक प्रतिदिन संसाधन शिक्षक के पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं। यह प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप से विकलांग बालकों को उपलब्ध कराया जाता है ।

7.7 उपकरण

i. ब्रेल (Braille) – ब्रेल पढ़ने लिखने की ऐसी व्यवस्था है जिसमे दो कालम में तीन तीन की संख्या में बंटे हुये छ: उभरे हुये बिन्दु होते है, जिसमें एक नुकीली पिन अर्थात स्टाइलस की सहायता से दबाकर ब्रेल के बिन्दु उभारे जाते है।

ii. ब्रेलर (Brailler)- ब्रेलर ब्रेल लिखने की एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक बार में ब्रेल के एक अक्षर के सभी बिन्दुओं को उभारे जा सकते हैं ।

iii. पाकेट फ्रेम (pocket frame)- यह ब्रेल स्लेट का छोटा रूप होता है जिसको जेब में रखकर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है।

iv. टेलर फ्रेम (Tailor Frame)- यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अंकगणित तथा बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह या संख्याओं को प्रकट करते हैं या लिखते हैं।

v. अबेकस (abacus)- अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएँ की जाती है, जिसमें गिनती, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना शामिल है।

vi. ज्यामितीय किट- यह उपकरण रेखागणित में उपयोगी होता है।

vii. इलेक्ट्रोनिक नोट टेकर – यह एक कम क्षमता वाला कम्प्युटर होता है। इसका आकार एक वीडियो कैसेट के जितना होता है। साधारणत: इस उपकरण में एक ब्रेलर की तरह 7 कुंजियाँ लगी होती है जिसका प्रयोग करके ब्रेल के अक्षरों को टाइप किया जाता है।

viii. टाकिंग कैलकुलेटर- इसकी सहायता से पूर्ण अंधे बच्चे गणित संबंधी कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो बटन दबाये जाते है, वही अंक सुनाई देती है।

ix. लेजर छड़ी (Laser Cane)- यह लंबी छड़ी जैसा ही साधन है। इससे इंफ्रारेड प्रकाश की तीन किरणें निकलती है। एक ऊपर, एक नीचे और एक सीधे दिशा में निकलता है। प्रकाश की ये किरणें जब किसी बस्तु से टकराती है तो वह ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है और इसी ध्वनि की आवाज से दृष्टि अक्षमताग्रस्त बच्चे सचेत हो जाते है।

x. श्रवण यंत्र (Hearing aids)- श्रवण वाधित बालकों को स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जो वातावरण की आवाज को ग्रहण कर उसे कई गुणा बढ़ा कर सीधे कान में पहुंचाता है। इसकी सहायता से कम सुनने बाला बच्चा भी उस आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता है।

xi. बैसाखी(Crunch)- कमजोर पैरों वाले बच्चों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बैसाखी बच्चों को सहायता प्रदान करती है।

xii. कैलीपर्स (Callipers)- यह जूतों के साथ लगा पैरों को सहारा प्रदान करने वाला साधन है, जो कमजोर पैरों को सहारा प्रदान करता है।

अभ्यास प्रश्न

1. एक संसाधन शिक्षक में कौन-कौन सी गुण होने चाहिए ?
2. संसाधन शिक्षक के कार्यों का वर्णन करें।
3. विशिष्ट बालकों के प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों का वर्णन करें।

7.8 सारांश

प्रारम्भिक समय से ही विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह से प्रयास किये गए हैं, इस प्रयास के क्रम में कई प्रकार की सेवाएं अस्तित्व में आयीं जिनमें से प्रमुख सेवाएं इस प्रकार है-

1. पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन (Full-time placement in a regular classroom): इस प्रकार की सेवा में विशिष्ट बालक सामान्य कक्षा का पूर्ण-कालिक सदस्य होता है तथा नियमित अध्यापकों के अनुदेशों से ही उसकी समस्याओं का निदान कर लिया जाता है।
2. विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with special education consultations): इस प्रकार की सेवा विशिष्ट बालकों को नियमित कक्षा में ही स्थापित कराती है तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष शिक्षण सहायक सामग्रियों, सहायक उपकरणों एवं तकनीकों के प्रयोग का प्रयोजन करती है।
3. परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with provisions of itinerant special educator service): इस सेवा के अंतर्गत विशिष्ट बालक नियमित कक्षा का ही सदस्य रहता है परन्तु एक परिभ्रामी शिक्षक की सहायता से उसके नियमित शिक्षकों को निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था होती है। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक के द्वारा बालक को प्रत्यक्ष निर्देशन नहीं मिलता है।
4. संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with provision of resource room/resource teacher): यह सेवा विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षक की प्रत्यक्ष सेवा संसाधन कक्ष में प्रदान कराती है तथा बालक अन्य क्रियाकलापों को नियमित कक्षाओं में ही करता है।
5. सहयोगी समूह शिक्षण सेवाओं के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन (Full-time placement in a regular classroom with provision of collaborative team teaching services): इस सेवा में बालक नियमित कक्षा में ही अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है। यहाँ पर विशिष्ट बालकों की समस्याओं को हल करने हेतु एक ही समय में कक्षा में दो या तीन शिक्षक होते हैं। एक नियमित शिक्षक व् अन्य विशिष्ट शिक्षक।
6. अंश-कालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंश-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Part-time placement in a regular classroom with part-time placement in a special class): इस प्रकार की सेवा में बालक विद्यालय समय का कुछ भाग विशिष्ट वर्ग में, जहाँ उसकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तथा शेष नियमित कक्षा में, जहाँ वह अन्य सामान्य सहपाठियों के साथ विद्यालय की क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है व्यतीत करता है।
7. पूर्ण-कालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a special class): इस प्रकार की सेवा में नियमित विद्यालाय में ही एक विशिष्ट कक्षा का प्रबंध होता है जिसमें बालक पुरे दिन उसी विशिष्ट कक्षा में शिक्षा ग्रहण करता है तथा विद्यालय के अन्य सामूहिक गैर शैक्षणिक क्रिया-कलापों में अपनी सहभागीता सुनिश्चित करता है।
8. पूर्ण-कालिक विशेष विद्यालय में स्थापन(Full-time placement in a special school): यह सेवा किसी एक विकलांगता में विशेषज्ञता रखती है तथा इस विद्यालय में केवल उसी विकलांगता के विद्यार्थी ही नामांकित किये जाते हैं। बालक विद्यालय में विद्यार्जनोपरांत अपने घर व समुदाय से अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त करता है।

9. पूर्ण-कालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन(Full-time placement in a residential school): इस सेवा के अंतर्गत बालक आवासीय विद्यालय जो की किसी एक विकलांगता में विशेषज्ञता रखते हैं में नामांकित किया जाता है तथा २४-घंटे विद्यालय में अपने शैक्षिक क्रिया-कलापों के साथ जीवन के अनेक कौशलों को सीखता है। बालक छुट्टियों एवं त्योहारों में अपने घर को जाते है।
10. अस्पताल तथा गृह-बाध्य अनुदेशन (Hospital and home-bound instruction): इस सेवा के अंतर्गत बालक को अस्पताल या घर पर ही अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। इस सेवा में विशिष्ट शिक्षक स्वयं बालक को अनुदेश देता है तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी निर्देशित करता है।
11. संसाधन शिक्षक (resource Teacher)- यह एक विशिष्ट प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं जो विकलांग बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ति करता है ।
12. संसाधन कक्ष- यह विद्यालय का एक ऐसा कक्ष होता है जहाँ विशिष्ट बालकों से संबन्धित उपकरण एवं शिक्षण सहायक सामाग्री रखे जाते हैं ।

7.9 शब्दावली

1. संतात्यक- बिना किसी विदरूप परिवर्तन के क्रमागत विकास।
2. अल्पतम सिमित वातावरण- ऐसा वातावरण जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास अधिकतम हो।
3. समाकलन- बालक को उसके परिवार व समुदाय से जोडना।
4. संयत विकलांगता- विकलांगता की गंभीरता को प्रदर्शित करता है जो कि वर्गीकरण का एक पद है।
5. जमा पाठ्यक्रम – पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विकलांग बालको के लिए आवश्यक उपकरणों का ज्ञान
6. उपचारात्मक शिक्षण – पिछड़े बालकों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का अनुदेशन ।
7. दैनिक कौशल – व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले आवश्यक कार्य (ब्रश करना, स्नान करना इत्यादि)।

7.10 संदर्भ ग्रंथ

दास एम० (2007). *एजुकेशन आफ एक्सप्सनल चिल्ड्रेन.* अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली.

संजीव के० (2008). *विशिष्ट शिक्षा.* जानकी प्रकाशन, पटना.

ए०आई०सी०बी० (2004)- शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला, रोहिणी, दिल्ली।

पांडा, के0सी0 (1997), " एजुकेशन ऑफ एक्सेपसनल चिल्डेन" नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।

गोविन्द राव, एल0 (2007), पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एडुकेशन: हैदराबाद: नीलकमल पब्लिकेशन।

मुखोपाध्याय, एस0 एण्ड मनी, एम0एन0जी0 (2002) एडुकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद् स्पेशल नीड्स, नई दिल्ली: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

इग्नू (2009) फाउनडेशन कोर्स आन एडूकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद डिसएबिलिटीस। नई दिल्ली इग्नू।

हल्हान, डी० पी० एण्ड काफमैन, जे० एम० (1991). *अपवादित बच्चे: विशिष्ट शिक्षा का परिचय.* एलिन एण्ड बेकन, बोस्टन

7.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकारों का उल्लेख कीजिये?
   Discuss about different types of services available in special education?
2. आप विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में सबसे प्रभावी सेवा किसे मानते हैं? और क्यों?
   Which service in field of special education is most effective verify in your own view?
3. संसाधन शिक्षक के कार्यों का विवेचना कीजिये?
   Dicuss responsibilities of resource teachers?
4. संसाधन कक्ष से आप क्या समझते हैं ? विशेष बालकों के लिए प्रयुक्त उपकरणों का वर्णन करें ?
   State about resource room? Explain tools used by special children?

इकाई 8 -एकीकृत शिक्षा का अर्थ, एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति, एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र, एकीकृत शिक्षा का महत्व

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 एकीकृत शिक्षा का अर्थ
1.3.1 एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ
1.4 एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति
1.4.1 एकीकृत शिक्षा के प्रारूप
1.5 एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र
1.6 एकीकृत शिक्षा का महत्व
1.6.1 विकलांग बच्चों के लिए महत्व
1.6.2 विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए महत्व
1.7 एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर
1.8 सारांश
1.9 शब्दावली
1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.11 संदर्भ ग्रंथ सूची
1.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
1.13 निबंधात्मक प्रश्न

8.3 एकीकृत शिक्षा का अर्थ (Meaning of Integrated education)

एकीकृत अथवा 'इनटिग्रेट' का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों या विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही 'एकीकृत शिक्षा' कहलाता है।

एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे को सामान्य विद्यालय के अन्तर्गत विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है। विकलांग बच्चे अलग कक्षा में तो शिक्षा ग्रहण करते हैं परन्तु कक्षा के बाहर दूसरे कार्य सामान्य बच्चों के साथ करते हैं। एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विकलांग बच्चों को अलग शिक्षा जोकि विशेष शिक्षा के रूप में होता था, को हटाकर उनको सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना है। वर्तमान समय में एकीकृत शिक्षा पुरानी बात हो गयी है तथा अब समावेशित शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको आप आगे के इकाई में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।

8.3.1 एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ

जैसा कि आप जानते होंगे कि विकलांग बच्चों की शिक्षा की शुरुआत विशेष विद्यालय से हुई। विशेष विद्यालय विकलांग बच्चों के घर से दूर होते थे जहाँ ये बच्चे रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। समय के साथ-साथ इस बात की चर्चा होने लगी कि विकलांग बच्चे सर्वप्रथम बच्चे हैं, उसके बाद उनकी विकलांगता आती है। अतः उनको भी दूसरे सामान्य बच्चों जैसा घर के पास सामान्य विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। इसी सोच ने एकीकृत शिक्षा को जन्म दिया।

भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1974 में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गयी ''विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' (इन्टिग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन) जिसको संक्षेप में आइ.ई.डी.सी. योजना भी कहते हैं, से हुई। (शर्मा, 2004)।

आई.ई.डी.सी. योजना कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गयी थी जबकि सामान्य विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत होते हैं अतः इस योजना को सही ढंग से लागू करने में परेशानी होती थी। जब 1981 में (इस वर्ष को संयुकत राष्ट्र संघ ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था) इस योजना का मूल्यांकन किया गया तो कुछ कमियों को देखते हुए इसे 1982-83 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया।

सन् 1992 में इस योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत उस विद्यालय को जो विकलांग बच्चों के एकीकरण में सम्मिलित थे उनको 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की बात कही गयी। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता दी जाने लगी। (शर्मा, 2005)

भारत सरकार के इन सब प्रयासों से ही एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक आर्थिक रूप से सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार की गयी। आई.ई.डी.सी. योजना की यह एक महत्वपूर्ण देन है कि विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाने लगी।

अभ्यास प्रश्न

1. एकीकृत का अर्थ होता है _____।
2. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे को सामान्य विद्यालय के अन्तर्गत _____ पढ़ाया जाता है।
3. भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ सन् _____में हुआ था।

8.4 एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति

एकीकृत शिक्षा की प्रकृति मुख्यतः मानव जाति के विकास पर, विद्यार्थी में समाज के अनुकूल तथा सामाजिक जीवन में भागीदारी की योग्यताओं का विकास करने पर फोकस करती हैं। ज्ञान की शिक्षा विद्यार्थी को बुद्धिमान बनाती है, तथा जीवन की शिक्षा विद्यार्थी में अच्छे व्यक्तित्व का विकास करती है। (मंग)। एकीकृत शिक्षा चार प्रकार के सीखने के सिद्धान्त पर फोकस करती है, जो हैं

- जानने के लिए सीखना

- करने के लिए सीखना
- एक साथ रहने के लिए सीखना
- पूरे शिक्षा के एकीकरण के लिए सीखना।

उपर्युक्त चार प्रकार के सीखने का मूल है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक सिद्धान्त एवं आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए। (मंग)।

8.4.1 एकीकृत शिक्षा के प्रारूप

एकीकृत शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति का अध्ययन करने के बाद अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया क्या है अर्थात एकीकृत शिक्षा कैसे दी जाती है। एकीकृत षिक्षा के लिए प्रक्रिया को हम इसके विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से समझ सकते हैं।

इस खण्ड में हम एकीकृत शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करेंगे;

- ❖ संसाधन कक्ष प्रारूप (resource room model)
- ❖ परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप(integregreted teacher model)
- ❖ संयुक्त प्रारूप (combined model)
- ❖ गुच्छित अथवा समूह प्रारूप (cluster model)
- ❖ सहयोगी प्रारूप (cooperative model)
- ❖ द्विशिक्षण प्रारूप (dual teacher model)
- ❖ बहुकौशल शिक्षण प्रारूप (multi skillteaching model)

संसाधन कक्ष प्रारूप: एकीकृत शिक्षा योजना के इस प्रारूप में समान्य विद्यालय में एक विशेष कक्ष होता है, जिसे 'संसाधन कक्ष' (रिर्सोस रूम') कहते हैं। इस कक्ष में विकलांग विद्यार्थियों के विशेष प्रशिक्षण हेतु विशेष सामग्री उपलब्ध होती है। विकलांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था इस कक्ष में की जाती है। इस कक्ष का पूरा दायित्व विशेष अध्यापक पर होता है, जिसे इस कक्ष के नाम के आधार पर 'संसाधन शिक्षक' (रिर्सोस टीचर) कहा जाता है। विकलांग विद्यार्थी सामान्य विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अपनी आयु के समकक्ष विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये विद्यार्थी आवश्यकतानुसार सीमित समय के लिए संसाधन कक्ष में आकर संसाधन अध्यापक से विशेष प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे - ब्रेल लेखन, पठन, संवेदन, प्रशिक्षण, (सेन्सरी ट्रेनिंग), अनुस्थितिविज्ञान एवं चलिष्णुता (ओरिएन्टेशन एवं मोबिलिटी) इत्यादि।

परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप: यदि विकलांग विद्यार्थियों की संख्या बिखरा हुआ हो अर्थात एक सामान्य स्कूल में एक या दो बच्चे हो दूसरे व तीसरे स्कूल में भी वही स्थिति हो तो उस अवस्था में संसाधन कक्ष योजना उचित नहीं होती। दूरी के कारण माता-पिता अपने विकलांग बच्चे को संसाधन कक्ष वाले सामान्य विद्यालय में भर्ती नहीं करा पाते। आने जाने की असुविधा के कारण माता-पिता निकट के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहते हैं। ऐसी

अवस्था में परिभ्रामी अध्यापक योजना अधिक होती है।परिभ्रामी अध्यापक योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चे घर के पास सामान्य विद्यालय में दाखिला लेते हैं तथा परिभ्रामी अध्यापक जो कि एक विशेष अध्यापक होता अलग-अलग विद्यालयों में जाकर इन बच्चों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देता है। परिभ्रामी अध्यापक के पास एक संसाधन किट होता है जिसमें इन बच्चों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु विशेष सामग्री होती है, जैसे - ब्रेल उपकरण, टेलरफ्रेम, श्रव्य सामग्री इत्यादि।

संयुक्त प्रारूप: इस योजना के अन्तर्गत कई योजनाओं अथवा प्रारूपों का वर्णन होता है अथवा एक विशेष अध्यापक की सेवाएं कई योजनाओं के लिए भी ली जाती हैं। किसी भी शहर/कस्बे के कुछ विद्यालय संसाधन कक्ष के आधार पर विकलांग बच्चों को शिक्षा देते हैं तथा कुछ बच्चों को परिभ्रामी प्रारूप के आधार पर। यदि संसाधन कक्ष वाले विद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो इस स्थिति में संयुक्त प्रारूप उपयुक्त होता है।यह योजना बहुत लचीली है, इस योजना में एक विशेष शिक्षक एक विद्यालय में एक संसाधन कक्ष योजना के आधार पर विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अथवा शिक्षा देता है, वहीं दूर विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विकलांग विद्यार्थियों को परिभ्रामी शिक्षा योजना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। संसाधन कक्ष योजना व परिभ्रामी अध्यापक का योग होने के कारण इसे संयुक्त प्रारूप कहा जाता है।

गुच्छित अथवा समूह प्रारूप: पहाड़ी स्थानों पर परिवहन के साधन उपलब्ध होने पर भी थोड़ी दूरी को तय करने में काफी समय लग जाता है, दुर्गम स्थान पर तो ये साधन उपलब्ध भी नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए गुच्छित अथवा समूह योजना/प्रारूप उपयुक्त होता है।इस योजना के अन्तर्गत एक मुख्य संसाधन केन्द्र होता है, जिसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र अपने समूह के विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रत्येक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र के अन्तर्गत अधिकतम 8 विकलांग विद्यार्थी होते हैं। मुख्य संसाधन केन्द्र अपने अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों के अध्यापकों के विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है व उनके द्वारा शैक्षिक प्रशिक्षण दिए जाने वाले विकलांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर सामग्री उपलब्ध कराता है।

सहयोगी प्रारूप: इस प्रारूप के अन्तर्गत सहयोग के आधार पर विशेष विद्यालयों को एकीकृत शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षण प्रदान किया जाता है, इसी करण इसे सहयोगी प्रारूप/योजना कहते हैं।इस प्रारूप के अन्तर्गत सामान्य विद्यालय के अन्दर ही एक विशेष इकाई (सेल) होती है। इस कइाई में आवश्यकतानुसार कमरे होते हैं, जिसमें विकलांग बच्चे मुख्य रूप से इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। केवल कुछ विषयों के लिए इन विद्यार्थियों को इनकी आयु के समकक्ष कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। विशेष इकाई इन विद्यार्थियों का मुख्य कक्ष होता है, जहाँ उनकी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

द्विशिक्षण प्रारूप: इस प्रारूप के अन्तर्गत सामान्य अध्यापक ही विशेष अध्यापक की भी भूमिका निभाते हैं, इसी कारण इस प्रारूप अथवा योजना को द्विशिक्षण प्रारूप कहा जाता है। गाँवों में जहाँ आवागमन के साधन अच्छे नहीं होते हैं तथा विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ सामान्य अध्यापक को ही कुछ समय के लिए प्रशिक्षित करके विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है तथा इसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी दिया जाता है। यह योजना तब तक की जाती है जब तक विद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों की संख्या कम हो। जब भी विद्यार्थियों की

संख्या 8 तक हो जाये तो एक संसाधन अध्यापक की नियुक्ति कर इन बच्चों की शिक्षा संसाधन कक्ष प्रारूप के अन्तर्गत होती है।

बहुकौशल शिक्षण प्रारूप: इस प्रारूप के अन्तर्गत एक विशेष शिक्षक एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ाता है।एक ही विद्यालय में दो से अधिक विकलांगता से प्रभावित विद्यार्थी शिक्षा के लिए दाखिला लेते हैं। ऐसी अवस्था में विशेष शिक्षक को इन विकलांग विद्यार्थियों को शिक्षा देने में कुशल होना चाहिए, इसलिए इनको बहुकौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि इस प्रकार के विकलांग बच्चों की शिक्षा अच्छी प्रकार हो सके, यही इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य है।

एकीकृत शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सुगम बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, ताकि किसी भी प्रकार के विकलांग बच्चे चाहे वो गाँव, पहाड़ी क्षेत्र या शहर में रहते हों शिक्षा से वंचित ना रह सकें तथा अपने घर के पास के ही सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके।

अभ्यास प्रश्न

4. एकीकृत शिक्षा के सात प्रारूप हैं। (सत्य/असत्य)
5. परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप में संसाधन कक्ष होता है। (सत्य/असत्य)
6. संयुक्त प्रारूप के अन्तर्गत सामान्य अध्यापक ही विशेष अध्यापक की भूमिका निभाता है। (सत्य/असत्य)

8.5 एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र(scope of integrated education)

पिछले खण्ड में हमने पढ़ा कि भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1974 में ''विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' नामक योजना से हुआ। इस खण्ड में इसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे।

एकीकृत शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- बच्चों में विकलांगता के प्रकार, डिग्री एवं मात्रा का पहचान करना,
- जिला एवं ब्लाक स्तर पर संसाधन केन्द्र स्थापित करना,
- सामान्य विद्यालयों में दाखिल विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कराना,
- सभी विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास सहायता एवं जाँच (असेस्मेंट) टीम उपलब्ध कराना,
- विकलांग बच्चों को विद्यालय पूर्व प्रशिक्षण तथा माता-पिता को परामर्श प्रदान कराना,
- विकलांग बच्चों को विद्यालय पूर्व प्रशिक्षण जैसे श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष श्रवण प्रशिक्षण, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अनुस्थित एवं चालिष्णुता (ओरियेन्टेशन एवं मोबिलिटी), दैनिक जीवन और संप्रेषण कौशल प्रशिक्षण,
- विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक करना,

- व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना,
- विकलांग बच्चों का चिकित्सीय एवं कार्यात्मक ऑकलन कराना,
- प्रारम्भिक बाल्यवस्था शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था कराना,

आई.ई.डी.सी. योजना में विकलांग बच्चों के एकीकृत शिक्षा के लिए सुविधाओं की भी व्यवस्था है, यहाँ अब हम उन सुविधाओं की संक्षेप में चर्चा करेंगे।

'विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना' के अन्तर्गत विकलांग बच्चों के लिए दी गयी कुछ प्रमुख सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

- ❖ किताबों और स्टेशनरी के लिए 400 रुपए प्रत्येक वर्ष।
- ❖ विद्यालय के ड्रेस (यूनिफार्म) के लिए 200 रुपए प्रत्येक वर्ष।
- ❖ परिवहन भत्ता 50 रुपऐ प्रत्येक महीने। अगर विकलांग बच्चा विद्यालय परिसर में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे यह भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- ❖ दृष्टिबाधित बच्चों को कक्षा 5 के बाद पढ़ने वाले के लिए भत्ता (रीडर अलॉवेन्स) 50 रुपए प्रत्येक महीने।
- ❖ गंभीर रूप से गामक विकलांगता के लिए 75 रुपए प्रत्येक महीने एस्कार्ट भत्ता।
- ❖ उपकरण के लिए 2000 रुपए प्रत्येक वर्ष पाँच वर्ष के लिए।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र मुख्यतः विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में दाखिला देने से लेकर उनके लिए विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करना ही हैं, ताकि उनकी एकीकृत शिक्षा आसानी पूर्वक हो सके।

अभ्यास प्रश्न

1. विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना किस वर्ष बना था?

   अ) सन् 1972 ब) सन् 1974

   स) सन् 1981 द) सन् 1995

2. आई.ई.डी.सी योजना के अन्तर्गत किताब एवं स्टेशनरी के लिए कितने रुपए प्रत्येक वर्ष देने की व्यवस्था है?

   अ) रु. 100 ब) रु. 200

   स) रु. 300 द) रु. 400

8.6 एकीकृत शिक्षा का महत्व

एकीकृत शिक्षा का अर्थ, प्रक्रिया एवं क्षेत्र की चर्चा करने के बाद हम इस खण्ड में इसके महत्व की चर्चा मुख्यतः विकलांग बच्चे एवं उनके माता-पिता के संदर्भ में करेंगे।

8.6.1 विकलांग बच्चों के लिए महत्व

एकीकृत शिक्षा की शुरुआत ने विकलांग बच्चों की शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पहले जहाँ इन बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय में होता था जो समाज से दूर होता था, तथा विकलांग बच्चे अपने माता-पिता तथा भाई-बहन से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे वहीं एकीकृत शिक्षा के प्रारम्भ होने से ये बच्चे अपने परिवार के साथ रहकर शिक्षा लेना शुरु कर दिया। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का महत्व हम निम्नलिखित बातों से समझ सकते हैं।

i. एकीकृत शिक्षा, परम्परागत विशेष शिक्षा के वातावरण की तुलना में ज्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। विकलांग बच्चों के लिए यह वातावरण रोचक होता है तथा उनके सीखने एवं विकास करने में अग्रीण भूमिका निभाता है।
ii. विकलांग बच्चों को नये दोस्त बनाने एवं अपने अनुभवों को बाँटने का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालय में नहीं हो पाता है।
iii. विकलांग बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं, जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृति करने में अग्रसर भूमिका निभाता है।
iv. एकीकृत शिक्षा में आकर विकलांग बच्चों को अपने विकलांगता की चिंता कम हो जाती है तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है।
v. एकीकृत शिक्षा में विकलांग विद्यार्थी जब सामान्य विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं तो वे अपने आपको भी सामान्य बच्चों के जैसा समझने लगते हैं जो उनके स्वाभीमान को बढ़ाता है।
vi. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों से संप्रेषण कौशल एवं समाज में रहन-सहन के गुण सीखते हैं।
vii. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों के अवांछनीय व्यवहारों में कमी आती है, तथा सामान्य बच्चों का अनुकरण करके वांछनीय व्यवहार सीख जाते हैं।
viii. एकीकृत शिक्षा में रहकर विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों से सम्पर्क करके भविष्य में करने वाले कोर्सों एवं नौकरी का भी चुनाव करते हैं।

उपर्युक्त बातों की चर्चा करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षा इन्हें अलगाव (विशेष विद्यालय) से हटाकर सामान्य विद्यालय में लाती है जिससे इनको सामान्य बच्चों के साथ सम्पर्क रहता है। इस सम्पर्क की वजह से इनमें बहुत सारे अच्छे गुणों का विकास होता है।

8.6.2 विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए लाभ

एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए भी बहुत महत्व रखता है, जैसे-

- एकीकृत शिक्षा की वजह से माता-पिता अपने विकलांग बच्चों से हमेशा सम्पर्क में रहते हैं जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है।

- विकलांग बच्चों के भी माता-पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे अपने समकक्ष सामान्य बच्चों के साथ पढ़े व खेलें, एकीकृत शिक्षा की वजह से यह संभव हो पाता है।
- जब विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगते हैं तो उनके माता-पिता को उनकी विकलांगता का ज्यादा एहसास नहीं होता है, तथा वे अपने बच्चे की चिंता छोड़कर दूसरे कामों पर ध्यान देने लगते हैं।
- एकीकृत शिक्षा की वजह से विकलांग बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों के अधिकारों तथा उन्हें प्राप्त होने वाले सुविधाओं को जानने में आसानी होती है।
- एकीकृत शिक्षा के संसाधन कक्ष में विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के परम्परागत एवं आधुनिक उपकरणों को देखकर माता-पिता घर पर भी अपने बच्चों के लिए कुछ उपकरण लाते हैं, जिससे उन्हें अपने बच्चे से अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित करने में मदद मिलती है।
- एकीकृत शिक्षा में अपने बच्चे के उम्र के दूसरे बच्चे की शारीरिक, बुद्धिमता इत्यादि देखकर अपने विकलांग बच्चे में कहाँ कमी है, इस बात को माता-पिता को समझने में आसानी होती है तथा वे उसको दूर या कम करने का प्रयास करते हैं।

जब विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगते हैं तो धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास एवं स्वाभीमान बढ़ने लगता है। जब माता-पिता अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में अपने बच्चे की प्रति चिंता कम होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों एवं उनके माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अभ्यास प्रश्न

3. एकीकृत शिक्षा से विकलांग बच्चों को लाभ नहीं होता है। (सत्य/असत्य)
4. विशेष विद्यालय में भी एकीकृत शिक्षा दी जाती है।(सत्य/असत्य)
5. एकीकृत शिक्षा में दाखिला से बच्चे के माता-पिता प्रसन्न रहते हैं।(सत्य/असत्य)

8.7 एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर

एकीकृत शिक्षा का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व की चर्चा हम इस इकाई के विभिन्न खण्डों में कर चुके हैं, अब हम संक्षेप में एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा के अंतर की चर्चा करेंगें।समावेशित शिक्षा के बारे में विस्तारपूर्वक आप इकाई-12 में पढेंगे। यहां पर हम समावेशित शिक्षा के अर्थ को समझते हैं, समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है कि सामान्य विद्यालय के एक ही कक्ष में सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एकीकृत शिक्षा का भी अर्थ होता है सामान्य विद्यालय में विकलांग बच्चों की शिक्षा, प्रश्न उठता है कि इन दोनों में अन्तर क्या है? इन दोनों में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित है:

i. एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में प्रमुख अन्तर यह है कि एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है, जबकि समावेशित शिक्षा में विशेष

आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय की सभी शैक्षिक गति- विधियों में सम्मिलित करते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है।

ii. एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी एक समस्या के रूप में होता है, जबकि समावेशित शिक्षा में शैक्षिक संस्था एक समस्या के रूप में होती है।

iii. एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को विद्यालय की आवश्यकतानुसार अपेक्षित सुधार कर साम्जस्य स्थापित करे, जबकि समावेशित शिक्षा में विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के अनुरुप विद्यालय के भवन, पाठ्यक्रम व अन्य सुविधाओं को उसे उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित सुधार करे।

iv. समावेशित शिक्षा एक लम्बी अवधि की प्रक्रिया है, जबकि एकीकृत शिक्षा एक न्यूनतम अवधि का उद्देश्य है। चूँकि एकीकृत शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाते हैं, अतः इसे न्यूनतम अवधि का उद्देश्य कहा जाता है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में भर्ती कराना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य तथा लम्बी अवधि की प्रक्रिया यह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय के सभी कार्यों में पूर्णरूप से भागीदारी हो रही है कि नहीं, इसलिए समावेशित शिक्षा को लम्बी अवधि की प्रक्रिया कहते हैं।

v. समावेशित शिक्षा सामाजिक प्रारुप पर आधारित है, जबकि एकीकृत शिक्षा व्यक्तिगत प्रारुप पर आधारित है।

अभ्यास प्रश्न

6. एकीकृत शिक्षा एवं समावेशित षिक्षा में कोई अन्तर नहीं है।(सत्य/असत्य)
7. एकीकृत शिक्षा सामाजिक प्रारुप पर आधारित है। (सत्य/असत्य)

8.8 सारांश

इस इकाई में हमने पढ़ा कि एकीकृत शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से होता है, जिसमें विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है। भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1974 से 'विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा' नामक योजना से हुआ था।

इस इकाई में हमने एकीकृत शिक्षा की प्रकृति/प्रक्रिया की भी चर्चा तथा इसके प्रारूपों (संसाधन कक्ष प्रारूप, परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप, संयुक्त प्रारूप, समूह प्रारूप, सहयोगी प्रारूप, द्विशिक्षण प्रारूप एवं बहुकौशल शिक्षण प्रारूप) का अध्ययन करते हुए इसके क्षेत्रों एवं महत्व की चर्चा की।

इस इकाई के अंतिम खण्ड में हमने संक्षेप में समावेशित शिक्षा का अर्थ की चर्चा करते हुए एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में मुख्य अन्तरों को जाना।

8.9 शब्दावली

1. एकीकृत शिक्षा: ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालय के विशेष कक्ष में हो तो एसे एकीकृत शिक्षा कहते हैं।

2. समावेशित शिक्षा: ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में हो तो उसे समावेशित शिक्षा कहते हैं।
3. विकलांग बच्चे:वे बच्चे जिनमें क्षति के कारण व्यक्तिगत स्तर पर कमी आती है, उन्हें विकलांग बच्चे कहते हैं। जैसे - दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे इत्यादि

8.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना।
2. विशेष कक्षा
3. 1974
4. सत्य
5. असत्य
6. असत्य
7. ब
8. द
9. असत्य
10. असत्य
11. सत्य
12. असत्य
13. असत्य

8.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

शर्मा, सुषमा (2004), एकीकृत शिक्षा की योजनाएं। शिक्षण प्रशिक्षण लेखमाला में। नहीं दिल्लीः ए.आई.सी.बी.

शर्मा, उमेश (2005), इन्टीग्रेटड एजुकेशन इन इंडियाः चैलेन्जेज एवं प्रोस्पेक्ट। डीसएबिलिटी स्टडीज क्वारटरली, वेबसाइट www.dsq-sds.org से जनवरी 10, 2013 को लिया।

मेंग, क्या.मा. (n.d.) इन्टीग्रेटेड एजुकेशन फॉर फोर लरनिंग वेबसाइट www.cgie.org से जनवरी 10, 2013 को लिया।

पुनानी भूषण एण्ड रॉवल, नन्दिनी (1993), इन्टीग्रेटेड एजुकेशन। अहमदाबाद: ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन।

एम.एच.आर.डी. (1992), स्कीम ऑफ इन्टिग्रेटेड एजुकेशन फॉर दि डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, नई दिल्ली: एम.एच.आर.डी.

एन.सी.आर.टी. (1987), सोर्स बुक फॉर टीचर्स ऑफ विजअली इम्पेयर्ड, नई दिल्लीः एन.सी.आर.टी.

जंगीरा, एन.के. तथा मुखोपाध्याय, सुदेश (1987), प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ आई.ई.डी. प्रोग्राम, नई दिल्लीः एन.सी.आर.टी।

पाण्डेय, आर.एस तथा आडवाणी, लाल (1995), परस्पेक्टिव इन डिसेबिलिटी एण्ड रिहैब्लिटेशन, नई दिल्लीः विकास पब्लिसिंग हाउस।

ऐन्सको, एम. (2005) फ्राम स्पेशल एडुकेशन टू इफेक्टिव स्कूल फॉर आल, कीनोट प्रजेनटेशन एट द इन्क्लूसिव एण्ड सर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।

मुखोपाध्याय, एस. एण्ड मनी, एम.एन.जी. (2002), एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। नई दिल्लीः आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

8.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. ए.आई.सी.बी (2004), शिक्षण प्रशिक्षण लेखमाला, नई दिल्लीः ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड
2. पुनानी, भूषण एण्ड रॉवल, नन्दिनी (1993) इन्टिग्रेटेड एजुकेशन। अहमदावादः ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन।
3. एम.एच.आर.डी. (1992), स्कीम ऑफ इन्टिग्रेटेड एजुकेशन फॉर दि डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। नई दिल्लीः एम.एच.आर.डी.।

8.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. एकीकृत शिक्षा का अर्थ बताते हुए भारत में इसके प्रारम्भ पर प्रकाश डालें?
   Explain meaning of integrated education? Highlight its origin in India?
2. एकीकृत शिक्षा के प्रारूपों का वर्णन करते हुए बताए कि आप को कौन सा प्रारूप सबसे योग्य लगा तथा क्यों?
   Define designs of integrated education? Which design you think most appropriate &why?
3. एकीकृत शिक्षा के क्षेत्रों का वर्णन करें?
   Describe scope of integrated education?
4. एकीकृत शिक्षा के महत्व को विस्तारपूर्वक लिखें?
   Eleborate importance of integrated education?
5. एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर लिखें?
   Differentiate integrated &inclusive education?

इकाई 9; विशेष तथा समावेशित शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

9.1 प्रस्तावना
9.2 उद्देश्य
9.3 अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून\
  9.3.1 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा पत्र
  9.3.2 बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन
  9.3.3 सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र
  9.3.4 सालामांका स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्ययोजना
  9.3.5 बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन
  9.3.6 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन
9.4 राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून
  9.4.1 संवैधानिक प्रावधान
  9.4.2 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम
  9.4.3 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम
  9.4.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम
  9.4.5 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम
  9.4.6 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति
  9.4.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम
9.5 सारांश
9.6 शब्दावली
9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
9.8 संदर्भ ग्रंथ सूची
9.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
9.10 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

जैसा कि आप जानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा की शुरुआत विशेष विद्यालय से हुई जहाँ विकलांग व्यक्ति अपने घर-परिवार से दूर रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करता था। परन्तु समय के साथ विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का प्रारूप भी बदला, अब विशेष शिक्षा की जगह समावेशित शिक्षा के द्वारा इनको शिक्षा देने की शुरुआत हो चुकी है।

इस इकाई में हम पढ़ेगें कि अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष शिक्षा एवं समावेशित शिक्षा के लिए कौन-कौन सी नीतियाँ एवं कानून बनायी गई हैं।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

अंतरराष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों को जान सकेंगे, जैसेः

a. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा पत्र
b. बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन
c. सभी के लिए शिक्षा
d. सालामांका स्टेटमेंट
e. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन

विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों को जान सकेंगें जैसेः

f. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम
g. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम
h. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम
i. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम
j. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

9.3 अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

इस खण्ड के अन्तर्गत हम विशेष एवं समावेशित शिक्षा के सन्दर्भ में कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों की चर्चा करेंगे।

9.3.1 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसम्बर 1975 को एक घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बाते निम्नलिखित हैं

- विकलांग व्यक्ति दूसरे सामान्य नागरिकों के समान ही सभी मूलभूत अधिकारों की पात्रता रखते हैं, चाहे उनकी विकलांगता का कारण, उसकी प्रकृति व उसकी बाधा या विकलांगता की गंभीरता कितनी भी हो।
- विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ ही सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप नौकरी पाने व करने का अधिकार है।
- विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवारों के साथ रहने का और सभी सामाजिक, रचनात्मक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों को दिलाने की गारंटी के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला कदम था सन् 1983-92 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ दशक घोषित करना

तथा दूसरा कदम था सन् 1993-2002 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए एशिया पेसिफिक दशक घोषित करना। एशिया पेसिफिक दशक को दोबारा से बढ़ाकर सन् 2003-2012 कर दिया गया था।

9.3.2 बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवम्बर, 1989 को बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन घोषित किया। इस अधिवेशन की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं

i. इस अधिवेशन में शामिल अधिकारों को राज्य प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करेगा।
ii. राज्य विकलांग बच्चे के अधिकारों को पहचान करते हुए उनके लिए विशेष देखभाल का इन्तेजाम करेगा।
iii. राज्य यह निश्चित करेगा कि मानसिक या शारीरिक विकलांग बच्चा संतोषजनक जीवन समाज में सक्रिय भागीदारी करते हुए जी सकेगा।

इस अधिवेषन के अनुच्छेद 43 और 44 में कहा गया कि इस अधिवेषन में कहे गये दायित्व/कर्तव्य की राज्य द्वारा किए गए प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा यह मूल्यांकन 'बच्चे के अधिकार पर कमेटी' द्वारा किया जाएगा।

9.3.3 सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र

सन् 1990 ई. में जोमेटिन (थाईलैण्ड) में ''सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन'' का आयोजन हुआ जिसमें 155 राष्ट्र के प्रतिनिधि एवं 150 गैर-सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया । इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तथा निरक्षरता हटाने के लिए उपायों पर विचार करना।

इस सम्मेलन का भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा सभी के लिए शिक्षा में विकलांग बच्चों के भी शिक्षा पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाने लगा।

इस घोषणा पत्र में बुनियादी शिक्षा के छः मुख्य उद्देश्यों की पहचान की गयी, जो हैं

- प्रारम्भिक बाल्यावास्था देख-रेख और विकासात्मक कार्यकलाप का विस्तार
- प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक पहुँच और संपादन।
- अध्ययन उपलिब्ध में सुधार करना ताकि अध्ययन उपलिब्ध एक आवश्यक स्तर तक पहुँच सके।
- वयस्क निरक्षता के दर को कम करना।
- बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों तथा नवयुवक एवं व्यवस्क द्वारा अपेक्षित दूसरे आवश्यक कौशलों का विस्तार करना।
- व्यक्तिगत एवं परिवार के अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशलों एवं मूल्यों के उपलब्धियों को बढ़ाना।

9.3.4 सालामांका स्टेटेमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्ययोजना

सन् 1994 ई. में स्पेन के सालामांका शहर में ''विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन'' का आयोजन यूनेस्को एवं स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में 92 देशों के सरकारी प्रतिनिधि एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया था।

1. यह कथन (स्टेटमेंट) सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता से शुरू होता है।
2. इस सम्मेलन में मुख्य रूप से समावेशित शिक्षा की चर्चा हुई जो निम्नलिखित कथनों से रेखांकित किया गयाः
    - स्कूल में सभी बच्चों को समावेशित किया जाए, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, वाचिक या अन्य दशाएँ कैसे भी हों।
    - समावेशित दिशा-निर्देशन युक्त सामान्य स्कूल भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोणों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। वे ऐसे समावेशित समाज की रचना कर सकें जो सबको अपना एवं सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य भी पा सकें।

इस कथन में यूनेस्को, यूनीसेफ, यूएनडीपी एवं विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वे समावेशित शिक्षा को बढ़ावा देने एवं विशेष आवश्यकता शिक्षण को शैक्षिक प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए कार्य करें।

9.3.5 बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन

22 मई, 2002 को एशिया पेसफिक क्षेत्र ने बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को स्वीकार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था 'अवरोध रहित एवं अधिकार आधारित एक समावेशित समाज का निर्माण करना'। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों के लिए एवं ''एशियन पैसिफिक डिकेड ऑफ द डिजेबल्ड पर्सन्स'' का ही विस्तार है। (राव, 2010)

इसके सात प्राथमिक कार्यक्षेत्र हैः

- विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवार व अभिभावक संघों के स्वयं-सहायता संगठन
- विकलांग महिलाएं
- शीघ्र निदान, शीघ्र हस्तक्षेप एवं शिक्षा
- स्व-रोजगार सहित, प्रशिक्षण एवं रोजगार
- निर्मित वातावरण एवं सार्वजनिक वाहनों की उपलब्धि
- सूचना एवं संपर्क तक पहुँच जिसमें सूचना संपर्क एवं सहयोगी प्रौद्योगिकी भी सम्मिलत हो
- क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा व अविरत रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी उन्मूलन संभव हो।

इन प्राथमिकताओं को साकार रूप देने हेतु 21 लक्ष्यों व इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 17 तरीकों की भी इस घोषणा में पहचान की गयी है। इन सबके अतिरिक्त इसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग द्वारा इस घोषणा में सुझायी

गयी प्राथमिकताओं व लक्ष्यों की प्राप्ति में की गयी प्रगति के अवलोकन व आवश्यक तानुसार परिवर्तन करने का भी प्रावधान है।

9.3.6 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अधिवेशन जिसको संक्षेप में 'यू.एन.सी.आर.पी.डी.' भी कहते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने इस संधिपत्र को 13 दिसम्बर, 2006 को स्वीकार किया तथा 30 मार्च, 2007 को हस्ताक्षर करने के लिए रखा। इस दिन भारत सहित 82 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, (मार्च, 2013 तक 155 देशों ने हस्ताक्षर किया है) यह संधिपत्र 3 मई 2008 को अंतरराष्ट्रीय कानून बना।

यूएनसीआरपीडी में कुल 50 अनुच्छेद (आर्टिकल) हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:

- अनु. 6:विकलांग महिलाओं के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि सरकार विकलांग महिलाओं के विकास एवं अधिकारिता के लिए उपयुक्त कदम उठाये।
- अनु. 7: विकलांग बच्चों के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि इन बच्चों के अधिकारों, स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन के लिए कार्य करें।
- अनु. 9 :सुगम्यता के बारे में हैं, जिसमें कहा गया है कि विकलांगों को सषक्त करने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से बने विशेष उपकरण उपलब्ध कराया जाय।
- अनु. 10 :जीने का अधिकार के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों के सामान सम्मान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।
- अनु. 24 :शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे जिससे वे अपने व्यक्तित्व, प्रतिभाओं व रचनात्मकता का विकास कर सकें।
- अनु. 27 :कार्य और रोजगार के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को हर तरह के काम, जो उसके योग्य हैं, करने का अधिकार है जिसके लिए उपयुक्त सुविधाओं व वातावरण का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

मुख्यतः यह अधिवेशन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार निर्दिष्ट करता है और उनके संवर्द्धन संरक्षण व सुनिश्चितता के लिए राज्य के कर्त्तव्य

निर्धारित करता है, जिसके साथ साथ उनके क्रियान्वयन व अनुश्रवण सहयोग हेतु उचित व्यवस्था विकसित करने का निर्देश देता है।

इस अधिवेशन की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें विकलांगों को एक श्रेणी मात्र न मानकर विकलांगता विशेष और उसमें भी व्यक्ति विशेष की आवश्यक ताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुविधाएं देने की बात कही गयी है। इसके अतिरिक्त इसमें विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत जरूरतों की तरफ भी ध्यान दिया गया है।

इस संधिपत्र में यह व्यवस्था है कि समय-समय पर हर उस देश को जिसने इस संधिपत्र पर हस्ताक्षर किया है, यह बताना होगा कि उसने इस संधिपत्र के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र सन् ..... ई. में जारी हुआ है।
2. सभी के लिए शिक्षा सन् ..... ई. में ..... शहर में हुआ था।
3. सालामांका स्टेटमेंट सन् ..... ई. में जारी हुआ था।
4. यू. एन. सी. आर. पी. डी. का पूर्ण रूप है .....।
5. भारत ने यू.एन.सी.आर.पी.डी. पर सन् ..... में हस्ताक्षर किया।

9.4 राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी इनके लिए कुछ नीतियाँ एवं कानून बनाये जिसका वर्णन हम इस खण्ड में करेंगे।

9.4.1 संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संवधिान के अनु. 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान हैं। तथा अनु. 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनु. 41 जहाँ कार्य करने की अधिकार की बात करता हैं वहीं अनु. 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा देने का प्रयास करे।

भारतीय संविधान के 86 संशोधन (2002) के द्वारा अनु. 21। में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो कि 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है तथा राज्य को अनिवार्य रूप से उसको ये अधिकार प्रदान करने होंगे तथा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

9.4.2 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन् 1987 में लागू हुआ जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मानसिक रोगी व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करके उनका अच्छा उपचार हो सके।

इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

i. मानसिक रोगी समाज के अंग हैं तथा राज्य उन सभी बाधाओं को दूर करके उन्हें उपचार पाने, देखभाल व सहारा पाने तथा सम्मानजनक जीवन जीने के समान अवसर प्रदान करेगी।
ii. मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को मनोचिकित्सा, अस्पतालों या नर्सिंग होम में उपचार हेतु समय पर प्रवेश मिले।
iii. मानसिक रोगियों को किसी का दुर्व्यवहार न सहना पड़े, न ही वे किसी से दुर्व्यवहार करें।
iv. यदि मानसिक रोगी अपने मामलों की देखभाल व प्रबंधन के लिए किसी अभिभावक की माँग करें तो उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

9.4.3 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जिसे संक्षेप में हम आर.सी.आइ.एक्ट कहते हैं, सन् 1992 में पारित हुआ तथा 22 जून, 1993 से लागू हुआ। सन् 2000 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए महसूस की गयी क्योंकि विकलांगता के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण इत्यादि के लिए कोई अधिनियम एवं संस्था नहीं थी।

भारतीय पुनर्वास परिषद के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

i. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रमों को नियमित करना।
ii. विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले विभिन्न श्रेणी के व्यावसायिकों की शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु एक न्यूनतम मानक प्रस्तावित करना।
iii. पूरे देश में एकरूपता लाने हेतु सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों का नियमितीकरण करना।
iv. उन सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास विषय पर डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है।
v. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की सूची केन्द्रीय पुनर्वास पंजीकरण में रखना।
vi. पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विभिन्न विश्व विद्यालय, प्रषिक्षण संस्थान व गैर सरकारी संगठन प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। ये प्रषिक्षण बुनियादी पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्र से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तक सभी प्रकार के होते हैं। पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थी भारतीय पुनर्वास परिषद पंजी में पंजीकरण पाठ्यक्रम की अर्हता पा लेते हैं सफल विद्यार्थी अपने प्रषिक्षण के अनुरूप अधिकारी या व्यावसायिक की श्रेणी में पंजीकृत होते हैं। भारत में विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले किसी पुनर्वास विशेष ज्ञ के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंजीकरण का नवीनीकरण कराना पड़ता है जिसके लिए उन्हें समय-समय पर परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सेमिनार, वर्कषाप इत्यादि में भाग लेना होता है।

9.4.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम सन् 1995 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है - ''विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995।

यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 ई. से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सात विकलांगताएं आती हैं, जो हैं:

i. अंधत्व (Blindness)
ii. अल्पदृष्टि (Low Vision)
iii. श्रवण बाधा (Hearing Impairment)
iv. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
v. मानसिक रोग (Mental Illness)
vi. गामक बाधा(Locomotar Impairment)
vii. कोढ़ उपचरित (Leprosy Cured)

भारत में इस समय विकलांग व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए जरूरी है कि वह विकलांग व्यक्ति उपर्युक्त सात विकलांगता में से किसी एक श्रेणी में हो तथा उसके विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40 हो।

पी.डब्लू.डी. एक्ट, 1995 का सरकार द्वारा संशोधन का कार्य चल रहा है तथा इसका ड्राफ्ट बिल तैयार हो चुका है। जिसमें उपर्युक्त सात विकलांगता के अलावा ग्यारह और विकलांगता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस बिल का नाम है ''विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012''।

पी.डब्लूडी. एक्ट 1995 में कुल 14 अध्याय हैं जिसमें से अध्याय-4: विकलांगता का शीघ्र निदान व रोकथाम के बारे में बताता है, अध्याय-5: विकलांग बच्चों के शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को उचित व समावेशित वातावरण में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा मिले। अध्याय-6: विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के बारे में है, जिसमें इन व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में 3 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण की बात कही गयी है तथा ये 3 प्रतिशत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं गामक बाधित व्यक्तियों के लिए है (प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत)।

इस अधिनियम के अध्याय-8 में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण का भी प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रशिक्षण केन्द्र, मनोरंजन स्थल, निर्वाचन बूथ, कार्यक्षेत्र और सभी सार्वजनिक स्थलों की समस्त सुविधाओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सके, इसके लिए सरकार इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि इन सब सार्वजनिक स्थलों का बाधारहित होना अनिवार्य, इसके लिए इन सार्वजनिक इमारतों में रैंप, पहियेवाली कुर्सीवालों के लिए शौचालयों में अनुकूल सुविधा; लिफ्ट आदि में ब्रेक चिन्ह व श्रव्य संकेत; अस्पतलों में रैंप व ऐसे ही अनुकूली साधन होने चाहिए।

9.4.5 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम सन् 1999 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है- ''राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक विकलांगता और बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु) 1999''। इसको संक्षेप में एन.टी. एक्ट, 1999 भी कहते हैं।

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह अधिनियम चार विकलांगताओं के लिए है जो है:

- स्वलीनता (Autism)
- प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेबरल पॉलसी)
- मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
- बहु विकलांगता (Multiple Disabilities)

इस अधिनियम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- विकलांग व्यक्ति जिस समुदाय के हैं, उसमें यथा संभव पास रह सकें, स्वतत्रता व पूर्णता के साथ जी सकें। इतना उन्हें समर्थ व सशक्त किया जाए।
- विकलांग व्यक्तियों को सहारा देने योग्य सुविधाओं का प्रबलीकरण हो।
- विकलांग व्यक्तियों के अभिभावक या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर उनकी देखभाल व संरक्षण की व्यवस्था करना।
- विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी को साकार करने की सुविधाएँ प्रदान करना।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- संगठनों का पंजीकरण (अभिभावकों एवं गैर सरकारी संगठनों का)।
- स्थानीय स्तर की समितियों का गठन।
- अभिभावकों की नियुक्ति।
- आवासीय सुविधाओं सहित अन्य अनेक प्रकार की सेवाओं को समर्थन देना।
- होम विजिट/अभिरक्षक के कार्यक्रम
- जागरूकता एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास
- लोगों तक पहुँचने एवं राहत के लिए सामुदायिक कार्यक्रम।

9.4.6 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी, 2006 को पारित हुआ। इस नीति का निर्माण विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षक और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हुआ। इस राष्ट्रीय नीति की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

- विकलांगता की रोकथाम: विकलांगता की रोकथाम के लिए कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है।
- पुनर्वास कार्रवाई: इस नीति में कहा गया है कि पुनर्वास कार्यवाही तीन ग्रुप में होगी।
    i. शारीरिक पुनर्वास
    ii. शैक्षिक पुनर्वास
    iii. आर्थिक पुनर्वास
- विकलांग औरतों के बारे में इस नीति में कहा गया है कि इन औरतों को अपने बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होती है अतः सरकार इनको आर्थिक मदद करे ताकि ये अपने बच्चों को देखने के लिए किसी को किराये पर रख सके। इस तरह की आर्थिक सुविधा केवल दो बच्चों के लिए तथा अधिकतम दो साल के लिए दिया जाएगा।
- विकलांग बच्चों के बारे में इस नीति में कहा गया है कि सरकार इन बच्चों की देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा ये लोग समान अवसर एवं पूर्ण सहभागिता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अवरोध मुक्त वातावरण बनाना।
- विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी परेशानी के विकलांगता सर्टीफिकेट प्रदान करना।
- विकलांगता के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने की बात भी इस नीति में कही गयी है।
- विकलांग व्यक्तियों के बारे में नियमित रूप से आँकड़े इकट्ठा करना।
- इस नीति में एक महत्वपूर्ण बात कही गयी है कि विकलांग व्यक्तियों से जुड़े हुए अधिनियमों जैसे आर.सी.आई. एक्ट, 1992, पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 तथा एन.टी. एक्ट 1999 में समय-समय पर संशोधन होते रहना चाहिए। इसी नीति के फलस्वरूप ही पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 में
- संशोधन हो रहा है, जो 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012'' के रूप में ड्राफ्ट हो चुका है।

9.4.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का पूरा नाम है- ''बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009''।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त, 2009 को पारित हुआ तथा 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6-14 वर्ष तक के बच्चे को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गयी जो कि भारतीय

संविधान के अनुच्छेद 21A में लिखित है। इस अधिनियम को लागू करने के बाद भारत विश्व के उन 135 देशों में शामिल हो गया है जहाँ शिक्षा मूल अधिकार के रूप में है।

इस अधिनियम में कुल सात अध्याय हैं, जिसमें से

- अध्याय-2 : नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर है,
- अध्याय-3: उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, तथा माता-पिता के कर्तव्यों पर है,
- अध्याय-4:विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्वों पर है,
- अध्याय-5: प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं संपादन पर है, तथा
- अध्याय-6: बच्चों के अधिकारों का संरक्षण पर है।

अगर हम विकलांग बच्चों के संदर्भ में बात करें तो इस अधिनियम में इनको स्पष्टतया एक अलग वर्ग के रूप् में सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन

अध्याय-1: प्रस्तावना के खण्ड 2 (d) में ''अलाभकारी समूह के बच्चे'' (चाइल्ड बिलाँगइंग टु डिसट्वैन्टिज ग्रुप) के बारे में चर्चा है इसी खण्ड में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना के द्वारा स्पष्टीकरण करके किसी समूह को जो किसी दूसरे कारण से अलाभकारी है, को इस खण्ड में सम्मिलित कर सकता है। अर्थात उपयुक्त सरकार चाहे तो अधिसूचना के माध्यम से विकलांग बच्चों को अधिनियम के खण्ड 2 (d) में सम्मिलित कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न

6. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ?
   अ) 1975 ब) 1983
   स) 1987 द) 1992
7. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब बना था?
   अ) 1987 ब) 1992
   स) 1995 द) 1999
8. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम, 1995 किस दिन से प्रभाव में आया?
   अ) 3 दिसम्बर, 1995 ब) 5 फरवारी, 1995
   स) 4 दिसम्बर, 1996 द) 7 फरवरी, 1996
9. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कितनी विकलांगताएँ आती हैं?
   अ) 5 ब) 6
   स) 7 द) 8
10. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनी थी?
    अ) 1995 ब) 1999
    स) 2003 द) 2006

9.5 सारांश

इस इकाई में हमने विशेष एवं समावेशित शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों की चर्चा की।अंतरराष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों में हमने प्रमुखतः विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र (1975), बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन (1989), सभी के लिए शिक्षा (1990), सालामांका स्टेटमेंट (1994), बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क (2002) तथा यू.एन.सी.आर.पी.डी. (2008) की चर्चा की।

राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों में हमने भारतीय संविधान में वर्णित कुछ संवैधानिक प्रावधानों, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (1987), आर.सी.आई. एक्ट (1992), पी.डब्लू.डी. एक्ट (1995), एन.टी. एक्ट (1999), तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (2006) तथा आर.टी.ई. एक्ट (2009) की चर्चा की।

9.6 शब्दावली

1. विशेष शिक्षा- विशेष शिक्षा से तात्पर्य वैसी शिक्षा से है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (जैसे- दृष्टिबाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे) को विशेष स्कूल में दी जाती है।
2. समावेशित शिक्षा- समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है- ऐसी शिक्षा जो विशेष एवं सामान्य बच्चों को एक साथ एक ही सामान्य स्कूल में दी जाती है।

9.7अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1975
2. 1990, जोमेटिन
3. 1994
4. यूनाइटेड नेशन कन्वेशन ऑन राइट्स ऑफ परसन्स विद डिजबेलिटिज
5. 2007
6. स
7. ब
8. द
9. स
10. द

9.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

जुलका ए. (2005). एडुकेशनल प्रोविजन्स एण्ड प्रैक्टिसेस फॉर लरनर्स विद डिसबेलटिज इन इंडिया, पेपर प्रजेन्टेड एट द इन्क्लूसिव एण्ड सुर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।

मुखोपाध्याय, एस (2005). रीथिंकिंग एबाउट इन्क्लूसनः इमर्जिग एरिया फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्लीः न्यूपा

राव, एल.गो. (2010). निःशक्त बच्चों की शिक्षा का आधार पाठ्यक्रम, नई दिल्लीः इग्नू
पी.डब्लू.डी. एक्ट (1995). नई दिल्लीः भारत सरकार
आर.सी.आई एक्ट (1992). नई दिल्लीः भारत सरकार
आर.टी.ई. एक्ट (2009). नई दिल्लीः भारत सरकार
नेशनल पॉलिसी फॉर परसन्स विद डिजबेलिटी (2006). नई दिल्लीः भारत सरकार
नेशनल ट्रस्ट एक्ट (1999). नई दिल्लीः भारत सरकार
यू.एन.सी.आर.पी.डी. (2008). न्यूयार्कः युनाइटेड नेशन
सरकारी वेबसाइट
i. संयुक्त राष्ट्र संघ (www.un.org/en)
ii. राष्ट्रीय न्यास (www.thenational trust.co.in)
iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (www.socialjustic.nic.in)
iv. भारतीय पुनर्वास परिषद (www.rehabcoucil.nic.in)

9.9 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. पांडा, के.सी (1997). एजुकेशन ऑफ एक्सेपशनल चिल्ड्रेन, नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।
2. पी.डब्लू.डी. एक्ट (1995). नई दिल्लीः भारत सरकार
3. आर.सी.आई एक्ट (1992). नई दिल्लीः भारत सरकार
4. आर.टी.ई. एक्ट (2009). नई दिल्लीः भारत सरकार
5. नेशनल पॉलिसी फॉर परसन्स विद डिजबेलिटी (2006). नई दिल्लीः भारत सरकार
6. नेशनल ट्रस्ट एक्ट (1999). नई दिल्लीः भारत सरकार
7. यू.एन.सी.आर.पी.डी. (2008). न्यूयार्कः युनाइटेड नेशन

9.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों का उल्लेख करें।
2. सभी के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इस पर हुए सम्मेलन पर प्रकाश डालें।
3. यू.एन.सी.आर.पी.डी. के प्रमुख अनुच्छेदों का वर्णन करें।
4. भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें।
5. पी.डब्लू.डी. एक्ट एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की मुख्य बातों की व्याख्या करें।

इकाई 10 ; नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन क्रार्यक्रम (1992) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना
10.2 उद्देश्य
10.3 नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन क्रार्यक्रम (1992)
10.4 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें
10.5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा
10.6 सारांश
10.7 निबंधात्मक प्रश्न
10.8 गतिविधियां
10.9 संदर्भ ग्रंथ

10.1 प्रस्तावना

शिक्षा, समानता और सशक्तिरण की प्ररक्रिया का मूल है। हालांकि शिक्षा का अधिकार एवं शैक्षिक अवसरों की समानता भारतीय संविधान के द्वारा सुनिश्चित की गई है। परन्तु भारत में व्याप्त निरक्षरता को मिटाने की आवश्यकता को महशूश करते हुए शिक्षा आयोग (1964) ने भी अपने प्रतिवेदन में इस पर बल दिया था। यह निराश करने वाली बात है कि अजादी के 66 वर्षों के बाद भी हम सिर्फ 74 प्रतिशत तक ही साक्षरता दर हासिल कर पाये हैं। भारत में 'सभी के लिए शिक्षा' अभी भी एक सपना है। इसके लिए भारत सरकार ने अजादी के पश्चात् से ही गंभीर प्रयास प्रारंभ करना शुरू किया था। शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है चाहे वह सशक्त हो अथवा निःशक्त। निःशक्त जनों के शिक्षण का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं हैं। भारत में निःशक्त जनों में दृष्टिबाधितों का पहला औपचारिक विद्यालय 1887 में अमृतसर से प्रारंभ होकर आज सर्व शिक्षा अभियान योजना में शिक्षण को निःशक्तों के अध्ययापन यात्रा को विशेष शिक्षा से समावेशी शिक्षा के रूप में देखा जा सकता है। निःशक्तजनों के शैक्षिक विकास में समावेशी शिक्षण पद्वति को आज के सबसे नवीनतम पद्वति के रूप में माना जाता हैं।

यह उद्वेलित करने वाला है कि निःशक्त बच्चों एवं युवाओं की आधी से अधिक अबादी अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित हैं तथा उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। निःशक्त बालक जो विद्यालय से बाहर हैं उनमें अधिकांश वे हैं जिन्हें उनके गॉव के पड़ोस वाले विद्यालय ने प्रवेश लेने से मना कर दिया। प्रायः इस प्रकार के निःशक्त बालकों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश न दिये जाने हेतु मुख्य कारण यह बताया जाता है कि 'हमारे पास इन बालकों हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।' इन्हें तो इनके लिए बने विशेष विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। समाज भी यह मानती है कि अन्य बालकों से इन बालकों का भविष्य अंधकारमय है। अतः कोई भी बालक अगर

शिक्षा से वंचित रह जाता है तो 'सभी को शिक्षा' का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। सभी मानव को शिक्षा पाना उसका मानवाधिकार है जिसका अनुमोदन 'शिक्षा का अधिकार' बिल (2010) पास कराकर इस दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित किया गया है। चाहे वह बालक सामान्य है या निःशक्त सभी को शिक्षा पाने का हक उसके समीप वाले विद्यालय में है। अतः सभी बालकों के शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्वति समावेशी शिक्षा है। जैसा विदित है कि समावेशी शिक्षा को सकार स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान नाम की योजना का प्रमुख योगदान है। भारत सरकार यह चाहती है कि सर्व शिक्षा अभियान के सहारे यह लक्ष्य 2015 तक सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो सके। सर्व शिक्षा अभियान एक मिशन है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए कटिब्ध है। यह योजना सभी के लिए शिक्षा पर जोर देती है। अर्थात् बिना किसी भेद-भाव के बालिकाओं, पिछड़े वर्गों, निःशक्त बालकों आदि सभी को शिक्षा देने को सुनिश्चित करता है जो शून्य को निरस्त करने वाली नीति पर आधारित (zero rejection policy) है। अतः सर्व शिक्षा अभियान एक समावेशी शिक्षण पद्वति पर जोर देता है।

अतः इसे विशेष शिक्षा से शुरू होते हुए समावेशी शिक्षा के रूप में फलीभूत होने में सरकार के द्वारा अजादी के उपरांत जो विभिन्न समितियों, आयोग व नीतियों आदि का गठन किया गया उनका प्रमुख योगदान हैं। इस ईकाई में इन्हीं मुख्य समितियों, आयोगों, नीतियों आदि का उल्लेख किया जाएगा यथा नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन क्रार्यक्रम, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा आदि।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, आप- निम्नलिखित को बताने योग्य हो सकेंगे।

- नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षा में मुख्य पहल
- नई शिक्षा नीति में निःशक्त जनों के शिक्षा में योगदान एवं भूमिका
- नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन कार्यक्रम का संदर्भ विशेष शिक्षा में
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन, स्वरूप एवं संरचना के उद्देश्य
- विशेष शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के गठन, स्वरूप एवं निर्माण के उद्देश्य
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के अनुशंसा विशेष बच्चों के संदर्भ में।

10.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992)

सन् 1950 में, भारत ने अपने संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता लिया था। सन् 2002 के संवैधानिक संशोधनों द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए मूलभूत अधिकार बनाया गया। फिर भी प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच भ्रामक तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास दिशाहीन ही प्रतीत होता है। अर्थात् अजादी के पश्चात भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रसार एवं गुणवता में सुधार हेतु विभिन्न समितियाँ तथा नीतियां बनाई गई। उन्हीं में से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

1986 में भी बनाई गई जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के शैक्षिक समस्याओं के बारे में अनुशंसा की गई। निःशक्त जनों के लिए भी इस नीति में विस्तृत प्रयास किये गये। यह उप इकाई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में उल्लिखित निःशक्तों कि शिक्षा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हैं।

बीते हुये दशकों में भारत में विद्यालयी शिक्षा की माँग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, किन्तु प्रावधान असमान ही रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) और इसके क्रियान्वयन कार्यक्रम (POA 1992) लाया गया। यह नीति सभी बच्चों की स्थिति, जाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान निर्धारण से परे प्रारम्भिक शिक्षा सभी तक पहुचनी चाहिए। जो गुणवता में बिना समझौता किए होगा। परन्तु विद्यालयी व्यवस्था वास्तव में बेहतर की अपेक्षा उपेक्षणीय समूहों (गरीब बच्चों से सम्बन्द्धित, लड़कियाँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चे, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समूहों) की न्यून पहुँच और निचले स्तर की गुणवत्ताशिक्षा तक ही पहुँच हो सकी है। इनको ध्यान में स्थिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाया गया है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संवर्ग और जाति, लिंग और धार्मिकता के आधार पर वृहद विभिन्नताएं पायी गई। नीति नियोजनकर्ता विद्यालयों के भौतिक सुधार हेतु जब तक लम्बे कदम भरते हैं, तब तक भारत में सभी बच्चों की शिक्षा की पहुँच तक सार्थक उपलब्धता की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं।

भारतीय नीति के सन्दर्भ में: भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से केंद्र व राज्य सरकारों की है और संविधान में शिक्षा के शैक्षिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। शिक्षा की सार्वभौमिकता की वचनबद्धता आगे भी उतनी ही वैधानिक है, जितनी कि दो मुख्य स्रोतों प्रशासनिक और वित्तीय कार्य ढाँचे के लिए राजकोषीय शिक्षा प्रणाली उपयुक्त है। पंचवर्षीय योजनाओं के समान जारी किया जाने वाले राष्ट्रीय विकास के समान राष्ट्रीय शिक्षा की नीति (रा0शि0नी0) (1986), के साथ क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) के अतरिक्त सर्व शिक्षा अभियान (SSA) कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की सन्तोषजनक गुणवत्ता को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्वरूप एवं परिचय (जो 1986 में लिया गया)

संसद ने 1986 के बजट सत्र के दौरान विचार-विमर्श द्वारा ”राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986” को ग्रहण किया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा क्रियान्वयन कार्यक्रम की नीतियों को मानसून सत्र के दौरान ही लागू करने का मंत्री ने वचन लिया। प्रतिष्ठित शिक्षाविदों , विषय-विशेषज्ञों, और केन्द्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित कार्य बलों के साथ संलग्न थे। आवंटित विभिन्न विषयों में कुल 23 विषय सम्मिलित थे जिसमें विकलागों की शिक्षा का क्रम उपर से 6ठां है। नियत कार्यबलों के मध्य निम्नलिखित प्रकार से वितरित किये गए-

i. कार्य प्रणाली बनाना,
ii. विद्यालयी शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रियाएं,
iii. नारी समानता हेतु शिक्षा,
iv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु शिक्षा,
v. अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा,
vi. विकलांगों के लिए शिक्षा,
vii. व्यस्क और सतत् शिक्षा,

viii. पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा,
ix. प्रारम्भिक शिक्षा,
x. माध्यमिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय,
xi. व्यावसायिक शिक्षा,
xii. उच्च शिक्षा,
xiii. मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ अधिगम,
xiv. तकनीकि व प्रबन्धन शिक्षा,
xv. अनुसंधान और विकास,
xvi. संचार और शैक्षिक तकनीकि (कम्प्यूटर शिक्षा के उपयोग से सम्बद्ध),
xvii. उपाधियों को रोजगार से अलग करना और मानव-शक्ति नियोजन,
xviii. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और भाषायी नीति को लागू करवाना,
xix. खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा,
xx. शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण,
xxi. प्रबन्धन की शिक्षा,
xxii. मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार
xxiii. ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान।

उपरोक्त विषयों में से विकलांगों की लिए शिक्षा अर्थात् विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु नई शिक्षा नीति (1986) के अंतर्गत जो मुख्य बातें बताई गई वो निम्न शीर्षकों में प्रस्तुत की जा रही है।

निःशक्त बालकों की शिक्षा: वर्तमान स्थिति

1. एक करोड. बीस लाख अक्षम लोगों में 26 लाख (1.2 एल.एच., 0.74 मिलियन एस.एच. 0.53 मिलियन एच.एच. और 0.12 मिलियन वी.एच., 10% एक से अधिक विकलांगता से ग्रस्त) 4-15 वर्ष की आयु के समूह के हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा 1986 में किये गये सर्वेक्षण में 1.7 मिलियन एम.एच. अक्षम् लोगों को नहीं लिया गया था। कुल 4.3 मिलियन अक्षम् बच्चे उच्च प्राथमिक शिक्षा (UPE) आयु समूह के बच्चो के अन्तर्गत पाये गये।
2. 1.4 मिलियन से ज्यादा 0-4 आयु समूह के बच्चे जिनकी पहचान उपचारात्मक, मूल्यांकन, शीघ्र प्रेरित होने वाले और शिक्षा के लिये तैयार होने वालों के रूप में की गई। निःशक्तों की शैक्षिक आवश्यकता और व्यवसायिक पुनर्वसन की प्रतिपूर्ति के लिये सम्मिलित किया गया था।
3. राष्ट्रीय शिक्षक आयोग ने प्रथम प्रतिवेदन दिया कि ''दृष्टिहीन और मूक-बधिर बालक 5% से अधिक और शायद 0.50% मानसिक मन्दित से ज्यादा नहीं'' लगभग 800-1000 विशिष्ट विद्यालयों में व्यवस्थित हो सकते हैं। इनमें से अधिकतर विद्यालय महानगरीय शहरों और शहरी केन्द्रों में स्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लगभग 80% ये अक्षम बच्चे निवास कर रहे थे जो व्यवहारिक तौर पर शैक्षिक सुविधाओं से

अपवंचित थे, जबकि 7000 बच्चे सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा (IED) योजना के अन्तर्गत साथ में शिक्षारत थे। प्रत्यक्ष रूप से यह पहुच सूक्ष्म अथवा नगण्य था।

4. शैक्षिक आवरण में परिमाणात्मक दरार की अपेक्षा पृथक से गुणात्मक पहलू में सुधार की आवश्यकता थी। अधिकतर संस्थान स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चल रहे हैं। जबकि कुछ बहुत अच्छे संगठनों में कई प्रशिक्षित कर्मचारी, पर्याप्त आवासीय और आवश्यक उपकरण और साधन नहीं हैं। इनमें से कुछ संस्थान शैक्षिक संस्थानों की अपेक्षा निस्सहाय **घरों में चल रहे हैं।**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति वक्तव्य के निहितार्थ:

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंग-चालित विकलांगों व और अन्य न्यून विकलांगों जो सामान्य की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक भिन्न हैं, उनके लिये संभव शिक्षा का अनुबन्ध करती है। गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिये जिला मुख्यालयों के विशेष विद्यालयों में छात्रावासों के साथ नामांकन के लिये प्रस्तावित करती है। विकलांग बच्चों के पूर्व-विद्यालय तैयारी के लिये और अन्य के साथ सामान्य व्यवसायिक तैयारी हेतु विशिष्ट व्यवसायिक केन्द्रों का सामना करने की सार्थक व्यवस्था करती है।
6. विकलांगो के लिये विद्यालयों में स्थान निर्धारण, उपचार और मूल्यांकन के निहितार्थ प्रणाली की पहचान करनी होगी। विकलांग बच्चों को पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा (ECCE) के लिये तैयार करना होगा। यह परिभाषा विभिन्न विमाओं में विकलांगों की उपाधि हेतु सम्मिलित की गई है। इस उद्देश्य के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा का प्रयोग किया जायेगा। विद्यालय पूर्व सालों में पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा (ECCE) और पूर्व विद्यालयी शिक्षा के लिये आगे के वर्षों में बच्चे को तैयार किया जायेगा।
7. अनुमानतः लगभग 20 लाख अपंग बच्चों को विशेष विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। पोषण मानक और मात्रृत्व देखभाल तथा प्रभावपूर्ण ढंग से अक्षमता (Disability) को रोकना होगा, जिससे अक्षमता का विस्तार कम होगा। परिणामतः अक्षम बच्चों की निरपेक्ष संख्या में सार्थक वृद्धि नहीं प्रदर्शित होगी। लगभग 20 लाख गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए खानपान का प्रबन्ध करने के लिये 10,000 विशिष्ट विद्यालयों के साथ प्रत्येक में 150 से 200 तक बच्चों के लिये आवश्यक होगा। विशिष्ट विद्यालयों की शिक्षा बहुत खर्चीली होने के रूप में यह सुरक्षित होगा कि उन्ही बच्चों का इन विद्यालयों में नामांकित किया जाये, जिन्हें सामान्य विद्यालयों में शिक्षा नहीं मिल सकती है। ज्यों ही विशिष्ट विद्यालयों में नामांकित बच्चे सम्प्रेषण कौशल और अध्ययन कौशल अर्जित करें, वे सामान्य विद्यालयों में एकीकृत होंगे। आगे यह कल्पना की गयी कि सामान्य विद्यालय प्रणाली की दक्षताओं में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निहितार्थ परिणाम-स्वरूप सुधार के साथ वृद्धि होगी, जिससे निःशक्त बालकों की खानपान सुविधाओं की क्षमताओं में सामान्य विद्यालयों में सदैव वृद्धि होगी।
8. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए विकलांगो की शिक्षा हेतु अन्य बालकों के सापेक्ष आदर्श परिदृश्य में 1990 में (6-11) और 1995 में (6-14वर्ष) थी। इस प्रकार यह युद्धस्तर से प्रयास करना होगा, क्योंकि वर्तमान पहुंच 5% से अधिक नहीं थी और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप

से विशेष विद्यालयों में अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता और विशेष प्रशिक्षक एवं अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता महशूस करने पर अधिक समय की बचत हुई। विशेषज्ञों को तैयार करने में समय लगता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण ने गम्भीर रूप से अक्षम् बालकों के ई0 2,000 तक स्वास्थ्य लक्ष्यों के वर्णनात्मक एवं विकल्पात्मक परिदृश्य पर पहुंचाया और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये एल.एच. और अन्य दुर्बल विकलांग बच्चे 1990-1995 तक पहुँचा जा सकते हैं।

विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु नई शिक्षा नीति (1986) में उनकी दशा और दिशा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गए:

a. विकलांगों का भौगोलिक वितरण और विकलांगता की घटनाओं की अस्थिरता शैक्षिक सुविधाओं की नीतियों के लक्ष्यों को बहुत जटिल बना देती है।सामान्य विद्यालय प्रणाली के कार्यक्रमों में शिक्षकों और प्रशासकों की संगठनात्मक समर्थता,
b. प्रशिक्षण अवयवों से सम्बद्ध इस समूह वर्ग के बालकों में स्थूल रूप से सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शिक्षक,
c. अभिमुखीकरण के कार्यक्रमों के लिये प्रशासकों और समान परिशिष्ट रहे दूरस्थ अधिगम चैनल,
d. एस.सी.ई.आर.टी., डाइट, उप-प्रखण्डों और ब्लाक स्तर के विशेषज्ञों के निर्माण के लिए इस समूह के बच्चों के लिए शिक्षकों का प्रबन्धन और निरीक्षण सेवायें प्रदान करना।
e. विकल्पात्मक अधिगम सामग्री का विकास, इन बच्चों के प्रबन्धन हेतु शिक्षकों के लिये निर्देशन व हस्त पुस्तिकाएं।
f. सहायक उपकरणों की प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायीकरण् के लिये अनुकूलन और सामान्य विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम,
g. विकलांगता के आँकलन/मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विकास करना, और
h. स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्रालय जहां जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ सहायक सेवाओं की लामबन्दी।

यह सुझाव प्रदान किया कि SCERT स्तर पर न्यूनतम तीन सदस्यीय दल, तीन DIET स्तर पर, और न्यूनतम एक को प्रत्येक उप-प्रखण्ड और खण्ड स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। उप-जिला स्तर पर 6,000 के लगभग प्रशिक्षित शैक्षिक अधिकारी सम्मिलित करने होंगे। कार्यक्रमों की पहुँच के बाहर के शिक्षकों को शेष तीन वर्षों के दौरान एक हिस्से के रूप में विशाल शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करना होगा। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा इन अभिकरणों जैसे NCERT] NIEPA और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के द्वारा SCERT के लक्ष्यों का निर्धारण हो सकता है। NCERT के अधीन हस्तपुस्तिकाओं का विकास शिक्षकों और इस समूह के बच्चों का प्रबन्धन करने वाले शैक्षिक अधिकारियों के लिये समान शिक्षा प्रणाली के साथ किया जाना चाहिए। श्रम मन्त्रालय के अधीन विकलांगों के लिए ITIs को अतिरिक्त अथवा संशोधित सुविधाओं के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण मिलता है। जिला पुनर्वास केन्द्रों पर ऑकलन के सापेक्ष स्वास्थ्य कल्याण विभाग मन्त्रालय द्वारा उपचारात्मक सुविधायें और कृतिम अंग उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रस्ताव में निम्नलिखित तात्क्षणिक व्यवस्थाएं सम्मिलित की गई थी-

- सहायता की व्यवस्था करना और क्षेत्र में उपकरणों की पहुंच।
- यात्रा-भत्तों के भुगतान की पर्याप्त व्यवस्थाएं। (Rs. 50/- per month)
- ग्रामीण क्षेत्र के संस्थानों में जिनमें न्यूनतम 10 विकलांग बच्चे हों, वहाँ विद्यालयी रिक्शा खरीदने हेतु मूल लागत की व्यवस्था करना।
- जहाँ पर 10 विकलांग बच्चे नामांकित हों वहाँ विद्यालयी भवन में स्थापित अवरोधों को हटाना।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें और यूनिफार्म की निःशुल्क आपूर्ति।
- अन्य विशिष्ट समूह जैसे लड़कियाँ और अनु0 जनजाति के बच्चों की तात्क्षणिक उपस्थिति दर्ज करना।
- पूर्व बाल्यकाल केन्द्रों की व्यवस्था द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करना।
- निर्धारित न्यूनतम आयु योग्यता से अधिक आयु (6 वर्ष के स्थान पर 8-9 वर्ष तक) के बच्चों के लिये प्रवेश की व्यवस्था। संक्रमण अवस्था की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है, कि विद्यालय से पहले इस व्यवस्था के अन्तर्गत विस्तृत तैयारी की जानी चाहिए।

9. केन्द्रीकृत प्रयोज्य योजनाएं विकलांगो की एकीकृत शिक्षा के प्रति राज्य सरकारों की अनुक्रियाएं बहुत साहसिक नहीं थी। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने विशिष्ट समूहों के सापेक्ष अन्य के साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों को अर्जित करने हेतु योजनाओं को लागू करने में राज्यों के कदमों में तेजी लाया।
10. वर्तमान प्म्क् योजना की आवश्यकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारों में दोहराया गया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने विचारों की योजनाओं को समान रूप से पुनःविचार करने हेतु अचानक समिति की नियुक्ति की।
11. व्यवसायिक शिक्षा के लिये इन बच्चों के लिये ः2 स्तर के सामान्य विद्यालयों में और प्ज्प्ः में पूर्व-योजना बनाई जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ सुरक्षित प्रणाली और परिमार्जित अतिरिक्त मशीनों (यन्त्रों) को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. मनो-शैक्षिक ऑकलन हेतु उपकरणों और उपचारात्मक उपकरणों के द्वारा पहचान अधिगम समस्याएं के लिए स्पष्ट एवं अचूक होती हैं। प्रभावी रूप से शैक्षिक रूपरेखा की तैयारी के लिये उनकी आवश्यकताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया गया है। केवल उपकरणों का विकास ही मात्र नहीं करना चाहिये, बल्कि अन्य संगठनों को अनुवादन और क्षेत्रीय भाषाओं के अपनाने को उत्साहित करना चाहिये। छब्म्त्ज् में स्थित मनो-शैक्षिक संसाधन केन्द्र को योग्य ढंग से विकसित करना होगा। परीक्षणों की उपलब्धता प्राप्त करना, विकास को प्रोत्साहन देना और उन क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जहां नये परीक्षणों की आवश्यकता हो। इस कार्य में राष्ट्रीय विकलांग संस्थान निश्चित रूप से इसमे संलग्न है।
13. दस्तावेजों की नवीनता और सफल प्रयोगों से सम्बन्धित इन बच्चों के लिये शैक्षिक व्यवस्था छब्म्त्ज् के अधीन होनी चाहिए। छब्म्त्ज् द्वारा इन नवाचारी अभ्यासों को शैक्षिक संस्थानों में स्वयं बिखेरना (पहुँचाना) चाहिए।

14. सामान्य विद्यालयों में चालन से सम्बन्धित और अन्य प्रकार के न्यून / अल्प विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षा को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा:

15. विशिष्ट विद्यालय जिला और उपजिला स्तर पर स्थापित किये जायेंगे। यह महशूस किया गया कि मिश्रित विशिष्ट विद्यालयों के साथ स्थापित कर शुरुआत हो सकती है। यह निर्णय अक्षम् बालकों की जनसंख्या के भौगोलिक विवरण पर आधारित है, दूरस्थ स्थानों पर स्थित विद्यालयों में बच्चों को भेजना माता-पिता अथवा पालकों की ईच्छा के विरुद्ध है, विशेषज्ञ कर्मचारियों का साझेदारी जैसे उपचारक और मनोवैज्ञानिक शैक्षिक प्रयासों का समर्थन करना, पूर्व-व्यवसायिक के लिये व्यवसायिक केन्द्रों की उपयोगिता और विद्यालयों में बच्चों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि शिक्षा के पश्चात पुनर्वसन पाठ्यक्रमों के लिए, बहु-विकलांग बच्चों की जरूरतों हेतु सभा की बैठक और, आर्थिक व्यवहार्यता (जीवनक्षमता) सन्दर्भित है। जबकि यह महशूस किया गया था जहाँ कहीं भी किसी विशेष जिले में यदि बच्चों की संख्या में विशिष्ट अक्षमता अत्यधिक (60-70) प्रदर्शित होती है, तो अलग से विशिष्ट विद्यालयों को अन्तिम अवस्थाओं में काटकर बाहर किया जा सकता है। मिश्रित विशिष्ट विद्यालयों में बच्चों को उनकी विभिन्न विकलांगताओं के साथ विभिन्न विभागों/ समूहों/ कक्षाओं में शिक्षित करना होगा।
16. प्रत्येक जिले में जहां विशिष्ट विद्यालय स्थापित है, एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र या तो विद्यालय के हिस्से के रूप में अथवा इसको अनुबन्ध के रूप मे हमेशा विकसित करना होगा। यह संस्थान विशिष्ट विद्यालय के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और अन्य गम्भीर विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार देगा। प्रशिक्षित शिल्पी/ कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाये जायेंगे। पुनर्वसन परिषद से निवेदन होना चाहिये कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान कर पूरे देश में रोजगार प्रदान कर पदस्थ किया जाना चाहिए।बालक और बालिकाओं के लिये अलग-अलग छात्रावास उपलब्ध होंगे, जिनमें लड़कों के छात्रावास की क्षमता 40 और लड़कियों के छात्रावास की क्षमता 20 के लगभग होगी। इन छात्रावासों में विद्यालय के समान ही विद्यार्थियों के लिये खाने-पीने के प्रबन्ध के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के समान होंगे।
17. आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उप-जिला स्तर पर 5000 अन्य नये विशिष्ट विद्यालय खोलने के साथ ही इन विशिष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़कर लगभग 7500 हो गई। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तर्गत इन विद्यालयों की संख्या बढ़कर 10000 तक हो गई।
18. विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य द्वारा या राजकीय संगठनों द्वारा अन्यथा स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन द्वारा की जानी चाहिये। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 400 विशिष्ट विद्यालय स्वयं स्थापित हो सकते थे। जिले में जो पहले विद्यालय स्थापित किये गये, वे किसी भी प्रकार से विशिष्ट विद्यालय का कार्य नहीं कर रहे थे। इस प्रकार के प्रत्येक विशिष्ट विद्यालयों में आरम्भिक दस्तावेज के अनुसार सभी श्रेणियों के न्यूनतम् 60 विकलांग बच्चे हो सकते थे।

19. यह माना गया कि प्रत्येक विशेष विद्यालय में 8-10 विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होगी, वर्तमान योजना अवधि के दौरान लगभग 3500-4000 विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अपंगता के अनुसार जिला मुख्यालय स्तर पर प्रस्तावित विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए त्वरित गति से कार्य करने की सलाह दी गयी। इस लक्ष्य को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय और कल्याण मन्त्रालय के अधीन न्ळब्ए छब्म्त्ज्ए क्षेत्रीय शिक्षा के महाविद्यालयों, विकलांगता के राष्ट्रीय संस्थान और चुनिंदा विश्वविद्यालयों के विशिष्ट शिक्षा विभागों द्वारा लिया जाए। विशिष्ट विद्यालयों में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये पिछड़े अप्रशिक्षित शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान कर शोधित (छने हुये) शिक्षकों को बढ़ाया गया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सेवारत् राष्ट्रीय संस्थान द्वारा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा के सहयोग से व्यवस्थित हो सके।
20. यह देखा गया कि स्वयंसेवी संगठनों प्रशिक्षण के लिये अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते। नियुक्ति के समय प्रशिक्षित शिक्षकों को अनिश्चित अनुदान दिया जा सकता है, अथवा नियुक्ति के तीन साल तक उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अनुदान में देरी करने पर संगत रूप से व्युतक्रमानुपाती कमी हो सकती है। सेवा की गुणवत्ता प्रदान करने पर अनुदान में वृद्धि हो सकती है।
21. प्रशिक्षण के सापेक्ष, विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों रखने के चरण में समूह हमेशा विचार करता है, लक्ष्य को पूरा करने हेतु इन बच्चों के साथ ज्यादातर सुनिश्चित होना चाहिए। समूह ने महशूस किया कि विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षक और व्यवसायिक शिक्षकों को मूल भुगतान का 20% अतिरिक्त विशेष भुगतान करना चाहिए।
22. शिक्षकों के अतिरिक्त, 400 मनोवैज्ञानिकों और न्यूनतम् 2 चिकित्सक प्रत्येक जिले में विशिष्ट कार्य के ऑकलन और विकलांग बच्चों के पुनर्वसन के लिये आवश्यक है। यह सलाह दी गई कि परामर्शकों का विद्यमान संवर्ग, जो कुछ भी उपलब्ध प्रशिक्षणरत् सेवा में 4-6 सप्ताहों के अन्दर विकलांग बच्चों का ऑकलन हो सकता है। सामान्यतः, अभिमुखीकरण कार्यक्रम को चिकित्सकीय कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह के अन्दर का समय लिया जा सकता है। अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त जैसे फिजियोथिरेपिस्ट, आक्यूपेशनल थिरेपिस्ट, स्पीच थिरेपिस्ट, की आवश्यकता होगी। न्यूनतम प्रति 400 पर एक की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य मन्त्रालय और और कल्याण मन्त्रालय इन व्यवसायिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए समन्वयक नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा समन्वित प्रयास हो सकते हैं।
23. अभिमुखीकरण प्रशिक्षण व्यवसायिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के क्षेत्रीय आधार पर संगठित किया जा सकता है। वर्तमान योजना अवधि के दौरान 3000-4000 शिक्षकों को अनुकूल बनाया जायेगा। अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दो सप्ताह की अवधि का होगा।
24. इन विद्यालयों की पाठ्यचर्या परिवर्तित होनी चाहिए। व्यक्तिगत विकलांगता के क्षेत्र में उत्पन्न हुई विशिष्ट अधिगम समस्याओं की जिम्मेवारी लेनी होगी। उदाहरण के लिये, दृष्टिहीन बच्चों की सीमाएं विज्ञान के प्रयोगों और मूक-बधिर बालकों के अध्ययन में एक से अधिक भाषाओं की आवश्यकताओं का समायोजन पाठ्यचर्या की सीमा है। जब तक इन बच्चों को पाठ्यचर्या के अवयव याद नहीं हो जाते जो कि वे कर सकते हैं, तब तक उन्हें सावधानी से अभ्यस्त कराना चाहिये। विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थानों और

छब्म्त्ज् को पाठ्यचर्या को विकसित करनी चाहिए और पाठ्यचर्या मार्गदर्शिका बनवाकर और विशिष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को हस्तपुस्तिका उपलब्ध करवानी चाहिए।

25. गम्भीर रूप से अपंग बच्चों के लिये परीक्षा में लचीलापन होना आवश्यक है। मूल्यांकन मार्गदर्शिका और शैक्षिक ऑकलन के लिए उपकरणों को बनाया जाना चाहिए और इन विद्यालयों को उपलब्ध करवाना चाहिये। छब्म्त्ज् जो कि तकनीकि में माहिर है को ऐसे उपकरणों का विकास करना चाहिए और राष्ट्रीय संस्थान जो कि विकलांगता में महारत हासिल किये हुए हैं, इस सामग्री को उत्पन्न करने में सहयोग देना चाहिये।
26. विशिष्ट शिक्षा में तकनीकि का उपयोग सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिये। यह परिवर्तनों को सम्मिलित करता है, समायोजन और अनुकूलन अधिगम संसाधन केन्द्र के उपकरण और सामग्री हैं। इलेक्ट्रानिक्स विभाग, डभ्त्क् और कल्याण मन्त्रालय विकलांगो के लिए अधिगम अवसरों में सुधार के लिए सामग्री उत्पादक के रूप में सहयोग दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मूक-बधिरों के अनुकूलन के लिए कम्प्यूटरों की सहायता से तथा स्क्रिप्ट्ड दूरदर्शन और वीडियो इत्यादि आवश्यकताओं को लेकर विकलांग व्यक्ति सदैव अन्य बच्चों के अवसरों का उपयोग करते हैं।
27. विद्यमान विशिष्ट विद्यालयों को (जैसे भी संभव हो सके) नामांकन वृद्धि की क्षमता और प्रभावात्मकता को बढ़ाने के लिए (800-1000 विद्यालय) होंगे। शिक्षकों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाये गये सुझावों से समूह सहमत था कि ”विशिष्ट विद्यालयों को अनुदान नियमित विद्यालयों के समान आधार पर अक्षम् बालकों को विशेष आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था के साथ दिया जाना चाहिए।“
28. विशिष्ट विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा के लिए कमजोर कड़ी वर्तमान में विशिष्ट शिक्षा के संस्थानों में निरीक्षण की कमी के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर की अनुपस्थिति के लिए मानक में सुधार का हवाला है। कल्याण मन्त्रालय और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के सहयोगात्मक ढंग से इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशिष्ट विद्यालयों की निरीक्षण सेवाएं विकसित की गई हैं। एक निरीक्षण दस्ता भी प्रस्तावित हो सका है। जिला स्तर पर तीन कर्मचारी सदस्य जो कि विकलांगों की शिक्षा के लिये अभिमुखीकरण हो सकते हैं उन्हें निरीक्षण के द्वारा सुयोग्यता और ज्ञान उपलब्ध करवा सकते हैं। जिला पुनर्वसन केन्द्रों पर इन कर्मचारी सदस्यों को कार्य पर जोड़ सकते हैं।
29. भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में तात्क्षणिक रूप से विकलांगो की अनुसंधान शिक्षा को ले सकते हैं। NCERT, ICSSR, UGC और विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान की कमी का एक कारण विश्वविद्यालयों का अत्यल्प ही शामिल होना और व्यक्तियों की दुलर्भता जो कि इस क्षेत्र में अनुसंधान के निरीक्षण के लिए लायी जा सकती है। अनुसंधान कार्यों का प्रशिक्षण, कोष के लिए विकास प्रारूप और राष्ट्रीय संस्थानों के प्रोत्साहन से इस कार्य की गति को बढ़ाया जायेगा।

संचालन और मूल्यांकन:

30. विकलांगों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रदत्त आधार बहुत कमजोर है। सूचना प्रणाली के पदों की क्षमताओं को बढ़ाना होगा। सामान्य विद्यालयों के सापेक्ष विकलांगों के विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा की रफ्तार के

संचालन को मानव कल्याण और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा बढ़ाना होगा। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित करनी होगी। प्रदत्तों से सम्बन्धित शिक्षण के लिए संस्थानों में विकलांगों को MHRD के सांख्यिकीय दस्तावेजों में निश्चित रूप से शामिल करना होगा। MHRD और कल्याण मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों MHRD, NUEPA विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समालोचनात्मक अध्ययन और गुणात्मक अध्ययन भी कराये गये। NCERT और राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनो पक्षों का मूल्यांकन करने के प्रारूप का निर्माण करेंगे।

उपरोक्त प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) एवं क्रियान्वयन (POA 1992) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित एव अनुशंसित किए गए थे।

10.4 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें(Recommadations of National Knowledge Commision)

s राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से 2009 तक में आयोग के विभिन्न सदस्यों के द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्टों का संकलन है। यह आयोग डा0 सैम पित्रोदा के नेतृत्व में भारत में मौजूद ज्ञानाधार के विशाल भंडार का लाभ उठाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार करने के प्रयोजन से प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था जिससे भारत के लोग 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। एनकेसी के अधिदेश के केन्द्र में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका संबन्ध सुलभता, अवधारणाओं, सृजन, प्रयोग और सेवाओं के साथ है।

इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया गया है कि इन प्राचलों से विशेष रूप से ज्ञान की सुलभता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक सुविज्ञ समाज का निर्माण कैसे किया जाए? इन 5 ध्यातव्य क्षेत्रों में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया जो इनके साथ संबंधित हैं: शिक्षा का अधिकार, भाषाएं, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, उच्चतर शिक्षा, गणित और विज्ञान में और अधिक छात्र, व्यावसायिक शिक्षा, और अधिक स्तरीय पीएच.डी., मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा संसाधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए कानूनी रूपरेखा, राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान, नवाचार, उद्यमशीलता, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियां, कृषि, जीवन स्तर और ई-अभिशासन में सुधार। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में कार्यकारी समूहों का आयोजन किया गया जिनमें सरकार, शैक्षिक समाज, उद्योग, सिविल समाज, मीडिया तथा अन्य के क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल थे जिससे कि इस सारी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाया जा सके। कार्यकारी समूहों से विभिन्न परामर्श करने और आयोग में चर्चा तथा वाद-विवाद के लिए एक श्वेत पत्र तैयार करने का अनुरोध किया गया था। इस प्रविधि के आधार पर आयोग के सदस्यों द्वारा बहुमत से सिफारिशों के एक अंतिम सेट को लेकर सहमति हुई। उन तीन वर्षों के दौरान एनकेसी ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्रों के रूप में 27 विषयों पर लगभग 300 सिफारिशें प्रस्तुत की।

इन सिफारिशों को राष्ट्र को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में, विचारगोष्ठियों, सम्मेलनों, चर्चाओं में व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और इन्हें राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मीडिया द्वारा कवर किया गया है। ये सिफारिशें एनकेसी वेबसाइट के माध्यम से 10 भाषाओं में उपलब्ध भी हैं। स्वयं लाभार्थियों तक पहुंचने के कार्यक्रम के अंग के रूप में इसे

विश्वविद्यालयों, कालेजों, स्कूलों, सीआईआई, एफआईसीसीआई, एआईएमए तथा अन्य के सहयोग से विभिन्न सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया था। सिफारिशों पर चर्चा करने और राज्य स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बारे में एनेकेसी सदस्य विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क रखते रहे हैं। अधिकांश राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 12 जनवरी, 2007 को राष्ट्र के प्रति पहली एनकेसी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय प्रधानमंत्री ने आग्रहपूर्वक यह कहा था कि आयोग को ''अपने नवाचारी विचारों के कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने में अवश्य सहयोजित किया जाना चाहिए''। व्यापक और वैविध्यपूर्ण हितधारकों से सतत संवाद बनाए रखना, सिफारिशें तैयार करने तथा बाद में उनका प्रसार करने- दोनों ही अर्थों में हमारी कार्यविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है। हमारे समाज में विषमताओं को कम करने का अवसर देने की दृष्टि से निर्धनों और सुविधावंचितों के लिए ज्ञान, शिक्षा और नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा उत्पादकता, प्रभाविता में सुधार लाने और लागत में कमी लाने की दृष्टि से भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से हमें समुचित शिक्षा के जरिए 25 वर्ष से कम आयु के 550 मिलियन युवकों को सामर्थ्यवान बनाना है और शिक्षित करना है ताकि भावी उन्नति और समृद्धि का निर्माण किया जा सके । भारत का भाग्य उन्हीं के हाथों में है सिफारिशें तैयार करते समय एनकेसी सदस्य इस तथ्य से मार्गदर्शित हुए हैं कि भारत के आम लोगों की जिंदगी को ज्ञान कैसे प्रभावित करेगा। छात्रों के लिए उत्तम शिक्षा और नौकरियां सुलभ हों; वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशालाएं तथा उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति सुलभ हो और लोग एक गुंजायमान लोकतंत्र में उत्तम अभिशासन के बीच अपने को सामर्थ्यवान महसूस करें। ये उद्गार एवं उद्देश्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के थे जो उन्होनें इसे प्रधानमंत्री को सौपतें समय महशूश किये थे। विशेष शिक्षा के क्षेत्र हेतु उनके द्वारा सुझाए गए एवं किये गए अनुशंसा को हम यहॉ निम्न रूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं।य स्तरीय

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के वास्ते हस्तक्षेपणीय उपाय

शैक्षिक दृष्टि से वंचित वर्गों को शिक्षा की और अधिक सुलभता सुनिश्चित करने के वास्ते विशेष हस्तक्षेपणीय उपाय जरूरी हैं और इस संबंध में कुछ प्रस्ताव संलग्न टिप्पणी में अधिक विस्तार से दिए गए हैं। निस्संदेह लड़कियों का अधिक नामांकन और उन्हें शिक्षा में बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय जरूरी हैं। अनुसूचित जातियों के बच्चों की शिक्षा अनिवार्यतः एक प्राथमिकता होनी चाहिए जिसके लिए दृष्टिकोण की नमनशीलता तथा भेदभाव का निवारण-दोनांे की जरूरत होगी। अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता की दृष्टि से और अधिक नमनशील तथा संवेदी स्कूली कार्यनीतियॉ आवश्यक हैं। स्कूली पाठ्चर्या तथा शिक्षाशास्त्र की विधियॉ तैयार करते समय भाषागत मुद्दों पर स्पष्टतः विचार किया जाना जरूरी है। पिछड़े क्षेत्रों, दूरस्थ स्थानों और दुष्कर मैदानों में बच्चों के लिए स्कूलों की और अधिक सुलभता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशेष कार्यनीतियां जरूरी हैं। मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की बेहतर सुलभता सुनिश्चित करने के निमित्त मदरसों में, जोकि इस तरह के बच्चों की एक बहुत छोटी सी संख्या की जरूरतें पूरी करते हैं सरकारी कार्यनीतियाँ अत्यधिक केन्द्रित हैंः सामान्य स्कूली प्रणाली में मुस्लिम बच्चों के लिए समर्थनकारी स्थितियाँ पैदा करने पर अधिक बल दिए जाने की जरूरत है। मौसमी प्रवासियों के बच्चों के वास्ते स्कूली शिक्षा की सतत सुलभता सुनिश्चित करने के निमित्त विशेष स्थितियां और

प्रयास किए जाने जरूरी हैं। इसी प्रकार श्रमिक बच्चों को प्रोत्साहन और सेतु पाठ्यक्रमों की जरूरत है। शारीरिक दृष्टि से सुविधावंचित बच्चों और साथ ही अध्यापकों की जरूरतों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रावधानों में और अधिक गहन रूप से विन्यस्त किया जाना चाहिए। हम यह महसूस करते हैं कि सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के अर्थों में राज्यों के बीच व्यापक विषमताएं हैं और साथ ही स्कूली शिक्षा के स्तर को लेकर भी राज्यों के बीच भिन्नता है। लेकिन हमारा यह मानना है कि ये सुझाव जिनमें केन्द्रीय और साथ ही राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोजन जरूरी है प्रारंभिक शिक्षा की सर्वसुलभता, माध्यमिक शिक्षा की और अधिक व्यापक सुलभता और साथ ही समूची स्कूली शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता तथा और अधिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के अर्थों में किंचित उपयोगी पाए जाएंगे। इस क्षेत्र तथा पुस्तकालयों, अनुवाद, ज्ञान नेटवर्क आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के बीच मजबूत सहक्रियाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों को ऐसी अन्य सिफारिशों के साथ रखकर देखा जाना चाहिए जोकि युवकों के लिए ज्ञानपरक पहलों के व्यवस्थागत के सेट एक अंग के रूप में ऐसे अन्य क्षेत्रों के मामले में पहले ही की जा चुकी हैं।

समावेशनः सभी योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराना

अधिक अवसरों की रचना के माध्यम से शिक्षा समाजिक समावेषन के लिए एक बुनियादी तंत्र है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी को वित्तीय कठिनाई के कारण उच्च शिक्षा पाने के अवसरों से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हैः उच्च शिक्षा संस्थानों को आवश्यकता से बँधी प्रवेश नीति अपनाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी नीति के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने या न देने का निर्णय लेते समय उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना शिक्षा संस्थान के लिए गैर-कानूनी होगा। ऋ आर्थिक रूप से कम साधन संपन्न विद्यार्थियों और ऐतिहासिक तथा सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के लिए विस्तारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना होनी चाहिए और उसके लिए धन की कमी नहीं रहनी चाहिए।

सिफारिश: सभी स्तरों पर उत्तम विज्ञान शैक्षिक सामग्री की सुलभता को बढ़ावा दें

जनजातीय बच्चों की विशेष जरूरतें: प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छः वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क सबसे तेज गति से विकसित होता है। इस संबंध में जनजातीय बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सहायक सामग्री तैयार किए जाने की जरूरत है क्योंकि वे अन्य बाकी बच्चों की तरह आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित नहीं हैं। वैज्ञानिक उन्नतियों से अवगत कराने के लिए अधिगम के निमित्त प्रेरण उत्पन्न किया जाना होगा। जनजातीय स्कूलों में ऐसे अध्यापक तैनात किए जाने चाहिए जोकि जनजातीय बच्चों की विशेष जरूरतों के अनुरूप शिक्षाशास्त्रीय विधियों में प्रशिक्षित हों। अध्यापकों को स्थानीय जनजातीय बोली से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। विज्ञान के विषयों को मिडिल स्कूल स्तर तक स्थानीय भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। तथापि अध्यापक को मूल अवधारणाएं जनजातीय बोली में समझानी चाहिए जिससे कि ठोस अवधारणात्मक समझ सुनिश्चित की जा सके। निम्न स्तरों पर मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए भी जनजातीय बोली का प्रयोग किया जा सकता है। जनजातीय बच्चों की पोषाणीय जरूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रवास एक ऐसी बड़ी समस्या है जोकि जनजातीय बच्चों की शिक्षा को बाधित करती है। बड़ी आयु के बच्चों के लिए छात्रावास सुविधाएं सुलभ कराई जानी चाहिए जिससे कि शिक्षा में सांतत्य सुनिश्चित किया जा सके।

10.5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई, 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए इस वक्तव्य के अनुसरण में लिया गया कि परिषद् को इसमें संशोधन करने का अब समय आ गया है। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव ने परिषद् के निदेशक को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने 1993 की 'शिक्षा बिना बोझ के' रपट की रोशनी में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.एस.ई) - 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की। इन्हीं निर्णयों के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और इक्कीस राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया।

इन समितियों में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अकादमिक सदस्य, स्कूलों के शिक्षक और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हुए। देश के हर हिस्से में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श एवं चिंतन किया गया। इसके साथ ही मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और शिलांग में स्थित परिषद् के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में भी क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

राज्यों के सचिवों, राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों और परीक्षा बोर्ड के सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया। ग्रामीण शिक्षकों से सुझाव लेने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए गए जिससे लोग नयी पाठ्यचर्या के बारे में अपनी राय दे सकें और बड़ी तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाएँ आई।

संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या: दस्तावेज़ का आरंभ रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध ''सभ्यता और प्रगति'' के एक उद्धरण से होता है जिसमें कविगुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.एस.ई) - 2005 में कुल 5 अध्याय है जो निम्न प्रकार से हैः

i. परिचय
ii. सीखना और ज्ञान
iii. पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएँ और आकलन (भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, आवास और सीखना, अध्ययन और आकलन की योजनाएँ, आकलन और मूल्यांकन)
iv. विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण
v. व्यवस्थागत सुधार

उपरोक्त मुख्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अलावा इक्कीस (21) राष्ट्रीय फोकस समूहों का भी गठन किया गया था। जो तीन वोल्यूम में प्रकाशित किया गया यथा- पाठ्यर्चया क्षेत्र, क्रमिक सुधार तथा राष्ट्रीय आवश्यकताएँ इसमें से एक विशेष आवश्यकता वाले बालको की शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय आवश्यकताऐं वाले स्थिति पत्र में दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को ध्यान में रखते हुए बहुत बातें बताई गई है उनमें से प्रमुख अंशों को यहाँ उद्धत किया जा रहा हैं-

यह महत्त्वपूर्ण है कि कक्षा में सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार किया जा सके। विशेषकर उनके लिए जिनके हाशिए पर धकेले जाने का खतरा हो। उदाहरण के लिए, वे विद्यार्थी जिनमें कुछ असमर्थताएँ हैं। विद्यार्थियों या विद्यार्थी-समूहों को अपंग/असमर्थ/निर्योग्य शब्दों से संबोधित करने से उनमें एक प्रकार की कुंठा और असहायता की भावना घर कर जाती है। इससे उन कठिनाइयों पर परदा पड़ जाता है, जिसका सामना विद्यार्थियों को विविध सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण से आने के कारण या कक्षा में अपर्याप्त शिक्षण-विधि अपनाने के कारण करना पड़ता है। इन बच्चों के अधिकार भी अन्य बच्चों के ही समान होते हैं। विद्यार्थियों के बीच मतभेदों को समस्या के रूप में न देखकर शिक्षण के सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है।

इसीलिए स्कूलों का यह दायित्व बनता है कि वे एक ऐसी उदार पाठ्यचर्या को अपनाएँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। यह दस्तावेज़ ऐसी पाठ्यचर्या की योजना बनाने की दिशा में आरंभ-बिंदु हो सकता है जो विद्यार्थियों या विद्यार्थी-समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हो। पाठ्यचर्या में उचित चुनौती और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त अवसर हों, ताकि वे अध्ययन में सफलता पा सकें और अपनी संभावनाओं का पूर्ण विकास कर सकें। कक्षा में शिक्षण और अध्यापन की प्रक्रिया इस प्रकार नियोजित हो कि वह विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षकों को ऐसी सकारात्मक कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि असमर्थ समझे जाने वाले विद्यार्थियों सहित सबको शिक्षा का माहौल मिले। ऐसा सहयोगी शिक्षकों तथा स्कूल के बाहर की संस्थाओं की मदद से किया जा सकता है।

समावेशी कक्षा के शिक्षक की पाठ योजना और इकाई योजना को इस ओर इंगित करना चाहिए कि शिक्षक बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है। सीखने की असफलता को आजकल यांत्रिक तौर पर 'निदान' के माध्यम से संबोधित किया जाता है जिसका सामान्य अर्थ है पाठों को बच्चों के लिए सिर्फ दोहरा देना। अनेक शिक्षक उन समस्याओं का 'इलाज' भी ढूँढ़ रहे हैं जो कुछ बच्चे संभवतः अनुभव करते हैं। शिक्षक अभी भी बच्चों की सामर्थ्य पर आधारित अधिगम को व्यक्तिमूलक बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं।

सभी बच्चों की भागीदारी:

i. समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है।
ii. विकलांगता एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है . इसे स्वीकार करना है।
iii. सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेष को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।
iv. बच्चे फेल नहीं होते हैं, वे केवल स्कूल की असफलता दर्षाते हैं।
v. अन्तरों की स्वीकृति .... विविधता का उत्सव।
vi. समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है।
vii. मानवीय अधिकार सीखें और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाएं।
viii. विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है कृप्या इसे तोड़ें।

ix. प्रावधान करें बाधाएं न गढ़ें, बच्चों की ज़रूरतों के साथ सामंजस्य बिठाएँ
x. भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी बाधाएँ दूर करें।
xi. सहभागिता हमारी शक्ति है- जैसे स्कूल-समुदाय की, स्कूल-शिक्षक की, शिक्षक-शिक्षक की, शिक्षक-बच्चों की, बच्चों-बच्चों की, शिक्षक-अभिभावक की, स्कूली तंत्र एवं अन्य तंत्रों की सहभागिता।
xii. शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन के व्यवहार हैं।
xiii. साथ मिल कर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है।
xiv. सहारा देने वाली सेवाएं - आवश्यक सेवाएं हैं।
xv. यदि पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखें। उनकी कमियों को नहीं बल्कि षक्तियों को पहचाने।
xvi. आपस में आदर भाव, परस्पर-निर्भरता बढ़ाएँ।

बच्चों के अधिकार:

बच्चों के अधिकार भारत बाल अधिकारों के समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है। इस समझौते के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं - भागीदारी का अधिकार, सम्मेलन या संगठन का अधिकार और सूचना का अधिकार। अगर बच्चों और युवाओं के अन्य अधिकार देने हैं, तो उस लिहाज से ये आवश्यक अधिकार है। बच्चों से सरोकार रखने वाले हर क्षेत्र में भागीदारी के आदर्श को समेकित करना चाहिए। असल में जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएँ ऊँच-नीच पर आधारित हों तो वहाँ तो बच्चे और युवा किनारे कर दिए जाते हैं, उनका प्रभावशाली सहयोग इस पर निर्भर करता है कि वे स्वयं को किस स्तर तक संगठित कर पाते हैं। एक साथ आने से उनकी पहचान उभरती है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ताकत बढ़ती है और सम्मिलित आवाज़ बनती है।

कुछ 'चुने हुए' बच्चों के माध्यम से भागीदारी को लागू करने में भेदभाव का भाव भी होता है, और अक्सर अप्रभावी होता है क्योंकि वे 'प्रतिनिधि' अपने सिवा किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते; कम दिखने और बोलने वाले बच्चे इससे बाहर ही रह जाते हैं; और इसमें हेरफेर की भी गुंजाइश रहती है। दूसरी ओर, बच्चों विशेषकर वंचित बच्चों तथा युवाओं की संगठित भागीदारी बच्चों को षक्ति देती है। इससे उनकी सूचनाओं तक पहुंच बढ़ती है, उनमें आत्मविष्वास बढ़ता है, उनकी अस्मिता विकसित होती है और उनमें स्वामित्व का बोध जगता है। उन समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चे समूह के विचारों और सपनों को एक जीवंत आवाज़ देते हैं। एकजुट होने से वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के सामूहिक तरीके भी ढूँढ़ पाते हैं। तथापि, जो सुनिष्चित किए जाने की ज़रूरत है- वह यह है कि युवाओं और बच्चों की इस सामूहिक आवाज़ के विकास में भागीदारी का सबको बराबर का अधिकार हो।

समावेशन की नीति(Policy of Inclusion)

समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिलें। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बाँटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव

को पोषण देने के शक्तिशाली तरीके हैं। स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने-चुने बच्चों को ही बार-बार चुनते रहते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बार-बार उपेक्षित महशूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है।

तारीफ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता को आधार बना सकते हैं लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ होनी चाहिए। इसमें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें दिए गए काम को पूरा करने में ज्यादा समय या मदद की ज़रूरत होती है। ज्यादा अच्छा होगा अगर शिक्षक ऐसी गतिविधियों की योजना बनाते समय कक्षा में बच्चों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए।

इसीलिए योजना बनाते समय, शिक्षकों को सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा। प्रतियोगिता पर अत्यधिक बल और व्यक्तिगत सफलताएँ कई स्कूलों की पहचान बनती जा रही हैं, विशेषकर उन निजी विद्यालयों की जो मध्यम वर्ग को आकर्शित करने के लिए खुलते हैं। यहाँ जैसे ही विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, उन्हें अलग-अलग खण्डों (हाउस) में बाँट दिया जाता है और इसके बाद स्कूल की हर गतिविधि खण्ड के अंक पर आधारित होती है और उसमें भाग लेने के आधार पर साल के अंत में पुरस्कार दिए जाते हैं। इस तरह अपने 'हाउस' के प्रति निष्ठावान बनकर विद्यार्थी उसके लिए अंक जुटाने में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इससे उनके शैक्षिक लक्ष्य भी गडबड़ाते विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण 97 हैं क्योंकि स्पर्धा की अत्यधिक भावना किसी दूसरे से बेहतर करने के लक्ष्य को बढ़ावा देती है न कि अपने आप में श्रेष्ठ बनने और अपने संतोष के लिए कुछ करने के लक्ष्य को।

अक्सर बच्चों द्वारा अन्य बच्चों का प्रबोधन स्कूल के अंदर के सामाजिक रिश्तों को विकृत कर देता है जिससे सहपाठियों के संबंध पर प्रतिकूल असर पड़ता है और सहयोग और संवेदनशीलता के मूल्यों को क्षति पहुँचती है। शिक्षकों को इस बात पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि वे स्कूली जीवन के हर पहलू में किस हद तक स्पर्धा की भावना को शामिल करना चाहते हैं और किस हद तक उसे फैलाना चाहते हैं - क्योंकि इससे तो वे अनुशासित और नियंत्रित करने का काम ज्यादा कर रहे हैं और अधिगम एवं रुचि को बढ़ावा देने का कम। बच्चों को शुरू में ही संकीर्ण संज्ञानात्मक आधार पर वर्गीकृत करके स्कूल उस विविधता को भी क्षति पहुँचाते हैं जो बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभाओं में होती है।

प्रत्येक बच्चे के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की बजाए बच्चों को अपने शुरुआती जीवन में ही संज्ञानात्मक पदों पर रख दिया जाता है। श्रेष्ठतम विद्यार्थी, सामान्य, सामान्य से कम स्तर के और असफल; अधिकतर मामलों में बच्चों के पास अपने पद से खुद हटने के मौके नहीं होते। ठप्पा लगाने की इस भयावह प्रक्रिया का बच्चों पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। स्कूल बेतुकी हद तक जा कर बच्चों से इन ठप्पों को आत्मसात करवाते हैं। स्कूल कुछ बच्चों को मंदबुद्धि कहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बिठाते भी अलग हैं और ऐसे सूचक कक्षा में लगा देते हैं जिससे बच्चों का विभाजन बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। सही उत्तर पता न होने का भय कई बच्चों को कक्षा में बिलकुल मौन रखता है जिससे वह भागीदारी और सीखने के समान अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

अच्छे अंक पाने वाले सफल विद्यार्थी भी असफलता के डर से उतने ही भयभीत रहते हैं। वे असफलता के डर से नयी चीजें आजमाने की क्षमता भी खो देते हैं, उन्हें डर लगता है कि वे परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनकी अच्छी श्रेणी नहीं आ पाएगी। गलतियों को शिक्षा के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकार किए जाने की ज़रूरत है और बच्चों के दिमाग से पूरे अंक न ला पाने के भय को निकालना चाहिए। स्कूल को अभिभावकों के समुदाय में बहुत ही सख्त संदेश भेजने की ज़रूरत है क्योंकि वे बच्चों पर छोटी उम्र से ही निपुणता के लिए ज़ोर डालते हैं। ट्यूशन में समय बर्बाद करने एवं घर में 'आदर्श उत्तर' याद करने की जगह माता-पिता को बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे कहानी की किताबें पढ़ें, खेलें, एक ठीक-ठीक मात्रा में दिया गया गृहकार्य करें और चीजों को दोहराएँ।

बच्चों के लिए तनाव-प्रबंधन के कोर्स चलाने की जगह, प्रधानाध्यापकों और प्रबंधकों को पाठ्यचर्या को तनाव-मुक्त करने की और अभिभावकों को यह सुझाव देने की ज़रूरत है कि बच्चों का स्कूल के बाहर जो जीवन है उसे तनाव मुक्त करें। जो स्कूल कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर ज़ोर देते हैं, उन्हें अच्छे उदाहरण नहीं मानना चाहिए, इसमें राजकीय स्कूल भी शामिल हैं। 'समान-विद्यालय' का आदर्श, जिसकी वकालत चार दशक पहले कोठारी आयोग ने की थी, आज भी वैध है चूँकि यह अपने संविधान में निहित भावना के अनुरूप है। स्कूल इन मूल्यों को आत्मसात करवाने में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब वे ऐसा माहौल बना सकें जहाँ प्रत्येक बच्चा खुशी महसूस कर पाए और सुकून से जी पाए।

यह आदर्श अब और भी प्रासंगिक हो गया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया है जिसका आशय है कि ऐसे लाखों बच्चों का नामांकन होगा जो प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी हैं। ऐसे बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने के लिए व्यवस्था को, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल हैं, यह मानना होगा कि बचपन कई तरह के हैं और उभरते हुए परिदृश्य में क्षमता, व्यक्तित्व और आकाँक्षाओं का कोई एक मानक काम नहीं कर सकता। स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि जब भिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध तथा प्रेरक हो जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विभिन्न अध्यायों का सरांशः

अध्याय 1

i. शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करना।
ii. 'शिक्षा बिना बोझ के' की सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना।
iii. पाठ्यचर्या सुधार से सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन करना।
iv. संविधान में उल्लिखित मूल्यों; जैसे - सामाजिक न्याय, समता एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास।
v. सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।
vi. ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण जो लोकतांत्रिक व्यवहारों, मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हो, लैंगिक न्याय के प्रति, अनुसूचित जातियों-जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो।

अध्याय 2

i. अध्यापन और अध्ययन संबंधी हमारी समझ का पुनःअभिमुखीकरण।
ii. विद्यार्थियों के विकास एवं अधिगम के संबंध में सर्वांगीण दृश्टिकोण।
iii. कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना।
iv. स्थानीय ज्ञान एवं बच्चों के अनुभव पाठ्यपुस्तकों और अध्यापन प्रक्रियाओं के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।
v. स्कूल बच्चों की तीव्र वृद्धि का दौर होता है, उनकी क्षमताओं, अभिरुचियों व दृश्टिकोण में काफी बदलाव आते हैं। इसलिए विषयवस्तु के चुनाव एवं व्यवस्था को तथा ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं को उनके हिसाब से अनुकूलित करना चाहिए।

अध्याय 3

भाषा

i. लिखने-बोलने, सुनने एवं पढ़ने की भाषिक क्षमताएँ स्कूल के सभी विषयों और अनुसाशनों के शिक्षण से विकसित होती हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बच्चों के ज्ञान निर्माण में उनके बुनियादी महत्त्व को समझना आवश्यक है।
ii. त्रिभाषा फॉर्मूले को पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता देने की ज़रूरत है। इनमें आदिवासी भाषाएँ भी शामिल हैं।
iii. अंग्रेज़ी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है।
iv. भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

गणित

i. गणित-शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण (तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यताओं का विकास) होना चाहिए न कि गणित का ज्ञान (औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान)।
ii. तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता।

विज्ञान

i. विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषयवस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए।
ii. विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हों, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में।
iii. पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए।

सामाजिक विज्ञान

i. सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है बजाए इसके कि बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री का अंबार खड़ा कर दिया जाए। इससे उनमें सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा।

कला-

i. कलाओं (संगीत, नृत्य, दृष्यकलाएँ, कठपुतली कला, मिट्टी की कला, नाटक आदि के लोक तथा शास्त्रीय रूपों) और धरोहर शिल्पों को पाठ्यचर्या में समेकित घटकों के रूप् में मान्यता।
ii. वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता के बारे में माता-पिता, स्कूली अधिकारियों और प्रशासकों में जागरूकता पैदा करना।
iii. कला को स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर शामिल किए जाने पर बल।

काम-

i. पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूली पाठ्यचर्या को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें ज्ञान अर्जन, मूल्यों का विकास और बहुविध कौशलों के निर्माण के संदर्भ में काम की शिक्षाशास्त्रीय संभावनाओं को देखा जा सके।

शांति-

- स्कूली शिक्षा के दौरान उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से सभी विषयों में शांति के मूल्यों का संवर्द्धन।
- शांति के लिए शिक्षा को शिक्षक-प्रशिक्षण का भी एक अवयव बनाया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

i. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्कूल में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव आदि की समस्या से निपटा जा सकता है।

अध्याय 4

i. शिक्षकों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए ढाँचागत और भौतिक सामग्री की न्यूनतम उपलब्धता और दैनिक योजना को लचीला बनाना आवश्यक है।
ii. बच्चों को सीखने वालों के रूप में पहचानने वाली स्कूली संस्कृति हर बच्चे की रुचियों और उसकी संभावनाओं को और अधिक समृद्ध करती है।
iii. ऐसी विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन जिसमें सक्षम और विभिन्न अक्षमताओं को झेल रहे बच्चे भी भाग ले सकें। यह सबके सीखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
iv. लोकतांत्रिक तरीके द्वारा बच्चों में स्व-अनुशासन का विकास हमेशा ही प्रासंगिक रहा है।

v. ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल किए जाने से स्कूल और समुदाय में साझेदारी होने लगती है।स्कूल का पुस्तकालय विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के लोगों के लिए ज्ञान को गहरा करने और विस्तृत संसार के साथ जोड़ने का कार्य करे।
vi. शिक्षा का माहौल को बनाने के लिए स्कूल सारणी की विकेंद्रीकृत योजना तथा दैनिक सारणी और शिक्षक को पेशेवर कार्यों के लिए स्वायत्तता अनिवार्य हैं।

अध्याय 5

i. व्यवस्थागत सुधार का एक प्रमुख लक्षण है, गुणवत्ता की चिंता जिसका मतलब हुआ कि संस्था में अपनी कमज़ोरियों की पहचान कर नयी क्षमताओं का विकास करते हुए खुद को सुधारने की क्षमता हो।
ii. यह वांछनीय है कि समान स्कूल व्यवस्था विकसित की जाए ताकि देश के अलग-अलग क्षेत्रों की तुलनीय गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके क्योंकि जब अलग-अलग पृष्ठभूमियों के बच्चे साथ-साथ पढ़ते हैं तो इससे शिक्षण की गुणवत्ता में विकास होता है और स्कूल का माहौल समृद्ध होता है।
iii. आगामी योजना के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की शुरुआत स्कूलों से करते हुए, संकुल तथा खण्ड स्तर पर हो। बाद में इनका समेकन करते हुए विस्तृत रूपरेखा बनाई जा सकती है। यह आगे ज़िला स्तर पर विकेन्द्रीकरण योजना नीति बनाने में मदद कर सकती है।
iv. प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के सहयोग से सार्थक अकादमिक योजना का विकास।
v. पठन-पाठन के संदर्भ में प्रत्येक स्कूल के साथ सतत अन्तःक्रिया की जानी चाहिए ताकि गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके।शिक्षक-शिक्षा का इस प्रकार पुनर्सूत्रीकरण हो कि इसमें ज्ञान निर्माण में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, अधिगम के साझे संदर्भ, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक उत्प्रेरक का काम करे, आदि पर बल दिया जाए। शिक्षक-शिक्षा का दृष्टिकोण बहु-अनुशासनात्मक हो, उसमें सिद्धांत और व्यवहार अंतर्भूत हों तथा इसमें आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करने की दृष्टि से समकालीन भारतीय सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हो।
vi. शिक्षक-शिक्षा में भाषिक दक्षता को केंद्र में रखा जाए और शिक्षक-शिक्षा का समेकित मॉडल विकसित किया जाए ताकि शिक्षकों के पेशेवरपन को मज़बूत किया जा सके।
vii. सेवाकालीन शिक्षण स्कूल में बदलाव का उत्प्रेरक हो। विषयवस्तु के परीक्षण के बदले शिक्षार्थियों की समस्या समाधान तथा समझ को जांचने की दिशा में बदलाव। इसके लिए प्रश्न -पत्र के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन आवश्यक है।
viii. लघु परीक्षाओं की ओर बदलाव।
ix. लचीली समय सीमा के साथ परीक्षा।
x. एक ऐसी नोडल एजेंसी की स्थापना जो प्रवेष परीक्षाओं के डिज़ाइन बनाए तथा उन्हंे संचालित कर सके।
xi. स्कूली पाठ्यचर्या में पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक काम-केंद्रित शिक्षा को, शिक्षा का अभिन्न अंग मान संस्थागत दर्जा दिया जाए। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्रचना हो सकेगी।

xii. शिक्षकों के चुनाव और बच्चों की आवश्यकताओं तथा रुचियों की विविधता का विस्तार करने के लिए विविध पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता।

xiii. शिक्षण अनुभवों तथा विविध कक्षा अभ्यासों में साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि नए विचार उत्पन्न हो सकें और नवाचार तथा प्रयोग को बढ़ावा मिले।

10.6 सारांश

शिक्षा, समानता और सशक्तिरण की प्ररक्रिया का मूल है। भारत में 'सभी के लिए शिक्षा' अभी भी एक सपना है। शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है चाहे वह सशक्त हो अथवा निःशक्त। निःशक्तजनों के शैक्षिक विकास में समावेशी शिक्षण पद्वति को आज के सबसे नवीनतम पद्वति के रूप में माना जा रहा हैं। यह उद्वेलित करने वाला है कि निःशक्त बच्चों एवं युवाओं की आधी से अधिक अबादी अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित हैं तथा उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। भारत सरकार यह चाहती है कि सर्व शिक्षा अभियान के सहारे यह लक्ष्य 2015 तक सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो सके। सर्व शिक्षा अभियान एक मिशन है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए कटिब्ध है। यह योजना सभी के लिए शिक्षा पर जोर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छच्म् 1986) और इसके क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) लाया गया। यह नीति सभी बच्चों की स्थिति, जाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान निर्धारण से परे प्रारम्भिक शिक्षा सभी तक पहुचनी चाहिए। जो गुणवता में बिना समझौता किए होगा। संसद ने 1986 के बजट सत्र के दौरान विचार-विमर्श द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" को ग्रहण किया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा क्रियान्वयन कार्यक्रम की नीतियों को मानसून सत्र के दौरान ही लागू करने का मंत्री ने वचन लिया। प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, विषय-विशेषज्ञों, और केन्द्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित कार्य बलों के साथ संलग्न थे। आवंटित विभिन्न विषयों में कुल 23 विषय सम्मिलित थे जिसमें विकलागों की शिक्षा का क्रम उपर से 6ठां है। इसमें विभिन्न प्रावधान एवं अनुशंसा किए गए जो मुख्य भाग में दिये गए है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) 2006 से 2009 तक में आयोग के विभिन्न सदस्यों के द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्टों का संकलन है। यह आयोग डा0 सैम पित्रोदा के नेतृत्व में भारत में मौजूद ज्ञानाधार के विशाल भंडार का लाभ उठाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार करने के प्रयोजन से प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था जिससे भारत के लोग 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। एनकेसी के अधिदेश के केन्द्र में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका संबन्ध सुलभता, अवधारणाओं, सृजन, प्रयोग और सेवाओं के साथ है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने हेतु विद्यालयी शिक्षा में आमूल चूल सुधार हेतु अनुशंसा की गई है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई, 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए इस वक्तव्य के अनुसरण में लिया गया कि परिषद् को इसमें संशोधन करने का अब समय आ गया है। इन्हीं निर्णयों के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और इक्कीस राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इसमें से एक विशेष आवश्यकता वाले बालको की शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय आवश्यकताऐं वाले

स्थिति पत्र में दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को ध्यान में रखते हुए बहुत बातें बताई गई है उनमें से प्रमुख अंशों को यहाँ उर्द्धत किया जा रहा है। यह महत्त्वपूर्ण है कि कक्षा में सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार किया जा सके। विशेषकर तब जब उनके लिए हाशिए पर धकेले जाने का खतरा हो। उदाहरण के लिए, वे विद्यार्थी जिनमें कुछ असमर्थताएँ हैं। विद्यार्थियों या विद्यार्थी-समूहों को अपंग/असमर्थ/निर्योग्य शब्दों से संबोधित करने से उनमें एक प्रकार की कुंठा और असहायता की भावना घर कर जाती है। इससे उन कठिनाइयों पर पर्दा पड़ जाता है, जिसका सामना विद्यार्थियों को विविध सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण से आने के कारण या कक्षा में अपर्याप्त शिक्षण-विधि अपनाने के कारण करना पड़ता है। इन बच्चों के अधिकार भी अन्य बच्चों के ही समान होते हैं। विद्यार्थियों के बीच मतभेदों को समस्या के रूप में न देखकर शिक्षण के सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है। इसमें मुख्य रूप से समावेशी मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है।

10.7 निबंधात्मक प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा प्रणाली क्या है, इसके बारे में लिखें ?
2. शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बताएँ कि वह कैसे जीवनोपयोगी हैं ?
3. समावेशन क्या है, तथा समावेशन की नीति को स्पष्ट करें ?
4. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, उन कारकों का उल्लेख करें ?
5. निःशक्त बालकों की शैक्षिक आवश्यकता हेतु क्या किए जाने की आवश्यकता है और वर्तमान ऑकड़ों सहित उनकी शिक्षा की स्थिति का करें ?
6. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए?
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्वरूप के बारे में विस्तार से बताइए तथा कार्यप्रणाली के बारे में लिखिये?

10.8 गतिविधियाँ

1. विशेष बालकों पर अधारित केस स्टडी तैयार करे तथा उस पर समालोचनात्मक ढंग से आई0 ई0 पी0 तैयार करे।

10.9 संदर्भ ग्रंथ

1. Reynolds, R. Seckil & Zenzen Flentcher Allain (2000), Encyclopaedia of Special Education: A Reference for the Education of the handicapped other Exceptional children's & adults, Canada-USA.
2. www.knowledgecommission.gov.in retrieve on 23.02.2013
3. www. mhrd.gov.in › Documents & Reports retrieve on 10.02.2013
4. www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf 2005.pdf retrieve on 14.02.2013

इकाई 11 मुख्यधारा, मुख्यधारा के संघटक, मुख्यधारा का प्रभाव, एकीकरण में मुद्दे(Main streaming,Components of Mainstream,Issues of Integration)

11.1 प्रस्तावना
11.2 उद्देश्य
11.3 मुख्यधारा का अर्थ
    11.3.1 मुख्यधारा का प्रारम्भ
11.4 मुख्यधारा के संघटक
11.5 मुख्यधारा का प्रभाव
11.6 एकीकरण में मुद्दे
11.7 मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर
11.8 सारांश
11.9 शब्दावली
11.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
11.11 संदर्भ ग्रंथ सूची
11.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
11.13 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

इकाई 8 में आपने एकीकृत शिक्षा के बारे में पढ़ा तथा यह जाना कि एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। परन्तु सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाने के बावजूद भी उनका विद्यालय में पूर्ण समावेशन नहीं हो पाता था इसलिए बाद में समावेशित शिक्षा की अवधारणा आई, जिसके बारे में आप विस्तारपूर्वक इकाई 12 में पढ़ेंगे।

इस इकाई में हम मुख्यधारा (मेन्स्ट्रीमिंग) के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्यधारा का अर्थ एवं उद्देश्य लगभग वही है जो एकीकृत शिक्षा का है। मुख्यधारा का प्रयोग अमेरिका में होता है, जबकि एकीकृत शिक्षा का भारत एवं इंग्लैण्ड में। जंगीरा (1986) ने कहा है कि ''अमेरिका में मुख्यधारा, भारत एवं इंग्लैण्ड में एकीकरण, स्कैंडिनावियन देशों (नार्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनलैण्ड तथा आइस्लैण्ड) में सामान्यीकरण, यद्यपि प्रत्यात्मक एवं परिचालन में सूक्ष्म अंतर है परन्तु सबका सामान्य उद्देश्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जहाँ तक संभव हो सामान्य विद्यालय में हो।'

,

11.2उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप:

1. मुख्यधारा का अर्थ एवं प्रारम्भ बता सकेंगे।
2. मुख्यधारा के संघटकों का वर्णन कर पायेंगे।
3. मुख्यधारा के प्रभावों की चर्चा कर पायेंगे।
4. एकीकरण में मुद्दों को जान सकेंगे।

11.3 मुख्यधारा का अर्थ

शिक्षा में मुख्यधारा से तात्पर्य है कि विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाय न कि अलग विशेष विद्यालय में।

स्टेफेन्स, ब्लैकहर्ट एण्ड मैंगिलओसिआ (1983) के अनुसार, ''मुख्यधारा का अर्थ है कि कम मात्रा में विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य कक्षा में होना। यह अवधारण कम बाधित वातावरण (लीस्ट रिस्ट्रिक्ट एन्वाइरमन्ट) के समान है।''

कासेर एण्ड लाइटल (Kasser & Lytle, 2004) के अनुसार ''विकलांग व्यक्ति को सामान्य विद्यालय या सामुदायिक वातावरण में रखने की प्रक्रिया ही मुख्यधारा है। यह पद अब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि इसका संबंध समझ में आता है कि विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में बिना उनकी आवश्यकतानुसार सहायता दिए डाल देना (डमपिंग)''।

मुख्यधारा का उपर्युक्त परिभाषा देखने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मुख्यधारा से तात्पर्य है विकलांग बच्चों की सामान्य विद्यालय में शिक्षा। पांडा (2003) के अनुसार यह शिक्षा कभी-कभी सामान्य विद्यालय के विशेष कक्षा में होता है। भारत में एकीकृत शिक्षा एवं अमेरिका में मुख्यधारा दोनों ही देशों में अब प्रचलित नहीं हैं, क्योंकि अब विकलांग बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा ही ज्यादा प्रचलित है।

मुख्यधारा का अर्थ जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि इसका प्रारम्भ कैसे तथा कहाँ हुआ।

11.3.1 मुख्यधारा का प्रारम्भ

मुख्यधारा का विचार अमेरिका में सन् 1975 में बना अधिनियम 'सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा' से आया था। परन्तु इसका बीज सन् 1950-60 के नागरिक अधिकार आन्दोलन के दौरान ही पड़ गया था जब अलगाव (सेग्रगैशन) को अवैध माना जाने लगा था (पांडा, 2003)।

इस अधिनियम में कहा गया है कि सभी बच्चों की शिक्षा कम बाधित वातावरण में हो अतः इस अवधारणा की शुरुआत हुई ताकि विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में डाला जाय। अर्थात उनको मुख्यधारा में लाया जाय (सामान्य विद्यालय को मुख्यधारा के रूप में माना गया)।

पांडा (2003) का कहना है कि मुख्यधारा में सभी विकलांग (विशेष) बच्चों को नहीं रखा जाता है, बल्कि कम मात्रा के विकलांग बच्चों को ही सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है। तथा यह शिक्षा सामान्य कक्षा में ना देकर सामान्य विद्यालय के अन्तर्गत विशेष कक्षा में दी जाती है।

अर्थात हम कह सकते हैं कि मुख्यधारा की शुरुआत अमेरिका में उसी समय हुई जिस समय भारत में एकीकृत शिक्षा की हुई थी। मुख्यधारा का मुख्य उद्देश्य था विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य विद्यालय में सभी विकलांग बच्चों को ना रखकर कम मात्रा में विकलांग बच्चों को ही शिक्षा दी जाती थी।

अभ्यास प्रश्न

1. 'मुख्यधारा' का प्रयोग कहाँ होता है?
   अ) भारत ब) पाकिस्तान
   स) अमेरिका द) इंग्लैण्ड
2. मुख्यधारा का प्रारम्भ सन् ..... में हुआ था।
   अ) 1974 ब) 1975
   स) 1982 द) 1983
3. मुख्यधारा किससे मिलता-जुलता है?
   अ) विशेष शिक्षा से ब) सामान्य शिक्षा से
   ब) सामावेशित शिक्षा से द) एकीकृत शिक्षा से

11.4 मुख्यधारा के संघटक(Components of mainstream)

मुख्यधारा का अर्थ एवं इसकी शुरुआत की चर्चा करने के बाद अब हम इसके संघटकों का अध्ययन रकेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि संघटक से तात्पर्य होता है 'मुख्य तत्व'/अंग/अवयव/मुख्य घटक इत्यादि। अर्थात मुख्यधारा के संघटक से तात्पर्य है मुख्यधारा के मुख्य तत्व कौन-कौन से हैं? इन तत्वों का ही अध्ययन इस खण्ड में विस्तारपूर्वक करेंगे।

हालहॉन एण्ड कॉफमैन (1978) ने मुख्यधारा के मुख्यतः तीन संघटक बताये हैं, जो हैं:

1. एकीकरण
2. शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग

3. उत्तरदायित्यों का स्पष्टीकरण

एकीकरणः हालहॉन एवं कॉफमैन (1978) कहते हैं कि यह बहुत से लोगों का मत है कि विकलांग बच्चे को कुछ समय के लिए सामान्य कक्षा में रखना अर्थात कालिक एकीकरण, पर्याप्त नहीं है। सामान्य साथियों के साथ इनका सामाजिक एवं अनुदेशात्मक एकीकरण होना चाहिए। कॉफमैन एवं उनके सहयोगियों (1975) का मानना है कि अनुदेशात्मक एकीकरण ही मुख्यधारा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।एकीकरण के लिए विकलांग बच्चों के अनुदेशन (शिक्षण) इस प्रकार डिजाइन करनी चाहिए कि वे सामान्य साथियों के साथ क्रियाओं में भाग ले सकें। गॉटलिब एवं बार्कर (1975) ने अपने अध्ययन में पाया कि अमेरिका में जब विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में कुछ समय के लिए रखा जाता है (दिन के 30 प्रतिशत) या अधिक समय के लिए रखा जाता है (दिन के 90 प्रतिशत) है तो उसको सामान्य सहपाठियों द्वारा ज़्यादा अच्छी प्रकार से स्वीकार तभी किया जाता है जब इस प्रकार के बच्चे को दिन के आधे समय तक एकीकरण किया जाय।

1. **शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग**- हालहॉन एवं कॉफमैन (1978) का कहना है कि मुख्यधारा में सम्मिलित बच्चे के शैक्षिक कार्यक्रम को सावधानवूर्पक तैयार करने की आवश्यकता है, उनको सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम उद्देश्यों के साथ रखना पर्याप्त नहीं है।
   विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष प्रयत्न द्वारा उनके लिए कार्यक्रमों की योजना बनानी चाहिए ताकि वे सामान्य कक्षा में भागीदारी का अधिकतम लाभ उठा सके। इसके लिए बच्चे तथा कक्षाध्यापक दोनों को सहयोगी कर्मचारी एवं सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
2. **उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण**- मुख्यधारा में यह माना जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व सामान्य अध्यापक पर होता है, आदर्शतः; अतिरिक्त विशेष शिक्षा कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं। प्रायः यह कर्मचारी संसाधन अध्यापक होते हैं।

जब एक ही बच्चे के लिए सामान्य एवं विशेष अध्यापक कार्य करते हैं तो किसको कौन सा कार्य करना है इसके बारे में अस्तव्यवस्तता बनी रहती है। कॉफमैन और उनके सहयोगियों (1975) इनके भूमिका के स्पष्ट वर्णन के महत्व पर जोर देते हैं ताकि बच्चे के सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
उपर्युक्त तीनों संघटकों का अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये तीनों संघटक मुख्यधारा को प्रभावशाली रूप से सफल बनाने के लिए आवश्यक है, अर्थात एकीकरण, शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग तथा उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण होने पर ही एक विकलांग बच्चे का मुख्यधारा में अच्छी प्रकार से समायोजन हो पायेगा।

कुछ विद्वानों ने उपर्युक्त तीन संघटकों के अलावा मुख्यधारा के कुछ और संघटकों को बताया है, जिसमें से प्रमुख हैं:

i. पाठ्यक्रम अनुकूलन,
ii. सहयोगी अध्ययन,
iii. विद्यालय कक्ष की सुगम्यता,
iv. तकनीकियाँ,
v. प्रशासकीय सहायता, इत्यादि।

संक्षेप में हम कह सकते हैं मुख्यधारा के उपर्युक्त संघटकों से ही इसका सही प्रकार से संचालन हो सकता है, परन्तु जैसा कि कासेर एण्ड लाइटल (2004) का कहना है कि अब यह पद स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अब समावेशित शिक्षा का प्रचलन चल पड़ा है। फिर भी मुख्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने विकलांग बच्चों को समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

अभ्यास प्रश्न

4. हालहॉन एण्ड कॉफमैन ने मुख्यधारा के तीन संघटक बताये हैं।(सत्य/असत्य)
5. अनुदेशात्मक एकीकरण मुख्यधारा का संघटक नहीं है।(सत्य/असत्य)

11.5 मुख्यधारा का प्रभाव

अभी तक हमने मुख्यधारा का प्रारम्भ, अर्थ एवं इसके संघटकों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि मुख्यधारा का प्रभाव क्या पड़ता है? इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

i. ओबरटी (Oberti, 1993) का कहना है कि मुख्यधारा का विकलांग बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे ये बच्चे सामाजिक उत्तरदायित्व, देखभाल एवं टीम के साथ काम करना सीख जाते हैं। इनका यह भी कहना है कि इससे विकलांग बच्चों का आत्मसम्मान भी बढ़ता है।
ii. मुख्यधारा के प्रभाव से विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों का अनुकरण करके उपयुक्त व्यवहार विकसित करते हैं, तथा इससे उनमें यह भावना विकसित होती है कि उनमें भी वे क्षमताएं हैं जिससे वे भी सामान्य बच्चों जैसे अपना कार्य कर सकते हैं।
iii. ओबरटी (Oberti, 1993) का मानना है कि एक बच्चे को सामान्य विद्यालय में दाखिला देने पर वह उन चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है, जिसका उसे बड़ा होकर समाज में रहकर के करना पड़ता है, अतः मुख्यधारा की प्रक्रिया विकलांग बच्चों में सामाजिक तौर-तरीके विकसित करने में मदद करता है।
iv. रेन्स (Raynes, 1991) का कहना है कि मुख्यधारा में विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक तथा प्रबंधक मिलकर विकलांग बच्चे के लिए एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, जिससे इन बच्चों में शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों कौशल विकसित होता है।
v. हलवोरेन्सन एण्ड सेलर (Halvorensen & Sailor, 1990) ने 261 वैसे साहित्यों का समीक्षा किया जिसमें विकलांग बच्चे जो मुख्यधारा में हैं तथा विकलांग बच्चे जो विशेष विद्यालय में हैं कि तुलना की गयी थी। इन्होंने यह पाया कि मुख्यधारा में रहने वाले बच्चों में अयोग्य व्यवहारों में कमी, संप्रेषण कौशल में वृद्धि, स्वतंत्र रूप से रहने का प्रमाण तथा माता-पिता के उम्मीदों के पैदा होने के प्रमाण मिले।
vi. कोर्बिन (Corbin, 1991)ने अपने अध्ययन में पाँच बच्चों को जो विशेष विद्यालय में पड़ते थे को मुख्यधारा में शिक्षा दी, इसके परिणामस्वरूप उन्होंने पाया कि मुख्यधारा में सम्मिलित किये गये बच्चों में शैक्षिक एवं सामाजिक कौशलों को सीखने में वृद्धि हुई। यह अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि अध्यापक यह महसूस करते हैं कि सामान्य बच्चे अपने शैक्षिक उपलब्धियों को बनाये रखते हैं, तथा विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनको स्वीकार करते हैं।

vii. पियुमा (Piuma, 1989)ने अपने अध्ययन में पाया कि वैसे विकलांग बच्चे जिन्होंने विशेष विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है का रोजगार पाने का दर 53 प्रतिशत है जबकि जो विकलांग बच्चे मुख्यधारा में शिक्षा ग्रहण किये हैं उनके रोजगार पाने का दर 73 प्रतिशत है।

viii. वाइडेरो (Viadero, 1982)ने भी मुख्यधारा को विकलांग बच्चों के लिए प्रभावशाली मानते हुए कहा कि मुख्यधारा में शिक्षा ग्रहण करने पर इन बच्चों के परीक्षा के अंकों में वृद्धि, व्यवहारिक समस्याओं में कमी तथा सम्पूर्ण व्यक्तिगत रूप-रंग में वृद्धि होती है।

ix. फेल्टीयर (Pheltier, 1993) का मानना है कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपर्युक्त स्थान ''सामान्य कक्ष'' होता है। वह दावा करते हैं कि मुख्यधारा में आने पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में शैक्षिक एवं सामाजिक उपलब्धियों में वृद्धि होती है।

उपर्युक्त अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मुख्यधारा का प्रभाव विकलांग बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है तथा समाज में रहने एवं खाने के लिए मुख्यधारा में दी गयी शिक्षा ही उपयोगी होती है। समाज से अलग रखकर विशेष विद्यालय में विकलांग बच्चों को शिक्षा देने पर बाद में उन्हें समाज में सामान्य लोगों के साथ रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि मुख्यधारा में इन बच्चों का सामना प्रारम्भ से सामान्य बच्चों से होता है अतः आगे जाकर इन्हें समाज में रहने में परेशानी नहीं होती है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मुख्यधारा का इन बच्चों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

अभ्यास प्रश्न

6. मुख्यधारा में विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक तथा प्रबंधक मिलकर एक साथ काम करते हैं।(सत्य/असत्य)
7. मुख्यधारा में शिक्षा ग्रहण करने पर विकलांग बच्चों को कोई लाभ नहीं होता है।(सत्य/असत्य)

11.6 एकीकरण में मुद्दे

अभी तक हमने मुख्यधारा का अर्थ, संघटक एवं प्रभाव की चर्चा की, अब हम इस खण्ड में देखेंगे कि एकीकरण में अर्थात विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करने में कौन-कौन से मुद्दे आते हैं।

एकीकरण में कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:

1. विकलांगता का गरीबी के साथ संबंध होना- जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है तथा गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादा विकलांग बच्चे ऐसे परिवार में होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। रॉव (1990) का कहना है कि ''भारत जैसे देशों में यह संभव है कि गरीबी की वजह से भी विकलांगता होती है।'' अतः गरीबी की वजह से माता-पिता अपने विकलांग बच्चे को विद्यालय भेजने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे ऐसे बच्चों के एकीकरण में समस्या आती है।
2. रूढ़िवादी मनोवृत्ति- विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामान्य लोगों की रूढ़िवादी मनोवृत्ति (जैसे- ये लोग पापी हैं, जिसकी वजह से भगवान ने इन्हें यह दण्ड दिया है; इनके साथ रहने से हमें भी विकलांगता हो सकती है,

इत्यादि) की वजह से भी इनके एकीकरण में समस्या आती है। अतः विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण के लिए यह जरूरी है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति को दूर करने के लिए उपाय किए जाएं।

3. जन शिक्षा एवं प्रसार- विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण में लोगों का अशिक्षित होना भी एक प्रमुख मुद्दा है। विकलांग बच्चों के माता-पिता तथा विद्यालय के कर्मचारियों को ज्यादातर यह नहीं पता होता है कि इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में दाखिला देने पर धन की भी व्यवस्था है, तथा ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने कई योजनाए एवं अधिनियम भी बनाए हैं।

   शर्मा (2001) का कहना है कि ऐसे साक्ष्य हैं कि जो शिक्षक इन बच्चों के लिए नीतियों, अधिनियमों तथा उपलब्ध धन के बारे में जानते हैं, वे इनके एकीकरण के लिए धनात्मक सोच रखते हैं। इनका ये भी कहना है कि जिन माता-पिता को भी इसका ज्ञान होता है तो विद्यालय के कर्मचारियों पर इसका धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः इन बच्चों के एकीकरण के लिए जरूरी है कि माता-पिता, विद्यालय के कर्मचारियों तथा समाज के विभिन्न लोगों की इनके अधिकारों, नीतियों, अधिनियमों इत्यादि के बारे में शिक्षा दे एवं इसका प्रसार करें।

4. विद्यालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण मे कमी- सामान्य विद्यालय के ज्यादातर कर्मचारियों को विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को डिजाइन एवं इसको सामान्य विद्यालय में कैसे लागू किया जाए, इसका प्रशिक्षण उनको नहीं होता है। मेरेड्डी एण्ड नारायण (Myreddi & Narayan, 2000) का कहना है कि भारत में ज्यादातर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांगता अध्ययन पर एक इकाई भी नहीं होती है, तथा जिस विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा के कुछ भाग को सम्मिलित किया गया है वहाँ शिक्षक को एकीकृत वातावरण में प्रयाप्त रूप से काम करने में प्रशिक्षित कराने में असफल होते हैं। अर्थात इन शिक्षकों को सैद्धान्तिक ज्ञान देकर छोड़ दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। अतः विकलांग बच्चों के सामान्य विद्यालय में एकीकरण के लिए जरूरी है कि विद्यालय के कर्मचारियों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए।

5. अपर्याप्त संसाधन- विकलांग बच्चों के सामान्य विद्यालय में एकीकरण में संसाधन भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तथा इनकी कमी एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा बनती है। जैसे- ज्यादातर विद्यालय में इस प्रकार के बच्चों की आवश्यकतानुसार वस्तुएं नहीं पायी जाती हैं, इनके लिए भवनों की सुगम्यता नहीं होती है, विशेष अध्यापक नहीं होते हैं, इत्यादि संसाधनों की कमी एकीकरण में बहुत बड़े मुद्दे हैं। अतः इनके एकीकरण के लिए इन संसाधनों का होना आवश्यक है तथा इसके लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार मिलकर काम कर रही है।

उपर्युक्त मुद्दों के अतिरिक्त पांडा (2003) ने एकीकरण में कुछ और मुद्दों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है:

i. मनोवैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक तथा व्यवसायिक कौशल विकसित करने के लिए सहायक व्यवस्था तथा सेवाओं को भी सामान्य विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए होना चाहिए।
ii. इन बच्चों के लिए अनुदेशात्मक प्रक्रिया अभी भी पुरानी/परम्परागत है, इसमें सुधार के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देना चाहिए।
iii. इन बच्चों के प्रति अध्यापक एवं सामान्य बच्चों की नाकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की जरूरत है।

iv. विकलांग बच्चों के एकीकरण में माता-पिता तथा समुदाय का पूर्ण रूप से भागीदारी जरूरी है, जो ज्यादातर नहीं होता है।
v. एकीकृत विद्यालयों में ज्ञानेन्द्रीय प्रोत्साहन एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए।
vi. संसाधन कक्षों की स्थापना तथा व्यवहार प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों को भी एकीकृत विद्यालयों में होना चाहिए।
vii. बुनियादी ढ़ाचा तथा अनुदेशात्मक सामग्री भी एकीकृत विद्यालयों में होनी चाहिए।

उपर्युक्त मुद्दों का अध्ययन करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विकलांग बच्चों के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं हैं, सरकार भी बहुत सी योजनाएं एवं अधिनियम इन बच्चों के एकीकरण के लिए बना चुकी है, परन्तु इसको लागू करना तथा इन बच्चों का एकीकरण व समावेशन करना हम अध्यापकों का काम है। एक अध्यापक की इच्छाशक्ति हो तो इन बच्चों का सही ढंग से एकीकरण हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न

8. विकलांगता एवं गरीबी एक दूसरे से ..... होते हैं।
9. विकलांग बच्चों के लिए नीतियों तथा अधिनियमों के बारे में ज्यादातर अध्यापकों को ..... होता है।
10. ज्यादातर सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन ..... नहीं होते हैं।

11.7 मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर

पिछले खण्डों में आपने मुख्यधारा के अर्थ, संघटक, प्रभाव इत्यादि को विस्तारपूर्वक पढ़ा, अब हम इस खण्ड में पढ़ेंगे कि मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में क्या अन्तर है।

समावेशित शिक्षा के बारे में आप अगले इकाई में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, यहाँ पर हम इसके अर्थ को संक्षेप में समझते हैं। समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है कि एक विद्यालय के एक ही कक्ष में सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा, अर्थात विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा।

मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित हैं:

i. मुख्यधारा में विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में कुछ समय के लिए आते हैं, तथा एक अलग कक्षा में विशेष अध्यापक द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि समावेशित शिक्षा में विकलांग बच्चे पूरे समय रहते हैं तथा सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।
ii. मुख्यधारा में विकलांग बच्चों को बिना उपयुक्त सुविधाओं के रखा जाता है, जबकि समावेशित शिक्षा में इन बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
iii. मुख्यधारा में मुख्यतः कम मात्रा में विकलांग वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जबकि समावेशित शिक्षा सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है।

iv. मुख्यधारा में विकलांग विद्यार्थी अपने आप को सामान्य विद्यालय के परिस्थितियों में ढ़ालता है, जबकि समावेशित शिक्षा में विद्यालय विद्यार्थी के आवश्यकतानुरूप ढ़लता है।

v. मुख्यधारा व्यक्तिगत प्रारूप पर आधारित है, जबकि समावेशित शिक्षा सामाजिक प्रारूप पर आधारित है।

अभ्यास प्रश्न

11. मुख्यधारा तथा एकीकृत शिक्षा में समानता है। (सत्य /असत्य)
12. समावेशित शिक्षा को ही मुख्यधारा कहते हैं।(सत्य /असत्य)
13. समावेशित शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं।(सत्य /असत्य)

11.8 सारांश

इस इकाई में आपने मुख्यधारा का अर्थ तथा उसके प्रारम्भ होने के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मुख्यधारा का अर्थ लगभग वहीं है जो एकीकृत शिक्षा का है; एकीकृत शिक्षा भारत में कहा जाता है, जबकि मुख्यधारा पद का प्रयोग अमेरिका में होता है।इसके बाद हमने मुख्यधारा के कुछ प्रमुख संघटकों जैसे - एकीकरण, शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए मुख्यधारा के प्रभावों का भी अध्ययन किया।इस इकाई के अंतिम खण्डों में हमने एकीकरण के कुछ प्रमुख मुद्दों की चर्चा करते हुए मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर जाना है।

11.9 शब्दावली

1. मुख्यधारा: विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने की प्रक्रिया को मुख्यधारा कहते हैं।
2. विकलांग बच्चे: वे बच्चे जिनको किसी प्रकार की विकलांगता हो जैसे - दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक विकलांग बच्चे इत्यादि।
3. सामान्य विद्यालय: वह विद्यालय जहाँ बिना विकलांगता वाले बच्चे पढ़ते हैं।
4. विशेष विद्यालय: वह विद्यालय जहाँ केवल विकलांग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं।

11.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अमेरिका
2. 1975
3. एकीकृत शिक्षा से
4. सत्य
5. असत्य
6. सत्य
7. असत्य
8. संबंधित
9. ज्ञान नहीं
10. उपलब्ध

11. सत्य
12. असत्य
13. असत्य

11.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पांडा, के.सी. (2003), एजुकेशन ऑफ एक्सेपशनल चिल्ड्रेन. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
2. हालहॉन, डी.पी. एण्ड कॉफमैन, जे.एम. (1978). एक्सेपशनल चिल्ड्रेन. न्यूयार्क: प्रिंटिस हाल
3. कासेर, एस.एल. एण्ड लाइटल, आर.के. (2005). इन्क्लूसिव फिजकल एक्टीविटीः ए लाइफटाइम ऑफ ओपोरचुनिटी. कैम्पेनः ह्युमन काइनेटिक्स।
4. कॉफमैन, जे.एम. एण्ड प्याने, जे.एस. (1975). मेंटल रिटार्डेशन: इन्ट्रोडक्शन एण्ड परसनल पर्सपेक्टिव. ओहियो: चार्ल्स, ई. मेरिक
5. जंगीरा, एन.के. (1986). स्पेशल एजुकेशन सिनारिओ इन ब्रिटेन एण्ड इंडिया. गुड़गॉवः द एकाडमी प्रेस
6. स्टेफन, टी.एम. ब्लैक्हर्ट, ए.ई. एण्ड मैंग्लिओसिया (1983). टीचिंग मेन्स्ट्रम्ड स्टूडेन्ट्स. न्यूर्याकः जॉन विले एण्ड सन्स
7. गॉटलिब, जे. एवं गार्बर जे.एल. (1975). हॉलहॉन एण्ड कॉफमैन की किताब एक्सेपशनल चिल्ड्रेन में वर्णन किया गया है।
8. रॉव (1990) को शर्मा, उमेश (2005) ने अपने पेपर इन्टिग्रेटेड एजुकेशन इन इंडियाः चैलेन्जेज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स. डिसबिलटीज स्टडीज क्वारटली जनरल में वर्णन किया है।
9. शर्मा, बी.एल. (2001). युनाइटेड नेशन्स एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन डिसबिलटी - सेन्सेटीव पॉलसी एण्ड प्रोग्राम मॉनिटरिंग एण्ड इवालुएशनः कन्ट्री पेपर - इंडिया. न्यूर्याकः युएनएचक्यू
10. मेरेड्डी, बी, एण्ड नारायण, जे. (2000). प्रीपेरेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीर्चस: प्रजेन्ट स्टेटस एण्ड फ्यूचर ट्रेन्ड्स. एसिया पेसफिक डिसएबिलटी रिहैबिलिटेशन जनरल.
11. पुनानी भु. एण्ड रॉवल न. (2000). विजुअल इम्पेयरमेंट हैन्डबुक. अहमदाबादः ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन.
12. ओबरटी (1993); रेन्स (1991); हलवोरेन्स एण्ड सेलर (1990); कोर्बिन (1991); पियुमा (1989); वाइडेरो (1982); फेल्टीयर (1993) को केरी, रो. सी. (1996) ने अपने प्रोजेक्ट द इफेक्ट ऑफ मेन्स्ट्रीमिंग ऑन स्पेशल एजुकेशन स्टुडेन्ट्स एट लेक रोड एलीमेन्टरी. में वर्णन किया है।

11.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. पुनानी, भु. एण्ड रॉवल, एन. (2000). विजुअल इम्पेयरमेंट हैंडबुक. अहमदाबादः ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन
2. पांडा, के.सी. (2003). एजुकेशन ऑफ एक्सेपशनल चिल्ड्रेन. नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस
3. हालहॉन, डी.पी. एण्ड कॉफमैन, जे.एम. (1978). एक्सेपशनल चिल्ड्रेन. न्युर्याक: प्रिंटिस हाल

11.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. मुख्यधारा का अर्थ बताते हुए उसके संघटकों का वर्णन करें।
2. मुख्यधारा के प्रभावों का उल्लेख करें।
3. एकीकरण में प्रमुख मुद्दों की चर्चा करें।
4. मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर लिखें।
5. एकीकृत शिक्षा एवं मुख्यधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

इकाई 12 शिक्षा में समावेशन की अवधारणा, शिक्षा में समावेशन के संघटक समावेशित शिक्षा के लाभ, समावेशित शिक्षा में मुद्दे

12.1 प्रस्तावना
12.2 उद्देश्य
12.3 शिक्षा में समावेशन की अवधारणा
12.4 समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व
12.5 समावेशित शिक्षा का दर्शन एवं सिद्धान्त
12.6 शिक्षा में समावेशन के संघटक
12.7 समावेशित शिक्षा के लाभ
12.8 समावेशित शिक्षा में मुद्दे
12.9 सारांश
12.10 शब्दावली
12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
12.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
12.13 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
12.14 निबंधात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का इतिहास विशेष विद्यालय से एकीकृत शिक्षा होते हुए अब समावेशित शिक्षा तक आ पहुँचा है।

शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो, इसे दूसरे शब्दों में हम समावेशित शिक्षा भी कहते हैं।समावेशित शिक्षा के बारे में आप पहले भी पढ़ व सुन चुके होंगे। इस इकाई में हम शिक्षा में समावेशन या समावेशित शिक्षा के प्रारम्भ, अर्थ, आवश्यकता, महत्त्व एवं इसके संघटक की चर्चा करते हुए, इससे होने वाले लाभों एवं मुद्दों की भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

- ❖ शिक्षा में समावेशन की अवधारणा बता सकेंगे।
- ❖ समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ व अर्थ बता सकेंगे।
- ❖ समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व जान सकेंगे।
- ❖ समावेशित शिक्षा के दर्शन एवं सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।

❖ शिक्षा में समावेशन के संघटक को बता सकेंगे।

❖ समावेशित शिक्षा के लाभों की व्याख्या कर सकेंगे।

❖ समावेशित शिक्षा के मुद्दों की पहचान कर सकेंगे।

12.3 शिक्षा में समावेषन की अवधारणा

शिक्षा में समावेशन की अवधारणा की शुरुवात इस आधार पर हुआ कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चे की अलग विशेषताएं, रुचि, योग्यता और आवश्यकता होती है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशित शिक्षा कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ कैसे हुआ था तथा इसका अर्थ क्या है?

समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ

समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा, जब जून, 1994 में सलमानका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा ''विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलनः सुलभता और समता'' का आयोजन हुआ।

इस सम्मेलन में 92 देशों और 25 अंतराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि ''प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रूचियाँ, योग्यता एवं सीखने की आवश्यकताएँ अनोखी होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए''।

इस सम्मेलन के बाद ही विभिन्न देशों ने बच्चों की आवश्यकताओं, रूचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाया, शिक्षा मे यही परिवर्तन समावेशित शिक्षा के रूप में प्रचलित हुआ।

समावेशित शिक्षा का अर्थ

सलमानका सम्मेलन (1994) के अनुसार समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है:-

''..... बच्चों के उनके शारीरिक, बुद्धिमता, सामाजिक, भावनात्मकता, भाषायी या कोई अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिये बिना विद्यालय को सभी बच्चों को दाखिला देना चाहिए। यह सम्मिलित करता है विकलांग और प्रतिभावान बच्चे, गली के और कार्य करने वाले बच्चे, गाँव या बंजारे से बच्चे, भाषीय प्रजातीय या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक से बच्चे तथा दूसरे अलाभांवित या अधिकारहीन क्षेत्र या समूह से बच्चे।''(सलमानका कथन, 1994, पैराग्राफ 3)

मानव विकास संसाधन मंत्रालय के समावेशित शिक्षा स्कीम (2003) के अनुसार, ''समावेशित शिक्षा से तात्पर्य सभी सीखने वाले, बिना विकलांग एवं विकलांग नवयुवक पूर्व-विद्यालय प्रावधानों, विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक स्थानों पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ सीख (पढ़) सकें।''

एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि समावेशित शिक्षा से तात्पर्य केवल विकलांग बच्चों को ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि सभी बच्चे जो विभिन्न वर्ग एवं योग्यता के हैं को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशित शिक्षा कहलाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. सलमानका सम्मेलन सन् ..... में हुआ था।
2. सलमानका सम्मेलन.....द्वारा आयोजित किया गया था।

12.4 समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व

आजकल प्रत्येक जगह समावेशित शिक्षा की ही चर्चा होती है, अतः यह जानने कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर क्यों समावेशित शिक्षा जरूरी है? तथा इसका महत्व क्या है? इस खण्ड के अंतर्गत हम समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व की चर्चा करेंगे।

समावेशित शिक्षा क्यों?

अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज्यादा महत्त्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। अर्थात् कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना तथा कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकतायें थोड़ी भिन्न हैं उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि समावेशित शिक्षा इसलिए आवश्यक है:-

- क्योंकि सभी बच्चे चाहे वो कैसी भी आवश्यकता वाले हों, एक ही समाज में रहना है। अतः शुरु से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी।
- क्योंकि सामान्य विद्यालय सभी जगह हैं, जबकि विशेष विद्यालय दूर शहरों में होते हैं, अतः एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय जाने के लिए दूर तक सफर करना पड़ता है, जो कि उस बच्चे के मूल अधिकार का हनन है।

समावेशित शिक्षा का महत्त्व

प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास करता है, ताकि राष्ट्र की उन्नति हो सके। यह बात तो सिद्ध है कि जिस राष्ट्र के ज्यादातर लोग पढ़े-लिखें है, वह राष्ट्र ज्यादा उन्नति कर रहा है, तथा जिस राष्ट्र के कम लोग शिक्षित हैं, वह राष्ट्र गरीब है।

अतः समावेशित शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे अपने पास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले विशेष स्कूल दूर होने के कारण शिक्षा पाने से वंचित रह जाते थे वे अब समावेशित शिक्षा के आने से पास के स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने पर उस राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में वह राष्ट्र अवश्य ही विकसित राष्ट्र बनेगा।

समावेशित शिक्षा का दूसरा महत्त्व यह कि जब एक ही स्कूल में विकलांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे पढ़ेंगें तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियाँ एवं क्षमताएँ जानने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रुढ़िवादी विचारधारा दूर होगी वहीं विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

3. विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमेशा देनी चाहिए।(सत्य/असत्य)
4. समावेशित शिक्षा राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है।(सत्य/असत्य)

12.5 समावेशित शिक्षा का दर्शन एवं सिद्धान्त

समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व जानने के बाद हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि समावेशित शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है एवं इसके सिद्धान्त क्या हैं?

समावेशित शिक्षा का दर्शन(Philosophy of inclusive education)

समावेशित शिक्षा का मूल दर्शन है कि 'बच्चे जो एक साथ रहकर सीखते हैं, एक साथ रहकर जीना सीखते हैं।'

समावेशित शिक्षा का दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि सभी व्यक्ति समान हैं तथा प्रत्येक मानव के मूल अधिकारों को सम्मान एवं महत्त्व देनी चाहिए। समावेशित शिक्षा मानवाधिकार शिक्षा को दर्शाता है।

समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत स्कूल को एक समुदाय के रूप में संगठित किया जाता है जहाँ सभी बच्चे एक साथ रहना सीख जायेंगे तो भविष्य में एक साथ रहकर जीवन निर्वाह करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

समावेशित शिक्षा का सिद्धान्त(Principles of inclusive eduation)

समावेशित शिक्षा का मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, अधिकार एवं भागीदारी मिलनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त समावेशित शिक्षा का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है:-

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व व सहयोग में सभी कार्यकर्ताओं की साझेदारी।
- समुदाय की भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के परिवार एवं सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी रखना।
- प्रत्येक बच्चे को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अर्थपूर्ण चुनौतियों का सामना करे, चयन करे व जिम्मेदारी ले। दूसरों के साथ सहभागिता के साथ अर्न्तक्रिया करे व शैक्षिक प्रक्रिया की सभी विकासशील शैक्षिक व अशैक्षिक, आंतरिक व अंतैयक्त्विव गतिविधियों में भाग ले।

अभ्यास प्रश्न

5. बच्चे जो साथ रहकर सीखते हैं, एक साथ रहकर..... सीखते हैं।
6. समावेशित शिक्षा का एक सिद्धान्त यह है कि ..... भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना।

12.6 शिक्षा में समावेशन के संघटक

जैसाकि आप जानते हैं संघटक से तात्पर्य होता है किसी वस्तु का मूल भाग; जैसे किसी स्कूल के संघटक की बात करें तो वे संघटक हो सकते हैं - कमरा, श्यामपट, कुर्सी, मेज, छात्र, शिक्षक इत्यादि। इस खण्ड में हम पढ़ेंगें कि शिक्षा में समावेशन या समावेशित शिक्षा के संघटक क्या हैं?

शिक्षा में समावेशन के प्रमुख संघटक निम्नलिखित हैं:

1. उपयुक्त सहायता एवं सेवाएँ- समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आवश्यकतानुसार सहायता एवं सेवाएँ होती हैं, ये सहायता बच्चों को स्वयं मिलती हैं ना कि बच्चे को सहायता के लिए कहीं जाना पड़ता है।
2. सक्रिय भागीदारी- समावेशित शिक्षा में सभी कार्य इस प्रकार बनाये गए होते हैं जिसमें सामान्य बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सक्रिय भागीदारी निभा सकें।
3. उद्देश्य- समावेशित शिक्षा के उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सामान्य पाठ्यक्रम से ही पढ़ाना होता है, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं होता है।
4. बच्चों के लिए कक्षाएँ तैयार रहती हैं- समावेशित शिक्षा में कक्षाएँ बच्चों की आवश्यकतानुसार रूपान्तरित होती हैं, जिससे बच्चे के समावेशन में आसानी हो। समावेशन के लिए बच्चों में कोई पूर्वापेक्षा की जरूरत नहीं होती है।
5. सहयोग एवं टीम योजना- समावेशित शिक्षा में सहयोग एवं टीम योजना एक महत्वपूर्ण संघटक है। इससे तात्पर्य है कि सामान्य अध्यापक, विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक, स्टाफ के लोग इत्यादि को मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में कार्य करने पर ही शिक्षा में समावेशन सही रूप से होता है।

शिक्षा में समावेशन के उपर्युक्त कुछ संघटक जानने के बाद हम कह सकते हैं कि समावेशन एक प्रक्रिया है ना कि घटना, अर्थात समावेशन के लिए लगातार कार्य चलता रहता है ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई एक कार्य हो गया तो वह स्कूल समावेशित शिक्षा के लिए हमेशा के लिए योग्य हो गया। जब दूसरा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा उस स्कूल में दाखिला लेने आयेगा तब उस बच्चे की आवश्यकतानुसार स्कूल में दुबारा परिवर्तन करने पड़ेंगे।

अभ्यास प्रश्न

7. शिक्षा में समावेशन के संघटक नहीं हैः

अ) उपयुक्त सहायता एवं सेवाएँ ब) सक्रिय भागीदारी

स) सहयोग एवं टीम योजना द) विशेष शिक्षा

12.7 समावेशित शिक्षा के लाभ

समावेशित शिक्षा का अर्थ, महत्त्व, आवश्यकता, सिद्धान्त एवं संघटक जानने के बाद अब हम इसके लाभों के बारे में अध्ययन करेंगे। समावेशित शिक्षा जो आज इतना प्रचलित शब्द है, इसके क्या लाभ हैं, तथा इससे लाभांवित होने वाले कौन लोग हैं?

समावेशित शिक्षा से मुख्यतः चार लोग प्रभावित होते हैं, वे हैं:-

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
- सामान्य बच्चे
- सामान्य शिक्षक
- माता-पिता

अतः हम इन्हीं चारों को समावेशित शिक्षा से होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभ

- जब एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय के कक्षा में रखा जाता है तो, उस विद्यार्थी को अपने प्रति बहुत सारे साकारात्मक बातें आती हैं। विशिष्ट रूप से यह परम्परागत विशेष शिक्षा के कक्षा के वातावरण की तुलना में ज्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह वातावरण प्रायः सीखने एवं विकास करने में अग्रीण भूमिका निभाता है।
  (रेशलन फॉर एण्ड बेनफिट्स आफ इन्क्लूशन, 2004)
- शोध बताते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जिनको समावेशित शिक्षा में रखा गया है। वे अनुदेशात्मक समय में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, और शैक्षिक क्रियाओं में ज्यादा प्रदर्शन कर पाते हैं।
  (सेलेन्ड, 2001)
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थीयों को नये दोस्त बनाने एवं अपने अनुभवों को बाँटने का मौका मिलता है, जो कि विशेष विद्यालय में नहीं हो पाता है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं, जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृति करने में अग्रसर भूमिका निभाता है।
- समावेशित शिक्षा में आकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को व्यक्ति के रूप में ज्यादा अभिज्ञ रखते हैं, तथा लेबलिंग (वर्गीकरण) की चिंता कम हो जाती है।
- समावेशित शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है। जब वे सामान्य विद्यार्थी एवं शिक्षक से संपर्क स्थापित करना शुरु करते हैं तो वे अपने आप को योग्य महसूस करना शुरु कर देते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, जो अपने अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ बाँट कर आनन्द प्राप्त करता है। जबकि यही अनुभव उसे विशेष विद्यालय में अच्छे नहीं लगते थे।
- शोध यह भी दर्शाते हैं कि समावेशित शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मानक टेस्ट स्कोर, पढ़ने की क्षमता और ग्रेड को बढ़ाता है।(सेलेन्ड, 2001)
- समावेशित शिक्षा में रहकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे संप्रेषण कौशल एवं सामाजिक योग्यता सीखते हैं।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अवांछित व्यवहार कम होते हैं, तथा सामाजिक वांछनिय व्यवहार विकसित होते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नये अविष्कारों, तकनीकियों और सामान्य ज्ञान से अवगत होते हैं।
- जीवन में आगे क्या करना है, कौन सी नौकरी करनी है, इत्यादि बातें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से चर्चा करके निश्चित कर सकते हैं।

सामान्य बच्चों के लिए लाभः

- समावेशित शिक्षा के कारण सामान्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलने व उनको स्वीकार करने की आदत बचपन से पड़ जाता है। सामान्य बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता, तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकतायें एवं उनसे किस प्रकार व्यवहार किया जाय समझने लगते हैं।
  (सेलेन्ड, 2001)
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्पर्क में आने से सामान्य बच्चे यह सीख जाते हैं कि बौधिक, शारीरिक एवं भावानात्मक अंतर सभी के जीवन का एक भाग है। जिससे उन्हें भविष्य में ऐसे लोगों से सम्पर्क बनाने में आसानी होगी।(वूड, 1993)
- समावेशित शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी समाज की विविधताओं को कक्षा में एक छोटे पैमाने पर देखने लगते हैं, जिससे भविष्य में समाज में ऐसे लोगों की सहन एवं सम्मान करने का अनुभव हो जाता है।
  (बेनफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर ऑल, 1999)
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को अच्छी तरह जान-पहचान जाते हैं, जिससे उनके मन में ऐसे बच्चों के प्रति बना डर व भ्रम टूट जाता है तथा वे ऐसे बच्चों का धीरे-धीरे सम्मान करने लगते हैं।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी के कमियों की तरफ संवेदना विकसित करना शुरु कर देते हैं, और इनकी तरफ सहानुभूति रखने वाले कौशल विकसित करते हैं। ये दोनो कौशल सामान्य बच्चे के भावी जीवन में हर पग पर काम आते हैं।
- समावेशित शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी कुछ महत्वपूर्ण कौशलों को सीखते हैं जो कि उनके व्यवस्क जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये कौशल हैं:-
  - ✓ नेतृत्व,
  - ✓ एक दूसरे की सहायता करना एवं
  - ✓ पढ़ाने की योग्यता,
  - ✓ परामर्शदाता,
  - ✓ सिखाना,
  - ✓ अधिकारिता तथा
  - ✓ स्वाभीमान को बढ़ाना।

(बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरुम फॉर आल, 1999)

- समावेशित शिक्षा में सामान्य बच्चों को अक्सर शिक्षक की भूमिका अदा करने का अवसर मिलता है, ताकि अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को पढ़ा सके तथा सहायता कर सके। इससे सामान्य बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है जो उसके खुद के लिए बहुत लाभदायक है।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी के साथ रहने के अनुभव के आधार पर समाज एवं स्कूल के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के उत्तरदायित्व को संभालते हुए सामान्य बच्चे व्यवस्क होकर समाज के उत्तरदायित्वों को संभालने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
- समावेशित शिक्षा के सामान्य बच्चों में सकारात्मक सोच, अनुकरणीय व्यवहार, स्वीकृति, धैर्य, सहन एवं मित्रता आदि कौशलों का विकास होता है। (रेशनल फॉर एण्ड बेनिफिट्स ऑफ इन्क्लूसन, 2004)

सामान्य शिक्षक के लिए लाभ:

समावेशित शिक्षा से सामान्य शिक्षक यह स्वीकार करने लगते हैं कि सभी विद्यार्थीयों में कुछ ना कुछ गुण होता है और यह गुण मिलकर एक अच्छे कक्षा के निर्माण में सहायक होता है, तथा शिक्षक को कक्षा प्रबन्ध में आसानी होती है।(बेनिफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)

i. समावेशित शिक्षा से सामान्य शिक्षकों में यह जानकारी उत्पन्न होती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, तथा कैसे अलग-अलग लोगों से अलग-अलग व्यवहार, करके एक अच्छा कक्षीय वातावरण बनाये।
ii. समावेशित शिक्षा के कारण सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नये शैक्षिक तकनीक सीखता है, जो उसके कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है।
iii. समावेशित शिक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए परम्परागत शैक्षिक प्रणालियों (जैसे व्याख्यान विधि, नोट लिखना) का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है, अतः सामान्य शिक्षक अपने पराम्परागत शैक्षिक प्रणाली को छोड़कर रचनात्मक तथा नये शैक्षिक प्रणाली से अपने कक्षा में पढ़ाता है, जिससे उसके कक्षा के सभी विद्यार्थी रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं।
iv. समावेशित शिक्षा सामान्य शिक्षक को सामूहिक कार्य कौशल विकसित करने का मौका देती है। (बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)
v. सामान्य शिक्षक समावेशित शिक्षा के कारण विभिन्न प्रकार के प्रफेशनल (व्यवसायी) जैसे - मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक आदि से मिलता है, जिससे उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है।
vi. सामान्य शिक्षक जो समावेशित शिक्षा अथवा समावेशित स्कूल में कार्य करते हैं उनमें समस्या समाधान कौशल, समस्या को अलग तरह से सोचने की तथा मनोबल बढ़ाने की कौशल का होना पाया जाता है। (बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)
vii. सामान्य शिक्षक को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुदेशन का महत्त्व समावेशित शिक्षा में रहकर पता चलता है।

viii. समोवशित शिक्षा में कार्य करने वाला शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को समझकर उसे अपने दूसरे साथियों के साथ बाँटता है जिससे ऐसे बच्चों के प्रति फैली गलत धारणाएं कम हो जाती हैं।

ix. सामान्य शिक्षक विभिन्न प्रकार के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के सम्पर्क में रहता है, जिसका प्रभाव समाज पर भी पढ़ता है। समाज में भी वह किसी के साथ आसानी पूर्वक रह सकता है।

माता-पिता के लिए लाभ

- ❖ माता-पिता अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को घर के पास के स्कूल में दाखिला मिलने से उनसे हमेशा सम्पर्क में रहते हैं जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है, जो विशेष शिक्षा के अन्तर्गत नहीं होता था।
  (फोरेस्ट, एम. एण्ड पेयरप्वांट, जे., 2004)
- ❖ सभी माता-पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे को उसके मित्र समूह द्वारा स्वीकार किया जाय। समावेशित कक्षा में अपने बच्चे को इस प्रकार देखकर उन्हें सपने पूरे होने जैसा लगता है।
- ❖ जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य जीवन व्यतित करने लगते हैं तो उनके माता-पिता अपना ध्यान दूसरे कामों में भी लगा लेते हैं, तथा समावेशित शिक्षा के कारण उन्हें यह अहसास होने लगता है कि उनका बच्चा भी सामान्य बच्चों जैसा ही है।
- ❖ समावेशित शिक्षा की वजह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता में अपने बच्चों के अधिकारों को समझने में आसानी होती है।
- ❖ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिये जा रहे सुविधाओं का भी ज्ञान माता-पिता को समावेशित शिक्षा के द्वारा होता है।
- ❖ समावेशित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों को देखकर माता-पिता कुछ उपकरण खरीद कर घर पर भी लाते हैं, जिससे उन्हें अपने बच्चे से अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है।
- ❖ समावेशित शिक्षा में अपने बच्चे के उम्र के दूसरे सामान्य बच्चे की शारीरिक, बुद्धिमता इत्यादि देखकर अपने बच्चे में कहाँ कमी है, ये बात माता-पिता आसानी से समझ जाते हैं, तथा उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।
- ❖ विद्यालय में जब शिक्षक और माता-पिता के बीच मीटिंग होती है तब उस समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता-पिता उसी कक्षा के सामान्य बच्चे के माता-पिता से मिलकर उसके द्वारा बच्चे के विकास के लिए किये गये कार्यों को समझकर अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ भी वैसा करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि उसमें भी वैसे ही विकास हो जैसे सामान्य बच्चे में है।

अभ्यास प्रश्न

8. समावेशित शिक्षा से लाभांवित नही होते हैं:

अ.	सामान्य बच्चे	ब.	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
स.	शिक्षक	द.	इनमें से कोई नहीं

9. समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ
   अ. लड़ते हैं ब. मिलते नहीं है
   स. मित्र बनाते हैं द. बात नहीं करते हैं
10. समावेशित शिक्षा में सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
   अ. हमेशा डाँटता है ब. अलग रखता है
   ब. ध्यान नहीं देता है द. सामान्य बच्चों के साथ मिलाकर रखता है।

12.8 समावेशित शिक्षा में मुद्दे

'मुद्दे' एक ऐसा शब्द है, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। रोजमर्रा के जीवन में भी यह शब्द आता रहता है, जैसे देश के मुद्दे, राज्य के मुद्दे, स्कूल में मुद्दे इत्यादि। अर्थात् अगर हर जगह मुद्दे व्याप्त है तो फिर समावेशित शिक्षा इससे कैसे अछूता रह सकता है।

अतः इस खण्ड में हम समावेशित शिक्षा में कुछ प्रमुख मुद्दों की चर्चा करेंगे, जो है:-

- समाज से संबंधित मुद्दे
- वित्तिय संबंधी मुद्दे
- शिक्षा नीति संबंधी मुद्दे
- उपलब्धता एवं सुगम्यता संबंधी मुद्दे
- अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे
- शोध से संबंधित मुद्दे

समाज से संबंधित मुद्दे

समावेशित शिक्षा में सबसे प्रमुख मुद्दा है समाज के लोगों की नकारात्मक मनोवृत्ति। नकारात्मक मनोवृत्ति जो कि समाज के सांस्कृतिक धारणा में गहराई तक समाहित है, उसको परिवर्तित करना एक मुश्किल कार्य है।

अभी भी समाज के लोगों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या विकलांग बच्चों के प्रति गलत धारणा बनी हुई जो समावेशित शिक्षा के लिए बहुत बड़ा अवरोध है। इसको परिवर्तित किये बिना समावेशित शिक्षा सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। मनोवृत्ति विश्वास पर आधारित होता है, इनको बदला तभी जा सकता है जब कोई नयी सूचना समाज के लोगों को बताया जाय; जैसे- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों के समावेशित शिक्षा में सफलता की कहानी । विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कुछ माता-पिता अपने बच्चों को समावेशित शिक्षा में दाखिला करने से डरते हैं कि वहाँ पर उनके बच्चे का सही ढंग से देखभाल नहीं होगा। उनका मानना है कि विशेष स्कूल ही उनके बच्चों के लिए ठीक है।

समाज में व्याप्त यही सब मुद्दे समावेशित शिक्षा के सफल संचालन में बाधा हैं, अतः इनको दूर करना अति आवश्यक है।

वित्तिय संबंधी मुद्दे

उपलब्ध संसाधनों के अलावा सभी देश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तिय मुद्दों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में वित्तिय संबंधी समस्या है।

सामान्य स्कूलों को समावेशित स्कूल बनाने में ज्यादा पैसे की जरूरत है, मगर विकासशील देशों में या गरीब देशों में पैसे की कमीं होने के कारण समावेशित शिक्षा लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

थॉमस (2005) का कहना है कि भारत में समावेशित शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए वास्तव में पर्याप्त संसाधन एवं धन है। उनका कहना है कि यह इस प्रकार हो सकता है कि जो आवश्यक सुविधाएं कुछ विशेष विद्यालय प्रदान कर रहे हैं तथा जो धन इन पर खर्च हो रहे हैं, उनको फैलाया जाय।

समावेशित शिक्षा के सफल संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में धन एवं उसका सही ढंग से उपयोग होना जरूरी है। भारत में प्रत्येक बजट में शिक्षा के लिए धन का प्रावधान होता है, मगर इसका सही ढंग से उपयोग करना अभी भी सरकार के लिए समस्या बनी हुई है, जिससे समावेशित शिक्षा प्रभावित होती है।

शिक्षा नीति संबंधी मुद्दे

भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नीतियाँ है मगर इन नीतियों को कार्यान्वित करने में कई समस्यायें आती हैं, जैसे - प्रशासनिक संरचना, समावेशित शिक्षा नीति आदि। इनका हम संक्षेप में चर्चा करेंगे।

प्रशासनिक संरचना- भारत में सन् 1976 से शिक्षा संयुक्त रूप से केन्द्र और राज्य की जिम्मेदारी है। केन्द्र नीतियों की रूपरेखा एवं वित्तिय सहायता देता है, जबकि राज्य अपने नीतियों को संगठित, संरचित एवं कार्यान्वित करता है। विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण केन्द्र सरकार के नितियों के लिए यह असम्भव हो जाता है कि वे प्रत्येक राज्य तक पहुँचे क्योंकि प्रत्येक राज्य ऐसी नीतियों को अपने तरह से प्रस्तुत करता है। केन्द्र सरकार यह मानता है कि, ''राष्ट्रीय योजनाओं में एक प्रमुख चुनौती है कि राज्य के वरीयता के साथ राष्ट्रीय योजना फ्रेम का सामन्जस्य स्थापित करना।'' (जी. ओ. आइ. 200)

एक अतिरिक्त नौकरशाही तनाव, जो सामानांतर व्यवस्था उत्पन्न करता है वह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल खराब प्रदर्शन करने वाले (जी.ओ.आई 2005: 146-7) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि बाकी सामान्य स्कूल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं।

प्रत्येक विभाग समावेशित शिक्षा घटक के साथ अपने शैक्षिक कार्यक्रमों की देखभाल करता है, अतः बच्चे कई सारे विभागों में फैले होते हैं, तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिलकर काम नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्यों में समानता की कमीं, खराब गुण एवं प्रतिलिपिकरण होता है। (सिंगल, 2005)

समावेशित शिक्षा नीति- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अथवा विकलांग बच्चों को समावेशित शिक्षा में भेजने का सुझाव सर्वप्रथम् सन् 1944 में सार्जेन्ट रिर्पोट ने दिया, फिर दुबारा सन् 1964 कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया, बावजूद इसके अभी तक इस क्षेत्र में ज्यादा उन्नति नहीं हुई है।(जुलका, 2005)

भारत सरकार द्वारा बीस साल पहले ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक्ट पारित किया जा चुका है, परन्तु अभी भी समावेशन में अवरोध बने समाज के लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित नहीं कर पाये हैं।

उदाहरण के तौर पर सन 1993 में सभी के लिए शिक्षा पर दिल्ली घोषणा में वादा किया गया था कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार उनको स्कूल में या उपयुक्त शैक्षिक प्रोग्राम में शिक्षा दी जायेगी।(मुखोपाध्याय एण्ड मनी, 2002: 96)

समावेशित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के स्थान पर सरकारी दस्तावेज का मुख्य ध्यान विकलांग बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में दाखिला दिलाना है..... भले ही पूर्ण रूप से समावेशन हो अथवा नहीं। (सिंगल, 2005)

उपलब्धता एवं सुगमता संबंधी मुद्दे

उपलब्धता एवं सुगमता से तात्पर्य है स्कूल के भवन एवं पाठ्यक्रम। इन्हीं की चर्चा हम इस खण्ड में करेंगे।

a. **स्कूल के भवन**- समावेशित शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व है स्कूल के भवनों को अवरोध मुक्त करना। परन्तु आज भी स्कूलों के भवनों में ना तो रेलिंग है या ना तो रैम्प। अतः एक अस्थि विकलांग बच्चे को स्कूल में दाखिला देना सम्भव नहीं है। अर्थात जब तक स्कूलों के भवनों का पुनःसंरचना या परिवर्तन केवल दस्तावेजों पर ही रहेगा, व्यवहारिक नहीं हो पायेगा, तब तक समावेशित शिक्षा का पूर्ण होना कठिन कार्य है।
b. **पाठ्यक्रम-**समावेशित शिक्षा में पाठ्यक्रम भी एक प्रमुख मुद्दा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाए बिना समावेशित शिक्षा सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाएगा। कुछ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थीयों को सामान्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन की जरूरत नही पड़ती है। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं, बस प्रस्तुत करने के तरीकों में परिवर्तन करना होता है। जैसे- दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल में लिखे हुए विषय वस्तु, जो श्यामपट पर लिखे उसको बोलें भी।

   परन्तु कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के (जैसे - मानसिक मंद) लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ऐसे बच्चों का समावेशन मुश्किल कार्य है।

अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे

समावेशित शिक्षा के क्षेत्र में कई शिक्षाशास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि कक्षा में समावेशित शिक्षा के कार्यान्वयन में अध्यापक शिक्षा एक महत्वूर्ण घटक है। (एन्सको, 2005, बूथ एट.एफ. 2003)

भारत में सामान्य अध्यापक शिक्षा के लिए डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम देश भर में फैले हैं, उसमें एक ऐच्छिक पेपर 'विशेष आवश्यकता' होता है जिसका उद्देश्य होता है कि विकलांगता को पहचानने एवं निदान करने के लिए अध्यापकों को तैयार करना। फिर भी यह प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग नहीं होता, तथा यह अध्यापक को यह प्रशिक्षण नहीं देता है कि विभिन्नताओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाय तथा विकलांग के प्रति नाकारात्मक मनोवृत्ति को कैसे समाज से हटाया जाए। (सिंगल, 2005)

अध्यापक शिक्षा के ऐसे तरीके ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य बच्चे से भिन्न कर देते हैं, तथा यह धारणा बन जाती है कि ऐसे बच्चों को वही अध्यापक पढ़ा सकते हैं जो विशेषतः ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लिये हैं।इस बात के प्रमाण हैं कि बहुत सारे शिक्षक यह महसूस करते हैं कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तथा उन्हें इन बच्चो को पढ़ाने के लिए कुछ और समय चाहिए। (मुखोपाध्याय, 2005)अतः अगर समावेशित शिक्षा का सफलतापूर्वक संचालन करना है, तो

सामान्य अध्यापक के प्रशिक्षण के कोर्स में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी, तथा उन्हें ऐसे प्रशिक्षित करना होगा कि उन्हें ही ऐसे बच्चों को पढ़ाना है कोई अलग अध्यापक विशेष प्रशिक्षण लेकर नहीं आयेगा।

शोध से सम्बन्धित मुद्दे

किसी भी क्षेत्र में शोध से ही पता चलता है कि उस क्षेत्र में कितना काम हो चुका है, और कितना बाकी है। परन्तु भारत में समावेशित शिक्षा में प्रयोगाश्रित एवं शैक्षिक शोध की बहुत कमी है। यह अभी प्राथमिक स्टेज पर है (सिंगल, 2005), अतः समावेशित शिक्षा में क्या कार्य करना है, इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाता है।समावेशित शिक्षा के बारे में सूचनाओं का ना होना यह सुझावित करता है कि भारत में समावेशित शिक्षा के प्रभाव एवं कार्यान्वन के क्षेत्र में शोध की भीषण जरूरत है। (डायर, 2000)

विकलांग, बच्चों की जनसंख्या कितनी है, इसका पता सिर्फ सर्वे एवं जनगणना के आधार पर होता है। इसमें घर के मुखिया से ही पूछा जाता है कि उसके घर में कोई विकलांग बच्चा है अथवा नहीं, हो सकता है कि मुखिया अपने बच्चे की विकलांगता छिपाने के लिए झूठ बोले। अतः विकलांग बच्चों की सही संख्या ही पता नहीं चल पायेगी, तो फिर उनके लिए उपाय या नीतियाँ बनाने का तो सवाल ही नही उठता है।

उपर्युक्त बातों से यह निश्चित हो गया है कि अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा में अच्छी शिक्षा देनी है तो शोध के माध्यम से समस्याओ एवं उनके समाधान खोजने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न

11. समाज से संबंधित मुद्दे समावेशित शिक्षा में कोई मायने नहीं रखते हैं।(सत्य/असत्य)
12. भारत में समावेशित शिक्षा नहीं आया है।(सत्य/असत्य)
13. भारत सरकार ने समावेशित शिक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।(सत्य/असत्य)
14. भारत में शिक्षा संयुक्त रूप से केन्द्र एवं राज्य की जिम्मेदारी है।(सत्य/असत्य)
15. समावेशित शिक्षा में कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।(सत्य/असत्य)

12.9 सारांश

इस इकाई में हमने पढ़ा कि समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1994 में सलमानका सम्मेलन के बाद हुआ। समावेशित शिक्षा का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चों की एक साथ शिक्षा अर्थात सामान्य बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। फिर हमने समावेशित शिक्षा के आवश्यकता एवं महत्त्व पर चर्चा करते हुए इसके दर्शन एवं सिद्धान्त को समझा। फिर हमने देखा कि समावेशित शिक्षा किस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, सामान्य बच्चों, सामान्य शिक्षक एवं माता-पिता के लिए लाभदायक है। अंत हमने समावेशित शिक्षा में आने वाले विभिन्न मुद्दों की चर्चा की।

12.10 शब्दावली

1. समावेशित शिक्षा: सामान्य बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की एक साथ शिक्षा।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे: वे बच्चे जिनकी आवश्यकतायें सामान्य बच्चों से अलग हों जैसे- दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवणबाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, अस्थि विकलांग बच्चे इत्यादि।
3. अवांछित व्यवहार: जो व्यवहार सामाजिक रूप से ठीक नहीं अर्थात जो अच्छा व्यवहार ना हो।
4. अनुकरणीय व्यवहार: जो व्यवहार इतना अच्छा हो कि उसे दूसरे लोग अनुकरण कर सकें।
5. मनोवृत्ति: मन में किसी के प्रति विचार रखना यह विचार नकारात्मक भी हो सकता तथा सकारात्मक भी हो सकता है।
6. विशेष विद्यालय: जहाँ एक प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे - दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय, मानसिक मंद बच्चों के लिए विशेष विद्यालय इत्यादि।

12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1994
2. यूनेस्को
3. असत्य
4. सत्य
5. जीना
6. समुदाय की
7. द
8. द
9. स
10. द
11. असत्य
12. असत्य
13. असत्य
14. सत्य
15. सत्य

12.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऐन्सको, एम. (2005) फ्राम स्पेशल एडुकेशन टू इफेक्टीव स्कूल फॉर आल, कीनोट प्रजेनटेशन एट द इन्क्लूसिव एण्ड सर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।
2. बूथ, टी. के एण्ड स्ट्रामस्टैड, एम. (2003). डेवलपिंग इन्क्लूसिव टीचर एडुकेशन: ड्राइंग द बुक टुगेदर। लंदन: रोटलेज फलेमर।
3. फोरेस्ट, एम. एण्ड पीयरप्वांट, जे. (2004). ''इन्कूजन! द बिर पिक्चर'' वेबसाइट http://www.inclusion.com/artbiggerpicture.html से लिया।
4. ''बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल'' (1999). वेबसाइट http://www.uni.edu/coe/inclusion/philosophy/benefite.html से लिया।
5. डायर, सी (2002), आपरेशन ब्लैक बोर्ड . पॉलिसी इम्प्लीमेंटशन इन इंडियन एलिमेंट्री एडुकेशन। आक्सफोर्ड: सीमपोजियम बुक्स।
6. जी. ओ. आई. (2000). इंडिया: एडुकेशन फॉर आल इयर 2000 असेसमेंट, एम. एच. आर. डी. नई दिल्ली: गर्वनमेंट ऑफ इंडिया एण्ड एन. आइ. ई. पी. ए.।
7. जुलका ए (2005). एडुकेशनल प्रोविजनस एण्ड प्रेक्टिसेस फॉर लरनरस विद डीसेबेलटीसज इन इंडिया, पेपर प्रजेन्टेड एट द इन्क्लूसिव एण्ड सुर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।
8. मुखोपाध्याय, एस. एण्ड मनी, एम. एन. जी. (2002). एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। नई दिल्लीः आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. मुखोपाध्याय, एस. (2005). रीथिंकिंग एबाउट इन्क्लूसन: इमर्जिंग एरिया फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली: न्यूपा
10. ''रेशलन फॉर एण्ड बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसन''(2004).वेबसाइट www.inclusion.com/artbiggerpicture.html से लिया।
11. सेलेन्ड, एस. (2001), क्रीएटिंग इन्क्लूसिव क्लासरूम: इफेक्टिव एण्ड रिफ्लेक्टिव प्रेक्टिसेस। न्यू जर्सी: पिंटिस हाल।
12. सिंगल, एन. (2005). रेसपांडिंग टू डिफरेन्स: पॉलिसिज टू सर्पोट इन्क्लूसिव एडुकेशन इन इंडिया, पेपर प्रजेन्टेड एट द इन्क्लूसिव एण्ड सर्वोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेथक्लेड, ग्लासो।
13. थॉमस पी. (2005). मेनस्ट्रीमिंग डीसएबिलिटी इन डेवलपमेंट: इंडिया कंट्री रिर्पोट। लंदन: डिसएबिलिटी नालेज एण्ड रीसर्च। वेबसाइट http://disasilitykar.net/research/pol_india/html से लिया।
14. वूड, जे. (1993). मेनस्ट्रीमिंग: ए प्रेक्टिकल अप्रोच फॉर टीचर्स। न्यू जर्सी: मेरील पब्लिशिंग कम्पनी।

12.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. पांडा, के. सी. (1997). ''एजुकेशन ऑफ एक्सेपसनल चिल्ड्रेन'' नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।
2. इग्नू (2009). फांउनडेशन कोर्स आन एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसएबिलिटीस। नई दिल्ली: इग्नू।
3. राव, एल. गो. (2007), पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एडुकेशन: हैदराबाद: नीलकलम पब्लिकेशन।

12.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. शिक्षा में समावेशन से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यकता एवं महत्त्व की व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर करें।
2. शिक्षा में समावेशन के संघटकों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें।
3. समावेशित शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है? व्याख्या करें।
4. समावेशित शिक्षा से कौन-कौन लोग लाभांवित होते हैं? विस्तारपूर्वक चर्चा करें।
5. समावेशित शिक्षा के कुछ प्रमुख मुद्दों का वर्णन करें।

इकाई- 13 श्रवण बाधिता का अर्थ एवं वर्गीकरण तथा विशेषतांए(Meaning of Hearing impairedness,classification,characteristics)

13.1 प्रस्तावना
13.2 उद्देश्य
13.3 श्रवण बाधिता का अर्थ
13.3.1 कान की संरचना
13.3.2 श्रवण प्रक्रिया
13.3.3 बाधिता का अर्थ एवं परिभाषांए
13.4 श्रवण बाधिता का वर्गीकरण
13.4.1 समय के आधार पर
13.4.2 कान के हिस्सों के प्रभावित होने के आधार पर
13.4.3 प्रकृति के आधार पर
13.4.4 ड़िग्री के आधार पर
13.5 श्रवण बाधिता बच्चों की विशेषतांए
13.6 सारांश
13.7 पारिभाषिक शब्दावली
13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
13.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
13.10 सहायकधउपयोगी पाठ्य सामग्री
13.11 निबंधात्मक प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

श्रवणबाधिता से सम्बन्धित यह पहली इकाई है। हम जानते हैं की मनुष्य अपनी इन्द्रियों के माध्यम से ही अपने वातावरण से जुड़ता है। पॉच प्रमुख इन्द्रियों में श्रवण एक महत्वपूर्ण इन्द्रिय है क्योंकि न की यह सिर्फ वातावरण मे मौजूद ध्वनियों को सुनने में सहायता करती है बल्कि वाणी एवं भाषा के विकास के लिए पूर्वपेक्षित भी है। श्रवण एक दूरस्थ इन्द्रिय के रूप में हमें खतरों से बचाती है बोलने की क्षमता प्रदान करने के साथ ही मनोरंजन हेतु स्वाभाविक इन्द्रिय की तरह भी कार्य करती है। श्रवण प्रक्रिया के बाधित होने से मनुष्य का सामान्य जीवन तथा उसका अन्य क्रियाकलाप के समस्त पहलु प्रभावित होते है। प्रस्तुत इकाई में विस्तार से श्रवण बाधिता का अर्थ, वर्गीकरण तथा विशेषताओं सम्बन्धित जानकारियॉ प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप श्रवण बाधिता से परिचय के साथ उसके प्रकार तथा विशेषताओं से भी परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. श्रवण बाधिता का अर्थ अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे।
2. श्रवण बाधिता को परिभाषित कर सकेंगे।
3. श्रवण बाधिता के विविध प्रकारों की चर्चा कर सकेंगे।
4. श्रवण प्रक्रिया सम्बन्धित जानकारियों से अवगत हो सकेंगे।
5. श्रवण बाधित बच्चों के विशेषताओंध् लक्षणों का विश्लेषण कर सकेंगे।

13.3 श्रवण बाधिता का अर्थ

श्रवण बाधित का अर्थ जानने से पूर्व कण की सँरचना एवं श्रवण प्रक्रिया जानना आवश्यक हैं

13.3.1 कान की संरचना

कान वातावरण में उत्पन्न होने वाली विभिन्न ध्वनि तरंगों को अपने तंत्र द्वारा ग्रहण कर मस्तिष्क तक भेजता है जिससे हमें वातावरण में ध्वनि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे ही 'सुनना' कहते है। संरचना की दृष्टि से कान को तीन भागों में बॉटा गया है-

1. बाह्य कर्ण
2. मध्य कर्ण
3. अन्तः कर्ण

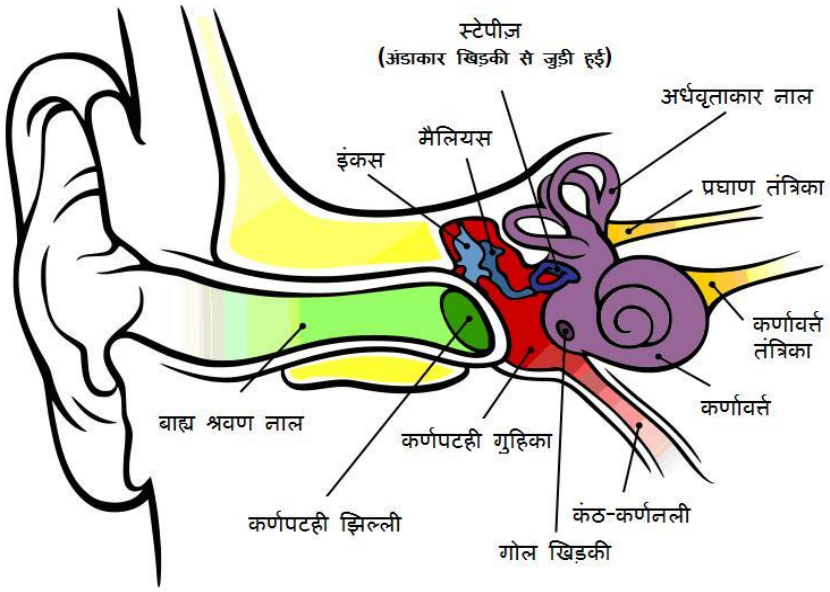

1. **बाह्य कर्ण(external ear**)बाह्यकर्ण की अकृत कप जैसी होती हैंद्य यह ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती हैं तथा बाह्य ध्वनि कैनाल इन तरंगों को कर्ण पटल तक ले जाती है। बाह्य कर्ण दो भागों में विभाजित हैः-
   क. **कर्ण शष्कुलीः**- यह कान का बाहर दिखाई देने वाला भाग है। इसका कार्य वायुमण्ड़ल में ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर उसे कर्णपथ की ओर भेजना है।
   ख. **कर्णपथः-** यह कर्ण शष्कुली के मध्य के गहरे भाग से कर्णपटल तक चलने वाली एक नलिका है। यह 'एस' के आकार की होती है। इस भाग में कर्णगूथ ग्रंथियॉ होती है जो इसे शुष्क होने से बचाती हैं
2. **मध्यकर्ण (middle ear)-** मध्य कर्ण कान की हड्डी- शंखास्थि में स्थित चपटा भाग है। मध्य कर्ण के बाहर की ओर की भित्ति कर्ण पटल से बनती है। यह एक तश्तरी नुमा तनी हुई झिल्ली होती है और इस पर ध्वनि तरंग टकराने पर कंपन करती है। ये शरीर की तीन अत्यन्त सूक्ष्म हड्डियों से जुड़ी होती है। इन्हें ओसिकल चैन कहते हैं ये ओसाइकल सूक्ष्म अस्थियॉ हैं मेलियस इन्कस तथा स्टेपिज। ये तीनों अस्थियॉ लीवर के समान एक दूसरे से जुड़ी होती है और परदे की हलचल के साथ ही तीनों समकालिक स्पंदन करती है और आन्तरिक कान को ध्वनि तरंग भेजती हैं। इन तोनों में से अन्तिम अस्थि स्तैपिज अंतरू कर्ण से जुडी होती हैं ।
3. **अंतःकर्ण(internal ear)-** यह भाग शंखास्थि में अनियमित रूप से बने हुए रास्ते या कोटर हैं। अंतःकर्ण में तीन दोहरी नली की नलकाकार संरचना होती हैं जिनमें विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है। स्टैपिज की हलचल से यह द्रव आगे पीछे हिलता है और तरंगे उत्पन्न होती है। ये नलियॉ दोहरी इसलिए होती है तथा झिल्लियों द्वारा अलग होती हैं इसे लिब्रियान्थ कहते है। यह श्रवण का मुख्य भाग होती है। दोहरी नली के बीच की रचना में विशिष्ट प्रकार के द्रव होते हैं । बाहरी भाग को पेरिलिम्प और आन्तरिक भाग को एण्डोलिम्प कहते हैं। ये दोनों द्रव ध्वनि तरंगे टकराने पर विपरीत दिशा में कंपन करते हैं। आन्तरिक लिबारियान्थ में विशेष केश कोशिकाएँ होती है जो एण्डोलिम्फ की हलचल होने पर ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक संवेदना में बदलती है। ये इलेक्ट्रिक संवेदना ऑडिटरी नर्व द्वारा मस्तिष्क को भेज दी जाती है।

13.3.2 श्रवण प्रक्रिया(Hearing Process)

सर्वप्रथम बाह्य कर्ण वातावरण में व्याप्त ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके कर्णपटल तक पहुँचाता है जिससें कर्णपटल में कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन मध्यकर्ण में उपस्थित तीन छोटी हड्डियों मैलियस, इनकस तथा स्टेपीज के द्वारा अंतःकर्ण तक पहुँचती है। मध्यकर्ण की अस्थियों का कंपन अंतःकर्ण के तरल में तरंगें पैदा करता है। इसका परिणाम कॉकलिया के द्रवों मे गतिमय होता है। कॉकलिया के अंदर संवेदनशील कोशिकाएं होती है जो कि इन गति को नोट कर लेती हैं और न्यूरल क्रियाओं की शुरूआत करती हैं जो कि आडिटरी नर्व के द्वारा दिमाग तक पहुँचायी जाती है। इस प्रकार हम सुनते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्यः-

i. बोलना एक विस्तृत प्रक्रिया है।
ii. वह संरचनाएं जिनका उपयोग चूसने, काटने, चबाने एवं निगलने के लिए किया जाता है वही बोली के उत्पादन में उपयोग में लायी जाती हैं।
iii. गले में स्थित स्वर यंत्र जो कि फेफड़ों में किसी बाहरी वस्तु के जाने को रोकने के लिए बनायी गयी है उसका उपयोग आवाज निकालने में किया जाता है।
iv. फेफड़ों के बाहर निकाली गई हवा का उपयोग कंठ ध्वनि में कंपन पैदा करने के लिए जिससें कि आवाज पैदा हो, किया जाता है।
v. इस प्रकार संरचनाएं जो कि सॉस लेने एवं खाने के लिए किया जाता है। उसका प्रयोग आवाज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
vi. हालाँकि दिमाग इन सबका मुख्य नियंत्रक है। बोलना एक सॉस लेने की अभिव्यक्ति करने की एवं ध्वनि निकालने की नियंत्रित प्रक्रिया है।

13.3.3 श्रवण बधिरता का अर्थ एवं परिभाषाएं

श्रवण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि की जागरूकता,भिन्नता, पहचान तथा समझने का बोध होता है। श्रवणबाधिता का सरल एवं सामान्य शब्दों मे अर्थ है कि सुनने की क्षमता मे कमी। यह क्षति व्यक्ति को दूसरों की बात और वातावरण की अन्य ध्वनियों को सुननें में समस्या उत्पन्न करती है। अतरू हम कह सकते हैं की किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज सुननें में अक्षम होना श्रवण विकलाँगता कहलाता है। भाषा के विकास के लिए 'सुनना' एक जरूरी प्रक्रिया है। एक छोटा बच्चा आस पास के लोगों के संवाद को सुनकर ही अपनी भाषा का विकास करता है। श्रवण विकलॉगता एक छिपी हुई विकलाँगता है। क्योकिं कोई भी व्यक्ति जो श्रवण विकलाँगता से ग्रसित है वह किसी भी प्रकार के शारीरिक लक्षण प्रकट नहीं करता है जिससे यह प्रतीत हो कि वह इस विकलाँगता से ग्रसित है। इस विकलाँगता को पहचाननें के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है। श्रवण विकलाँगता व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से सोचने तथा सीखने पर गहरा प्रभाव डालती है। श्रवण हमें खतरों से भी सावधान करता है। जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त श्रवण प्रक्रिया हमे वातावरण पर नियंत्रण करने में सहायता करती है। ध्वनि तथा कान सुननें की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ध्वनि की सूक्ष्मता को मापने की इकाई को डेसिबल (डी0बी0) (db) कहते है। श्रवण बाधिता की कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं -

निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसारः-

"अगर किसी व्यक्ति को सामान्य वार्तालाप के दौरान व्यवहार की गयी आवृत्तियों में अपने बेहतर कान से 60 डी0बी0 या उससे तेज आवाज को सुनने में कठिनाई होना श्रवणबाधिता कहलाता है"

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1991 के अनुसारः-

"श्रवणबाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम है"

श्रवण बाधिता के अर्न्तगत सामान्य से कम सुनने तथा बिल्कुल भी सुन न सकने वाले दोनों आते है। ;स्च्वार्तज़ तथा एलनए 1996 Schwartz and Allen (1996) इसे इस प्रकार परिभाषित किया है-

बधिरता से तात्पर्य है कि श्रवण क्षमता की इतनी गम्भीरता से क्षति कि श्रवण यंत्रो या दूसरे संवर्धक उपकरणों के साथ भी व्यक्ति बोली जाने वाली भाषा की श्रवण प्रक्रिया नहीं कर सकता।

(Deafness refers to a hearing loss so severe that the individual cannot process spoken language even with hearing aids or other amplification devices.)

ऊँचा सुनने वाले या आंशिक बहरेपन से तात्पर्य है कि श्रवण क्षति पूरी तरह बधिरता से कम है फिर भी इसका उनके सामाजिक, संज्ञानात्मक तथा भाषा विकास पर निश्चित ही नकारात्मक प्रभाव है।

Hard of hearing refers to a lesser loss but one that nevertheless has a definite negative effect on social, cognitive and language development.

IDEA ने श्रवणबाधिता के अंतर्गत बहरापन तथा ऊचा सुनना दो स्म्प्रत्य को परिभाषित किया हैद्य इसके अनुसार ऊचा सुनना का अर्थ हैं सुनने की क्षमता में कमी चाहे स्थायी हो या अस्थिरए एक बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रतिकूलता से प्रभावित करती हैश्द्य तथा बहरेपन से तात्पर्य हैं की बच्चे में श्रवण क्षति इतनी गंभीर है कि ए भाषाई सूचनाओ की प्रक्रिया श्रवण के माध्यम से प्रवर्धन के बिना या उसके साथ भी करने में सक्षम नहीं हैं |

IDEA as Hearing impairment is "an impairment in hearing, whether permanent or fluctuating, that adversely affects a child's educational performance." तथा Deafness is "a hearing impairment that is so severe that the child is impaired in processing linguistic information through hearing, with or without amplification."

WHO के अनुसार सुनने में कठिनाई का तात्पर्य हैं श्रवण हानि अति अल्प से गंभीर की वे आम तौर पर बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं और इन्हे श्रवण उपकरणोंए कर्णावत प्रत्यारोपण और सुनने के लिए सहायक उपकरणों से लाभ हो सकता है।

'Hard of hearing' refers to people with hearing loss ranging from mild to severe. They usually communicate through spoken language and can benefit from hearing aids, captioning and assistive listening devices. People with more significant hearing losses may benefit from cochlear implants

'बहरे' लोगों में अधिकतर श्रवण क्षति गंभीर होती हैं जिसके कारण सुनने की क्षमता बहुत कम या नहीं होती हैं, वे प्राय संवाद के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं

'Deaf' people mostly have profound hearing loss, which implies very little or no hearing. They often use sign language for communication.

हैलाहन और काफमैन के अनुसार श्वह बालक जिसमे जीवन के प्रारम्भिक दो या तीन वर्षो में श्रवण हानि होए और जिसके फलस्वरूप वह स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित न की हो ए वह बहरा की श्रेणी में आता हैं

The child who suffers a hearing loss in the first two or three years in life and as a consequence does not acquire language naturally is considered as deaf.

"वह बालक जिसमे भाषा सिखने के पश्चात ध्वनि में अंतर कर पाने की समस्त योग्यता खो दी होए और उसकी भाषा समझने योग्य शेष होए वह ऊचा सुनने वाला बालक कहलाता हैंश् द्य ।

A child who loses all ability to detect sound after having learned language is called hard of hearing, if his speech remains understandable.

अभ्यास प्रश्न

1. श्रवण एक _____ इन्द्रिय है।
2. _____ तथा _____ में कान की संरचना को विभाजित किया जा सकता है।
3. बाह्य कर्ण के _____ तथा _____ दो भाग है।
4. ध्वनि की सूक्ष्मता को मापने की इकाई _____ है।
5. निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार श्रवण बाधिता की स्थिति में _____ डी0बी0 या उससे तेज आवाज को सुनने में कठिनाई होती है।
6. पूर्ण बधिरता से कम श्रवण क्षति को _____ कहते है।

13.4 श्रवण बाधिता का वर्गीकरण

बधिरता का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है-

13.4.1 समय के आधार पर

i. जन्मजात श्रवण दोष- जन्म के समय किसी भी कारण से होने वाला श्रवण दोष जन्मजात श्रवण दोष कहलाता है। यह प्रसव के दौरान भी हो सकता है।
ii. वंशानुगत श्रवण दोष- जब श्रवण दोष गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है तो वह एक वंश से दसरे वंश तक प्रभावित करता है। इसे वंशानुगत श्रवण दोष कहते है।
iii. उपार्जित श्रवण दोष- जन्म के बाद किसी प्रकार की चोट, संक्रमण अथवा गंभीर बीमारी के कारण होने वाला दोष उपार्जित श्रवण दोष कहलाता है।

iv. भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष- जब किसी बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास की आयु से पूर्व श्रवण समस्या उत्पन्न होती है तो उसे भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष कहते है।

v. पश्च भाषा विकास श्रवण दोष- वाणी एवं भाषा विकास के समयय के उपरान्त होने वाला श्रवण दोष पश्च भाषा विकास श्रवण दोष कहलाता है।

13.4.2 कान के प्रभावित होने के आधार पर

i. चालकीय श्रवण दोष या प्रवाहमान श्रवण दोष- चालकीय श्रवण दोष का प्रभाव बाह्य कर्ण तथा मध्य कर्ण में होता है। ठीक तरह से आवाज आंतरिक कर्ण में नहीं पहुँच पाती। सभी सुनी हुई आवाजें दबकर रह जाती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति वातावरण की आवाज का ध्यान रखे बिना बहुत धीरे बोलते है।

ii. संवेदनिक श्रवण दोष- संवेदनिक श्रवण दोष, आंतरिक कर्ण में कोई बीमारी होने या खराब होने के कारण होता है। यह दोष कुछ बीमारियाँ जैसे- खसरा, गलगन्ड, दिमागी बुखार तथा क्षय रोग के कारण भी होता है।

iii. मिश्रित श्रवण दोष- मिश्रित श्रवण दोष चालकीय श्रवण दोष तथा संवेदनिक श्रवण दोष का मिश्रण है। इस दोष का प्रमुख कारण है लंबे समय तक कान में बीमारी का होना जिसे क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसके कारण कान से लगातार पानी का गिरना, खून आना तथा पस का बहाव होता है।

iv. केन्द्रीय श्रवण दोष - यह केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में क्षति के कारण होता है।

13.4.3 प्रकृति के आधार पर

i. सम्बर्धित श्रवण दोष- इस प्रकार का दोष किसी संक्रमण, वंशानुगत कमी या उम्र के आधार पर होता है। चालकीय, संवेदनिक तथा मिश्रित श्रवण दोष प्रकृति में सम्बद्धित हो सकता है।

ii. आकस्मिक श्रवण दोष- जब किसी व्यक्ति की श्रवण तंत्रिका चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसे आकस्मिक श्रवण दोष कहते है। आकस्मिक श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष का ही एक रूप है।

13.4.4 डिग्री गम्भीरता के आधार पर

1. क्लार्क के अनुसार-

10	-	25 डी0बी0	- सामान्य
26	-	40डी0बी0	-अति अल्प
41	-	55डी0बी0	-अल्प
56	-	70डी0बी0	- अल्पतम
71	-	90डीबी0	-गंभीर
91 डी0बी0 या अधिक			- अति गंभीर

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार-

0	-	25 डी0बी0	- सामान्य
26	-	40डी0बी0	-अति अल्प
41	-	55डी0बी0	-अल्प
56	-	70डी0बी0	- अल्पतम
71	-	90डीबी0	-गंभीर
91	डी0बी0 या अधिक		- अति गंभीर

3. गुडमैन्स के वर्गीकरण के अनुसारः-

10 DBHL	-	15 DBHL	- सामान्य
16 DBHL	-	25 DBHL	- निम्नतम
26 DBHL	-	40 DBHL	-अति अल्प
41 DBHL	-	55 DBHL	-अल्प
56 DBHL	-	70 DBHL	- अल्पतम
71 DBHL		-90 DBHL	-गंभीर
91 DBHL या अधिक			- अति गंभीर

4. बी0एस0ए0 एवं बैटार्ड (1988) जोसेफ में उद्धृत के अनुसार-

0	.	19 डी0बी0	- सामान्य
20	-	40डी0बी0	- अति अल्प
41	-	70 डी0बी0	- अल्प
71	-	95डीबी0	- गंभीर
95डी0बी0 या अधिक			- अति गंभीर

अभ्यास प्रश्न

7. भाषा के विकास के उपरान्त होने वाले श्रवण क्षति को _____कहते है।
8. गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होने वाला श्रवण दोष _____कहलाता है।
9. _____ श्रवण दोष बाह्य तथा मध्य कर्ण में होता है।
10. आंतरिक कर्ण में किसी प्रकार की क्षति से _____दोष होता है।

11. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार_____91 डी0बी0 से उपर वाला व्यक्ति _____की श्रेणी में आता है।
12. चालकीय तथा संवेदनिक दोनो श्रवण दोष की स्थिति _____ श्रवण दोष कहलाती है।

13.5 श्रवणबाधित बच्चों की विशेषताएं

i. **स्मृतिः-** भाषा विकास में समस्या उत्पन्न होती है साथ ही चीजों को याद रखने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों को प्लान बनाकर निर्देश दिया जाता है साथ ही चित्रों के माध्यम से याद कराया जाता है। ऐसे बच्चों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से या लिखकर मार्गदर्शित करना चाहिए।

ii. **वार्तालाप में समस्याः-** शिक्षकों की बात समझने या उनसे वार्तालाप में तथा सहपाठियों से वार्तालाप में समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप हो। इन बच्चो को अधिक से अधिक सूचनाये तथा जानकारियाँ दृष्टि के माध्यम से देनी चाहिए तथा लिखित जानकारी देनी चाहिए। सहपाठियों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षकों केा ज्यादा से ज्यादा ऐसे माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए जिससे श्रवण बाधित बोलने के लिए प्रेरित हो सके।

iii. **भाषा विकासः-** भाषा एवं वाणी विकास की योग्यता श्रवणबाधित बच्चों में सबसे अधिक प्रभावित होती है। सघन एवं विस्तृत प्रशिक्षण की अनउपलब्धता की स्थिति में इनका भाषा विकास नहीं किया जा सकता। भाषा का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि किस उम्र में श्रवण बाधिता आयी। वो बच्चें जो जन्म से ही पूरी तरह से श्रवण क्षति ग्रस्त होते है उनमें भाषा का विकास न के बराबर होता है। प्रभावशाली और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा में समस्या उत्पन्न होती है। शब्दकोष और भाषा संबंधी नियमों से देर से परिचित होते है। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने में समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में इस प्रकार के माहौल को बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा भाषा को सीखने का मौका मिले, शब्दकोष में बढोतरी हो तथा विचारों को व्यक्त कर सके।

v. **शैक्षिक कमीः-** श्रवणबाधिता से ग्रसित बच्चें का विकास देर से होता है। वे पढ़ने, लिखने तथा गणितीय कौशल से देर से परिचित होते है। गणितीय जोड़, घटाव में परेशानी होती है। समस्या प्रधान सवालों को हल करने में दिक्कत होती है। स्वयं से अपने विचार व्यक्त करने में या लिखने मे परेशानी होती है। याद करने के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समस्या प्रधान सवालों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए बढिया रणनीति बनानी चाहिए। लिखने के लिए ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढने के लिए जोर देना चाहिए।बच्चों को समूह में लिखने और पढने के लिए प्रेरित करें। अध्यापक को भी ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करना चाहिए।

vi. **सामाजिक व्यवहारों का आदान प्रदानः**- कक्षा में बच्चों के साथ जुड़ने में मेल मिलाप में समस्या आती है। सहपाठी भी उन्हें अपने जैसा न पाकर उनसे जुड़ नहीं पाते। श्रवणबाधित व्यक्ति अपने मनोभावों को भी सही प्रकार से दर्शा नहीं पाता। इस प्रकार के बच्चों को सामाजिक व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए। समूह में कार्य करने के लिए जोर देना चाहिए। साथ ही सहपाठियों को भी इन बच्चों को सहयोग देने तथा ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण रखने तथा स्वयं को व्यवस्थित रखने के तरीकों से परिचित कराना चाहिए।

vii. **बौद्धिक योग्यताः**- सामान्यतः यह माना जाता है कि इनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है परन्तु ऐसा नहीं है। इनकी बौद्धिक क्षमता भी सामान्य बच्चों जैसे ही बौद्धिक परीक्षणों में प्राप्ताकों में लगभग समान वितरण का प्रर्दशन करते है। यह जरूर है कि श्रवणबाधित बच्चों की उपलब्धि मौखिक बौद्धिक परीक्षणों की अपेक्षा अमौखिक बौद्धिक परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करते है क्योंकि इसमें उनकी उपलब्धि भाषा से प्रभावित नहीं होती है।

अभ्यास प्रश्न

13. श्रवणबाधित बच्चों की सबसे प्रमुख समस्या_____ की है।
14. सामान्यतः श्रवणबाधित बच्चों की शैक्षिक_____ सामान्य से कम होती है।
15. श्रवण बाधित बच्चें _____ बुद्धि परीक्षण की अपेक्षा _____ बुद्धि परीक्षण में बेहतर प्रदर्शन करते है।

13.6 सारांश

- कान एक महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय है। कान वातावरण में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तंरगों को अपने श्रवण तंत्र द्वारा ग्रहण करता है तथा इसकी सूचना मस्तिष्क को भेजता है इसे सुनना कहते हैं। कान के तीन प्रमुख भाग होते है- बाहय कर्णए मध्य कर्ण और अन्तः कर्ण बाहय कर्ण वातावरण से ध्वनि को ग्रहण करता है और मध्य कर्ण में भेजता है। मध्य कर्ण ध्वनि उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदल कर प्रभावशाली तरीके से अन्तः कर्ण में भेजता है। अन्तः कर्ण में यांत्रिक उर्जा को इलेक्ट्रिक उर्जा में बदल कर ऑडिटरी नर्व द्वारा मस्तिष्क को भेजता है। ध्वनि की सूक्ष्मता नापने की इकाई को डेसिबल कहते है।
- कान की सामान्य सुनने की क्षमता से विचलन श्रवण बाधिता कहलाती हैं द्य इसके अंतर्गत बधिरता तथा ऊचा सुनने वाले दोनों आते हैं निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारोंका संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार '' अगर किसी व्यक्ति को सामान्य वार्तालाप के दौरान व्यवहार की गयी आवृत्तियों में अपने बेहतर कान से 60 डी0बी0 या उससे तेज आवाज को सुनने में कठिनाई होना श्रवणबाधिता कहलाता है।''

- श्रवण बाधिता का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता हैं जैसे समय के आधार परए कान के हिस्सों के प्रभावित होने के आधार परए प्रकृति के आधार पर तथा ड़िग्री गंभीरता के आधार पर वातावरण के प्रभावित होने वाले भाग के आधार पर श्रवण दोष मुख्यतः चार प्रकार का होता हैः चालकीय श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष तथा केन्द्रीय श्रवण दोष।
- श्रवण दोष का सबसे पहले बच्चे की भाषा तथा सम्प्रेषण को प्रभावित करता है। इसके कारण बच्चें मे भाषा की बहुत कमी रहती है। भाषा में कमी के कारण बच्चें के वार्तालाप में समस्या, शैक्षिक कमी और सामाजिक व्यवहार में समस्या आदि समस्याएं आती है।

13.7 शब्दावली

1. पूर्वपेक्षित - पहली आवश्यकता
2. शष्कुली - कान का दिखाई पड़ने वाला भाग, पिन्ना
3. बौद्धिक योग्यता- बुद्धि का विभिन्न परिस्थियों में विविध समस्यां को हल करने की योग्यता
4. भाषा - बोली जाने वाली बोली को भाषा कहते हैं

13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. दूरस्थ
2. बाह्य, मध्य तथा अन्तःकर्ण
3. कर्ण शष्कुली एवं कर्ण पथ
4. डेसीबेल
5. 60 डी0बी0
6. ऊँचा सुनने वाला या आंशिक श्रवण बाधिता
7. पश्च भाषा विकास दोष
8. वंशानुगत
9. चालकीय
10. संवेदनिक श्रवण
11. अतिगंभीर
12. मिश्रित
13. भाषा
14. उपलब्धि
15. मौखिक, अमौखिक

13.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Schwartz, I.S., and Allen, K.E. (1996) The Exceptional Child Inclusion in Early Childhood Education (3rd Edition), Demar Publishers
2. National Sample Survey Organisation, Survey of Disabled Person in India, 1991
3. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M.(2007), Exceptional Learners: Introduction to Special Education (10th Edition) Allyn and Bacon, MA
4. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India
5. WHO (2013) Deafness and Hearing loss available at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ [accessed on 30/12/2013]

13.10 सहायक या उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
2. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
3. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
4. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
5. Hallahan, D.P. and I.M. Kauffman (1991), Exceptional Children: Introduction to Special Education (5th edn.), Boston: Allyn & Bacon.
6. Ysseldyke, J.E., B. Algozzine and M.L. Thuslow (1992), Critical Issues in Special Education (2nd edn), Boston: Houghton Mifflin.
7. Evans, P and Verma, V. (Eds.) (1990) Special Education. Past Present and Future. The Faimer Press.
8. Bench, John, R. (1992). Communication Skills in Hearing Impaired Children, Whurr Publishers Ltd.

9. Goetzinger, C.P. (1978). The psychology of hearing impairment. In Katz, J. (ed). Handbook of Clinical Audiology London: Williams and Wilkins.
10. Kadar, Fatima, Gorawar Pooja and Huddar Asmita (2002). Communication Options Available for the Deaf: The Indian Scenario in the Journal of the Indian Speech and Hearing Association. Vol –16 - 5.
11. Quigley, Stephen P and Kretschmer Robert E. (1982). The Education of the Deaf Children: University Park Press.
12. Vashishta, Madan; Woodward, James and Santis, Susan (1980). In Introduction to Indian Sign Language, All India Federation of the Deaf publication.
13. Ingram, David, (1989). Child Language Acquisition. Cambridge University Press: New York.
14. Owens, Robert, (2001). Language Development: An Introduction. Allen and Baum: MA
15. Parlmer, John M, and Yantis, Philip A. (1990). Survey of Communication Disorders.
16. Williams and Wilkins: London.
17. Sanders, Derek A. (1993). Management of Hearing. New Jersy: Prentice Hall Inc.
18. Davis, H., Silverman, S.R., Hearing and deafness, New York Holt, Rinehart & Winston, 1970.

13.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. श्रवण बाधिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए।
2. श्रवण बाधित बच्चों के प्रकार की विस्तार से विवेचना कीजिए।
3. श्रवण बाधित बच्चों में पाये जाने वाले लक्षणों की विवेचना कीजिए।
4. कान की संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए श्रवण प्रक्रिया को बताइये।